आय कर के सहायक आयोग (छूट) ए.

वी.

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (2017 की सिविल अपील संख्या 21762)

19 अक्टूबर, 2022

[उदय उमेश ललित, सी. जे. आई., एस. रवींद्र भाट और पामिदिघांतम श्री नरसिम्हा, जे. जे.]

आयकर अधिनियम 1961:एसएस।2(15) परंतुक-कर छूट-आम तौर पर सार्वजनिक उपयोगिता-जी. पी. यू.-'धर्मार्थ उद्देश्य' के उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाले धर्मार्थ संस्थानों द्वारा दावा-"आम तौर पर सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की व्याख्या जो धर्मार्थ उद्देश्य नहीं है, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में किसी भी गतिविधि को चलाना या किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि शामिल है, तो उपकर या शुल्क या किसी अन्य विचार के लिए, उपयोग या आवेदन की प्रकृति या प्रतिधारण की परवाह किए बिना, ऐसी गतिविधि से आय की व्याख्या और दायरा-आयोजितःसामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने वाला निर्धारिती किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में खुद को संलग्न नहीं कर सकता है, या किसी भी विचार, "उपकर, या शुल्क, या किसी अन्य विचार के लिए उसके संबंध में सेवा प्रदान नहीं कर सकता है"-हालांकि, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में, संबंधित न्यास, समिति, या ऐसा कोई अन्य संगठन, व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय कर सकता है या विचार के लिए उसके संबंध में सेवाएं प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की गतिविधियाँ जी. पी. यू. के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़ी हों; और इस तरह की व्यावसायिक या वाणिज्यिक गतिविधि या सेवा से प्राप्त रसीद, पिछले वर्ष की कुल प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक न हो-सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने वाली गतिविधि के लिए किसी भी राशि का शुल्क लेना, जो लागत के आधार पर हो।2(15), एस में आवश्यकता।11(4ए) अलग-अलग पुस्तकों को बनाए रखना ए

जी.

एच.

लेखा भी यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता के अनुरूप है कि एस के लिए परंतुक में निर्धारित मात्रात्मक सीमा।2(15), उल्लंघन नहीं किया गया है-एसएस।10(23सी), 13 (8), 11 (4ए) और 143 (3)।

एस.11(4), 11(4ए)-ट्रस्ट और ट्रस्ट के तहत आयोजित व्यवसाय-व्यापार करने के बीच का अंतर-चर्चा की गई।

एसएस।2(15) – कर छूट, सांविधिक निगमों, प्राधिकरणों या निकायों द्वारा दावा; सांविधिक नियामक निकायों/प्राधिकरणों; व्यापार संवर्धन निकायों, परिषदों, संघों या संगठनों; गैर-सांविधिक निकायों-ई. आर. एन. ई. टी., एन. आई. एक्स. आई. और जी. एस. 1 इंडिया; राज्य क्रिकेट संघों; और एक सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता दान के रूप में निजी न्यास-कुछ प्रकार की आय या प्राप्तियों को सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की गतिविधियों के संबंध में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय से प्राप्त होने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, एक विचार के लिए-आयोजितःजहाँ तक संबंध का संबंध है, सांविधिक प्राधिकरणों, निगमों या निकायों की प्राप्तियों को प्रथम दृष्टया व्यापार या वाणिज्यिक प्राप्तियों की शरारत से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्यों/कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं-हालाँकि, यदि प्रभारित प्रतिफल या राशि लागत और नाममात्र मार्क-अप से काफी अधिक है, तो प्राप्तियाँ इंगित करेंगी कि गतिविधियाँ वास्तव में "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" की प्रकृति में हैं और उन्हें एस.2(15) – सांविधिक नियामकों के लिए, आईटी अधिनियम के तहत छूट के लिए पात्र 'धर्मार्थ उद्देश्य' के साथ एक के रूप में माना जाना, एस के लिए परंतुक में निर्धारित समग्र मात्रात्मक सीमा।2(15) (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है) का अनुपालन करना पड़ता है-सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों की प्रगति में शामिल व्यापार संवर्धन निकाय छूट का दावा कर सकते हैं-हालांकि, अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए आय या प्राप्तियां व्यवसाय या वाणिज्यिक प्रकृति की होंगी-जहां तक संबंध है, सार्वजनिक कार्यों को करने वाले गैर-सांविधिक निकाय, जैसे कि ईआरएनईटी और एनआईएक्सआई महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्यों में लगे हुए हैं-शुल्क या प्रदान किए गए उद्देश्यों के लिए उनके द्वारा लिया गया विचार नाममात्र है-हालांकि, उनके दावे का साल-दर-साल आधार पर पता लगाना पड़ता है-इसके अलावा, जीएसआई इंडिया सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की प्रगति में शामिल है, इसकी सेवाएं व्यापार और व्यवसाय के लाभ के लिए हैं, जिससे वे काफी अधिक प्राप्तियाँ प्राप्त करते हैं-इसलिए, जीएसआई इंडिया छूट के लिए पात्र नहीं है-निजी न्यास2(15) ए से प्राप्त आय के रूप में

जी.

एच.

विज्ञापन, गठित व्यवसाय या वाणिज्यिक प्राप्तियाँ-प्रावधानों में निर्धारित सीमा।2(15) छूट के लिए पात्र दान के रूप में होने के न्यास के दावे का पालन किया जाना चाहिए-जहां तक खेल संघों का संबंध है, मामले की और जांच की आवश्यकता है।क़ानून की व्याख्याःव्याख्या में सहायता-विधान का इतिहास, कानून के निर्माण के लिए अन्य बाहरी सहायता, अर्थात् संसद में भाषण और विभागीय परिपत्र-इसकी प्रासंगिकता-समझाया गया।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः1.1 जहां तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (15) के तहत सामान्य परीक्षण का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने वाला निर्धारिती किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में खुद को संलग्न नहीं कर सकता है, या किसी भी प्रतिफल ("उपकर, या शुल्क, या कोई अन्य प्रतिफल") के लिए उसके संबंध में सेवा प्रदान नहीं कर सकता है।हालांकि, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में, संबंधित न्यास, समाज या ऐसा अन्य संगठन, व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय कर सकता है या विचार के लिए उसके संबंध में सेवाएं प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि (i) व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की गतिविधियाँ जी. पी. यू. के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़ी हों ("वास्तविक निष्पादन". डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2016 सम्मिलित की गई हों)। और (ii) उसके संबंध में ऐसी व्यावसायिक या वाणिज्यिक गतिविधि या सेवा से प्राप्त रसीद, वर्षों में संशोधित मात्रात्मक सीमा से अधिक नहीं है। 10 लाख डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2009; फिर रु. 25 लाख डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2012; और अब पिछले वर्ष की कुल प्राप्तियों का 20 प्रतिशत, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2016)।आम तौर पर, ऐसी गतिविधि (सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने) के लिए विचार के लिए किसी भी राशि का प्रभार, जो लागत के आधार पर या नाममात्र लागत से अधिक है, को "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" या उसके संबंध में कोई सेवा नहीं माना जा सकता है।यह केवल तभी होता है जब शुल्क विचाराधीन निर्धारिती द्वारा की गई लागत से स्पष्ट रूप से या महत्वपूर्ण रूप से अधिक होते हैं, कि वे "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" के प्रति "उपकर, या शुल्क, या किसी अन्य विचार" की शरारत के दायरे में आते हैं।आई. आई. टी. को स्पष्ट किया जाता है कि लागत या नाममात्र के आधार पर प्रदान की जाने वाली किस तरह की सेवाओं या वस्तुओं को आम तौर पर व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की शरारत से बाहर रखा जाएगा।धारा 11 (4ए) की व्याख्या धारा 2 (15) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए, जिसके साथ कोई टकराव नहीं है।व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय या सेवा के संबंध में गतिविधि करना।

जी.

एच.

ऐसी गतिविधियों के लिए, जी. पी. यू. उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में संचालित किया जाना चाहिए, और आय, लाभ या अधिशेष या लाभ, इसलिए, आकस्मिक होना चाहिए।धारा 11 (4ए) में अलग-अलग लेखा पुस्तिकाओं को बनाए रखने की आवश्यकता भी यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता के अनुरूप है कि धारा 2 (15) के परंतुक में निर्धारित मात्रात्मक सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।इसी तरह, धारा 13 (8) का सम्मिलन, धारा 10 (23सी) का सत्रहवाँ परंतुक और धारा 143 (3) का तीसरा परंतुक (सभी w.r.e.f)। 01.04.2009), इस व्याख्या की पुष्टि करते हैं और वैधानिक प्रावधानों में एकरूपता लाते हैं।[पैरा 253] [1058-सी-एच; 1059-ए-सी]

1.2 राज्य सरकार या केंद्र सरकारों द्वारा स्थापित किसी वैधानिक निगम, बोर्ड या किसी अन्य निकाय द्वारा अनिवार्य रूप से 'सार्वजनिक कार्यों/सेवाओं' (जैसे आवास, औद्योगिक विकास, पानी की आपूर्ति, सीवेज प्रबंधन, खाद्यान्न की आपूर्ति, विकास और नगर नियोजन, आदि) को प्राप्त करने के लिए जो भी राशि या कोई भी धन लिया जाता है, वह व्यापार, वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधियों के समान हो सकता है।हालाँकि, चूंकि उनके उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्यों/कार्यों की प्रगति के लिए आवश्यक हैं (और तदनुसार वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से प्रतिबंधित हैं), इसलिए ऐसी प्राप्तियों को प्रथम दृष्टया व्यापार या वाणिज्यिक प्राप्तियों की शरारत से बाहर रखा जाना चाहिए।हालांकि, साथ ही, प्रत्येक मामले में, मूल्यांकन अधिकारियों को अपने दिमाग को लागू करना होगा और रिकॉर्ड की जांच करनी होगी, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या, और किस हद तक, प्रभारित प्रतिफल या राशि लागत और नाममात्र मार्क-अप से काफी अधिक है।यदि ऐसा है, तो रसीदें इंगित करेंगी कि गतिविधियाँ वास्तव में "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" की प्रकृति की हैं और इसके परिणामस्वरूप, आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) के परंतुक में मात्रात्मक सीमा (समय-समय पर संशोधित) का पालन करना होगा। [पैरा 253 बी. 1, बी. 2] [1059-सी. जी]

जी. 1.3 आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (46) के खंड (बी) में, "वाणिज्यिक" का अर्थ आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) में "व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय" के समान है। इसलिए, इस तरह के अधिसूचित निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, ट्रस्ट या आयोग (जो भी नाम से जाना जाए) द्वारा ली जाने वाली राशियों पर समान रूप से विचार करने की आवश्यकता होगी-यानी, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह "वाणिज्यिक गतिविधि" की शरारत के दायरे में आता है।

एच.

हालाँकि, ऐसे अधिसूचित निकायों के मामले में, धारा 10 (46) में कोई मात्रात्मक सीमा नहीं है।इसलिए, केंद्र सरकार को मामले-दर-मामले के आधार पर यह तय करना होगा कि धारा 10 (46) के तहत अधिसूचित निकायों को क्या और किस हद तक छूट दी जा सकती है।01.04.2003 से 01.04.2011 की अवधि के लिए, एक सांविधिक निगम गुजरात समुद्री बोर्ड के मामले में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए धारा 2 (15) के लाभ का दावा कर सकता है।इसी तरह, 01.04.2011 के बाद धारा 10 (46) के तहत लाभ से इनकार एक सांविधिक निगम, बोर्ड, या जो भी ऐसा निकाय कहा जा सकता है, उसे यह दावा करने से नहीं रोकता है कि यह एक धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है और धारा 10 (23सी) या अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत छूट की मांग करता है। [पैरा 253, बी-3, बी-4] [1059-जी-एच; 1060-ए-डी]

1.4 उदाहरण के लिए, सांविधिक नियामक निकायों की आय और प्राप्तियाँ, जिन्हें पाठ्यक्रम निर्धारित करने, पेशेवरों को अनुशासित करने और व्यावसायिक आचरण के मानकों को निर्धारित करने के विशेष कर्तव्यों के साथ काम सौंपा गया है, वे प्राथमिक रूप से व्यवसाय या वाणिज्यिक प्राप्तियाँ नहीं हैं।हालाँकि, यह इस चेतावनी के अधीन है कि यदि मूल्यांकन अधिकारी यह समझते हैं कि ऐसे नियामक निकाय द्वारा की जाने वाली कुछ प्रकार की गतिविधियों में शुल्क लेना शामिल है जो खर्च की गई लागत से काफी अधिक है (नाममात्र मार्क-अप के साथ) या अन्य सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करना जैसे कि प्रवेश प्रपत्र, कोचिंग कक्षाएं, पंजीकरण प्रसंस्करण शुल्क, आदि, स्पष्ट रूप से अधिक कीमतों पर, वे वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्राप्तियां होंगी।उस स्थिति में, धारा 2 (15) (समय-समय पर संशोधित) के परंतुक में निर्धारित समग्र मात्रात्मक सीमा का पालन करना होगा, यदि नियामक निकाय को 'धर्मार्थ उद्देश्य' के साथ आईटी अधिनियम के तहत छूट के लिए पात्र माना जाना है। व्यवसायों को विनियमित करने वाले सांविधिक प्राधिकरणों की तरह, योग्यता आदि के मानकों के आधार पर उत्पादों (जैसे बीज) को प्रमाणित करने वाले सांविधिक निकायों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा।[पैरा 253, सी1, सी2] [1060-डी-जी]

1.5 व्यापार संवर्धन में शामिल निकायों (जैसे ए. ई. पी. सी.), या विशुद्ध रूप से व्यापार संगठनों की वकालत करने, समन्वय करने और सहायता करने के उद्देश्यों के साथ स्थापित, को सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों की उन्नति में शामिल कहा जा सकता है।हालाँकि, यदि ऐसे संगठन अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे कि पाठ्यक्रम

जी.

एच.

कुशल कार्मिकों के लिए, मेलों या व्यापार प्रदर्शनों, परामर्श सेवाओं आदि में निजी किराये की जगह प्रदान करना, तो ऐसी गतिविधियों से आय या प्राप्तियां, व्यवसाय या वाणिज्यिक प्रकृति की होंगी।उस स्थिति में, कर छूट के दावे को फिर से आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) के प्रावधानों की कठोरता के अधीन करना होगा। [पैरा 253, डी] [1060-जी-एच; 1061-ए-बी]

1.6 ई. आर. एन. ई. टी. और एन. आई. एक्स. आई. जैसे सार्वजनिक कार्यों को करने वाले गैर-सांविधिक निकाय महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्यों में लगे हुए हैं।अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि प्रदान किए गए उद्देश्यों के लिए उनके द्वारा लिया गया शुल्क या प्रतिफल नाममात्र है।इन परिस्थितियों में, यह माना जाता है कि उक्त दो निर्धारिती धर्मार्थ उद्देश्यों से प्रेरित हैं।हालांकि, सार्वजनिक कार्यों को करने वाले ऐसे गैर-वैधानिक संगठनों के दावों का वार्षिक आधार पर पता लगाना होगा, और कर अधिकारियों को रिकॉर्ड से यह पता लगाना होगा कि क्या शुल्क नाममात्र लागत से अधिक है, या इसे बहुत अधिक स्तर तक बढ़ा दिया गया है।यह माना जाता है कि हालाँकि जी. एस. 1 इंडिया वास्तव में, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति में शामिल है, लेकिन इसकी सेवाएं व्यापार और व्यवसाय के लाभ के लिए हैं, जिससे उन्हें काफी अधिक प्राप्तियाँ मिलती हैं।इन परिस्थितियों में, संशोधित धारा 2 (15) को ध्यान में रखते हुए छूट का उसका दावा सफल नहीं हो सकता है।हालाँकि, न्यायालय भविष्य में किए गए किसी भी दावे और स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किए जाने से इनकार नहीं करता है, यदि जी. एस. 1 यह संतुष्ट करने में सक्षम है कि वह अपने ग्राहकों को जो प्रदान करता है, वह लागत के आधार पर अधिक से अधिक, एक नाममात्र मार्कअप के साथ लिया जाता है।[पैरा 253 ई. 1, ई. 2] [1061-बी. एफ]

1.7 जहाँ तक राज्य क्रिकेट संघों (सौराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बड़ौदा और राजकोट) का संबंध है, इस मामले की और अधिक जांच की आवश्यकता है।तदनुसार, एक निर्देश जारी किया जाता है कि ए. ओ. संबंधित निर्धारिती को नोटिस जारी करने और इस निर्णय के पिछले पैराग्राफ में इंगित प्रासंगिक सामग्री की जांच करने के बाद मामले पर नए सिरे से निर्णय लेगा। इसके अलावा, यदि कोई परिणामी आदेश जारी करने की आवश्यकता है, तो वही किया जाएगा और मूल्यांकन आदेशों सहित परिणामी कार्रवाई आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानून के अनुसार पारित की जाएगी। [पैरा 253, एफ] [1061-एफ-एच]

जी.

1.8 जहाँ तक निर्धारिती-ट्रिब्यून ट्रस्ट की अपील का संबंध है, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने के बावजूद, ट्रस्ट ए

एच.

धारा 2 (15) द्वारा कवर की गई संस्थाओं को दी गई छूट से लाभ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि विज्ञापनों, गठित व्यवसाय या वाणिज्यिक प्राप्तियों से प्राप्त आय।नतीजतन, छूट के लिए पात्र दान के रूप में ट्रस्ट के दावे के सफल होने के लिए धारा 2 (15) के परंतुक में निर्धारित सीमा का पालन करना होगा।इसलिए, अलग-अलग तर्कों के बावजूद, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।[पैरा 253, जी] [1062-ए-सी]

2.1 एस को दूसरे परंतुक द्वारा दी गई सीमित राहत।2(15) आयकर अधिनियम, 1961 के 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता'-जी. पी. यू. दानदाताओं (अवधि 2009-2015 के लिए) के लिए यह था कि यदि ऐसे जी. पी. यू. श्रेणी के दानदाता अपने जी. पी. यू. उद्देश्यों को वास्तविक रूप से पूरा करने के दौरान की गई गतिविधियों को जारी रखते हैं जो व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में थे, या व्यापार, व्यवसाय आदि के संबंध में कोई सेवा प्रदान करते हैं, और शुल्क, उपकर या अन्य प्रतिफल एकत्र करते हैं, तो ऐसी आय को तब भी छूट दी जा सकती है, यदि यह 10,00,000 (और बाद में, 25,00,000) से अधिक नहीं थी।2015 के संशोधन द्वारा, दूसरे परंतुक को हटा दिया गया था और व्यापार, वाणिज्य आदि करने की अनुमति के संबंध में दो शर्तें पेश की गई थीं:((i) ऐसी गतिविधि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति को वास्तविक रूप से पूरा करने के क्रम में की जाती है; और (ii) पिछले वर्ष के दौरान ऐसी गतिविधि या गतिविधियों से कुल प्राप्तियां, उस पिछले वर्ष की ऐसी गतिविधि या गतिविधियों को शुरू करने वाले न्यास या संस्था की कुल प्राप्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होती हैं।[पैरा 136] [997-सी-एफ]

2.2 संसदीय प्रयास, आई. टी. अधिनियम के तहत जी. पी. यू. श्रेणी के दान के कराधान पर लागू व्यवस्था को बदलना था। जी. पी. यू. दानदाताओं पर व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की गतिविधियों को चलाने या किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में उपकर या शुल्क या किसी अन्य विचार के लिए कोई भी सेवा प्रदान करने पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध इस इरादे का प्रमाण है।मूल धारा 2 (15) में ऐसी गतिविधियों के संबंध में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय या किसी सेवा का उल्लेख नहीं किया गया था।इसने केवल जी. पी. यू. दानदाताओं को लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को करने से खुद को शामिल करने का आदेश दिया 127 (जो था

जी.

एच.

सूरत आर्ट सिल्क में व्याख्या की गई)।2008-2012 और 2015 के संशोधनों द्वारा लाया गया यह महत्वपूर्ण परिवर्तन व्यवसाय, वाणिज्य या व्यापार की प्रकृति में किसी भी प्रकार की गतिविधि में शामिल होने या उसके संबंध में कोई भी सेवा प्रदान करने और उपकर, शुल्क या प्रतिफल के माध्यम से आय अर्जित करने पर प्रतिबंध है।एक ओर 'लाभ के लिए गतिविधि' के संदर्भ को स्पष्ट रूप से हटाना और दूसरी ओर जी. पी. यू. चैरिटी द्वारा दान के रूप में अपनी विशेषता को बनाए रखने के लिए क्या नहीं किया जा सकता है, इसकी एक विस्तारित सूची का अधिनियमन एक जोरदार तरीका है जिसमें संसद खुद को व्यक्त करना चाहती है।[पैरा 138] [998-ए-डी]

2.3 अनुच्छेद 289 के संदर्भ में वाणिज्य जैसी प्रत्येक राज्य गतिविधि को संघ कर से मुक्त नहीं माना जा सकता है।केवल सरकारी संपत्ति की बिक्री या पट्टे का अर्थ व्यापार या व्यवसाय नहीं है।कहने के लिए, उद्यम में महत्वपूर्ण या निर्धारक तत्व यह है कि क्या किसी कार्य का प्रदर्शन लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होता है।धारा 2 (15) के संशोधित परंतुक के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चलता है कि निषेध चार गुना तरीके से लागू होता है-(ए) व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में संलग्न होने पर रोक, (बी) व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई भी सेवा प्रदान करने पर रोक, (सी) जिसमें "शुल्क, उपकर या किसी अन्य विचार के लिए" दोनों के लिए नियंत्रण वाक्यांश है (ए) और (बी) (जिन्हें सामूहिक रूप से संक्षिप्तता के लिए "निषिद्ध गतिविधियों" के रूप में संदर्भित किया जाता है) (डी) ऐसी "निषिद्ध गतिविधियों" से प्राप्त आय के अनुप्रयोग के बावजूद।[पैरा 141,142] [1001-एफ-एच; 1002-ए-बी]

2.4 जी. पी. यू. दान की परिभाषा के पहले भाग में किसी भी व्यापार, या वाणिज्यिक गतिविधि या सेवा, और उनसे होने वाली आय की अनिवार्यता को निषेध के माध्यम से व्यक्त करने का इरादा था।आवश्यक निहितार्थ जो उत्पन्न होता है वह यह है कि ऐसी 'निषिद्ध गतिविधियों' से प्राप्त आय (शुल्क, उपकर या किसी अन्य प्रतिफल के रूप में प्राप्त) अनिवार्य रूप से लाभ से प्रेरित होती है।शुल्क या प्रतिफल का सामान्य अर्थ किसी मूल्यवान वस्तु का पर्याय होगा, आमतौर पर मौद्रिक संदर्भ में। हालांकि, "सेस" अभिव्यक्ति का उपयोग चेहरे पर तीनों अभिव्यक्तियों को एक अलग रंग देता है।[पैरा 143] [1002-बी-डी]

जी.

2.5 “शुल्क, उपकर और किसी भी अन्य विचार को वर्तमान संदर्भ में एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्राप्त करनी होगी।यदि शुल्क या उपकर ए

एच.

या ऐसा प्रतिफल किसी गतिविधि के उद्देश्य से, किसी राज्य विभाग या संस्था द्वारा एकत्र किया जाता है, जो कानून द्वारा स्थापित किया गया है, ऐसे धन संग्रह करने के लिए इसके आदेश को व्यापार या व्यवसाय के लिए विचार के रूप में नहीं माना जा सकता है।इसलिए, विनियामक गतिविधि, अधिनियमित कानून के संदर्भ में शुल्क या उपकर संग्रह की आवश्यकता, या शिक्षा, पेशे के विनियमन आदि जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए राशि का संग्रह, अपने आप में व्यवसाय या वाणिज्यिक प्रकृति के नहीं हैं।समान, वैधानिक बोर्ड और प्राधिकरण, जो आवास, औद्योगिक और अन्य संपदाओं को विकसित करने के लिए अधिदेशित हैं, जिसमें उचित या रियायती लागत पर आवासीय आवास का विकास शामिल है, जिसमें मुख्य गतिविधि को पार करने के लिए लाभार्थियों के कुछ वर्ग से अधिक राशि वसूलनी पड़ सकती है, उन्हें व्यवसाय में संलग्न होने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।'राज्य' होने के चरित्र और विशिष्ट कानूनों (चाहे राज्यों या केंद्र द्वारा) के तहत स्थापित ऐसे निगमों या निकायों का मतलब यह नहीं होगा कि कुछ वाणिज्यिक या व्यावसायिक सेवा प्रदान करने के लिए राशि 'शुल्क' या 'उपकर' है।प्रत्येक मामले में, एक ही समय में, "शुल्क" या "उपकर" के रूप में विचार का मात्र नामकरण निर्णायक नहीं है।यदि शुल्क या उपकर, या अन्य विचार एक आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए है, तो व्यापक सार्वजनिक हित में, जैसे कि जल उपकर या सीवेज उपकर या शुल्क, एक वैधानिक निकाय द्वारा प्राप्त इस तरह के विचार को "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" या उनके संबंध में सेवा नहीं माना जाएगा।दूसरी ओर, गैर-सांविधिक निकाय, जो विनियामक या विकास निकायों की नकल कर सकते हैं-जैसे कि वे जो व्यापार या उद्योग के एक वर्ग के लिए व्यापार को बढ़ावा देते हैं, या जिनका उद्देश्य दक्षता में सुधार के लिए सुविधाएं या सुविधाएं प्रदान करना है, या व्यवसाय के एक वर्ग को मंच प्रदान करना है, शुल्क के लिए, चाहे वह सदस्यता द्वारा लिया गया हो, या विशिष्ट शुल्क, आदि, धर्मार्थ नहीं हो सकता है; जब वे छूट का दावा करते हैं, तो उनके मामलों में आगे की जांच की आवश्यकता होगी।[पैरा 144] [1002-डी-एच; 1003-ए-बी]

2.6 संसद का उद्देश्य-विचाराधीन संशोधनों के माध्यम से जी. पी. यू. चैरिटी की भागीदारी या भागीदारी को किसी भी रूप ("प्रकृति में") से प्रतिबंधित करना था, जो व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य थे, या व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य के संबंध में सेवाएं प्रदान करने में संलग्न थे या शामिल थे-शुल्क, उपकर या अन्य विचार के लिए।"प्रकृति में" शब्द को शामिल करना, संदेह से परे स्पष्ट करने के लिए, डिजाइन द्वारा किया गया था, कि न केवल

जी.

एच.

व्यापार, व्यापार या वाणिज्य, लेकिन प्रकृति की सभी गतिविधियाँ, या उनसे मिलती-जुलती, प्रतिबंधित थीं।इसी तरह, ऐसी गतिविधियों के संबंध में सेवा, यानी ऐसी प्रतिबंधित गतिविधियों से संबंधित या उनसे संबंधित सेवाएँ भी निषिद्ध थीं।शुल्क या उपकर का संदर्भ, अदालत की राय में है, केवल इस बात पर जोर देने के लिए कि व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य की सेवा के लिए एक वैधानिक विचार भी गतिविधि को जी. पी. यू. दान की परिभाषा से बाहर ले जाएगा।जिस अर्थ में "उपकर, शुल्क या अन्य प्रतिफल" अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जाता है, वह यह है कि यदि कोई राशि, व्यापार, या व्यवसाय या वाणिज्यिक गतिविधि, या ऐसी गतिविधि के लिए किसी भी सेवा के लिए प्राप्त की जाती है, तो उनके नामकरण (शुल्क या उपकर के रूप में, यानी कि वे एक कानून के तहत तय किए गए हैं) के बावजूद जी. पी. यू. दान कर छूट की स्थिति का दावा नहीं कर सकता है।इसे और अधिक स्पष्ट रूप से घर लाने के लिए-और अतीत से एक विराम को रेखांकित करने के लिए, ऐसी राशियों का आवेदन (व्यापार, वाणिज्य, या व्यवसाय के दौरान प्राप्त, या उसके संबंध में सेवाओं के लिए) अप्रासंगिक होगा, जैसा कि धारा 2 (15) को पढ़ने के चौथे अंग में "परवाह किए बिना" शब्द से प्रमाणित होता है।[पारस 150,151] [1006-डी-एच]

2.7 धारा 2 (15)-2008 और 2015 के बीच इसके कई संशोधनों के मद्देनजर-इस न्यायालय द्वारा असंशोधित धारा 2 (15) की व्याख्या के साथ जोड़ा जा सकता है।सूरत आर्ट सिल्क के मामले में, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि जब तक जी. पी. यू. श्रेणी दान का प्रमुख उद्देश्य धर्मार्थ है, तब तक एक गैर-धर्मार्थ उद्देश्य में इसका जुड़ाव जिसके परिणामस्वरूप लाभ होता है जो आनुषंगिक है, अनुमेय है।प्रमुख धर्मार्थ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी गतिविधियों से लाभ और लाभ जो गैर-धर्मार्थ थे, उन्हें तैनात किया जाना था या वापस "खिलाया" जाना था।2008 में अपने संशोधन के बाद धारा 2 (15) द्वारा हासिल किया गया प्रतिमान परिवर्तन और जैसा कि आज भी है, यह है कि सबसे पहले एक जी. पी. यू. दान किसी भी विचार (वैधानिक शुल्क आदि सहित) के लिए ऐसी गतिविधियों के संबंध में व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय या किसी भी सेवा की प्रकृति में किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं हो सकता है।धारा 2 (15) के मुख्य भाग द्वारा नियोजित नकारात्मक भाषा में इस पर जोर दिया गया है।इसलिए, कई अन्य वस्तुओं के बीच एक प्रमुख वस्तु के विचार को त्याग दिया जाता है।प्रतिबंध को एक सीमित सीमा तक छूट दी गई है, जो उस शर्त को तैयार करता है जिसके द्वारा अन्यथा प्रतिबंधित गतिविधियों को जी. पी. यू. दान द्वारा लगाया जा सकता है।शर्तें हैं; कि व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय की प्रकृति में ऐसी गतिविधियाँ ए

जी.

एच.

या सेवा (विचार के लिए व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में) जी. पी. यू. उद्देश्य के "वास्तविक संचालन" के क्रम में होनी चाहिए, और ऐसी गतिविधियों से प्राप्तियों की मात्रा कुल प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।परंतुक के दोनों भागः(i) और (ii) (धारा 2 (15)) को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए-"या" दोनों को जोड़ने के सचेत उपयोग को देखते हुए।इसका मतलब है कि यदि कोई धर्मार्थ न्यास अपने उद्देश्यों को पूरा करने के वास्तविक क्रम में व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य की प्रकृति में कोई गतिविधि करता है, तो ऐसे व्यवसाय से आय, उपखंड (ii) में परिभाषित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।[पारस 152,153] [1007-ए-जी]

2.8 इसलिए, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या व्यवसाय स्वयं न्यास के तहत आयोजित किया जाता है या न्यास द्वारा और उसकी ओर से चलाया जाता है।महत्वपूर्ण रूप से अधिनियम की धारा 11 (1) "धारा 60 से 63 के प्रावधानों के अधीन" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होती है।वे प्रावधान अधिनियम के अध्याय V में हैं। धारा 60 आय के हस्तांतरण के परिणामों के लिए प्रावधान करती है जहां परिसंपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं होता है।इसमें कहा गया है कि जहां कोई व्यक्ति संपत्ति को हस्तांतरित किए बिना केवल संपत्ति से आय हस्तांतरित करता है, वह आयकर के लिए प्रभार्य बना रहेगा।धारा 61 परिसंपत्तियों के प्रतिसंहरणीय अंतरण के परिणामों का प्रावधान करती है और कहती है कि वही स्थिति होगी जहां कोई व्यक्ति परिसंपत्तियों के प्रतिसंहरणीय अंतरण के आधार पर आय प्राप्त कर रहा है।धारा 62 एक निर्दिष्ट अवधि के लिए परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के परिणामों का प्रावधान करती है, और धारा 61 के अपवाद के रूप में कार्य करती है।आय के संबंध में आकलन करने योग्य न होने से पहले किसी निर्धारिती को संपत्ति का विनिवेश करना होता है।केवल यह निर्देश कि व्यवसाय से होने वाली आय को ट्रस्ट के धर्मार्थ उद्देश्यों पर लागू किया जाएगा, बिना ट्रस्ट पर व्यवसाय का समझौता किए, किसी भी ट्रस्ट या कानूनी दायित्व में परिणत नहीं होता है।[पैरा 163] [1012-एफ-एच; 1013-ए-बी]

2.9 सूरत आर्ट सिल्क के मामले से शुरू हुई यात्रा की व्याख्या थांथी ट्रस्ट के मामले में इस अर्थ में की गई थी कि जी. पी. यू. चैरिटी द्वारा व्यवसाय करना तब तक अनुमत था जब तक कि यह ट्रस्ट के लाभ के लिए था।हालाँकि, प्रश्नों में संशोधनों द्वारा लाया गया परिवर्तन पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता हैःकि अगर किसी भी गतिविधि की प्रकृति में

एच.

व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय, या उसी प्रकृति की सेवा, किसी भी प्रकार के विचार के लिए अनुमेय है, उस गतिविधि को आंतरिक रूप से जी. पी. यू. श्रेणी के दान के उद्देश्य से या उसका एक हिस्सा होना चाहिए।इस प्रकार, दान का एक प्रमुख उद्देश्य द्वारा संचालित होने का परीक्षण अब अच्छा कानून नहीं है।इसी तरह, लाभ उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के संबंध में अस्पष्टता जो मुख्य उद्देश्य और आकस्मिक लाभ-प्राप्ति को पूरा कर सकती है, भी अच्छा कानून नहीं है।इसके बजाय, धारा 2 (15) के तहत परिभाषा अपने परन्तुक के माध्यम से निर्देश देती है और इस तरह पिछले कानून से एक प्रस्थान को चिह्नित करती है, पहला यह है कि यदि कोई जी. पी. यू. दान व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में किसी भी गतिविधि में संलग्न है, तो विचार के लिए यह केवल जी. पी. यू. उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस वास्तविक कार्य का एक हिस्सा होना चाहिए और दूसरा-और समान रूप से महत्वपूर्ण विचार एक मात्रात्मक मानक का अधिरोपण है-यानी, इन तीन गतिविधियों के संबंध में व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य या सेवा की प्रकृति में गतिविधि से प्राप्त आय (शुल्क, उपकर या अन्य विचार), 10,00,000 (डब्ल्यू. ई. एफ.) की मात्रात्मक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। 01.04.2009), 25,00,000 (डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2012), और 20 प्रतिशत (डब्ल्यू. ई. एफ. कुल प्राप्तियों का 01.04.2016)।अंत में, दान को "पोषण" देने के लिए व्यावसायिक आय की "जुताई" एक अप्रासंगिक कारक है-फिर से व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में शामिल होने पर प्रतिबंध पर जोर देना।[पैरा 167] [1014-ए-एफ] 2.10 यदि कोई उपरोक्त व्याख्या के आलोक में परिभाषा को समझता है, तो अनुक्रमणिका यह है कि "आय व्यवसाय के लाभ और लाभ होने" के संदर्भ में इसके न्यास के उद्देश्यों के आनुषंगिक होने के संदर्भ में, मुख्य उद्देश्य, आनुषंगिक उद्देश्यों या आनुषंगिक गतिविधियों से प्राप्त आय के आनुषंगिक गतिविधियों की आय का अर्थ नहीं हो सकता है और न ही इसका अर्थ हो सकता है।धारा 11 (4ए) में "आनुषंगिक" शब्द के संदर्भ को पढ़ने का उचित तरीका धारा 2 (15) के परंतुक के उपखंड (i) के आलोक में इसकी व्याख्या करना है, अर्थात, ऐसी गतिविधियों के संबंध में व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य या सेवा की प्रकृति में गतिविधि वास्तव में जी. पी. यू. उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में आयोजित की जानी चाहिए, और तब आय, लाभ या अधिशेष या लाभ तार्किक रूप से आनुषंगिक हो सकते हैं।2016 का संशोधन, धारा 2 (15) के परंतुक में उपखंड (i) सम्मिलित करना इसलिए स्पष्टीकरणात्मक था।इस प्रकार व्याख्या की जाए तो, धर्मार्थ उद्देश्य की परिभाषा और धारा 11 (4ए) के मशीनरी भाग के बीच कोई टकराव नहीं है।इसके अलावा, ए

जी.

एच.

ऐसी प्राप्तियों के संबंध में अलग-अलग लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए धारा 11 (4ए) के तहत दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि उपखंड (ii) से धारा 2 (15) द्वारा लगाई गई मात्रात्मक सीमा की गणना और निर्धारण वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जा सके। [पैरा 168] [1014-एफ-एच; 1015-ए-बी]

2.11 अभिलिखित निष्कर्ष धारा 10 (23सी) के सातवें परंतुक 142 की भाषा द्वारा भी समर्थित है।जबकि धारा 2 (15) परिभाषा खंड है, धारा 10 यह सूचीबद्ध करती है कि आय क्या नहीं है।धारा 10 (23सी)-उपखंड (iv) और (v) द्वारा धर्मार्थ संगठनों की आय को छूट दी गई है।इस तरह के संगठन और संस्थान जी. पी. यू. श्रेणी के दान तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अन्य प्रकार के दान (यानी प्रति व्यक्ति भी) तक फैले हुए हैं।धारा 10 (23सी) के नियंत्रण भाग के साथ-साथ संबंधित खंड (iv) और (v) संबंधित दानों द्वारा प्राप्त आय को बाहर करने का प्रयास करते हैं।हालांकि, प्रावधान इस तरह की छूट को शर्तों के साथ बचाते हैं।सातवाँ परंतुक-धारा 11 (4ए) और परिभाषा की तरह-छूट के लिए एक अपवाद बनाता है, जैसे कि दान द्वारा व्यवसाय से प्राप्त आय को छूट नहीं दी जाती है।सातवाँ परंतुक वस्तुतः धारा 11 (4ए) को प्रतिध्वनित करता है जिसमें एक दान (वर्तमान मामले में, जी. पी. यू. दान) द्वारा प्राप्त व्यावसायिक आय जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आकस्मिक गतिविधि से उत्पन्न होती है, स्वयं बहिष्कृत नहीं है।[पैरा 169] [1015-बी-ई]

2.12 शास्त्रीय रूप से, दान का विचार एलिमोसिनरी के साथ जुड़ा हुआ था।हालांकि, "धर्मार्थ उद्देश्य"-और अधिनियम में परिभाषित दान का एक व्यापक अर्थ है जहां यह उस संस्था का उद्देश्य है जो ध्यान केंद्रित करता है।इस प्रकार, बिना किसी विचार, लागत या नाममात्र विचार के सेवाओं या वस्तुओं को प्रदान करने का विचार कुछ भी शुल्क लिए या सांकेतिक या नाममात्र राशि लिए बिना सेवाओं या वस्तुओं के प्रावधान तक सीमित नहीं है।इसलिए, इस अर्थ में शुद्ध दान कि किसी भी विचार के बिना किसी गतिविधि के प्रदर्शन की कल्पना अधिनियम के तहत नहीं की गई है। यदि कोई इसे ध्यान में रखता है, तो धारा 2 (15) जिस बात पर जोर देती है, वह यह है कि जब तक जी. पी. यू. के दान के उद्देश्य में ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो लाभ भी उत्पन्न करती हैं (आकस्मिक, या दूसरे शब्दों में, जी. पी. यू. के उद्देश्यों को वास्तव में पूरा करते हुए, यदि कुछ लाभ उत्पन्न होता है), तो इसे छूट दी जा सकती है बशर्ते इस तरह के लाभ से प्राप्तियों के लिए धारा 2 (15) के दूसरे परंतुक के तहत मात्रात्मक सीमा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) का पालन किया जाए।एक और तरीका

जी.

एच.

धारा 10 (23) और 11 के साथ परिभाषा को देखते हुए यह है कि एक सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यदि दान स्वयं उन गतिविधियों में शामिल है, जिसमें केवल लागत पर या लागत पर मामूली अंक पर राशि वसूल करना शामिल है, और कुछ लाभ भी प्राप्त होता है, तो व्यवसाय से संबंधित व्यवसाय या सेवा को ले जाने के खिलाफ निषेध आकर्षित नहीं होता है-यदि ऐसे लाभ की मात्रा इसकी समग्र प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है।[पैरा 170-172] [1015-E-G; 1016-C-E]

2.13 धारा 13 (8) का अंतःस्थापन, धारा 10 (23सी) का सत्रहवाँ परंतुक और धारा 143 (3) का तीसरा परंतुक (ये सभी वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे, लेकिन w.r.e.f। 01.04.2009), इस न्यायालय की "धर्मार्थ उद्देश्य" की व्याख्या को और मजबूत करता है।ये प्रावधान उन शर्तों को नियंत्रित करने के लिए तंत्र बनाते हैं जिनके तहत आय को छूट दी जाती है।धारा 10 (23सी) के सत्रहवें परंतुक का प्रभाव उसी शर्त को लागू करना है, यानी कि व्यापार, वाणिज्य या व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य से संबंधित व्यावसायिक गतिविधि या सेवा, जी. पी. यू. की गतिविधियों का हिस्सा होनी चाहिए, ताकि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।दूसरी शर्त-जो छूट की शर्त के हिस्से के रूप में तैयार की जाती है, वह यह है कि यदि ऐसी व्यापार या वाणिज्यिक गतिविधि होती है तो प्राप्तियां समग्र प्राप्तियों के निर्धारित प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए।धारा 13 (8) भी इसी शर्त को मजबूत करती है।[पैरा 174] [1017-बी-डी]

2.14 धारा 2 (15) के संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा किए गए परिवर्तन पर धारा 10 (23सी) के संशोधन और धारा 13 (8) को शामिल करके जोर देने और स्पष्ट करने की मांग की गई थी।यह संसद का यह कहने का जोरदार तरीका था कि आम तौर पर जी. पी. यू. चैरिटी द्वारा कोई वाणिज्यिक या व्यावसायिक या व्यापारिक गतिविधि नहीं की जानी चाहिए, लेकिन सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की गतिविधियों को करने के अपने कार्य के दौरान, वे सीमित तरीके से ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते रसीदें धारा 2 (15) के परंतुक के खंड (ii) में उल्लिखित सीमा के भीतर हों।[पैरा 175] [1017-डी-एफ]

जी.

3. इस निर्णय के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, वे न तो किसी भी निर्धारिती (चाहे सांविधिक हो या गैर-सांविधिक) को छूट का दावा करने से रोकते हैं और न ही कर लगाने वाले अधिकारियों को ए से इनकार करने से रोकते हैं।

एच.

छूट, भविष्य में, यदि संबंधित वर्ष की प्राप्तियाँ मात्रात्मक सीमा से अधिक हैं।आकलन करने वाले अधिकारियों को वार्षिक आधार पर, यह पता लगाने के लिए अभिलेख की जांच करनी चाहिए कि क्या निर्धारिती की गतिविधियों की प्रकृति उसकी प्राप्तियों और आय के आधार पर "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" के बराबर है (यानी, क्या प्रभारित राशि लागत-आधार पर है, या काफी अधिक)।यदि यह पाया जाता है कि वे "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" की प्रकृति के हैं, तो इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या धारा 2 (15) के परंतुक में मात्रात्मक सीमा (समय-समय पर संशोधित) का उल्लंघन किया गया है, इस प्रकार उन्हें छूट से वंचित कर दिया गया है।[पैरा 253, एच] [1062-सी-ई]

ट्रिब्यून प्रेस, लाहौर बनाम सी. आई. टी., पंजाब [1939] के न्यासी 7 आई. टी. आर. 415; चैरिटेबल गडोदिया स्वदेशी स्टोर बनाम सी. आई. टी. [1944] 12 आई. टी. आर. 385; सी. आई. टी. बनाम पी. कृष्णा वारियर [1964] 8 एस. सी. आर. 36; सी. आई. टी. बनाम आंध्र चैंबर ऑफ कॉमर्स [1965] 1 एस. सी. आर. 565; ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

मिर्जापुर बनाम सी. आई. टी. [1944] 12 आई. टी. आर. 482; एकमात्र न्यासी, लोक शिक्षा ट्रस्ट बनाम आयकर आयुक्त (1976) 1 एससीसी 254:[1976 ] 1एससीआर 461; इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स बनाम सी. आई. टी. (1976) 1 एस. सी. सी. 324:[1976] 1एससीआर 830; सहायक आयुक्त बनाम सूरत आर्ट सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (1980) 2 एससीसी 31:[1980] 2 एस. सी. आर. 77; भारतीय वाणिज्य मंडल बनाम आयकर आयुक्त (1976) 1 एस. सी. सी. 324:[1976] 1 एस. सी. आर. 830; धर्म दीप्ति बनाम सी. आई. टी. (1978) 3 एस. सी. सी. 499:[1978] 3 एस. सी. आर. 1038; सहायक आय आयुक्त

कर बनाम थांथी ट्रस्ट (2001) 2 एस. सी. सी. 707:[2001] 1 एससीआर 727; नई दिल्ली नगर परिषद बनाम पंजाब राज्य (1997) 7 एससीसी 339:[1996] 10 पूरक।एससीआर 472; सीआईटी, बॉम्बे बनाम महाराष्ट्र बार काउंसिल (1981) 3 एस. सी. सी. 308:[1981] 3 एस. सी. आर. 542; श्री रामतनु कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम.महाराष्ट्र राज्य (1970) 3

एससीसी 323:[1971]1 एससीआर 719; गुजरात औद्योगिक विकास निगम बनाम सी. आई. टी. [1997] पूरक 3 एस. सी. आर. 466; एच. एस. आई. डी. सी. बनाम हरि ओम एंटरप्राइजेज (2009) 16 एस. सी. सी. 208 :[2008] 9 एस. सी. आर. 821; केंद्रीय आयुक्त उत्पाद शुल्क बनाम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 10021; नवनीत लाल सी. झवेरी बनाम के. के. सेन [1965] 1 एससीआर 909; यूको बैंक

सी.

एच.

कलकत्ता बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल
1999 (4) एससीसी 599:[1999] 3 एस. सी. आर 635; पंजाब राज्य
v. बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड [1968] एससीआर 2 636; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड v.कर्नाटक राज्य (1995) 1 एससीसी
574 :[1994] 4 पूरक।एससीआर 477; गुजरात राज्य बनाम एम /
एस. रायपुर मैन्युफैक्चरिंग [1967] 1 एससीआर 618; केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बोलपुर बनाम रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज
(2008) 13 एससीसी 1:[2008] 14 एससीआर 653; ग्रेटर नोएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम भारत संघ और
ओआरएस 2018 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 7536; श्री रामतनु को -
ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम राज्य
महाराष्ट्र (1970) 3 एससीसी 323:[1971] 1 एससीआर 719;
केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी।
लिमिटेड (1976) 1 एससीसी 466:[1976] 1 एस. सी. आर. 552; ट्रस्टी
मद्रास बंदरगाह बनाम अमीनचंद प्यारेलाल और अन्य।
(1976) 3 एससीसी 167:[1976] 1 एससीआर 721; गुजरात राज्य
बनाम महेश धीरजलाल ठक्कर (1980) 2 एससीसी 322; सोदन सिंह और ओआरएस बनामनई दिल्ली नगरपालिका समिति और अन्य। [1989] 3 एससीआर 1038; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और ओआरएस बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य। (2002) 8 एससीसी 481:[2002]
3 पूरक।एस. सी. आर. 587; सी. आई. टी., मद्रास बनाम मेसर्स मदुरै मिल्स
कंपनी लिमिटेड (1973) 4 एससीसी 194:[1973] 3 एससीआर
662; कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड
बनाम प्रकाश दल मिल (2011) 6 एससीसी 714:[2011] 5 एससीआर
26; कर्नाटक राज्य बनाम अखिल भारतीय निर्माता
संगठन (2006) 4 एससीसी 683:[2006] 1 पूरक।एससीआर
86; तमिलनाडु राज्य बनाम मद्रास बंदरगाह के न्यासी मंडल [1999] 2 एस. सी. आर. 195; आयकर आयुक्त बनाम गुजरात समुद्री बोर्ड [2007] 12 एस. सी. आर. 962; कर्नाटक राज्य बनाम श्रेयस पेपर्स प्रा. लिमिटेड एयर 2006

एससी 865:[2006] 1 एस. सी. आर. 235; अशोक धुआं रहित कोयला
इंडिया (पी) लिमिटेड बनामभारत संघ (2007) 2 एससीसी 640:
[2006] 9 पूरक।एस. सी. आर. 954; नई दिल्ली नगरपालिका
जी. समिति बनाम पंजाब राज्य [1996] पूरक 10 एस. सी. आर. 472; भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला बनाम के. जी. शर्मा [1997] 3 एस. सी. आर. 733; योगीराज चैरिटी ट्रस्ट बनाम सी. आई. टी. [1976] 3 एस. सी. आर. 947; आयकर आयुक्त बनाम आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम [1986] 1 एस. सी. आर. 570; क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी बनाम सी. आई. टी. 2015 (8) एस. सी. सी. 47 ए

एच.

:[2015] 3 एस. सी. आर. 838; सी. एस. टी. बनाम साई प्रकाशन कोष [2002] 2 एस. सी. आर. 743; चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (1996)
2 एससीसी 549:[1995] 6 पूरक।एससीआर 827; श्री. पी जी गुप्ता
v. गुजरात राज्य और अन्य। 1995 (1) स्केल 653; पी. वज्रवेलु मुदलियार बनाम विशेष उप-कलेक्टर, मद्रास और अन्य। [1965] 1 एस. सी. आर. 614; डाल्को इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड वी.सतीश प्रभाकर पाध्ये और अन्य। (2010) 4 एससीसी 378:[2010] 4 एस. सी. आर. 15; स्टेट ऑफ ए. पी. बनाम एच. अब्दुल बखी एंड ब्रदर्स।[1964] 7 एस. सी. आर. 664; आई. सी. ए. आई. लेखा अनुसंधान प्रतिष्ठान बनाम डी. जी. आई. टी. (ई) 321 आई. टी. आर. 73 (डी. एल.); भारतीय मानक ब्यूरो बनाम डी. जी. आई. टी. (ई) 358 आई. टी. आर. 78 (डी. एल.); जी. एस. 1

भारत बनाम डीजीआईटी (ई) 360 आईटीआर 138 (डेल)। सप का।&
विवाद करें।v. रेवन्यू बोर्ड ई [1967] 3 एससीआर 778; बरेंद्र
प्रसाद रे बनाम आईटीओ [1981] 3 एससीआर 387; गुजरात राज्य
बनाम रायपुर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड [1967] 1 एससीआर 618; सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम लॉर्ड फिशर (1981) 2 सभी ईआर 147; नाभा पावर लिमिटेड बनाम पंजाब एसपीसीएल

(2018) 11 एससीसी 508:[2017] 14 एस. सी. आर. 301;
गुजरात बनाम महेशकुमार धीरजल ठक्कर (1980) 2 एस. सी. सी. 322; सौराष्ट्र एजुकेशन फाउंडेशन बनाम सी. आई. टी.

[2005] 273 आई. टी. आर. 139 (गुजरात); गुजरात राज्य सहकारी संघ बनाम सी. आई. टी. [1992] 195 आई. टी. आर. 279 (गुजरात); अमेरिकी
होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन बनाम सीबीडीटी (2008) 10 एससीसी
509 :[2008] 8 एससीआर 117

विक्टोरिया तकनीकी संस्थान बनाम सी. आई. टी. [1991] 188 आई. टी. आर. 57 (एस. सी.); अदितनार शैक्षिक संस्थान बनाम अतिरिक्त।सीआईटी
(1997) 3 एससीसी 346:[1997] 1 एस. सी. आर. 948; त्यागराजर चैरिटीज़ बनाम ए. सी. आई. टी. (1997) 4 एस. सी. सी. 724:[1997] 3
एस. सी. आर. 965; आयकर निदेशक बनाम भारत डायमंड
बोर्स [2003] 259 आईटीआर 280 (एससी); विश्वेश्वरैया
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाम सहायक आयुक्त
आयकर (2016) 12 एस. सी. सी. 258:[2016] 4 एससीआर 362;
जे. के. सिंथेटिक्स और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। 1981 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 457; एलरमैन जी.
लाइन्स बनाम कमिश्नर
आयकर (1972) 4 एस. सी. सी. 474:[1972] 2 एससीआर 168;
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम.
भारत संघ (2006) 5 एससीसी 100:[2006] 1 पूरक।
एस. सी. आर. 757; आयकर आयुक्त बनाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज [1981]
एच.

3 एस. सी. आर. 489; डुपार्केट कं. बनाम.इवांस 297 यू. एस. 216 (1936); भुवाल्का स्टील इंडस।लिमिटेड और ओआरएस. वी.बॉम्बे आयरन एंड स्टील लेबर बी. डी. और अन्य। [2009] 16 एससीआर 618; आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य बनामएल. वी. ए. दीक्षितुलु और अन्य। [1979) 1 एस. सी. आर. 26; लोहिया मशीन्स लिमिटेड और ओआरएस बनामभारत संघ और अन्य। [1985] 2 एससीआर 686; सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप

कुमार एंड कंपनी एंड ओआरएस। 2018 (9) एससीसी 1:[2018] 7
एस. सी. आर. 1191; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ [1964] 1 एस. सी. आर. 371; एलरमैन लाइन्स लिमिटेड बनाम।के आयुक्त
आयकर [1972] 2 एस. सी. आर. 168; के. पी. वर्गीज बनाम
आयकर आयुक्त [1982] 1 एस. सी. आर. 629; भारत संघ बनाम आजादी बचाओ आंदोलन [2003] पूरक 4 एस. सी. आर.
222; सीआईटी बनाम वाटिका टाउनशिप (2015) 1 एससीसी 1:[2014]
12 एससीआर 1037; केशवजी रवजी एंड कंपनी और ओआरएस. वी.आय कर आयुक्त (1992) 2 एस. सी. सी. 331; सीमा शुल्क आयुक्त बनाम भारतीय तेल निगम [2004] 2 एससीआर 511; एस. के. गुप्ता और अन्न बनामके. पी. जैन

एन. आर. (1979) 3 एससीसी 54:[1979] 2 एससीआर 1184; इंदिरा
नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्न। (1975) सप.एस. सी. सी. 1; काल्या सिंह बनाम गेंदा लाल और अन्य। [1975] 3 एससीआर 783; वैनगार्ड फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम.एम/एस. फ्रेजर और रॉस और एनर। [1960] 3 एससीआर 837; एन. के. जैन और ओआरएस बनामसी. के. शाह और अन्य। [1991] 1 एससीआर 938; जी. वेंकटस्वामी नायडू बनाम आय आयुक्त

कर [1959] पूरक 1 एस. सी. आर. 646; तमिलनाडु राज्य बनाम.
बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड [1973] 2 एस. सी. आर. 636; तमिलनाडु राज्य बनाम शक्ति एस्टेट [1989] 1 एस. सी. आर. 408; नागरिक आपूर्ति निदेशक बनाम सदस्य राजस्व बोर्ड [1967] 3 एस. सी. आर. 778; रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम।जनरल इलेक्ट्रिक कं. [1985] 1 एस. सी. आर. 432; मनसुखलाल धनराज जैन बनाम एकनाथ विट्ठल ओगले [1995] 1 एस. सी. सी. 996; डॉयपैक सिस्टम (पी)

जी. लिमिटेड वी.भारत संघ 1988 (2) एससीसी 299:[1988] 2
एस. सी. आर. 962; भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला बनाम के. जी. शर्मा
(1997) 4 एससीसी 257:[1997] 3 एससीआर 733; शहर
निवेश बनाम पर्यावरण विभाग 1977 1 सभी 813; ब्रदर्स आदि।उपायुक्त,

एच. रायचूर और ओआरएस। [1967] 1 एससीआर 548; इंडिया सीमेंट लिमिटेड।

& ओआरएस. वी.तमिलनाडु राज्य और अन्य। [1989] पूरक 1 एस. सी. आर. 692; विजयलक्ष्मी राइस मिल और ओआरएस. वी.वाणिज्यिक कर अधिकारी, पालकोल और अन्य। (2006) 6 एससीसी

763 :[2006] 4 पूरक।एस. सी. आर. 279 के आयुक्त
आयकर, लखनऊ बनाम यू. पी. वन निगम [1998] 2 एस. सी. आर. 22; भारत संघ और अन्य बनामयू. पी. और अन्य का राज्य। [2007] 12 एससीआर 792; भारत संघ बनाम पूर्णा

नगर निगम [1991] पूरक 1 एससीआर 183;
नगर निगम, अमृतसर बनाम डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक, अमृतसर प्रभाग और अन्र। [2004] 1 एस. सी. आर. 913; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुंबई बनाम फिएट इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य। [2012] 12 एससीआर 975; आयकर आयुक्त बनाम दाउदी बोहरा जमात (2014) 16 एससीसी 222; S.RM.M.CT.M। तिरुप्पानी ट्रस्ट बनाम आयकर आयुक्त (1998) 2 एस. सी. सी. 584:[1998] 1 एससीआर 653; गडोदिया स्वदेशी स्टोर बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब [1944] 12 आईटीआर

385; जे. के. ट्रस्ट बनाम सी. आई. टी. [1985] 1 एस. सी. आर. 65; थियागेसर धर्म वनिकम बनाम सी. आई. टी. [1963] 50 आई. टी. आर. 798 मद्रास;
राजा पी. सी. लाल चौधरी बनाम सी. आई. टी., बिहार और उड़ीसा [1957] 31 आई. टी. आर. 226 पटना; आयकर निदेशक बनाम भारत
डायमंड बोर्स (2002) 10 एस. सी. सी. 392; बैंगलोर वाटर
आपूर्ति और सीवेज उपक्रम बनाम ए. राजप्पा (1978)
2 एस. सी. सी. 212:[1978] 3 एस. सी. आर. 207; ग्रेटर नोएडा औद्योगिक
विकास प्राधिकरण बनाम भारत संघ (इसके बाद)
“जी. एन. आई. डी. ए.) 406 आई. टी. आर. 418; सी. आई. टी. बनाम यमुना
एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (2017) 395 आईटीआर 18; तमिलनाडु क्रिकेट संघ बनाम आयकर निदेशक (छूट) और अन्य। [2014] 360 आई. टी. आर. 633; साहनी स्टील एंड प्रेस वर्क्स लिमिटेड बनाम आयुक्त

आयकर [1997] अनुपूरक 4 एस. सी. आर. 189; आयुक्त
आयकर बनाम पोन्नी शुगर 2008 (9) एस. सी. सी. 337:
[2008] 13 एस. सी. आर. 570-संदर्भित।

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम। 32 पैरा 487 जी.

मामला कानून संदर्भ

| | | |
|---|---|---|
| [1939] 7 आईटीआर 415 | संदर्भित किया गया है | पैरा 6 |
| [1944] 12 आईटीआर 385 | संदर्भित किया गया है | पैरा 6 |

एच.

| | | |
|---|---|---|
| [1964] 8 एससीआर 36 | संदर्भित किया गया है | पैरा 7 |
| [1965] 1 एससीआर 565 | संदर्भित किया गया है | पैरा 8 |
| [1944] 12 आईटीआर 482 | संदर्भित किया गया है | पैरा 8 |
| [1976] 1एससीआर 461 | संदर्भित किया गया है | पैरा 11 |
| [1976] 1एससीआर 830 | संदर्भित किया गया है | पैरा 13 |
| [1980] 2 एससीआर 77 | संदर्भित किया गया है | पैरा 14 |
| [1976] 1एससीआर 830 | संदर्भित किया गया है | पैरा 15 |
| [1978] 3 एससीआर1038 | संदर्भित किया गया है | पैरा 17 |
| [2001] 1 एससीआर 727 | संदर्भित किया गया है | पैरा 22 |
| [1996] 10 पूरक।पैरा 36 [1981] 3 एस. सी. आर. 542 को संदर्भित एस. सी. आर. 472 | संदर्भित किया गया है | पैरा 41 |
| [1971] 1 एससीआर719 | संदर्भित किया गया है | पैरा 44 |
| [1997] पूरक 3 एस. सी. आर. 466 | संदर्भित किया गया है | पैरा 44 |
| [2008] 9 एससीआर821 | संदर्भित किया गया है | पैरा 44 |
| [2017] एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 10021 को संदर्भित किया गया | | पैरा 44 |
| [1965] 1 एससीआर 909 | संदर्भित किया गया है | पैरा 45 |
| [1999] 3 एससीआर 635 | संदर्भित किया गया है | पैरा 45 |
| [1968] एस. सी. आर. 2,336 | संदर्भित किया गया है | पैरा 46 |
| [1994] 4 पूरक।एससीआर 477 | संदर्भित किया गया है | पैरा 46 |
| [1967] 1 एससीआर 618 | संदर्भित किया गया है | पैरा 46 |
| [2008] 14 एससीआर653 | संदर्भित किया गया है | पैरा 47 |
| [2018] एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 7536 संदर्भित | | पैरा 47 |
| [1971] 1 एससीआर719 | संदर्भित किया गया है | पैरा 47 |
| जी. [1976] 1 एससीआर 552 | संदर्भित किया गया है | पैरा 47 |
| [1976] 1 एससीआर 721 | संदर्भित किया गया है | पैरा 47 |
| (1980) 2 एस. सी. सी. 322 | संदर्भित किया गया है | पैरा 49 |
| [1989] 3 एससीआर 1038 | संदर्भित किया गया है | पैरा 49 ए |

एच.

| | | |
|---|---|---|
| [2002] 3 पूरक।एससीआर 587 | संदर्भित किया गया है | पैरा 49 |
| [1973] 3 एससीआर 662 | संदर्भित किया गया है | पैरा 49 |
| [2011] 5 एससीआर 26 | संदर्भित किया गया है | पैरा 50 |
| [2006] 1 पूरक।एससीआर86 | संदर्भित किया गया है | पैरा 50 |
| [1999] 2 एससीआर 195 | संदर्भित किया गया है | पैरा 51 |
| [2007] 12 एससीआर 962 | संदर्भित किया गया है | पैरा 51 |
| [2006] 1 एससीआर 235 | संदर्भित किया गया है | पैरा 51 |
| [2006] 9 पूरक।एससीआर 954 | संदर्भित किया गया है | पैरा 51 |
| [1996] पूरक 10 एससीआर 472 | संदर्भित किया गया है | पैरा 51 |
| [1997] 3एससीआर 733 | संदर्भित किया गया है | पैरा 51 |
| [1976] 3 एससीआर 947 | संदर्भित किया गया है | पैरा 51 |
| [1986] 1 एससीआर 570 | संदर्भित किया गया है | पैरा 51 |
| [2015] 3 एससीआर838 | संदर्भित किया गया है | पैरा 51 |
| [2002] 2 एससीआर 743 | संदर्भित किया गया है | पैरा 51 |
| [1995] 6 पूरक।एससीआर 827 | संदर्भित किया गया है | पैरा 52 |
| 1995 (1) स्केल 653 | संदर्भित किया गया है | पैरा 52 |
| [1965] 1 एससीआर 614 | संदर्भित किया गया है | पैरा 56 |
| [2010] 4 एससीआर15 | संदर्भित किया गया है | पैरा 57 |
| [1964] 7 एससीआर 664 | संदर्भित किया गया है | पैरा 58 |
| 321 आईटीआर 73 (डेल) | संदर्भित किया गया है | पैरा 65 |
| 358 आईटीआर 78 (डेल)) | संदर्भित किया गया है | पैरा 65 |
| 360 आईटीआर 138 (डेल)) | संदर्भित किया गया है | पैरा 65 |
| [1967] 3एससीआर 778 | संदर्भित किया गया है | पैरा 67 |
| [1981] 3 एससीआर 387 | संदर्भित किया गया है | पैरा 67 |
| [1967]1 एससीआर 618 | संदर्भित किया गया है | पैरा 67 |
| (1981) 2 सभी ईआर 147 | संदर्भित किया गया है | पैरा 67 |
| [2017] 14 एससीआर301 | संदर्भित किया गया है | पैरा 75 |

जी.

एच.

| | | |
|---|---|---|
| [1980] 2 एस. सी. सी. 322 | संदर्भित किया गया है | पैरा 76 |

[2005] 273 आईटीआर 139 (गुजरात) पैरा 80 [1992] 195 आईटीआर 279 (गुजरात) पैरा 80 [2008] 8 एससीआर117 को संदर्भित किया गया है।

| | | |
|---|---|---|
| | संदर्भित किया गया है | पैरा 80 |
| [1991] 188 आईटीआर 57 (एससी) | संदर्भित किया गया है | पैरा 82 |
| [1997] 1 एससीआर 948 | संदर्भित किया गया है | पैरा 82 |
| [1997] 3 एससीआर 965 | संदर्भित किया गया है | पैरा 82 |
| [2003] 259 आईटीआर 280 (एससी) | संदर्भित किया गया है | पैरा 82 |
| [2016] 4 एससीआर 362 | संदर्भित किया गया है | पैरा 83 |

[1981] एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 457 पैरा 83 [1972] 2 एस. सी. आर. 168 को संदर्भित करता है

| | | |
|---|---|---|
| | संदर्भित किया गया है | पैरा 84 |
| [2006] 1 पूरक।एससीआर757 | संदर्भित किया गया है | पैरा 90 |
| [1981] 3 एससीआर 489 | संदर्भित किया गया है | पैरा 98 |
| 297 अमेरिका 216 (1936) | संदर्भित किया गया है | पैरा 108 |
| [2009] 16 एससीआर 618 | संदर्भित किया गया है | पैरा 109 |
| [1979) 1 एससीआर 26 | संदर्भित किया गया है | पैरा 110 |
| [1985] 2 एससीआर 686 | संदर्भित किया गया है | पैरा 111 |
| [2018] 7एससीआर1191 | संदर्भित किया गया है | पैरा 111 |
| [1964] 1 एससीआर 371 | संदर्भित किया गया है | पैरा 112 |
| [1972] 2 एससीआर 168 | संदर्भित किया गया है | पैरा 119 |
| [1982] 1 एससीआर 629 | संदर्भित किया गया है | पैरा 119 |
| [2003] पूरक 4 एस. सी. आर. 222 | संदर्भित किया गया है | पैरा 119 |
| [2014] 12एससीआर1037 | संदर्भित किया गया है | पैरा 119 |
| जी. (1992) 2 एस. सी. सी. 211 | संदर्भित किया गया है | पैरा 120 |
| [2004] 2 एससीआर 511 | संदर्भित किया गया है | पैरा 121 |
| [1979] 2 एससीआर 1184 | संदर्भित किया गया है | पैरा 124 |
| (1975) सप.एससीसी 1 | संदर्भित किया गया है | पैरा 124 ए |

एच.

| | | |
|---|---|---|
| [1975] 3 एससीआर 783 | संदर्भित किया गया है | पैरा 124 |
| [1960] 3 एससीआर 837 | संदर्भित किया गया है | पैरा 124 |
| [1991] 1 एससीआर 938 | संदर्भित किया गया है | पैरा 124 |
| [1959] पूरक 1 एस. सी. आर. 646 | संदर्भित किया गया है | पैरा 131 |
| [1973] 2 एससीआर 636 | संदर्भित किया गया है | पैरा 131 |
| [1989] 1 एससीआर 408 | संदर्भित किया गया है | पैरा 131 |
| [1967] 3 एससीआर 778 | संदर्भित किया गया है | पैरा 131 |
| [1985] 1 एससीआर 432 | संदर्भित किया गया है | पैरा 132 |
| [1995] 1 एस. सी. सी. 996 | संदर्भित किया गया है | पैरा 132 |
| [1988] 2 एससीआर 962 | संदर्भित किया गया है | पैरा 132 |
| [1997] 3 एससीआर 733 | संदर्भित किया गया है | पैरा 139 |
| 1977 1 ऑलर 813 | संदर्भित किया गया है | पैरा 140 |
| [1967] 1 एससीआर 548 | संदर्भित किया गया है | पैरा 145 |
| [1989] पूरक 1 एस. सी. आर. 692 | संदर्भित किया गया है | पैरा 146 |
| [2006] 4 पूरक।एससीआर 279 | संदर्भित किया गया है | पैरा 146 |
| [1998] 2 एससीआर 22 | संदर्भित किया गया है | पैरा 147 |
| [2007]12 एससीआर 792 | संदर्भित किया गया है | पैरा 148 |
| [1991] पूरक 1 एस. सी. आर. 183 | संदर्भित किया गया है | पैरा 148 |
| [2004] 1 एससीआर 913 | संदर्भित किया गया है | पैरा 148 |
| [2012]12 एससीआर 975 | संदर्भित किया गया है | पैरा 149 |
| (2014) 16 एससीसी 222 | संदर्भित किया गया है | पैरा 154 |
| [1998] 1 एससीआर 653 | संदर्भित किया गया है | पैरा 154 |
| [1944] 12 आईटीआर 385 | संदर्भित किया गया है | पैरा 158 |
| [1985] 1 एससीआर 65 | संदर्भित किया गया है | पैरा 159 |

जी.

[1963] 50 आई. टी. आर. 798 मद्रास पैरा 162 [1957] 31 आई. टी. आर. 226 पटना पैरा 162 (2002) 10 एस. सी. सी. 392

संदर्भित किया गया है पैरा 170

एच.

| | | |
|---|---|---|
| [1978] 3 एससीआर 207 | संदर्भित किया गया है | पैरा 170 |
| [2018] 406 आईटीआर 418 | संदर्भित किया गया है | पैरा 183 |
| (2017) 395 आईटीआर 18 | संदर्भित किया गया है | पैरा 183 |
| [2014] 360 आईटीआर 633 | संदर्भित किया गया है | पैरा 222 |
| [1997] पूरक 4 एस. सी. आर. 189 | संदर्भित किया गया है | पैरा 236 |
| [2008] 13 एससीआर 570 | संदर्भित किया गया है | पैरा 236 |

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2017 की सिविल अपील No.21762।

2016 की कर अपील No.425 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.05.2017 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सी. ए. संख्या 2012 की संख्या 8193,5057,2014 की संख्या 5058,2018 की संख्या 9974,2012 की संख्या 5056,2015 की संख्या 4196,4374,9380,13071,12058,16375,12869,17527,2185,2017 की संख्या 5719,9886,9200,9860,10114,2018 की संख्या 1643/2019,3596,6762,3972,3333,3359,3971,3347,6489,10598,7643,8321,8554,9172,10406,11259,2018 की संख्या 226,170,2047,2335,3971,4449 7705, 7696, 7720, 7780, 7717, 7707, 7698, 7699, 7795, 7719, 7703, 7718, 7700, 7701, 7702, 7721, 7723, 7722, 7704, 7708, 7724, 7709, 7710, 7711, 7725, 7726, 7712, 7727, 7713, 7714, 7728, 7754, 7730, 7733, 7734, 7735, 7738, 7741, 7742, 7743, 7745, 7753, 7697, 7729, 7715, 7731, 7732, 7716, 7736, 7737

एन. वेंकटरमण, ए. एस. जी., अरविंद दातार, कविन गुलाटी, सुश्री राधिका सूरी, अजय वोहरा, ध्रुव अग्रवाल, अरविंद पी. दातार, के. के. चैतन्य, संजय झानवार, हरीश एन. साल्वे, तुषार हेमानी, मनीष शाह, के. वी. विश्वनाथन, हरीश साल्वे, सौरभ सोपारकर, एस. एन. भट, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रुपेश कुमार, सुश्री गार्गी खन्ना, श्याम गोपाल, वी. चंद्रशेखर भारती, सुश्री अलका अग्रवाल, एच. आर. राव, राज बहादुर यादव, बी. वी. बलराम दास, श्रीमती अनिल कटियार, श्रीमती प्रभा स्वामी, निखिल स्वामी, ए. वी. ए. शिव कार्तिकेय, सुश्री दिव्या स्वामी, रजत नवेत, कुशाग्र पंडित, प्रदीप के. बख्शी, गर्वेश काबरा, कुमार दुष्यंत सिंह, रोहित शर्मा, रौणक नायक, अंशुल चौधरी, सुश्री आरजू चौधरी, पी. एस.

जी.

एच.

सुधीर, गुरशरण H.Virk, सुश्री सिमरजीत H.Virk, प्रशांत उंडुर्ती, सुश्री ईशा टी, जैमिन आर. ब्रह्मभट्ट, नकुल मोहता, सुश्री मिशा रोहतगी मोहता, देवांश श्रीवास्तव, जॉनसन सुब्बा, महिंदर सिंह हूरा, जसमीत सिंह, सैफ अली, दिवजोत सिंह भाटिया, पुष्पेंद्र एस. भदौरिया, सुश्री रुषित सलूजा, सुश्री ममता चक्रवर्ती, यजुर भल्ला, दीपक समोता, आशीष वाजपेयी, रोहित कुमार पिहल, शुभम भल्ला, मनीष जे. पी. शाह, बालाजी श्रीनिवासन, सुश्री पल्लवी सेनगुप्ता, शाहरुख मोहम्मद, सुश्री कविता झा, अनंत मान,उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

सूचकांक *

I. विधायी परिवर्तनों का संक्षिप्त इतिहास और इस न्यायालय की व्याख्या। 5.

A. आयकर अधिनियम, 1922 के प्रावधान। 5 बी. नया कानूनः आय कर अधिनियम, 1961.8ग. सूरत कला रेशम में निर्णय। 11

* एड नोटः सूचकांक में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

ए. डी. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 (वित्त अधिनियम, 1983 और 1991) में लाए गए प्रासंगिक परिवर्तन. 17 ई. थांथी ट्रस्ट में निर्णय. 18 एफ. कुछ छूटों को हटानाःधारा 10 (20ए) और धारा 10 (23). वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा धारा 2 (15) में संशोधन। 01.04.2009). 2 1

II. पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ। 22

ए. राजस्व की ओर से तर्क. 22ख. निर्धारिती-संगठनों के तर्क. 26 ग. राजस्व के खंडन तर्क. 54

III. विश्लेषण और तर्क. 55

A. व्याख्या में सहायता करता है। 62.

(i) विधान का इतिहास. 62 (ii) कानून के निर्माण के लिए अन्य बाहरी सहायता. 63

ख. धारा 2 (15) की व्याख्या, परिभाषा खंड। 7 0

धारा 2 (15). 85 की व्याख्या का सारांश

ग. आई. टी. अधिनियम की धारा 10,11,12,12ए, 12एए और 13।

न्यास [धारा 11 (4)] के तहत आयोजित व्यवसाय और व्यवसाय करने वाले न्यास [धारा 11 (4ए)] के बीच अंतर

घ. किस प्रकार की आय या प्राप्तियों को व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय या ऐसी गतिविधियों के संबंध में प्राप्त आय के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

जी.

(i) सांविधिक निगम, प्राधिकरण या निकाय. 98 (ii) सांविधिक नियामक निकाय/प्राधिकरण. 109 ए

एच.

(iii) व्यापार संवर्धन निकाय, परिषद, संघ या संगठन. 114 (iv) गैर-सांविधिक निकाय-ईआरएनईटी, एनआईएक्सआई और जीएस1 भारत. 116 (v) राज्य क्रिकेट संघ. 122 (vi) निजी न्यास. 135

निष्कर्षों का IV.Summation. 141

ए. धारा 2 (15) के तहत सामान्य परीक्षण। 141

बी. कानून द्वारा साबित प्राधिकरण, निगम या निकाय. 142 सी. सांविधिक नियामक. 143 डी. व्यापार संवर्धन निकाय. 144 ई. गैर-सांविधिक निकाय. 144 एफ. खेल संघ. 145 जी. निजी न्यास. 145 एच. व्याख्या का अनुप्रयोग.

1. उन सभी मामलों में अनुमति दी गई है जहां छुट्टी पहले से नहीं दी गई है।

दिया गया।सी. ए. सं. 21762/2017 (सहायक आयकर आयोग, छूट बनाम अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण) लिया गया है।

प्रमुख विषय के रूप में।2. धार्मिक और धर्मार्थ न्यास किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति परोपकार की प्रवृत्ति से हुई है, जो मानव स्वभाव का हिस्सा है।भारतीय परोपकार ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है, विशेष रूप से लोगों की शैक्षिक, चिकित्सा, सामाजिक-आर्थिक और धार्मिक जरूरतों को पूरा करने में।यहाँ इसकी भूमिका राज्य के प्रयासों के पूरक रही है, जिसने इस आवेग की सार्वजनिक उपयोगिता को मान्यता दी है और कर छूट दी है।भारतीय आय-कर कानूनों ने दान का पक्ष लिया है, यहां तक कि 1886 से तरजीही उपचार भी दिया है।इस कानून ने धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों से होने वाली आय को छूट देते हुए न्यास निधि के दुरुपयोग को कम करने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं।नतीजतन, एक धर्मार्थ न्यास कर छूट खो देता है यदि कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है, और यदि इसकी गतिविधियाँ इसके अंतर्गत नहीं आती हैं।

जी.

एच.

अधिनियम की धारा 10। इस तरह के न्यासों को अपनी आय को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर धर्मार्थ उद्देश्यों पर लागू करना होता है, उचित लेखापरीक्षित खातों को बनाए रखना होता है, और इस तरह से धन का निवेश या उपयोग करना होता है ताकि बसने वाले, न्यासियों, उनके रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों को कोई लाभ न मिले।1 3.आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद "आयकर अधिनियम" या "आईटी अधिनियम") के तहत "धर्मार्थ उद्देश्य" की परिभाषा के दायरे और विस्तार ने असंख्य अवसरों पर अदालतों (इस अदालत सहित) का ध्यान आकर्षित किया है।परिभाषा (वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा संशोधन से पहले की धारा 2 (15)) के अंतिम भाग में "लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को जारी नहीं रखना" अभिव्यक्ति इस न्यायालय के कम से कम पांच निर्णयों (पांच सदस्यीय पीठ सहित) में बहस का विषय थी।

4. अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं के इन समूह में, प्राथमिक प्रश्न जो विचार के लिए आता है, वह डब्ल्यू. ई. एफ. संशोधन द्वारा शुरू किए गए आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) 2 के परंतुक की सही व्याख्या है।इस स्तर पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि आई. टी. अधिनियम ने तीन प्रकार के धर्मार्थ उद्देश्यों की कल्पना की हैःगरीबों के लिए चिकित्सा राहत, शिक्षा और राहत-जिसे बाद में "अपने उद्देश्यों के अनुसार" के रूप में वर्णित किया गया है।इस सूची में, संसद ने संशोधनों द्वारा अन्य श्रेणियों को जोड़ा है, जैसे कि पर्यावरण का संरक्षण (वाटरशेड, वन और वन्यजीव सहित) और कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण, और योग।अंतिम-या अवशिष्ट उद्देश्य शामिल है

परिभाषा के अनुसार-"सामान्य के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति" है।
सार्वजनिक उपयोगिता "(इसके बाद" जी. पी. यू. श्रेणी "के रूप में संदर्भित), जो वर्तमान मामले में व्याख्या का विषय है।

5. छूट के लिए आयकर महानिदेशक, विभिन्न राज्यों में आयकर आयुक्त ("सी. आई. टी".) और आयकर विभाग के अन्य अधिकारी (जिन्हें इसके बाद समग्र रूप से संदर्भित किया गया है)

---

1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11,12,12-ए और 13।
2 " धर्मार्थ उद्देश्य "में गरीबों की राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत, पर्यावरण का संरक्षण (वाटरशेड, वन और वन्यजीव सहित) और कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति शामिल हैः

जी. बशर्ते कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति एक धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगा, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में कोई गतिविधि या किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि शामिल है, तो उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए, ऐसी गतिविधि से आय के उपयोग या आवेदन या प्रतिधारण की प्रकृति पर ध्यान दिए बिनाः..... "

एच. (बल दिया गया)

“राजस्व) ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील की है, जिन्होंने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय को चलाना, जी. पी. यू. श्रेणी के धर्मार्थ न्यास के लिए ऐसा होने का दावा करने के लिए प्रति अवरोधक या अयोग्यता नहीं है, जिसमें आई. टी. अधिनियम के तहत इसकी कर-मुक्त स्थिति शामिल नहीं है।

## I. विधायी परिवर्तनों का संक्षिप्त इतिहास और इस न्यायालय की व्याख्या

### A. आयकर अधिनियम, 1922 के प्रावधान

6. पूर्ववर्ती आयकर अधिनियम, 1922 (इसके बाद "पुराना अधिनियम") के प्रावधानों ने न्यासों द्वारा व्यावसायिक गतिविधि से उनकी आय के लिए कर छूट के दावों को सक्षम बनाया, बशर्ते उस पर न्यास बनाए गए हों।द प्रिवी

ट्रिब्यून प्रेस के न्यासियों में परिषद, लाहौर बनाम सी. आई. टी., पंजाब 3 (इसके बाद पुनः ट्रिब्यून के न्यासी) ने माना कि

ट्रिब्यून प्रेस की आय पुराने अधिनियम की धारा 4 (3) (i) के अंतर्गत आती थी, और यह निहित था कि प्रेस से आय एक समाचार पत्र को बनाए रखने, अपनी उदार नीति को बनाए रखने और समाचार पत्र को बेहतर बनाने के लिए अधिशेष धन को समर्पित करने के लिए ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त होती थी।उस अधिनियम की धारा 4 (3) (i) के तहत आने वाला "संपत्ति" शब्द भी एक व्यवसाय को भी शामिल करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था।पुराने अधिनियम में दो बार संशोधन किया गया था, जिसका उद्देश्य ट्रस्टों के लिए कर छूट को समाप्त करना और उनसे छुटकारा पाना था, जो अन्यथा इसके लिए पात्र थे।1939 के पहले संशोधन में 5 नए जोड़े गए।

---

3 (1939) 7 आई. टी. आर. 415 (इसके बादः ट्रिब्यून के न्यासी ")।
4 आयकर आयुक्त बनाम पी. कृष्णा वारियर, (1964) 8 एस. सी. आर. 36:(1964) 53
आई. टी. आर. 176 इस अदालत ने ट्रिब्यून के न्यासियों [(1939) आई. टी. आर. 415 पी. सी.] का हवाला देते हुए और उन पर भरोसा करते हुए कहा किः

“जे. के. ट्रस्ट, बॉम्बे बनाम आयकर आयुक्त, अतिरिक्त लाभ कर, बॉम्बे [(1957) 32 आई. टी. आर. 535] में इस न्यायालय ने उक्त दृष्टिकोण का समर्थन किया और कहा कि "संपत्ति" व्यापक आयात का एक शब्द है और यह व्यवसाय निस्संदेह संपत्ति होगा जब तक कि अधिनियम में इसके विपरीत कुछ न हो।यदि व्यवसाय संपत्ति थी, तो इसे धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए न्यास के तहत रखा जा सकता था।चूंकि आर्य वैद्य शाला को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए न्यास के तहत चलाने का व्यवसाय निहित है, इसलिए यह खंड (i) के तहत आता है, यदि उसमें निर्धारित अन्य शर्तें पूरी हो जाती हैं।”

5 भारतीय आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1939 की धारा 4 (3) इस प्रकार हैः
“(3) निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत आने वाली कोई भी आय, लाभ या लाभ उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगाः]

(i) धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, न्यास के तहत धारित संपत्ति या पूरी तरह से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अन्य कानूनी दायित्व से प्राप्त कोई भी आय, जहां तक ऐसी आय ऐसी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आवेदन के लिए लागू या संचित की जाती है जो कर योग्य क्षेत्रों के भीतर की गई किसी भी चीज़ से संबंधित है, और इस तरह से आंशिक रूप से केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए धारित संपत्ति के मामले में, आवेदन के लिए या अंत में अलग रखी गई आयः

((i) किसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्था की ओर से किए गए व्यवसाय से प्राप्त कोई भी आय जब आय केवल संस्था के उद्देश्यों के लिए लागू की जाती है और -

तत्कालीन विद्यमान प्रावधान में खंड (आई. ए.)।यह प्रावधान था कि किसी धर्मार्थ न्यास या धार्मिक संस्थान द्वारा या उसकी ओर से किए गए व्यवसाय से प्राप्त आय केवल ऐसी व्यावसायिक आय तक सीमित हो सकती है जो न्यास या संस्था द्वारा न्यास के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के दौरान किए गए व्यवसाय से प्राप्त की गई थी, या मुख्य रूप से न्यास या संस्थान के लाभार्थियों द्वारा की गई थी।लाहौर हाई

चैरिटेबल गडोडिया स्वदेशी स्टोर बनाम सी. आई. टी. 6 में न्यायालय ने कहाः"अपने उचित परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, खंड (आई. ए.) को केवल ऐसे व्यवसाय को लागू करने के लिए लिया जा सकता है जो धार्मिक या धर्मार्थ संस्थानों की ओर से किया जाता है जो ट्रस्ट के तहत नहीं थे और न ही ऐसे व्यवसाय के लिए जो स्वयं ट्रस्ट के तहत आयोजित किया गया था या ऐसे धर्मार्थ या धार्मिक संस्थानों द्वारा या उनकी ओर से संचालित किया गया था जो ट्रस्ट के तहत आयोजित किए गए थे।यदि इसका उद्देश्य खंड (1) के दायरे को कम करना था ताकि न्यास के तहत आयोजित या किसी धार्मिक या धर्मार्थ न्यास द्वारा या उसकी ओर से संचालित व्यवसाय द्वारा प्राप्त छूट को वापस लिया जा सके, तो नए खंड को पुराने खंड में परंतुक के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था।"

7. अधिनियम को वित्त अधिनियम, 1953 7 द्वारा फिर से संशोधित किया गया था जिसमें खंड (आई. ए.) को पुराने अधिनियम की धारा 4 (3) (आई) से हटा दिया गया था और इसके बजाय

(क) व्यवसाय संस्था के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के क्रम में किया जाता है, या

(ख) व्यवसाय के संबंध में कार्य मुख्य रूप से संस्थान के लाभार्थियों द्वारा किया जाता है।

6 (1944) 12 आईटीआर 385
7 वित्त अधिनियम, 1953 की धारा 4 ने धारा 4 (3) (i) में परंतुक जोड़ा; यह निम्नानुसार हैः
"बशर्ते कि ऐसी आय कुल आय में शामिल की जाएगी -
[(क) यदि यह कर योग्य क्षेत्रों के बिना धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू किया जाता है, लेकिन निम्नलिखित मामलों में, अर्थात्ः—

(i) जहां संपत्ति भारतीय आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का XXV) के प्रारंभ से पहले बनाए गए न्यास या अन्य कानूनी दायित्व के तहत आयोजित की जाती है, और उससे होने वाली आय कर योग्य क्षेत्रों के बिना ऐसे उद्देश्यों के लिए लागू होती है; और (ii) जहां संपत्ति ऐसे प्रारंभ के बाद बनाए गए न्यास या अन्य कानूनी दायित्व के तहत आयोजित की जाती है, और वहां से होने वाली आय कर योग्य क्षेत्रों के बिना धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू की जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देते हैं जिसमें भारत की रुचि है।

जी.

केंद्रीय राजस्व बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दे सकता है कि इसे कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा;]

(ख) किसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्था की ओर से किए गए व्यवसाय से प्राप्त आय के मामले में, जब तक कि आय पूरी तरह से संस्था के उद्देश्यों के लिए लागू नहीं की जाती है और दोनों में से एक -

एच.

इसके परंतुक के रूप में जोड़ा गया।पुराने खंड (आई. ए.) को धारा 4 (3) (आई) के परंतुक में बदलने का संसदीय आशय यह था कि जब भी किसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्था की ओर से कार्य किया जाता था, तो खंड (आई) के परंतुक के खंड (बी) में निर्धारित शर्तों को खंड (आई) के मूल भाग में निर्धारित छूट की सामान्य शर्त के अलावा पूरा किया जाना था।खंड (i) में निर्धारित शर्तों के अलावा अन्य शर्तों का पालन करने पर आय को व्यावसायिक गतिविधि से छूट देने के संसद के प्रयास की व्याख्या इस अदालत ने सी. आई. टी. बनाम पी. कृष्ण वारियर 8 (इसके बाद "कृष्ण वारियर") में की थी।अदालत ने कहा किः

> “कानूनी स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता हैःअधिनियम की धारा 4 (3) का खंड (i) प्रत्येक संपत्ति या उसके एक आंशिक हिस्से को पूरी तरह से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए न्यास में रखता है।यह ऐसी संपत्ति को भी लेता है जो ऐसे उद्देश्यों के लिए केवल आंशिक रूप से आयोजित की जाती है।उक्त खंड के अर्थ के भीतर व्यवसाय भी संपत्ति है।धारा 4 (3) (i) के परंतुक का खंड (ख) केवल उस व्यवसाय पर लागू होता है जो न्यास में नहीं है, बल्कि धार्मिक या धर्मार्थ संस्थानों की ओर से चलाया जाता है।”

8. पुराने अधिनियम ने धारा 4 (3) के तहत 'धर्मार्थ उद्देश्य' को परिभाषित किया-यानी यह परिभाषा जो आईटी अधिनियम, 1961 के लागू होने से ठीक पहले थी (जिससे पुराने अधिनियम की जगह ली गई)-इस प्रकार हैः

> “ 4 (3) निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत आने वाली कोई भी आय, लाभ या लाभ उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।
>
> * * *
>
> इस उप-धारा में "धर्मार्थ उद्देश्य" में गरीबों को राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को आगे बढ़ाना शामिल है, लेकिन खंड (i) या खंड (ii) में निहित कुछ भी इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट के लिए काम नहीं करेगा।

---

((i) व्यवसाय संस्था के प्राथमिक उद्देश्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान किया जाता है, या

((ii) व्यवसाय के संबंध में कार्य मुख्य रूप से संस्थान के लाभार्थियों द्वारा किया जाता है। जी.

(ग) यदि यह धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए लागू किया जाता है या जमा किया जाना बंद हो जाता है या आवेदन के लिए अलग रखा जाता है, तो उस स्थिति में इसे उस वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें इसे इस तरह लागू किया जाता है या इस तरह से जमा या अलग किया जाना बंद हो जाता है।]”

8 (1964) 8 एससीआर 36:(1964) 53 आईटीआर 176 एच.

> निजी धार्मिक उद्देश्यों के लिए किसी न्यास या अन्य कानूनी दायित्व के तहत रखी गई संपत्ति जो जनता के लाभ के लिए नहीं है।"

इस अदालत के पास अभिव्यक्ति के अर्थ की व्याख्या करने का अवसर था
" सी. आई. टी. बनाम आंध्र चैंबर ऑफ कॉमर्स 9 में सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति। अदालत ने पिछले फैसलों पर विचार कियाःइन रेःट्रिब्यून (ऊपर) और ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन ऑफ मिर्जापुर बनाम सी. आई. टी. 10 के न्यासी।पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए

प्रिवी काउंसिल का निर्णयःट्रिब्यून (ऊपर) के न्यासी,
इस अदालत ने आंध्र चैंबर ऑफ कॉमर्स में कहा कि जी. पी. यू. आपत्ति करता है
इसमें आम जनता के कल्याण को बढ़ावा देने वाले सभी उद्देश्य शामिल थे, जिसमें व्यापार, वाणिज्य आदि को प्रभावित करने वाले कानून का विरोध करने या आग्रह करने के लिए कदम उठाना शामिल था।

B. नया कानूनःआय कर अधिनियम, 1961

9. आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) (जो आई. डी. 1 पर लागू हुई और पुराने आई. टी. अधिनियम को निरस्त कर दिया गया) ने "धर्मार्थ उद्देश्य" को निम्नानुसार परिभाषित कियाः

> " (15) — धर्मार्थ उद्देश्य में गरीबों की राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत, और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी अन्य उद्देश्य की उन्नति शामिल है जिसमें लाभ के लिए कोई गतिविधि शामिल नहीं है।"

10. तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने लोकसभा में नई परिभाषा के औचित्य को समझायाः

> "उस खंड में 'धर्मार्थ उद्देश्य' की परिभाषा वर्तमान में इतनी व्यापक रूप से लिखी गई है कि इसका लाभ वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा भी उठाया जा सकता है, जो सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करते हुए, उनके द्वारा प्रदान किए गए लाभों के लिए पूरी तरह से भुगतान प्राप्त करते हैं, अर्थात् समाचार पत्र उद्योग जो वाणिज्यिक आधार पर अपनी चिंता चलाते हुए दावा कर सकता है कि समाचार पत्रों को प्रसारित करने से जनता के सामान्य ज्ञान में सुधार हो रहा है।ऐसे मामलों में इस परिभाषा के दुरुपयोग को रोकने के लिए, प्रवर समिति ने महसूस किया कि 'लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को जारी रखने से संबंधित नहीं' शब्दों को परिभाषा में जोड़ा जाना चाहिए।" 11

जी.

---

9 (1965) 1 एस. सी. आर. 565 (इसके बाद "आंध्र चैंबर ऑफ कॉमर्स")
10 (1944) 12 आईटीआर 482 (इसके बाद "ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन ऑफ मिर्जापुर")
11 (एल. वी. आई.) लोकसभा बहस।, 32एन. डी. एस. सी.,पी. 3073 (18 अगस्त, 1961)।

एच.

11. नई परिभाषा की व्याख्या करने का पहला बड़ा निर्णय था ए.
एकमात्र न्यासी, लोक शिक्षा न्यास बनाम आयकर आयुक्त 12
(इसके बाद "लोक शिक्षा ट्रस्ट")।इस अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि कई अन्य उद्देश्यों के साथ किया जाने वाला समाचार पत्र व्यवसाय (जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, समाचार पत्र के माध्यम से कन्नड़ भाषी जनता तक ज्ञान का प्रसार आदि शामिल थे) धर्मार्थ था।अदालत ने बदली हुई परिभाषा पर ध्यान दियाः

> "7. …इस प्रकार परिभाषा में परिवर्तन का परिणाम यह है कि किसी मामले को धर्मार्थ उद्देश्य की चौथी श्रेणी के भीतर लाने के लिए, यह दिखाना आवश्यक होगा कि (1) न्यास का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को आगे बढ़ाना है, और (2) उपरोक्त उद्देश्य में लाभ के लिए कोई गतिविधि करना शामिल नहीं है।न्यास के उद्देश्य को धर्मार्थ उद्देश्य मानने से पहले उपरोक्त दोनों शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।
>
> * * *
>
> 9. यह सच है कि पारस्परिक बीमा और सहकारी भंडार जैसी कुछ व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं जिनमें से लाभ कमाना एक आवश्यक घटक नहीं है, लेकिन ऐसा उस विशेष प्रकार के व्यवसाय को चलाने में लाभ कमाने पर एक स्व-अधिरोपित और जन्मजात प्रतिबंध के कारण है।सामान्य रूप से लाभ का उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधि की एक सामान्य घटना है और यदि किसी न्यास की गतिविधि में व्यवसाय करना शामिल है और उसके लाभ कमाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो न्यायालय कुछ संकेत के अभाव में यह मान लेना उचित होगा कि न्यास के उद्देश्य में 'लाभ उद्देश्य' अभिव्यक्ति का उपयोग करना शामिल है, इसका उद्देश्य यह नहीं है कि वास्तव में लाभ अर्जित किया जाना चाहिए।न ही यह अभिव्यक्ति किसी लेन-देन या लेनदेन की एक श्रृंखला से कुछ मौद्रिक लाभ अर्जित करने की मात्र इच्छा को शामिल करती है।यह एक उद्देश्य की भविष्यवाणी करता है जो व्यक्ति द्वारा उसकी गतिविधि के दौरान किए गए लेनदेन की पूरी श्रृंखला में व्याप्त है।"

जी.

अदालत ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि "लाभ" का अर्थ निजी लाभ है।इसने माना कि इस शब्द की व्याख्या योग्यता के बिना की जानी चाहिए।

---

12 (1976) 1 एस. सी. सी. 254 (इसके बाद लोक शिक्षा ट्रस्ट) एच.

12. न्यायाधीशों में से एक-न्यायमूर्ति बेग ने बहुमत से सहमति व्यक्त की, लेकिन यह देखने के बाद कि न्यास विलेख में लाभ कमाने की कोई शर्त नहीं है, इस बात पर थोड़ा अलग विचार व्यक्त किया कि न्यास विलेख में किसी भी शर्त की अनुपस्थिति या अस्तित्व के बजाय वास्तविक गतिविधि पर विचार करने की आवश्यकता है।———

———

13. अगला महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय वाणिज्य मंडल बनाम सी. आई. टी. 13 है। अपीलकर्ता-कक्ष भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 25 के तहत पंजीकृत एक कंपनी थी। इसके ज्ञापन और संघ के लेखों में कुछ व्यापक उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था, जिन पर इस अदालत ने सहमति व्यक्त की थी, जो अधिनियम की धारा 2 (15) में "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी उद्देश्य की उन्नति" अभिव्यक्ति के भीतर आता है। वस्तुएँ

भारतीय व्यापार हितों का प्रचार और संरक्षण और अन्य
संबद्ध सेवा संचालन "।एक अवशिष्ट खंड ने चैंबर को अधिकृत किया
“अन्य सभी कार्य करना जो व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल हों या उनकी प्राप्ति के लिए प्रासंगिक हों।
ऊपर की वस्तुएँ या उनमें से कोई भी।एसोसिएशन के ज्ञापन के खंड (4) और (8) के अनुसार, चैंबर के सदस्य व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि इसका कोई हिस्सा नहीं था।

> “संघ की आय और संपत्ति का भुगतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लाभांश या बोनस के रूप में या अन्यथा "उन व्यक्तियों को लाभ के रूप में जो किसी भी समय संघ के सदस्य हैं" के रूप में किया जाएगा।

संघ के विघटन पर, सदस्य परिसंपत्तियों में किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर सकते थे।चैंबर ने इस अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि यह
“कुल मिलाकर, अपने सदस्यों के लिए लाभ कमाने की कोशिश किए बिना भारत और भारत के सामान्य व्यापार हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।” यह
अदालत ने दावा की गई छूट को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए किः

> “ 14 … उस उद्देश्य की प्राप्ति में लाभ के लिए गतिविधियाँ शामिल नहीं होंगी।फिर लाभ के लिए गतिविधि क्या है?एक व्यावसायिक संगठन द्वारा एक उपक्रम को आम तौर पर लाभ के लिए माना जाता है जब तक कि स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ या वाक्पटु आसपास की परिस्थितियों से लाभ कमाना जोर से नकार दिया जाता है।हम रोशनी करने के लिए चित्रण करेंगे।यदि धर्मार्थ संगठन के उपनियमों में कोई प्रतिबंधात्मक प्रावधान है जो इस बात पर जोर
> देता है कि प्रदान की गई सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के लिए लगाए गए शुल्क 'कोई लाभ नहीं' के आधार पर होने चाहिए, तो यह

जी.

---

एच. 13 (1976) 1 एस. सी. सी. 324 (इसके बाद "भारतीय वाणिज्य मंडल")

स्पष्ट रूप से धारा 2 (15) का लाभ अर्जित करता है।उदाहरण के लिए, एक अंतिम संस्कार गृह, एक आई. डी. 1. या एक सहकारी संस्था जनता को सेवा प्रदान कर सकता है, लेकिन अपने संविधान में एक शर्त लिख सकता है कि वह सेवा प्रदान करने के लिए वास्तव में आवश्यक शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लेगा,-शायद यह एक सटीक समकक्ष नहीं हो सकता है, इस तरह की गणितीय सटीकता चर के मामले में असंभव है,-शायद वर्ष के अंत में थोड़ा अधिशेष बचा है-लाभ कमाने के खिलाफ व्यापक अवरोध एक अच्छी गारंटी है कि गतिविधि को जारी रखना लाभ के लिए नहीं है।एक विरोधाभास के रूप में, एक अंतिम संस्कार गृह या एक पशु कल्याण संगठन या एक ऐसी संस्था द्वारा सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के लिए संचालित एक सुपर बाजार लें जो बड़ी राशि लेता है और भारी लाभ कमाता है।निसन्देह वे सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाएँ प्रदान करते हैं।उनके उद्देश्य धर्मार्थ होते हैं लेकिन उनकी गतिविधियाँ लाभ के लिए होती हैं।

**********

16. संक्षेप में, धारा 2 (15) लाभ के लिए गतिविधियों के संचालन को छूट से बाहर करती है, भले ही वे सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों से जुड़े हों, क्योंकि क़ानून, कर राहत के उद्देश्यों के लिए, लाभ के लिए गतिविधियों के संचालन में भागीदारी द्वारा ऐसे उद्देश्यों की प्रगति को रोकता है।हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन जब विधायी प्रारूपण कौशल सरल हो जाता है, तो व्याख्यात्मक जटिलता एक न्यायिक आवश्यकता बन जाती है।

**********

21. असली परीक्षा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर माँगना हैः(क) क्या निर्धारिती का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का है?(ख) क्या उद्देश्य की प्रगति में धन लाने की गतिविधियाँ शामिल हैं?(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी गतिविधियाँ (i) लाभ के लिए या (ii) लाभ के बिना की जाती हैं?भले ही (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया जाए, यदि (ग) (i) का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया जाता है, तो छूट का दावा विफल हो जाता है।किसी गतिविधि के लाभ के लिए या उसके बावजूद होने की समस्या का समाधान तथ्यों के आधार पर एकत्र किया जाता है।गतिविधि की वास्तविक प्रकृति क्या है?जिसे आम लोग आम तौर पर लाभ के लिए चलाते हैं?क्या संविधान में लाभ कमाने के खिलाफ कोई अंतर्निहित निर्देश है?क्या व्यवहार में इस उद्यम से लाभ हुआ है?हालांकि, यह आखिरी एक कमजोर है

एच.

परीक्षण।केवल यह तथ्य कि एक सेवा प्रदान की जाती है, प्रभारिता का कोई जवाब नहीं है क्योंकि सभी आय अक्सर किसी न किसी सेवा प्रदान करने से प्राप्त होती है।"

C. सूरत आर्ट सिल्क में निर्णय

14. सहायक में एक बड़ी, पाँच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय
आयुक्त बनाम सूरत आर्ट सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन 14
(इसके बाद "सूरत आर्ट सिल्क") इस मुद्दे पर दिया गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था।यहाँ एक गैर-लाभकारी कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुरूप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) की साबित गई थी।इसने अपने उद्देश्यों के रूप में धर्मार्थ उद्देश्यों के साथ एक संस्था के रूप में छूट का दावा किया।कंपनी के उद्देश्यों में अन्य वस्तुओं के अलावा कला रेशम धागे, कच्चे रेशम, सूती धागे, कला रेशम कपड़े, रेशम कपड़े और सूती कपड़े में वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देना शामिल था।कंपनी के ज्ञापन के खंड 5 (1) में यह प्रावधान किया गया था कि इसकी आय और संपत्ति जहां भी प्राप्त होती है, उसे "केवल कंपनी के लिए" लागू किया जाना था।

ज्ञापन में उल्लिखित अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देना "; खंड
5(2) निर्देश दिया कि आय या संपत्ति के किसी भी हिस्से का भुगतान या हस्तांतरण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लाभांश, बोनस या अन्यथा लाभ के रूप में, उन व्यक्तियों को नहीं किया जा सकता है, जो किसी भी समय निर्धारिती के सदस्य हैं या रहे हैं।आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद "आई. टी. ए. टी".) ने अपीलीय आयुक्त को प्रारंभिक रिमांड के बाद कहा कि "प्राथमिक

जिस उद्देश्य के लिए निर्धारिती की स्थापना की गई थी, वह कला रेशम और रेशम धागे और कपड़े में वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देना था।आईटीएटी
इस मुद्दे का सीधा संदर्भ इस न्यायालय को दिया, क्योंकि अवशिष्ट खंड, यानी सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों की उन्नति में लगी संस्थाओं की सही व्याख्या के संबंध में एक संघर्ष मौजूद था,

---

14 (1980) 2 एस. सी. सी. 31 (इसके बाद "सूरत आर्ट सिल्क") 15 वस्तुओं की सूची इस प्रकार थीः

"(क) कला रेशम धागा, कच्चा रेशम, सूती धागा, कला रेशम कपड़ा, रेशम कपड़ा और सूती कपड़े में वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देना।

(ख) सदस्यों से संबंधित और उनकी ओर से कला रेशम धागे, कच्चे रेशम, सूती धागे के साथ-साथ कला रेशम कपड़े, रेशम कपड़े और सूती कपड़े के सभी और किसी भी व्यवसाय को जारी रखना।(ग) कला रेशम धागे, कच्चे रेशम, सूती धागे और अन्य कच्चे माल के साथ-साथ कला रेशम, रेशम और सूती कपड़ों के निर्माण के लिए सदस्यों द्वारा आवश्यक सहायक उपकरण के आयात के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करना।

जी.

(घ) सदस्यों द्वारा निर्मित निर्यात लाइसेंस और निर्यात कपड़े प्राप्त करना।
(ङ) सदस्यों से संबंधित और उनकी ओर से सभी प्रकार के कपड़े और अन्य वस्तुओं और कपड़ों की खरीद-बिक्री और सौदा करना।

(एन) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक या अनुकूल अन्य सभी वैध कार्य करना।"

एच.

और क्या कंपनी को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए गतिविधियों को चलाने वाले के रूप में मूल्यांकन.करने का अधिकार था।इस अदालत ने पहले यह निर्धारित किया कि कंपनी का प्राथमिक या प्रमुख उद्देश्य रेशम, रेशम के कपड़े, धागे और ऐसी अन्य वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना ~~और विकास करना था और अन्य वस्तु~~एं इस प्राथमिक उद्देश्य की सहायक थीं।इसके बाद यह अभिनिर्धारित किया गया कि लाभ के उद्देश्य की अनुपस्थिति की आवश्यकता को पूरा किया गया थाः

> “7. .....लेकिन निर्धारिती के मामले में भी इस आवश्यकता को पूरा किया गया था, क्योंकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 और इसके ज्ञापन के खंड 5 और 10 के तहत निर्धारिती की मान्यता द्वारा निजी लाभ के उद्देश्य को समाप्त कर दिया गया था।अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि निर्धारिती की आय और संपत्ति धारा 2 खंड (15) के अर्थ के भीतर सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कानूनी दायित्व के तहत अभिनिर्धारित की गई थी।”

15. इस अदालत ने तब निर्णय दिया कि धारा 2 (15) के अंत में होने वाले निषेध के शब्द धर्मार्थ संस्थानों की अंतिम श्रेणी, यानी सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों की उन्नति में शामिल लोगों पर लागू होते हैं।इसने आगे स्पष्ट किया कि निषेध उद्देश्य पर लागू होता है न कि उक्त उद्देश्य की उन्नति या प्राप्ति के लिएः

> “ 10ए।विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के एक स्पष्ट स्वाभाविक निर्माण पर यह स्पष्ट है कि दस महत्वपूर्ण शब्द "लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को जारी रखने से संबंधित नहीं" "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य" के साथ जाते हैं न कि "उन्नति" के साथ।यह सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य है जिसमें लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को जारी रखना शामिल नहीं होना चाहिए न कि इसकी उन्नति या प्राप्ति।इन अंतिम दस शब्दों से जो बाधित होता है वह है लाभ के लिए गतिविधि को सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य से जोड़ना, न कि इसे उद्देश्य की उपलब्धि या निष्पादन से जोड़ना।यह आवश्यक नहीं है कि उद्देश्य की प्राप्ति या उद्देश्य को पूरा करने के साधनों में लाभ के लिए कोई गतिविधि शामिल न हो।यह नए जोड़े गए शब्दों का जनादेश नहीं है।इन शब्दों की आवश्यकता यह है कि उद्देश्य में लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को जारी रखना शामिल नहीं होना चाहिए।जोर सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य पर है न कि इसकी उपलब्धि या प्राप्ति पर।सी. आई. टी. बनाम कोचीन चैंबर ऑफ कॉमर्स में केरल और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों के निर्णय और

जी.

एच.

उद्योग [(1973) 87 आईटीआर 83:(केर) 16 और ए. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम सी. आई. टी. [(1975) 100 आई. टी. आर. 392 (ए. सी.)], हमारी राय में धारा 2 खंड (15) में अंतिम दस शब्दों की सही व्याख्या निर्धारित करते हैं।इन अंतिम दस शब्दों का सही अर्थ यह है कि जब किसी न्यास या संस्था का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है, तो यह सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य है न कि इसकी उपलब्धि या निष्पादन जिसमें लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को जारी रखना शामिल नहीं होना चाहिए।"

16. अदालत ने तब यह माना कि "शामिल नहीं करने" का क्या अर्थ है
लाभ के लिए किसी गतिविधि को जारी रखना ":"15. …इस उद्देश्य के लिए जो सवाल पूछा जाना आवश्यक है वह यह है कि किसी न्यास या संस्था के उद्देश्य को लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को जारी रखना कब कहा जा सकता है।शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार "शामिल" शब्द का अर्थ है "किसी भी चीज़ में लपेटना, मोड़ना या ढकना; शामिल करना या इंगित करना"।इसलिए, लाभ के लिए गतिविधि ट्रस्ट या संस्था के उद्देश्य के साथ जुड़ी होनी चाहिए या निहित होनी चाहिए या दूसरे शब्दों में यह ऐसे उद्देश्य का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।लेकिन फिर से सवाल यह है कि हम इन मौखिक लेबल या सूत्रों से क्या समझते हैं; यह वास्तव में क्या है कि उनका क्या अर्थ है?अब निर्माण की इस समस्या को देखने के दो संभावित तरीके हैं।एक व्याख्या यह है कि परिभाषा के अनुसार जो आवश्यक है वह यह है कि उद्देश्य ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि इसमें लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को इस अर्थ में करना शामिल हो कि इसे लाभ के लिए किसी गतिविधि को किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है।इस दृष्टिकोण पर, यदि न्यास या संस्था को लाभ के लिए किसी गतिविधि में संलग्न किए बिना उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उद्देश्य में लाभ के लिए किसी गतिविधि को जारी रखना शामिल है।

जी. **********16. दूसरी व्याख्या यह देखने के लिए है कि क्या न्यास या संस्था के उद्देश्य में वास्तव में लाभ के लिए किसी गतिविधि को जारी रखना शामिल है या दूसरे शब्दों में, क्या लाभ के लिए कोई गतिविधि शामिल है।

---

16 इस निर्णय को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स बनाम कमिश्नर ऑफ कॉमर्स में उलट दिया गया था।
एच. आय कर (1976) 1 एस. सी. सी. 324 ए

लाभ वास्तव में उद्देश्य के एक अभिन्न अंग के रूप में या चंद्रचूड़, जे के शब्दों का उपयोग करने के लिए किया जाता है, जैसा कि वे उस समय धर्मोदयम मामले [(1977) 4 एससीसी 75] में थे, "उद्देश्य की प्रगति के मामले के रूप में"।लाभ के लिए एक गतिविधि होनी चाहिए और यह न्यास या संस्था के उद्देश्य को पूरा करने में शामिल होनी चाहिए या इसे अलग तरीके से रखने के लिए, इसे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए या न्यास या संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के क्रम में किया जाना चाहिए।यह तब है जब अपवर्जन खंड का निषेध आकर्षित किया जाएगा।यह हमें एक अधिक प्रशंसनीय रचना प्रतीत होती है जो विधायिका द्वारा जोड़े गए अंतिम समापन शब्दों को अर्थ और प्रभाव देती है और हम इसे स्वीकार करना पसंद करते हैं।बेशक, एक योग्यता है जिसका यहां उल्लेख किया जाना चाहिए और यह है कि यदि किसी न्यास या संस्थान के संविधान में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि उद्देश्य को एक ऐसी गतिविधि में शामिल करके पूरा किया जाएगा जिसका एक प्रमुख लाभ उद्देश्य है, उदाहरण के लिए, जहां उद्देश्य विशेष रूप से लाभ कमाने की दृष्टि से वाणिज्यिक आधार पर क्रिकेट मैचों का आयोजन करके खेलों को बढ़ावा देना कहा गया है, तो विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि इसके उद्देश्य में, लाभ के लिए एक गतिविधि को जारी रखना शामिल होगा और यह गैर-धर्मार्थ होगा, भले ही वास्तव में लाभ के लिए कोई गतिविधि नहीं की जाती है या दिए गए उदाहरण में, कोई क्रिकेट मैच आयोजित नहीं किए जाते हैं।

17. अगला सवाल जो उठता है वह यह है कि "लाभ के लिए गतिविधि" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है।प्रत्येक न्यास या संस्था का एक उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए यह साबित किया गया है और इसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक उद्देश्य में एक गतिविधि को आगे बढ़ाना शामिल होना चाहिए।हालाँकि, बहिष्करण खंड को आकर्षित करने के लिए गतिविधि लाभ के लिए होनी चाहिए और इसलिए सवाल यह है कि किसी गतिविधि को लाभ के लिए कब कहा जा सकता है?सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से "के लिए" उपसर्ग के सही अर्थ पर निर्भर करता है।इस उपसर्ग में अर्थ के कई रंग होते हैं लेकिन जब एक क्रिया के सक्रिय प्रतिभागी के साथ उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ "उद्देश्य के लिए" होता है और अंत को उस संदर्भ के साथ संदर्भित करता है जिसके लिए कुछ किया जाता है।इसलिए यह पर्याप्त नहीं है कि वास्तव में एक गतिविधि के परिणामस्वरूप लाभ होता है, लेकिन इसे लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जारी रखा जाना चाहिए।मुनाफा कमाना ही अंत होना चाहिए

जी.

एच.

> जिसे गतिविधि निर्देशित की जानी चाहिए या दूसरे शब्दों में, गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। जहाँ कोई गतिविधि लाभ के उद्देश्य से नहीं होती है, बल्कि मुख्य रूप से धर्मार्थ उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, वहाँ इसे लाभ के लिए एक गतिविधि के रूप में वर्णित करना सही नहीं होगा।लेकिन जहां, दूसरी ओर, लाभ अर्जित करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ कोई गतिविधि की जाती है, तो यह लाभ के लिए एक गतिविधि होगी, हालांकि इसे न्यास या संस्था के धर्मार्थ उद्देश्य की प्रगति में किया जा सकता है।जहां कोई गतिविधि धर्मार्थ उद्देश्य की प्रगति के मामले में या धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, तो सादे अंग्रेजी व्याकरण के मामले के रूप में यह कहना गलत नहीं होगा कि धर्मार्थ उद्देश्य में ऐसी गतिविधि को जारी रखना शामिल है, लेकिन ऐसी गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करना और लाभ अर्जित करना नहीं होना चाहिए।धर्मार्थ उद्देश्य को लाभ कमाने के उद्देश्य से डूबा नहीं जाना चाहिए; बाद वाले को पहले वाले की आड़ में नहीं होना चाहिए।"

17. अदालत ने धर्म दीप्ति बनाम सी. आई. टी. 17 में न्यायाधीश पाठक के फैसले के साथ-साथ तत्कालीन वित्त मंत्री के भाषण पर ध्यान दिया और आगे कहाः

> "17. ….यह स्पष्ट है कि बहिष्करण खंड को ट्रिब्यून मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर काबू पाने की दृष्टि से जोड़ा गया था [ए. आई. आर. 1939 पी. सी. 208:री द ट्रस्टीज़ ऑफ़ द ट्रिब्यून, (1939) 7 आई. टी. आर. 415] में जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि समाचार पत्र के प्रकाशन द्वारा समुदाय को शिक्षित जनमत के एक अंग की आपूर्ति करने का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य था और इसलिए चरित्र में धर्मार्थ था, भले ही समाचार पत्र के प्रकाशन की गतिविधि लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक आधार पर की जाती थी।समाचार पत्र का प्रकाशन न्यास द्वारा अपने धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से की जाने वाली एक गतिविधि थी और तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से एक ऐसी गतिविधि थी जिसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना था, लेकिन फिर भी न्यायिक समिति द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि पूरा किया गया उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य था, इसलिए यह एक धर्मार्थ उद्देश्य था।वित्त मंत्री के भाषण से यह स्पष्ट है

जी.

---

एच. 17 (1978) 3 एससीसी 499 ए

कि इस निर्णय को शून्य करने की दृष्टि से बहिष्करण खंड को "धर्मार्थ उद्देश्य" की परिभाषा में जोड़ा गया था।इसलिए, अब जो परीक्षा लागू की जानी है, वह यह है कि क्या सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को पूरा करने में शामिल गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करना है या लाभ अर्जित करना है।जहां लाभ कमाना गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य है, वहां उद्देश्य, हालांकि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य है, एक धर्मार्थ उद्देश्य नहीं रहेगा।लेकिन जहां गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करना है और लाभ अर्जित करना नहीं है, तो यह एक धर्मार्थ उद्देश्य के अपने चरित्र को केवल इसलिए नहीं खोएगा क्योंकि गतिविधि से कुछ लाभ होता है।अपवर्जन खंड में यह आवश्यकता नहीं है कि गतिविधि को इस तरह से चलाया जाना चाहिए कि इससे कोई लाभ न हो।वास्तव में किसी न्यास या संस्था के प्रभारी व्यक्तियों के लिए इस तरह की गतिविधि को जारी रखना मुश्किल होगा कि खर्च आय को संतुलित करे और कोई परिणामी लाभ न हो।

18. अदालत ने अपने पिछले अंशों से उद्धृत करने के लिए आगे बढ़े
लोक शिक्षा न्यास और भारतीय वाणिज्य मंडल में निर्णय
(ऊपर दिया गया है) इस प्रभाव से कि यदि किसी न्यास की गतिविधि में व्यवसाय करना शामिल है और लाभ कमाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो न्यायालय (इसके विपरीत कुछ नहीं होने पर) यह मान सकता है कि न्यास का उद्देश्य लाभ के लिए किसी गतिविधि को जारी रखना है।संविधान पीठ ने पिछले दोनों निर्णयों में दृष्टिकोण से असहमति जताई और कहाः

“19. … अब हम पूरी तरह से उन विद्वान न्यायाधीशों से सहमत हैं जिन्होंने इन दो मामलों का फैसला किया कि धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करने में शामिल गतिविधि लाभ के उद्देश्य से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे उन्नति या धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए।लेकिन हमें उनके सिद्धांत को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि जब भी कोई ऐसी गतिविधि की जाती है जिससे लाभ होता है, तो इसके विपरीत कुछ संकेतों के अभाव में यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक है कि गतिविधि लाभ के लिए है और धर्मार्थ उद्देश्य में लाभ के लिए किसी गतिविधि को जारी रखना शामिल है। हम नहीं सोचते कि न्यायालय का ऐसा कोई निष्कर्ष निकालना केवल इसलिए उचित होगा क्योंकि गतिविधि के परिणामस्वरूप लाभ होता है।इसमें है।

हमारी राय बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि न्यास या संस्था के गठन में एक प्रावधान होना चाहिए कि गतिविधि बिना किसी लाभ के, न ही नुकसान के आधार पर की जाएगी या लाभ को प्रतिबंधित किया जाएगा।भले ही ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान न हो, धर्मार्थ उद्देश्य की प्रकृति, धर्मार्थ उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए गतिविधि जिस तरह से की जा रही है और आसपास की परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से इंगित कर सकती हैं कि गतिविधि एक प्रमुख लाभ उद्देश्य से प्रेरित नहीं है।जिस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है वह यह है कि क्या मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना या धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करना है।यदि यह पहला है, तो उद्देश्य एक धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन यदि यह दूसरा है, तो उद्देश्य का धर्मार्थ चरित्र नष्ट नहीं होगा।

20. यदि हम इस परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि विदेशी धागे के आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की गतिविधि और स्वदेशी धागे की खरीद के लिए कोटा, जो निर्धारिती द्वारा किया गया था, लाभ के लिए एक गतिविधि नहीं थी।इस गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य कला रेशम धागे, कच्चे रेशम, सूती धागे, कला रेशम कपड़े, रेशम कपड़े और सूती कपड़े में वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देना था, जो स्पष्ट रूप से आम जनता की उपयोगिता का एक उद्देश्य था और लाभ केवल एक उप-उत्पाद था जिसके परिणामस्वरूप संयोग से धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करने की प्रक्रिया में परिणाम आया।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निर्धारिती कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक कंपनी थी और इसके संघ के ज्ञापन के तहत, निर्धारिती द्वारा की गई किसी भी गतिविधि से उत्पन्न होने वाला लाभ पूरी तरह से और विशेष रूप से विभिन्न वस्तुओं में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा सकता था, जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है और इस तरह के लाभ का कोई भी हिस्सा सदस्यों के बीच किसी भी रूप में या किसी भी आड़ में वितरित नहीं किया जा सकता था। निर्धारिती के लाभ का उपयोग केवल इस धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा सकता है और निर्धारिती की गतिविधि का प्रमुख और वास्तविक उद्देश्य धर्मार्थ उद्देश्य की प्रगति है, केवल यह तथ्य कि गतिविधि से प्राप्त लाभ ने निर्धारिती के धर्मार्थ चरित्र को नहीं बदला।हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण का यह विचार सही था कि जिस उद्देश्य के लिए निर्धारिती की साबित गई थी, वह ए था।

जी.

एच.

> धारा 2 खंड (15) के अर्थ के भीतर धर्मार्थ उद्देश्य और निर्धारिती की आय को धारा 11 के तहत कर से छूट दी गई थी। अतः, इनमें से प्रत्येक संदर्भ में हमें निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध दिया जाना चाहिए।"

19. हालाँकि, सूरत आर्ट सिल्क में एक विसंगत टिप्पणी थी-ए. पी. सेन, जे. बहुमत से असहमत थे, और एक असहमत राय दी। यह बताते हुए कि कैसे पुराने आई. टी. अधिनियम के तहत कोई प्रतिबंधात्मक शब्द या शर्तें नहीं थीं, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि दृष्टिकोण लोक में इंगित किया गया है।

शिक्षा ट्रस्ट और इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स सही थे।वह.
यह महसूस किया गया कि न्यायालय के पिछले निर्णय प्रासंगिक नहीं थे, और यदि किसी न्यास की गतिविधियों में लाभ या व्यवसाय के लिए कोई गतिविधि शामिल थी, तो संगठन धर्मार्थ होना बंद हो गया, और इस तरह की आय का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया था, प्रासंगिक नहीं थे।उन्होंने यह भी नोट किया कि "एक पठन

धारा 2 (15) और धारा 11 एक साथ यह दर्शाती है कि जिसे अस्वीकार किया जाता है वह सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को पूरा करने के क्रम में आगे बढ़ाने के लिए साबित एक दान द्वारा लाभ के लिए एक गतिविधि है।

उनकी वस्तुएँ।" उसी फैसले में यह भी कहा गया था किः

> "यदि न्यास का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी उद्देश्य को आगे बढ़ाना है और यह लाभ के लिए कोई गतिविधि करता है, तो इसे धारा 2 (15) में परिभाषित धर्मार्थ उद्देश्य के दायरे से बाहर रखा गया है।कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा अंतःस्थापित धारा 13 (1) (बी. बी.) में निहित प्रावधान से यह अंतर स्पष्ट रूप से सामने आया है।"

डी. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 (वित्त अधिनियम, 1983 और 1991) में लाए गए प्रासंगिक परिवर्तन

20. यह ध्यान देने योग्य है कि सूरत आर्ट सिल्क में निर्णय 19.11.1979 पर दिया गया था।आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) में "लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को जारी नहीं रखना" अभिव्यक्ति को वित्त अधिनियम, 1983, डब्ल्यू. ई. एफ. द्वारा हटा दिया गया था।इससे पहले, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1977 निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक शर्त को धारा 13 (1) 19 में खंड (बी. बी.) के रूप में जोड़ा गया थाः

जी.

> "(ख) गरीबों की राहत के लिए किसी धर्मार्थ न्यास या संस्था के मामले में, शिक्षा या चिकित्सा राहत, जो कोई व्यवसाय करती है, ऐसे व्यवसाय से प्राप्त कोई भी आय,

---

18 कराधान विधि संशोधन अधिनियम, 1975 के माध्यम से 19 धारा 13-धारा 11 कुछ मामलों में लागू नहीं होगी।

एच.

जब तक कि व्यवसाय ट्रस्ट या संस्था के प्राथमिक उद्देश्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान नहीं किया जाता है "

इस प्रावधान का प्रभाव धारा 11 के संचालन को हटाने या हटाने का था (जो धर्मार्थ संस्थानों की कुछ प्राप्तियों को उनकी आय का हिस्सा नहीं मानता था)।खंड (बीबी) में प्रतिबंधात्मक शर्त को वित्त अधिनियम, 1983, डब्ल्यू. ई. एफ. द्वारा भी हटा दिया गया था।21. धारा 11 (4) 20 (जैसा कि यह मूल रूप से आई. टी. अधिनियम, 1961 में था) के तहत, धारा 11 (4ए) 21 को वित्त अधिनियम, 1983, डब्ल्यू. ई. एफ. द्वारा जोड़ा गया था।इसके बाद, धारा 11 (4ए) को संशोधित किया गया और निम्नलिखित प्रावधान डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1992 (और अभी भी लागू है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गयाः

"(4क) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (3क) किसी न्यास या संस्था की किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो व्यवसाय के लाभ और लाभ हैं, जब तक कि व्यवसाय न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक न हो या, यथास्थिति, संस्था न हो और ऐसे न्यास या संस्था द्वारा ऐसे व्यवसाय के संबंध में अलग-अलग लेखा बहियां रखी जाती हैं।"

---

20 मूल रूप से अधिनियमित धारा 11 (4) इस प्रकार हैः
" इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'न्यास के तहत धारित संपत्ति' में इस प्रकार से धारित एक व्यावसायिक उपक्रम शामिल है, और जहां यह दावा किया जाता है कि ऐसे किसी उपक्रम की आय उसकी प्राप्ति में व्यक्तियों की कुल आय में शामिल नहीं होगी, तो आयकर अधिकारी को निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे उपक्रम की आय निर्धारित करने की शक्ति होगी; और जहां इस प्रकार निर्धारित कोई आय उपक्रम के खातों में दिखाई गई आय से अधिक है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए लागू माना जाएगा।"

21 इससे पहले, वित्त अधिनियम, 1983, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1984 द्वारा उप-धारा (4ए) जोड़ी गई थी और इसे निम्नानुसार पढ़ा गया थाः

"(4क) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (3क) किसी न्यास या संस्था की किसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो व्यवसाय का लाभ और लाभ है, जब तक कि

(क) व्यवसाय पूरी तरह से सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक न्यास द्वारा किया जाता है और व्यवसाय में पुस्तकों का मुद्रण और प्रकाशन शामिल है या आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक प्रकार का है; (ख) व्यवसाय पूरी तरह से धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक संस्था द्वारा किया जाता है और व्यवसाय के संबंध में काम मुख्य रूप से संस्थान के लाभार्थियों द्वारा किया जाता है;

जी.

और ऐसे व्यवसाय के संबंध में न्यास या संस्था द्वारा अलग-अलग लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है।

एच.

ई. थांथी ट्रस्ट में निर्णय ए.

22. इस अदालत ने व्यापक रूप से इन प्रावधानों की व्याख्या की क्योंकि वे अलग-अलग समय अवधि में मौजूद थे, सहायक आयकर आयुक्त बनाम थांथी ट्रस्ट 22 में जहां इस अदालत को यह तय करना था कि क्या निर्धारिती ट्रस्ट, एक समाचार पत्र की स्थापना के लिए बनाया गया था।

तमिल पढ़ने वाली जनता के लिए शिक्षित जनमत का प्रचार करना और समाचारों का प्रसार करना और जनता के सभी मामलों पर राय व्यक्त करना।
इसके माध्यम से ब्याज।" कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।1957 में, सेटलर ने एक पूरक विलेख निष्पादित किया जिससे ट्रस्ट को अपरिवर्तनीय बना दिया गया।आई. डी. 1 पर एक अन्य पूरक विलेख निष्पादित किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि न्यास की अधिशेष आय (सभी खर्चों को चुकाने के बाद), पत्रकारिता के शिक्षण के लिए एक स्कूल या कॉलेज की स्थापना और संचालन जैसे उद्देश्यों के लिए समर्पित होनी चाहिए; कला और विज्ञान पढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और/या संचालन या सहायता करना; पत्रकारिता, कला और विज्ञान के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना; छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित करना और/या चलाना या चलाने में मदद करना; अनाथालय स्थापित करना और/या चलाना या चलाने में मदद करना; और अन्य शैक्षिक उद्देश्य।उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा छूट का दावा किया जा सकता है।राजस्व ने अपील की।इस अदालत ने देखा कि अपीलों में तीन अलग-अलग अवधि शामिल हैं-(i) 1979-80 से 1983-84, (ii) 1984-85 से 1991-92, और (ii) 1992-93 से 1996-97।इस अदालत ने माना कि पहली अवधि (1979-80 से 1983-84) के लिए, एक समाचार पत्र चलाने की गतिविधि और ट्रस्ट द्वारा इसके लिए रखे गए कोष का प्रत्यक्ष रूप से पूरक विलेखों में उल्लिखित शैक्षिक गतिविधियों को जारी रखने में परिणाम नहीं निकला।आय को केवल ऐसी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए पाया गया, जो ट्रस्ट के शिक्षा और गरीबों की राहत के उद्देश्यों की वास्तविक उपलब्धि के दौरान जारी रखने के समान नहीं था, और इस प्रकार छूट का हकदार नहीं था।अगली अवधि के लिए (1984-85 से 1991-92), यह देखते हुए कि धारा 11 (4) अस्तित्व में बनी रही [धारा 11 (4ए) को अंतःस्थापित किए जाने के बावजूद (जैसा कि मूल रूप से डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1984 अधिनियमित किया गया था)], "न्यास के तहत रखी गई संपत्ति" अभिव्यक्ति से संबंधित है, और यह अभिनिर्धारित किया किः

"23. .....अधिनियम में न्यासों और संस्थानों के बारे में अलग से चर्चा की गई है (उदाहरण के लिए, धारा 11 और धारा 12,12ए और 13)।अभिव्यक्तियाँ अलग-अलग रूप से गठित संस्थाओं को संदर्भित करती हैं।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यास द्वारा चलाया जाने वाला समाचार पत्र व्यवसाय उप-धारा (4ए) के अंतर्गत नहीं आता है।ट्रस्ट केवल सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं है, इसलिए यह

22 (2001) 2 एससीसी 707; (2001) 1 एससीआर 727।

खंड (ए) के अंतर्गत नहीं आता है।यह एक न्यास है न कि एक संस्था, इसलिए यह खंड (बी) के अंतर्गत नहीं आता है। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन निर्धारण वर्षों के लिए न्यास अपने समाचार पत्र की आय के संबंध में धारा 11 में निहित छूट का हकदार नहीं था।"

23. तीसरी अवधि (1992-93 से 1996-97) के लिए, अदालत ने धारा 11 (4ए) (संशोधित और प्रतिस्थापित डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1992) के अर्थ और प्रभाव पर विचार किया और कहा कि निर्धारिती न्यास को दान के रूप में माने जाने का अधिकार है:

"25. प्रतिस्थापित उप-धारा (4ए) में कहा गया है कि न्यास के तहत पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आयोजित व्यवसाय से प्राप्त आय को न्यास या संस्था के पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा यदि "व्यवसाय न्यास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आकस्मिक है या, जैसा भी मामला हो, संस्था" और ऐसे व्यवसाय के संबंध में अलग-अलग लेखा बहियां रखी जाती हैं।स्पष्ट रूप से, उप-धारा (4ए) का दायरा किसी न्यास या संस्था के लिए मूल रूप से अधिनियमित उप-धारा (4ए) के दायरे की तुलना में अधिक फायदेमंद है।वास्तव में, हमें ऐसा लगता है कि प्रतिस्थापित उप-धारा (4ए) न्यास या संस्था को धारा 13 (1) (बीबी) द्वारा दिए गए लाभ से अधिक लाभ देती है।यदि संसद का उद्देश्य न्यासों और संस्थानों को धारा 13 (1) (बीबी) द्वारा दिए गए लाभ से अधिक लाभ नहीं देना था, तो धारा 13 (1) (बीबी) की भाषा को प्रतिस्थापित उप-धारा (4ए) में नियोजित किया जाता।जैसा कि यह है, किसी न्यास या संस्थान की व्यावसायिक आय को छूट देने के लिए बस इतना ही आवश्यक है कि व्यवसाय न्यास या संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक होना चाहिए।एक व्यवसाय जिसकी आय का उपयोग न्यास या संस्था द्वारा न्यास या संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, निश्चित रूप से एक ऐसा व्यवसाय है जो न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक है।किसी भी स्थिति में, यदि नियोजित भाषा में कोई अस्पष्टता है, तो प्रावधान का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए जिससे निर्धारिती को लाभ हो।इसलिए न्यास निर्धारण वर्ष 1992-93 और उसके बाद के लिए धारा 11 के लाभ का हकदार है।हमें यह जोड़ना चाहिए कि यह विवाद में नहीं है कि इसके समाचार पत्र व्यवसाय की आय को शिक्षा और राहत के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया गया है।

जी.

एच.

गरीबों के लिए और यह कि उसने अपने संबंध में अलग-अलग लेखा पुस्तकें बनाए रखी हैं।"

(बल दिया गया)

एफ. कुछ छूटों को हटानाः धारा 10 (20ए) और धारा 10 (23)

24. धारा 10 (20ए) को वित्त अधिनियम, 1970, डब्ल्यू. ई. एफ. द्वारा जोड़ा गया था। इसने आवास बोर्डों आदि द्वारा अर्जित आय के कुछ वर्गों को छूट दी, और हटाने से पहले निम्नानुसार पढ़ा गयाः

"(20क) आवास की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से या शहरों, कस्बों और गांवों की योजना, विकास या सुधार के उद्देश्य से या दोनों के लिए अधिनियमित किसी कानून द्वारा या उसके तहत भारत में गठित प्राधिकरण की कोई आय;

25. इसी तरह, धारा 10 (23) 23 मौजूद थी और विशिष्ट शर्तों के अधीन खेल नियंत्रण बोर्डों और संघों द्वारा अर्जित आय को छूट प्रदान करती थी।धारा 10 (23) को हटाने से पहले निम्नानुसार पढ़ा गया थाः

"(23) भारत में साबित किसी संघ या संस्थान की कोई आय जिसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया जा सकता है कि संघ या संस्थान का उद्देश्य भारत में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या ऐसे अन्य खेलों या खेलों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन है जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करेः"

26. धारा 10 (20ए) और 10 (23) को वित्त अधिनियम, 2002, डब्ल्यू. ई. एफ. द्वारा हटा दिया गया था।हालांकि ये दोनों प्रावधान प्राथमिक प्रश्न (यानी कि धारा 2 (15) के तहत धर्मार्थ उद्देश्य क्या है) को तय करने के लिए सीधे प्रासंगिक नहीं हैं, फिर भी वर्तमान मामले में उनका महत्वपूर्ण प्रभाव है।ऐसा इसलिए है क्योंकि उन परिस्थितियों को देखते हुए कि प्रावधानों को हटा दिया गया था, आवास बोर्डों और निकायों के साथ-साथ खेल संघ, जो पहले छूट का दावा कर रहे थे

जी.

---

23 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा संशोधित डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1989 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, डब्ल्यू. ई. एफ. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, डब्ल्यू. ई. एफ. द्वारा प्रतिस्थापित। और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991, w.r.e.f द्वारा संशोधित किया गया। 01.04.1990; वित्त अधिनियम, 1992, w.r.e.f। 01.04.1990 W. E. F. 01.04.1992; और वित्त अधिनियम, 2000, डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-2001।

इन प्रावधानों के तहत उनकी आय, अब यह दावा करने की मांग करती है कि वे दान थे।

जी. वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा धारा 2 (15) में संशोधन (2008 से) 01.04.2009)

27. धारा 2 (15)-जिसे पिछली बार 1983-24 में संशोधित किया गया था, को वित्त अधिनियम, 2008, डब्ल्यू. ई. एफ. द्वारा फिर से संशोधित किया गया था।वित्त अधिनियम, 2009 और वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा इसी तारीख से कुछ अन्य संशोधन भी किए गए।उक्त संशोधनों के साथ, 01.04.2009 के अनुसार, प्रावधान इस प्रकार हैः

> (15) "धर्मार्थ उद्देश्य "में गरीबों की राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत, [पर्यावरण का संरक्षण (वाटरशेड, वन और वन्यजीव सहित) और कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति शामिल हैः
>
> बशर्ते कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति एक धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगा, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में कोई गतिविधि या किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि शामिल है, तो उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए, ऐसी गतिविधि से आय के उपयोग या आवेदन या प्रतिधारण की प्रकृति पर ध्यान दिए बिनाः]" [बशर्ते कि पहला परंतुक तब लागू नहीं होगा जब उसमें निर्दिष्ट गतिविधियों से प्राप्तियों का कुल मूल्य पिछले वर्ष में [दस लाख रुपये] या उससे कम हो;]

दूसरे परंतुक में, दस लाख के संदर्भ को प्रतिस्थापित किया गया था, और पँचिश लाख रुपये का आंकड़ा, वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया था। 01.04.2012)।वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा (2015 से) 01.04.2016), धारा 2 (15) के पहले दो प्रावधानों को हटा दिया गया था, और इसके बजाय, निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा गया थाः

जी. "बशर्ते कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति एक धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगा, यदि इसमें शामिल है

24 "लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को जारी रखना शामिल नहीं" अभिव्यक्ति को हटाना।
और परिणामी धारा 2 (15) निम्नानुसार हैः
""धर्मार्थ उद्देश्य "में गरीबों की राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी अन्य उद्देश्य की उन्नति शामिल है।"

एच.

व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की कोई गतिविधि या किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि, उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए, ऐसी गतिविधि से आय के उपयोग या आवेदन या प्रतिधारण की प्रकृति की परवाह किए बिना, जब तक कि -

((i) ऐसी गतिविधि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति को वास्तविक रूप से पूरा करने के क्रम में की जाती है; और

(ii) पिछले वर्ष के दौरान ऐसी गतिविधि या गतिविधियों से कुल प्राप्तियां, उस पिछले वर्ष की ऐसी गतिविधि या गतिविधियों को करने वाले न्यास या संस्थान की कुल प्राप्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, उसी संशोधन ने मूल प्रावधान में धर्मार्थ गतिविधि की एक सूचीबद्ध श्रेणी के रूप में "योग" ("शिक्षा" के बाद) को भी शामिल किया।

II. पक्षों की दलीलें

A. राजस्व की ओर से तर्क

28. धारा 2 (15) की उत्पत्ति का पता लगाने वाले विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री एन. वेंकटरमन (इसके बाद "ए. एस. जी".) ने तर्क दिया कि पुराने आई. टी. अधिनियम में दान द्वारा व्यापार या व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली कोई प्रतिबंधात्मक अभिव्यक्तियाँ नहीं हैं।उन्होंने तर्क दिया कि इन रे में निर्णयःन्यासी

ट्रिब्यून, आंध्र चैंबर ऑफ कॉमर्स और में निर्णय
कृष्ण वारियर (ऊपर) पुराने अधिनियम की धारा 4 (3) के आलोक में थे; इसलिए, इस अदालत के फैसलों का प्रासंगिक ढांचा पूरी तरह से अलग था।परिणामस्वरूप उन निर्णयों ने सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने के लिए साबित धर्मार्थ संस्थानों द्वारा व्यवसाय के समान गतिविधियों को करने से इनकार नहीं किया।

29. इसके बाद ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि कानून को बदलने में संसद का इरादा कर छूट लाभ को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करना था यदि संस्था व्यापार या व्यवसाय करने में "शामिल" थी।राजस्व पर निर्भर

जी.

लोक शिक्षा ट्रस्ट और इंडियन चैंबर ऑफ एजुकेशन में दो निर्णय
वाणिज्य (ऊपर), इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि परिवर्तन का महत्व-आईटी अधिनियम की धारा 2 (15) द्वारा लाया गया-देखा गया।लोक शिक्षण में जे. बेग की टिप्पणियों पर विशेष निर्भरता रखी गई थी।

ट्रस्ट और इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुच्छेदों में आग्रह किया गया है कि

एच.

लाभ के लिए गतिविधियों को चलाने में किसी संस्था की भागीदारी, भले ही धर्मार्थ उद्देश्य या उद्देश्य की उन्नति के लिए, उसे कर छूट से वंचित कर दिया गया हो।विद्वान ए. एस. जी. ने आग्रह किया कि इस अदालत ने अपने पहले के फैसलों से मान्यता दी थी कि व्यापार या वाणिज्य गतिविधियों को करने से प्रतिबंध केवल दान पर लागू होता है जिसका उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाना है न कि शिक्षा, चिकित्सा राहत या गरीबों को राहत (जो स्वयं छूट प्राप्त हैं) जैसी अन्य श्रेणियों पर।

30. ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और लोक शिक्षा ट्रस्ट (उपरोक्त) में निर्णय जी. पी. यू. श्रेणी की व्यापकता के प्रति सचेत थे जिसके कारण संसद ने

प्रतिबंधात्मक शब्द "जिसमें किसी भी गतिविधि को आगे बढ़ाना शामिल नहीं है
लाभ "।यह तर्क दिया गया कि संसद ने धर्मार्थ उद्देश्यों से संचालित होने का दावा करने वाले व्यवसायों द्वारा कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के कारण परिभाषा में संशोधन किया।अक्सर, दान केवल कर से छूट प्राप्त करने के लिए बनाए जाते थे, और लाभ का आनंद लेते हुए बड़ी वाणिज्यिक गतिविधियों को जारी रखते थे।इसने संसद को बहिष्कृत शर्तों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया, छूट से वंचित कर दिया यदि संस्थान अन्यथा जी. पी. यू. श्रेणी दान के तहत आता है, लेकिन लाभ के लिए गतिविधियाँ करता है।ए. एस. जी. ने आई. टी. अधिनियम के लागू होने के समय सदन में वित्त मंत्री के भाषण पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि यह प्रतिबंधात्मक शर्त के लिए तर्क को रेखांकित करता है कि वाणिज्यिक आधार पर चलने वाली इकाइयां यह दावा कर सकती हैं कि कुछ सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को बढ़ावा दिया गया था और छूट का दावा कर सकती हैं।संसद की प्रवर समिति (उस समय) ने महसूस किया कि परिभाषा के दुरुपयोग को रोकने के लिए

ऐसे मामलों में, शब्द "किसी भी गतिविधि को जारी रखने से संबंधित नहीं"
लाभ के लिए "को परिभाषा में जोड़ा जाना चाहिए।ए. एस. जी. ने लोक शिक्षा न्यास (उपरोक्त) पर भरोसा किया जिसने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह कथन नए प्रावधान पर प्रकाश डालता है।

31. यह प्रस्तुत किया गया था कि भारतीय वाणिज्य मंडल (ऊपर)
इस विधायी इतिहास को मान्यता दी, और यह भी माना कि प्रावधान की व्याख्या परिवर्तित कानून के उद्देश्य की प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए।अदालत इस बात से भी अवगत थी कि ऐसे सीमावर्ती मामले थे जो यह तय करने में कठिनाई पैदा करते थे कि क्या लाभ अर्जित करने वाला उपक्रम एक "भ्रामक" उपकरण है या इसके परिणामस्वरूप एक वास्तविक उद्यम है।

जी.
“नाममात्र अधिशेष में हालांकि काफी हद तक केवल आगे बढ़ने का इरादा है
धर्मार्थ उद्देश्य "।अदालत ने यह भी माना कि प्रतिबंधात्मक शर्त
यह एक "कला का शब्द था और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुओं को शामिल करता है"।
फिर भी, धर्मार्थ उद्देश्यों की आड़ में, लाभ छिपाने वाले संगठन उभरे।मुखौटा धर्मार्थ था, लेकिन "दिल ए के लिए भूख था"

एच.

कर मुक्त लाभ "।राजस्व ने निम्नलिखित तर्क पर प्रकाश डाला
इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ऊपर) में इस अदालत का फैसलाः“नई परिभाषा के अनुसार कुल आय से बहिष्करण का लाभ छीन लिया जाता है जहां एक धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करने में संस्था लाभ के लिए गतिविधियों में खुद को संलग्न करती है।कलकत्ता के निर्णय उद्देश्य की प्रगति के साथ लाभ के लिए गतिविधियों को जोड़ने में सही हैं।यदि आप कराधान से छूट चाहते हैं, तो धर्मार्थ उद्देश्यों को पूरा करने के आपके साधन लाभ कमाने वाले उद्यमों से मुक्त होने चाहिए।”

32. तब यह आग्रह किया गया कि सूरत आर्ट सिल्क (उपरोक्त) में निर्णय से पहले दो विधायी विकास हुए, जिसने राजस्व के दृष्टिकोण को मजबूत किया कि दान व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न नहीं हो सकते हैं।पहला संशोधन था, जो 1975 में आई. टी. अधिनियम में किया गया था। 01.04.1976), जिसने धारा 10 (23सी) को लागू किया और अन्य बातों के साथ-साथ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए साबित किसी भी निधि या संस्थान द्वारा प्राप्त आय को बाहर करने का प्रभाव पड़ा।उक्त प्रावधान, प्रासंगिक सीमा तक, निम्नानुसार निकाला गया हैः

> “10. किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना करने में, निम्नलिखित खंडों में से किसी के भीतर आने वाली कोई भी आय शामिल नहीं होगी -
>
> ******* ********
>
> “(23ग) (i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष; या * * * * * * * की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई आय।
>
> ***** *****
>
> ((iv) धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए साबित कोई अन्य निधि या संस्था।

दूसरा संशोधन धारा 13 (1) (बीबी) (डब्ल्यू. ई. एफ.) की शुरूआत थी। 01.04.1977) जो धर्मार्थ संस्थानों द्वारा व्यवसाय के संचालन पर शर्तें लगाता है।

जी.

33. यह आग्रह किया गया कि धारा 2 (15), धारा 10 (23सी) और धारा 13 (1) (बीबी) के संयुक्त संचालन का अर्थ है कि केवल दान
"गरीबों की राहत, शिक्षा या चिकित्सा" के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे
राहत, पाठ्यक्रम में "छूट का दावा कर सकते हैं यदि वे व्यवसाय करते हैं"
न्यास के प्राथमिक उद्देश्य को वास्तविक रूप से पूरा करना या

एच.

संस्था "।धारा 13 (1) (बी. बी.) में जी. पी. यू. श्रेणी के दानों के अध्ययन से छूट का मतलब था कि यदि ऐसे न्यास या संस्थान कोई व्यवसाय करते हैं, तो वे छूट के हकदार नहीं होंगे।34. एएसजी ने तब तर्क दिया कि सूरत आर्ट सिल्क (ऊपर) में निर्णय के महत्व की अनदेखी करने का अनपेक्षित परिणाम था

अभिव्यक्ति का जोड़ "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति जिसमें किसी भी गतिविधि को जारी रखना शामिल नहीं है।
लाभ के लिए "।संसद द्वारा उक्त शर्तों को जोड़ने का उद्देश्य दान (लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को करने में शामिल) को छूट का दावा करने से रोकना और यह सुनिश्चित करना था कि विशुद्ध रूप से धर्मार्थ गतिविधि-संचालित न्यास या संस्थान छूट का दावा कर सकें।यह प्रस्तुत किया गया कि संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए गलती की कि जब तक दान का 'प्रमुख' उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुओं को बढ़ावा देना है, वे छूट के हकदार हैं।

35. ए. एस. जी. ने आगे कहा कि यदि प्रावधान के इतिहास और आगे के संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है, तो किसी भी व्यवसाय या व्यापार वाली गतिविधियों को विचार के लिए अनुमति देने का सवाल नहीं उठ सकता है; हालाँकि, बाद के संशोधनों द्वारा, जी. पी. यू. श्रेणी के दान को व्यवसाय की प्रकृति, विचार के लिए, या व्यवसाय और वाणिज्य के संबंध में सेवा के लिए गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि

वास्तव में धर्मार्थ उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया, और उस आय को भी
ऐसी गतिविधियों से (अर्थात व्यवसाय, आदि)कुल प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

36. यह प्रस्तुत किया गया था कि सांविधिक निगम, अभिकरण, बोर्ड और अधिकारी विशिष्ट केंद्रीय या राज्य कानूनों से अपनी उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं।हालाँकि, यदि उनकी गतिविधियाँ व्यवसाय, या व्यापार के समान या "प्रकृति में" हैं, या वे व्यवसायों या व्यापार को विचार, शुल्क या उपकर के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं (क्योंकि वे कानून द्वारा ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं) तो उन्हें धारा 2 (15), विशेष रूप से परंतुक (ii) के तहत जनादेश और प्रतिबंधों को पूरा करना होगा।ए. एस. जी. ने नई दिल्ली में वृहद पीठ के फैसले का हवाला दिया

नगर परिषद बनाम पंजाब राज्य 25 (इसके बाद "एन. डी. एम. सी".)
कि राज्य इकाइयों को संघ के कराधान से छूट नहीं है, यदि वे व्यापार या व्यवसाय में संलग्न हैं।इसके अलावा यह प्रस्तुत
जी. किया गया कि धारा 2 (15) के परंतुक (i) का प्रभाव यह है कि किसी भी आकस्मिक गतिविधि का कोई सवाल नहीं हो सकता है और न ही व्यापार की आय को केवल इसलिए छूट दी जा सकती है क्योंकि उन्हें धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करने के लिए वापस जुताई जाती है।

---

25 (1997) 7 एस. सी. सी. 339 (इसके बाद एन. डी. एम. सी.)

एच.

B. निर्धारिती-संगठनों के तर्क ए.

37. श्री एस. एन. सोपारकर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (इसके बाद "ए. यू. डी. ए".) की ओर से पेश हुए। गुजरात औद्योगिक विकास निगम (इसके बाद जी. आई. डी. सी.) और गुजरात आवास बोर्ड (इसके बाद जी. एच. बी.)।अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तीनों निगमों की साबित गुजरात विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानूनों द्वारा या उनके तहत की गई थी; उन्हें आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (20) के तहत स्थानीय प्राधिकरण के रूप में माना जाता था, जैसा कि यह 2003 तक मौजूद था।इसके बाद उन्हें 2008 के संशोधन तक सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति में शामिल गतिविधियों में लगे धर्मार्थ संस्थानों के रूप में माना गया।विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ए. यू. डी. ए. को विशुद्ध रूप से विकास और पुनर्विकास के लिए बनाया गया था-साथ ही इसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सड़कों के संवर्धन और पुनर्विकास के बाद भूमि के आवंटन के लिए।ए. यू. डी. ए. 26 का गठन करने वाले अधिनियम के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसका अधिदेश विकास गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यों के निष्पादन और सीवेज के फैलाव, ऐसी अन्य सुविधाओं के प्रावधान और आम तौर पर उन क्षेत्रों में शहरी विकास में संलग्न होना है जिन पर इसका अधिकार क्षेत्र था।उन्होंने उस अधिनियम की धारा 40 पर प्रकाश डाला और आग्रह किया कि गतिविधियों की प्रकृति, विशेष रूप से ए. यू. डी. ए. द्वारा विकसित संपत्तियों के निपटान को पूरी तरह से विनियमित किया गया था।जबकि ए. यू. डी. ए. द्वारा विकसित संपत्तियों के शेर के हिस्से को आवास और निवास के लिए आवंटित किया जाना था, और विशेष रूप से सार्वजनिक सुविधाओं, सड़कों आदि के लिए निर्धारित किया जाना था, एक छोटा प्रतिशत (15 प्रतिशत) सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जा सकता था।यह प्रस्तुत किया गया था कि ए. यू. डी. ए. द्वारा अपनाया गया वैधानिक मॉडल इसे एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए था।आवंटन के माध्यम से और विशेष रूप से सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से भूखंडों का निपटान मुख्य साधन थे जिनके माध्यम से यह राजस्व उत्पन्न कर सकता था।इस प्रकार उत्पन्न संपूर्ण राजस्व या आय को धारा 91 के तहत एक निधि में रखा जाना था और धारा 95 के तहत राज्य के महालेखाकार द्वारा इसके खातों का अनिवार्य रूप से लेखा परीक्षा की जाती थी।

38. यह तर्क दिया गया कि ए. यू. डी. ए. की तरह, जी. आई. डी. सी. की स्थापना भी एक कानून 27, यानी जी. आई. डी. ए., 1962 के आधार पर गुजरात में औद्योगिक क्षेत्रों और संपदाओं की तेजी से और व्यवस्थित स्थापना और संगठन को सुरक्षित करने और सहायता करने के उद्देश्यों के साथ-साथ ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों और संपदाओं के लिए वाणिज्यिक केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी।ए. यू. डी. ए. की तरह, इसके खातों का लेखा-परीक्षण महालेखाकार द्वारा किया जाता था; लेखा-परीक्षित रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल (धारा 26 (4)) के समक्ष रखा जाना था और इसके द्वारा विकसित भूमि

---

26 गुजरात नगर योजना और शहरी विकास अधिनियम, 1976
27 गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम, 1962 ("जी. आई. डी. ए". के रूप में संदर्भित) एच.

जी. आई. डी. सी. के साथ केवल कानून के अनुसार ही व्यवहार किया जा सकता है, अर्थात, जी. आई. डी. ए. के तहत बनाए गए विनियम, इसके गठन अधिनियम, धारा 32 (2) के आगे।जहाँ तक जी. एच. बी. का संबंध है, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अन्य वैधानिक निगमों की तरह यह भी एक विशेष कानून 28 के आधार पर साबित किया गया था।इस बोर्ड के कार्य ए. यू. डी. ए. के समान थे और इसका अधिदेश आवास प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए निर्माण गतिविधियों को विनियमित और विकसित करना है।

39. विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि तीनों बोर्डों में से कोई भी कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं करता है; उनके कार्य मूल अधिनियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं जिनके तहत उन्हें बनाया गया था।इसके अलावा, इसके मामलों को इस तरह से आगे बढ़ाने पर कि यदि कोई अधिशेष उत्पन्न होता है, तो उनका उपयोग कानून के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यदि ए. यू. डी. ए., जी. आई. डी. सी. या जी. एच. बी. की गतिविधियों में अधिशेष उत्पन्न होता है, तो उन्हें राज्य सरकार को नहीं सौंपा जाएगा, जिसका पहले उन पर नियंत्रण था, बल्कि एक अलग निधि में रखा जाएगा जिसका उपयोग ऐसे प्रत्येक निगम द्वारा आगे के विकास, विस्तार और विकास गतिविधियों के लिए किया जाएगा।इन्हें किसी भी व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

40. यह प्रस्तुत किया गया था कि इन रे में निर्णयःके न्यासी
ट्रिब्यून; कृष्णा वारियर और लोक शिक्षा ट्रस्ट (ऊपर) सभी थे
व्यवसाय करने वाली संस्थाओं के संदर्भ में।इसके अलावा, पहले दो फैसलों में, उस समय जो कानून था, उसमें व्यापार या वाणिज्य गतिविधि को प्रतिबंधित करने वाला कोई प्रतिबंध नहीं था।विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि

भारतीय वाणिज्य मंडल (ऊपर) में निर्णय विशेष रूप से था
सूरत आर्ट सिल्क (ऊपर) में शासित।इसलिए, इसे विषय पर कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं माना जा सकता है।विद्वान अधिवक्ता ने सूरत आर्ट सिल्क (उपरोक्त) में टिप्पणियों पर प्रकाश डाला और प्रस्तुत किया कि जब तक इसमें शामिल गतिविधियाँ मुख्य रूप से धर्मार्थ हैं और सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति के लिए हैं, तब तक इसके उद्देश्यों को धर्मार्थ माना जाता है, भले ही यह आय उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ व्यवसाय या व्यापार जैसी गतिविधियों को चलाता हो।यह तर्क दिया गया था कि जो महत्वपूर्ण है, वह यह है कि क्या व्यवसाय या गतिविधि का मुख्य या प्रमुख उद्देश्य लाभ से प्रेरित है।ऐसे मामलों में, संस्था को यह दावा करने से रोक दिया जाता है कि वह एक दान है और कर छूट के लाभ का दावा नहीं कर सकती है।इसलिए, सूरत आर्ट सिल्क (उपरोक्त) के अनुपात से जो समझा जाना चाहिए वह यह है कि गतिविधि का मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य या
जी. प्रेरणा व्यापार या व्यवसाय को जारी रखना नहीं होना चाहिए।यह सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए।अगर

---

एच. 28 गुजरात आवास बोर्ड अधिनियम, 1961।

ऐसा उद्देश्य पूरा हो जाता है, कुछ ऐसी गतिविधि को जारी रखना जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष हो सकता है, इकाई को कर छूट के लाभ से वंचित नहीं करेगा।

41. विद्वान अधिवक्ता ने तब फैसले का एक संक्षिप्त संदर्भ दिया
सी. आई. टी., बॉम्बे बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र 29 में यह तर्क देते हुए कि सूरत
इस निर्णय में आर्ट सिल्क (ऊपर) का पालन किया गया था।उन्होंने थांथी ट्रस्ट (ऊपर) का भी हवाला दिया।अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वहां निर्धारिती का उद्देश्य धर्मार्थ था और यह आवश्यक था कि व्यवसाय धर्मार्थ उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।धारा 13 (1) (बी. बी.) की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो प्रासंगिक अवधि के लिए मौजूद थी, अदालत ने माना कि ट्रस्ट द्वारा प्राप्त आय एक व्यवसाय के माध्यम से थी और यह केवल दान को पोषित करती थी। इस संदर्भ में, न्यायालय ने पहले भाग के लिए कर लाभ का दावा करने की पात्रता के संबंध में न्यास के तर्क को खारिज कर दिया। अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से उक्त निर्णय के पैराग्राफ 24 में टिप्पणियों का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि अदालत ने धारा 11 (4ए) के प्रतिस्थापन द्वारा लाई गई भाषा में अंतर को देखा। 01.04.1992)।नए प्रावधानों ने न्यास को व्यवसाय करने में सक्षम बनाया क्योंकि यह अपनी गतिविधियों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक था।

42. थांथी ट्रस्ट के बारे में विस्तार से बताते हुए, अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रावधान का दायरा, यानी धारा 11 (4ए) इस अदालत द्वारा ट्रस्ट या संस्था के लिए अधिक फायदेमंद माना गया था, जो इसके संशोधन से पहले मौजूद था।इसलिए, जब तक न्यास मुख्य रूप से धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अपनी गतिविधियों को जारी रखता है-आकस्मिक व्यापार या व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त कोई भी आय, इसके परिणामस्वरूप इसे व्यवसाय करने वाली इकाई के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा; दूसरे शब्दों में, यह एक धर्मार्थ उद्देश्य या उद्देश्य को पूरा करने वाली संस्था थी।

43. विद्वान अधिवक्ता ने सर्कुलर 11/2008 दिनांकित 19.12.2008 पर भी भरोसा किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि क्या किसी धर्मार्थ संस्थान द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ व्यापार की प्रकृति में हैं या क्या वे अनिवार्य रूप से धर्मार्थ हैं, यह तथ्य का प्रश्न है।इसने यह भी कहा कि यदि कोई निर्धारिती व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति या ऐसे व्यापार आदि के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने वाली किसी भी गतिविधि में लगा हुआ है, तो वह यह दावा नहीं कर सकता कि उसका उद्देश्य धर्मार्थ था।ऐसी स्थिति में, "का उद्देश्य
जी.
सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता केवल व्यापार, सेवा या व्यवसाय के वास्तविक उद्देश्य को उजागर करने का एक साधन या बचाव होगा।".यह.
इसलिए इस बात पर जोर दिया गया कि परिपत्र और बजट के दौरान वित्त मंत्री के भाषण में स्पष्ट रूप से संगठनों, ट्रस्ट या

29 (1981) 3 एस. सी. सी. 308 (इसके बाद "बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र") एच.

संस्थाएं जो धर्मार्थ के रूप में काम कर रही थीं लेकिन वास्तव में व्यवसाय कर रही थीं।दूसरी ओर, वास्तविक धर्मार्थ संगठन जो अपने निर्वाह के लिए आय अर्जित करते हैं, उन्हें आयकर अधिनियम के तहत कर छूट के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।

44. अधिवक्ता ने श्री रामतनु सहकारी के निर्णयों पर भरोसा किया
हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाममहाराष्ट्र राज्य 30, गुजरात औद्योगिक विकास निगम बनाम सी. आई. टी. 31 (इसके बाद "जी. आई. डी. सी. मामला"), एच. एस. आई. डी. सी. बनाम हरि ओम एंटरप्राइजेज 32 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम 33 ने आग्रह किया कि

आवास और अन्य आवश्यक विकास के लिए स्थापित वैधानिक संगठनों को वाणिज्यिक या व्यावसायिक निकाय नहीं माना जा सकता है।

45. विद्वान अधिवक्ता ने संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया
नवनीत लाल सी. झवेरी बनाम के. के. सेन 34 (इसके बाद "नवनीत"
लाल झावेरी), जहां अदालत ने एक अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा था कि कार्यपालिका की समझ-कर कानूनों के संदर्भ में परिपत्रों के रूप में-व्याख्या के लिए मूल्यवान मार्गदर्शक थे।नवनीत लाल झवेरी (उपरोक्त) में टिप्पणियों पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा किया गया था कि उस मामले में परिपत्रों का उपयोग वास्तव में एक नए प्रस्तुत प्रावधान की कठोरता को कम करने के लिए किया गया था।विद्वान अधिवक्ता ने यूको बैंक कलकत्ता बनाम कलकत्ता मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया।

आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल 35 और लोक शिक्षा में
ट्रस्ट (ऊपर) जहां न्यायालय ने विशेष रूप से इस तर्क को खारिज कर दिया था कि संसद में दिए गए भाषण को विधायक के इरादे को समझने के लिए नहीं देखा जा सकता है।उस मामले में, न्यायालय ने जोर देकर कहा था कि उपयोग किए गए सभी शब्दों के वास्तविक अर्थ को विशेष रूप से विधान के पिछले इतिहास और संशोधन के प्रस्तावक के भाषण का उल्लेख करके समझा जा सकता है।

46. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि "व्यापार", "व्यवसाय" या "वाणिज्य" अभिव्यक्तियों का हमेशा अर्थ होता है और उनकी व्याख्या लाभ द्वारा संचालित गतिविधियों के रूप में की गई है।इस संदर्भ में, निर्भरता रखी गई थी

पंजाब राज्य बनाम बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 36 में इस अदालत के फैसले।; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनामकर्नाटक राज्य 37 और गुजरात राज्य

जी. 30 (1970) 3 एससीसी 323
31 1997 (3) एस. सी. आर. 466; (1997) 7 एस. सी. सी. 17 (इसके बाद "जी. आई. डी. सी. मामला")।32 (2009) 16 एससीसी 208

33 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 10021 (पैरा 10-12)
34 (1965) 1 एस. सी. आर. 909 (इसके बाद "नवनीत लाल झवेरी") 35 1999 (4) एस. सी. सी. 599 (इसके बाद "यूको बैंक कलकत्ता") 36 1968 एस. सी. आर. (2) 636

एच. 37 (1995) 1 एससीसी 574 ए

एएसएसटी। आय कर राजस्व (छूट) बनाम अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण [एस. रवींद्र भाई, जे.] ए.

वी.मेसर्स रायपुर मैन्युफैक्चरिंग 38.यह प्रस्तुत किया गया था कि सभी संदर्भों में, "व्यापार" अभिव्यक्ति का प्राथमिक अर्थ धन के लिए "वस्तुओं का आदान-प्रदान" है और यह दर्शाता है कि ऐसी गतिविधि लाभ अर्जित करने के लिए आवश्यक रूप से या हमेशा की जाती है।इसलिए, यह तर्क दिया गया कि धारा 2 (15) को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन संशोधन और परिपत्र (यानी परिपत्र 11/2018) को पेश करते समय मंत्री के भाषण के आलोक में इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए।इसलिए, यदि कोई संगठन बनाया जाता है और लाभ अर्जित करने की दृष्टि से अपनी गतिविधियों को जारी रखता है जैसा कि बजाज में आयोजित किया गया था।

इलेक्ट्रिकल, खोडे डिस्टिलरीज और रायपुर मैन्युफैक्चरिंग (ऊपर),
यह एक धर्मार्थ संगठन होने का दावा करने से वर्जित है।दूसरी ओर, यदि संस्था मुख्य रूप से धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है, अर्थात, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति के लिए गतिविधियों को जारी रखने के लिए, लेकिन इसमें ऐसी गतिविधियाँ भी हैं जो अधिशेष या धन उत्पन्न करती हैं, तो उन्हें कर लाभ के लिए विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है।

47. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कविन गुलाटी ने नोएडा की ओर से तर्क दिया और इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बोलपुर बनाम रतन मेल्टिंग एंड वायर
उद्योग 39 यह आग्रह करने के लिए कि एक परिपत्र किसी प्रावधान के दायरे को परिभाषित नहीं कर सकता है।उन्होंने ग्रेटर में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर प्रकाश डाला।
नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य 40,
जहां निर्धारिती की गतिविधियों को खंड (ख) से धारा 10 (46) के अर्थ के भीतर "वाणिज्यिक गतिविधि" नहीं माना गया था।41 उन्होंने अन्य फैसलों पर भी भरोसा किया-इस अदालत के, इसी प्रभाव से, केरल राज्य बिजली में।

बोर्ड बनाम इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड 42 और मद्रास बंदरगाह के न्यासी बनाम अमीनचंद प्यारेलाल और अन्य। 43.

48. श्री गुलाटी ने यह तर्क देने के लिए जी. आई. डी. सी. मामले (उपरोक्त) पर भरोसा किया कि आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20-ए) में "विकास" शब्द को इसके व्यापक अर्थों में समझना होगा।यह आग्रह किया गया कि नोएडा जैसे विकास प्राधिकरण आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 2 (15) के तहत आते हैं यदि वे आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 11 (7) में परीक्षण को पूरा करते हैं।यह तर्क दिया गया था कि

---

38 (1967) 1 एससीआर 618
39 (2008) 13 एससीसी 1
40 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 7536
41 उच्च न्यायालय ने श्री रामतनु को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (1970) 3 एस. सी. सी. 323 के अनुपात पर भरोसा किया था, जिसने फैसला सुनाया था कि उस मामले में निगम का वास्तविक चरित्र यानी महाराष्ट्र विकास निगम औद्योगिक शहरों के विकास और विकास और उनकी स्थापना के लिए एक वास्तुशिल्प एजेंट के रूप में कार्य करना था।

42 (1976) 1 एस. सी. सी. 466
43 (1976) 3 एससीसी 167

एच.

सूरत आर्ट सिल्क (उपरोक्त) स्पष्ट था कि किसी ट्रस्ट द्वारा वाणिज्यिक गतिविधि के साथ जुड़ाव तब तक निषिद्ध नहीं है, जब तक कि इसका उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य की प्राप्ति है।धारा 2 (15) के प्रावधान के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियों (वित्त अधिनियम, 2015 के प्रावधानों) की ओर इशारा करते हुए, अधिवक्ता ने आग्रह किया कि यह प्रावधान आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 12एए (1ए) के तहत ट्रस्ट के पंजीकरण के चरण में काम करता है, जब अधिकारी ट्रस्ट की गतिविधि और दायरे की वास्तविकता के संबंध में खुद को संतुष्ट करते हैं।

49. अंत में यह तर्क दिया गया कि "व्यापार" अभिव्यक्ति अपने भीतर लाभप्रदता का विचार रखती है:अधिवक्ता ने गुजरात राज्य बनाम महेश का हवाला दिया
धीरजलाल ठक्कर 44, सोदन सिंह और अन्य बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति और अन्य 45 और टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम।की स्थिति
कर्नाटक और अन्य 46.रिलायंस को सी. आई. टी. में फैसले पर रखा गया था,
मद्रास बनाम मेसर्स मदुरै मिल्स कंपनी लिमिटेड 47 ने आग्रह किया कि
"धर्मार्थ उद्देश्य" अभिव्यक्ति की परिभाषा की व्याख्या को विधायी इतिहास से उपजे विचारों से नहीं रंगा जाना चाहिए, जो एक क़ानून के सादे शब्दों को ओवरराइड करते हैं।

50. मैसर्स कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (के. आई. ए. डी. बी.) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. के. चैतन्य पेश हुए।उन्होंने आग्रह किया कि के. आई. ए. डी. बी. का गठन कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 ("के. आई. ए. डी. अधिनियम") की धारा 5 के तहत किया गया था और यह "कोई लाभ नहीं-कोई नुकसान नहीं" के आधार पर कार्य करता है जैसा कि प्रस्तावना 48, बोर्ड के लक्ष्यों और उद्देश्यों 49 के साथ-साथ धारा 3,5,6,28,29,43 और 46 50 से स्पष्ट है।

---

44 (1980) 2 एससीसी 322 45 1989 (3) एससीआर 1038 46 (2002) 8 एससीसी 481 47 (1973) 4 एससीसी 194

48 " राज्य में उद्योग अनुपयुक्त क्षेत्रों की व्यवस्थित स्थापना और विकास के लिए प्रावधान करना आवश्यक माना जाता है।इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने और ऐसे क्षेत्रों को विकसित करने और उनमें भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव है।" 49 राज्य में उद्योगों के तेजी से और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना।; के. आई. ए. डी. अधिनियम के दायरे में सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता करना; बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना में सुविधा प्रदान करना:"कोई लाभ नहीं-कोई नुकसान नहीं" आधार पर कार्य।

जी. 50• धारा 5-कर्नाटक राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को सुरक्षित करने और आम तौर पर उद्योगों की तेजी से और व्यवस्थित स्थापना और विकास को बढ़ावा देने और कर्नाटक राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं और सुविधा प्रदान करने के लिए साबित और निगमित।

• धारा 6-बोर्ड के सभी सदस्य सरकारी अधिकारी हैं।
• धारा 46-प्रत्यर्थी के सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाता है।

एच.

एएसएसटी। आय कर राजस्व (छूट) बनाम अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

केआईएडी अधिनियम। रिलायंस को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्रों में रखा गया था। ए.
विकास बोर्ड बनाम प्रकाश दल मिल 51 जिसने माना कि के. आई. ए. डी. बी.
“संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य, और यह आग्रह किया गया कि के. आई. ए. डी. बी. कर्नाटक सरकार का एक विस्तार था।बोर्ड प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग करता है और यह सरकारी कार्यों को करता है।इसलिए, इसकी गतिविधियों को व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जा सकता है।रिलायंस

कर्नाटक राज्य बनाम अखिल भारतीय निर्माता संगठन 52 पर रखा गया था।

51. यह प्रस्तुत किया गया था कि लाभ के उद्देश्य के अभाव में, गतिविधि व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय नहीं है-आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 2 (15) के पहले परंतुक के अर्थ के भीतर।खोडे पर भरोसा रखा गया था

आसवन (ऊपर), तमिलनाडु राज्य बनाम न्यासी मंडल
पोर्ट ऑफ मद्रास 53 और कई अन्य निर्णय 54।यह तर्क दिया गया था कि जहां भी इसका इरादा है, लाभ तत्व को पूरी तरह से गतिविधि से बाहर रखा गया है-कर्नाटक वैट अधिनियम, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम ("सी. जी. एस. टी. अधिनियम") और आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (31) के प्रावधानों पर निर्भरता रखी गई थी। वर्तमान संदर्भ में, बोर्ड की गतिविधियाँ "व्यापार", "वाणिज्य" या "व्यवसाय" के बराबर नहीं हैं और धारा 2 (15) का पहला परंतुक केवल तभी आकर्षित होता है जब प्राथमिक/प्रमुख उद्देश्य (ए) व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में हों; या (बी) किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करना।इस तर्क को साबित करने के लिए, अधिवक्ता

सूरत आर्ट सिल्क (ऊपर), आयकर आयुक्त बनाम गुजरात समुद्री बोर्ड 55 (इसके बाद "गुजरात समुद्री बोर्ड") पर निर्भर रहा।

मामला ") और अन्य निर्णय 56।इसलिए, यदि मुख्य गतिविधि "व्यवसाय" नहीं है, तो बिक्री की संबंधित, आनुषंगिक या सहायक गतिविधियाँ की जाती हैं।

• धारा 3 और 28-कर्नाटक सरकार (जीओके) जो जनता से भूमि का अधिग्रहण करती है।

• धारा 29-जी. ओ. के. कीमत निर्धारित करता है और मुआवजे का भुगतान करता है।
• धारा 43-कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम, 1957 के तहत कोई शुल्क नहीं, या भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत कोई शुल्क नहीं।

51 (2011) 6 एस. सी. सी. 714
52 (2006) 4 एस. सी. सी. 683
53 1999 (2) एस. सी. आर. 195 (इसके बाद, "मद्रास बंदरगाह के न्यासी मंडल")
54 कर्नाटक राज्य बनाम श्रेयस पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 865; अशोका स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड जी. बनाम.भारत संघ (2007) 2 एस. सी. सी. 640; नई दिल्ली नगरपालिका समिति बनाम पंजाब राज्य 1996 सप्लीमेंट 10 एस. सी. आर. 472; और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला बनाम के. जी.
शर्मा 1997 (3) एससीआर 733।
55 2007 (12) एस. सी. आर. 962; (2007) 14 एस. सी. सी. 704 (इसके बाद "गुजरात समुद्री बोर्ड मामला")।
56 योगीराज चैरिटी ट्रस्ट बनाम सी. आई. टी. 1976 (3) एस. सी. आर. 947; आयकर आयुक्त बनाम आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम 1986 (1) एस. सी. आर. 570; क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी बनाम सी. आई. टी. 2015 (8) एस. सी. सी. 47।

एच.

उनके मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाना और पूरा करना सामान्य रूप से व्यवसाय के बराबर नहीं होगा, जब तक कि इन संबंधित, आनुषंगिक या सहायक गतिविधियों में 'व्यवसाय' करने का एक स्वतंत्र इरादा साबित नहीं किया जाता है।

राजस्व।सी. एस. टी. बनाम साई प्रकाशन कोष 57 और पोर्ट ऑफ मद्रास (उपरोक्त) के न्यासी मंडल के निर्णयों पर भरोसा किया गया था।
आग्रह किया कि राजस्व का यह तर्क कि वैधानिक अधिकारियों का छूट का दावा धारा 10 (46) के प्रावधान तक ही सीमित है।उन्होंने आग्रह किया कि धारा 11 (7) 58 के संदर्भ में बोर्ड के पास धारा 11 के तहत या धारा 10 (46) के तहत छूट का दावा करने का विकल्प है।इनमें से किसी भी प्रावधान के तहत छूट का दावा करने पर कोई रोक नहीं है।

52. यू. पी. आवास एवं विकास परिषद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोपारकर और के. के. चैतन्य की दलीलों को स्वीकार किया।उन्होंने यह भी आग्रह किया कि आश्रय और आवास के अधिकार की प्राप्ति जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, और तर्क दिया कि निर्धारिती की प्रमुख गतिविधि में उन उद्देश्यों की पूर्ति शामिल है, विशेष रूप से समाज के कमजोर और गरीब वर्गों के लिए।उन्होंने चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामलों में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। 59 जिसमें कहा गया था कि सामाजिक न्याय के अधिकार में आश्रय का अधिकार शामिल है, और ये वैधानिक निगम यह सुनिश्चित करने के साधन हैं।

53. जी. एस. 1 इंडिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि निर्धारिती बार कोड जारी करने में शामिल है जो मानकीकृत कोडिंग की एक वैश्विक भाषा है और उत्पादों की पहचान के लिए एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानक है।जी. एस. 1 बारकोड एक वैश्विक मानक है जो जी. एस. 1 (ब्रुसेल्स में मुख्यालय वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन) की बौद्धिक संपदा है और राष्ट्रीय सरकारों की सहायता से प्रत्येक देश में इसके सहयोगी हैं।जी. एस. 1 इंडिया निर्धारिती, एक संबद्ध है; इसे वर्ष 1996 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में संयुक्त सचिव-वाणिज्य मंत्रालय थे और प्रशासनिक नियंत्रण वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास निहित था।इसे धर्मार्थ जी. पी. यू. श्रेणी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

---

57 2002 (2) एससीआर 743

जी. 58 वित्त (2) अधिनियम, 2014 द्वारा अंतःस्थापित और वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित

59 (1996) 2 एससीसी 549।अदालत ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 (1) और आर्थिक, सामाजिक और अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 11 (1) का हवाला दिया था।
सांस्कृतिक अधिकार, 1966 और श्री पर निर्भर। पी. जी. गुप्ता बनाम गुजरात राज्य और अन्य। 1995 (1)
स्केल 653-जहां इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आश्रय के मानवाधिकार के अधिदेश पर विचार किया था और इसे निवास और निपटान के अधिकार की गारंटी देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) और अनुच्छेद 21 में पढ़ा था।

एच.

1996 में समाज।सभी व्यापार निकाय 60 के साथ-साथ भारतीय मानक ब्यूरो इसकी शासीएपरिषद के सदस्य हैं।

54. यह प्रस्तुत किया गया था कि राजस्व ने समय-समय पर (ए. वाई. 1996-1997 से 2007-2008 तक) विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करते समय निर्धारिती सोसायटी को धारा 12ए और धारा 10 (23सी) (iv) के तहत छूट दी थी; इसलिए, यह स्वीकार किया गया था कि निर्धारिती का उद्देश्य और उद्देश्य धर्मार्थ था, अर्थात, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति।इसके अलावा, यह दर्शाने के लिए कि इसमें कोई व्यवसाय/व्यापार/वाणिज्य शामिल नहीं है और लाभ का उद्देश्य अनुपस्थित है, विद्वान अधिवक्ता ने निर्धारिती समाज के निर्णय पर भरोसा किया कि कुटीर उद्योगों जैसे योग्य क्षेत्रों को 50 प्रतिशत की सीमा तक पर्याप्त छूट जारी की जाएगी ताकि ऐसे क्षेत्रों के लिए बाजार में वृद्धि हो सके, साथ ही सीईओ-जीएस1 द्वारा अध्यक्ष जीएस1 (यानी संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय) को किसानों को वैश्विक स्थान संख्या (जीएलएन) जारी करने के लिए प्रति खेत/भूखंड शुल्क को 400 से भी 70 तक कम करने की अनुमति देने के लिए लिखा गया पत्र, जिसे मंजूरी दी गई थी।

₹ ₹

55. वैधानिक प्रावधानों के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 (15) के परंतुक में "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" शब्दों को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है और इसे "धर्मार्थ उद्देश्य" के संदर्भ में देखा जाना चाहिए और वित्त अधिनियम, 2008 से वित्त अधिनियम, 2015 तक कई संशोधनों के बाद भी अनिवार्य रूप से व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के निर्धारण के आधार में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसलिए सूरत कला रेशम (उपरोक्त) में निर्धारित परीक्षण अभी भी इन शब्दों की व्याख्या करने के लिए उपयुक्त हैं।

56. अधिवक्ता ने आग्रह किया कि यह माना जाता है कि संसद ने धारा 2 (15) के परंतुक में पाए जाने वाले 'शामिल' शब्द का उपयोग किया है, जैसा कि सूरत कला रेशम (उपरोक्त) में व्याख्या की गई है, इस अर्थ में कि एक गतिविधि किसी वस्तु की उन्नति में शामिल होती है जब वह उन्नति की गतिविधि में निहित या घिरी होती है, ताकि परिणामी गतिविधि की दोहरी प्रकृति हो या वह दोहरे पहलू वाली हो।निर्माण का सर्वविदित सिद्धांत, कि जहां विधायिका किसी अधिनियम में एक कानूनी शब्द का उपयोग करती है, जिसे न्यायिक व्याख्या प्राप्त हुई है, यह माना जाना चाहिए कि इस शब्द का उपयोग उस अर्थ में किया गया है जिसमें इसकी न्यायिक व्याख्या की गई है, जब तक कि कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो, उस पर भरोसा किया गया था, और पी. वज़वेलु मुदलियार बनाम विशेष में निर्णय।

जी.

डिप्टी कलेक्टर, मद्रास और अन्य। उस संदर्भ में 61 का उल्लेख किया गया था।

60 फेडरेशन ऑफ चैंबर्स ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री; भारतीय उद्योग परिसंघ; एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम); कृषि और पी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए. पी. ई. डी. ए.)।

61 1965 (1) एससीआर 614

एच.

57. राजस्व की इन दलीलों का विरोध करते हुए कि यदि लाभ कमाने वाली लेकिन वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होने वाली संस्थाएं छूट चाहती हैं, तो उन्हें धारा 10 (46) आई. टी. अधिनियम के तहत आवेदन करना चाहिए, यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 10 (46) में "एक अधिनियम द्वारा या उसके तहत गठित" अभिव्यक्ति में निर्धारिती जैसी सभी संस्थाएं शामिल नहीं हैं, जो एक वैधानिक निगम नहीं है, बल्कि सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक "लाभ के लिए नहीं" सोसायटी है। यह तर्क दिया गया था कि "एक अधिनियम द्वारा और उसके तहत स्थापित" के बीच का अंतर अच्छी तरह से तय किया गया है और इसमें ऐसी संस्थाएं शामिल हैं जो गैर-सांविधिक निगमों के विपरीत सांविधिक निगम हैं।डाल्को इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में फैसला।

v. सतीश प्रभाकर पाध्ये और अन्य। इस संदर्भ में 62 का उल्लेख किया गया था।
जहाँ इस अदालत ने फैसला सुनाया कि

> “…जब "किसी अधिनियम द्वारा और उसके तहत" शब्दों के पहले "साबित" शब्द होते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि संदर्भ किसी साबित निगम के लिए है, कि इसे किसी अधिनियम द्वारा या किसी अधिनियम के तहत अस्तित्व में लाया गया है। संक्षेप में, यह शब्द कंपनी अधिनियम के तहत निगमित या पंजीकृत गैर-सांविधिक निगम के विपरीत एक सांविधिक निगम को संदर्भित करता है।

58. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंत में प्रस्तुत किया कि एक गतिविधि, "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" होने के लिए, लाभ संचालित होनी चाहिए।लाभ का उद्देश्य एक सर्वोत्कृष्ट तत्व है और लाभ के उद्देश्य के बिना एक गतिविधि का परिणाम ए. पी. बनाम एच. अब्दुल बखी एंड ब्रदर्स 63 में निर्णय के संदर्भ में "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" नहीं होगा।यदि निर्धारिती को छूट नहीं दी जाती है तो उसे लगभग 300 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष-2007-08 से 2020-21 तक) की देनदारी का सामना करना पड़ेगा, जो इसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसके अस्तित्व और कामकाज को खतरे में डाल देगा।

59. सुश्री राधिका सूरी, विद्वान अधिवक्ता ने भटिंडा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से तर्क दिया और श्री सोपारकर की दलीलों को स्वीकार किया।उन्होंने इसके अलावा आग्रह किया कि निर्धारिती (एक सांविधिक निगम) की ओर से सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य से प्राप्त धन का उपयोग करना अनिवार्य है और उनके द्वारा बेचे गए भूमि/भूखंडों का मूल्य निर्धारण भी सांविधिक नियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है।इसलिए, ऐसी गतिविधियाँ सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की परीक्षा के योग्य हैं।सुश्री सूरी ने भी दिल्ली के फैसले पर भरोसा किया

जी. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ऊपर) में उच्च न्यायालय
इस प्रभाव से कि ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि में अंतर करने की आवश्यकता है जो अधिनियम की धारा 10 (46) के खंड (बी) के तहत अयोग्यता का गठन करती है, और शुल्क, सेवा शुल्क, प्रतिपूर्ति का प्रभार और भुगतान

---

62 (2010) 4 एससीसी 378 63 1964 (7) एससीआर 664 ए

एच.

सामान्य लोक हित के लिए विनियामक या प्रशासनिक कर्तव्यों को करने और करने के लिए अधिकारों के हस्तांतरण के लिए लागत या विचार, जब ये लाभ के उद्देश्य या इरादे से निर्देशित और शुरू नहीं किए जाते हैं।इसके अलावा, निर्भरता

आयकर आयुक्त (छूट), चंडीगढ़ बनाम मेसर्स होशियारपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, होशियारपुर 64 को

निर्धारिती की विशेषताओं की व्याख्या करें।विद्वान अधिवक्ता ने पंजाब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नियमों और विनियमों के तहत विनियमों के प्रावधानों पर जोर दिया ताकि बोर्ड द्वारा कीमतें तय करने में अपनाई गई प्रक्रिया को दिखाया जा सके।

60. श्री गुरशरण एस. विर्क ने तर्क दिया कि गुजरात समुद्री बोर्ड (जी. एम. बी.) एक वैधानिक बोर्ड है, जिसका गठन गुजरात समुद्री बोर्ड अधिनियम, 1981 (जी. एम. बी. अधिनियम) की धारा 3 (2) 65 के तहत किया गया है; यह ऐसे कार्य करता है जो अधिनियम के अधिनियमन से पहले सीधे राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे थे।अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसका गठन गुजरात राज्य में छोटे बंदरगाहों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन और उससे जुड़े सभी मामलों के लिए किया गया है।जी. एम. बी. अधिनियम के तहत बोर्ड की शक्तियां भारतीय बंदरगाह अधिनियम 67 के प्रावधानों के तहत बंदरगाहों के संरक्षक के रूप में जी. एम. बी. द्वारा किए गए कार्यों पर लागू होती हैं। यह जेटी, घाटों, बंदरगाहों, घाटों, लंगरगाहों के स्थानों, लाइट हाउस, लाइट-शिप, बीकन, ब्वाए, पायलट नौकाओं और सुरक्षित समुद्री नौवहन के लिए आवश्यक अन्य उपकरणों के विकास और रखरखाव जैसे आवश्यक कार्यों के लिए जिम्मेदार है, और सामान्य रूप से छोटे बंदरगाहों के विकास के लिए।यह आवश्यक समुद्री सेवाओं जैसे कि स्टीवडोरिंग, लैंडिंग, शिपिंग या ट्रांस-शिपिंग, पायलट, हॉलिंग, मूरिंग और हुकिंग जहाजों/वस्तुओं आदि को शुरू करने का भी हकदार है। 69 इसलिए यह आग्रह किया गया कि जी. एम. बी. के कार्य प्रकृति में आवश्यक और संप्रभु हैं, और तट के विकास, सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित हैं।

61. यह प्रस्तुत किया गया था कि जी. एम. बी. किसी भी व्यवसाय या व्यापार में संलग्न नहीं है, किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं है जो लाभ उत्पन्न करती है और (वैधानिक रूप से भी) किसी भी चीज़ के लिए धन का उपयोग नहीं करती है सिवाय इसके कि -

64 2016 का आई. टी. ए. सं. 78

65 धारा 3 (2):- " बोर्ड उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास स्थायी उत्तराधिकार और शक्ति के साथ एक सामान्य मुहर होगी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन चल और अचल दोनों संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने और अनुबंध करने के लिए, और उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।"

66 जी. एम. बी. अधिनियम 67 की धारा 20 जी. एम. बी. अधिनियम 68 की धारा 83 जी. एम. बी. अधिनियम की धारा 25 (2)

69 जी. एम. बी. अधिनियम की धारा 32 आर/डब्ल्यू धारा 37-30

गुजरात राज्य में छोटे बंदरगाहों का विकास और जी. एम. बी. अधिनियम की विशेषताएँ। आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत विवाद के संदर्भ में इन विशेषताओं पर इस अदालत द्वारा गुजरात समुद्री बोर्ड मामले (उपरोक्त) में विचार किया गया था। निर्णय में जी. एम. बी. अधिनियम की धारा 73,74 और 75 पर चर्चा की गई, जो जी. एम. बी. द्वारा प्राप्त सभी धन के प्रबंधन का प्रावधान करती है; और जी. एम. बी. अधिनियम की धारा 76, जो केवल "मौजूदा धन के विस्तार" के लिए अधिशेष धन को अलग रखने की अनुमति देती है।

बंदरगाहों पर सुविधाएँ या नई सुविधाएँ बनाना या उनसे मिलने के लिए
आग, चक्रवात, जहाज के टूटने या दुर्घटनाओं के कारण होने वाली आकस्मिकताएँ
अन्य दुर्घटनाएँ या किसी अन्य आपात स्थिति के लिए।" इस बात पर जोर दिया गया कि
यह निर्णय स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जी. एम. बी. का कोई लाभ उद्देश्य नहीं है।इसलिए, यह आग्रह किया गया कि जी. एम. बी. अधिनियम के प्रावधान, लाभ के उद्देश्य के बिना इसके द्वारा किए गए भारी सार्वजनिक उद्देश्य को इंगित करते हैं और धन का उपयोग केवल छोटे बंदरगाहों के विकास, प्रबंधन और सुरक्षा के उद्देश्य से है; ये सभी जी. एम. बी. को छूट का अधिकार देते हैं।

62. श्री रोहित जैन, विद्वान अधिवक्ता , एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क (ईआरएनईटी) और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) की ओर से पेश हुए।ई. आर. एन. ई. टी. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) के समर्थन से इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (डी. ओ. ई.) के तहत भारत सरकार की एक नियोजित परियोजना के रूप में शुरू किया गया था।यह कार्यक्रम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट उपकरणों को सीखने के वातावरण के साथ एकीकृत करने पर केंद्रित था।हालाँकि, यू. एन. डी. पी. द्वारा वित्त पोषण 1992 में समाप्त हो गया।डी. ओ. ई. ने फिर भी 1998 तक परियोजना का समर्थन करना जारी रखा और उसके बाद निकाय को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त समाज के रूप में पंजीकृत किया गया।इसे आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत 26.03.2004 पर पंजीकृत किया गया था और इसकी गतिविधियाँ धारा 2 (15) के तहत "धर्मार्थ उद्देश्य" के अर्थ में आती हैं।इसने आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 12 का विधिवत अनुपालन किया।

जी. 63. एन. आई. एक्स. आई. की स्थापना 2003 में भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत में इंटरनेट सेवाओं के प्रचार और विकास, इंटरनेट यातायात को विनियमित करने और इंटरनेट विनिमय के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी।डोमेन नाम पंजीकरण से मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत होती है और राष्ट्रीय चिंता का ध्यान रखा जाता है।यह आग्रह किया गया था कि यह एक धारा 25 कंपनी है जिसे ए करने से रोक दिया गया है।

एच.

लाभ के लिए कोई भी वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधि और सरकार की पूर्व सहमति के बिना संघ के ज्ञापन में परिवर्तन पर प्रतिबंध सहित सख्त लाइसेंस शर्तों से बाध्य है।आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत भी "धर्मार्थ" प्रकृति को बरकरार रखा गया है।

64. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ईआरएनईटी एक "गैर-लाभकारी" समाज है जिसमें अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यह मुख्य रूप से स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों आदि से केवल सदस्यता शुल्क प्राप्त करता है। यह सदस्यता शुल्क "वास्तविक आधार" पर लिया जाता है और इसका उपयोग इसके उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।निर्धारिती का धर्मार्थ चरित्र स्पष्ट है और विवाद में नहीं है क्योंकि इसे ए. वाई. 2008-09 तक के राजस्व द्वारा स्वीकार किया गया है।इसके अलावा, निचले अधिकारियों द्वारा दर्ज अंतिम तथ्यात्मक निष्कर्ष निर्णायक रूप से प्रदर्शित करते हैं कि निर्धारिती 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति' में लगा हुआ है, और एक 'धर्मार्थ उद्देश्य' के रूप में अर्हता प्राप्त करता है क्योंकि इसमें कोई व्यापार वाणिज्य या व्यवसाय नहीं होता है, और अर्जित आय किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि के दौरान प्राप्त नहीं होती है।65. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि निर्धारिती अनुसंधान और विकास कार्य करता है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के साथ शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा को केवल धर्मार्थ उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर जनता तक पहुँचाने में सक्षम बनाता है और आगे की निर्भरता है

आई. सी. ए. आई. लेखा अनुसंधान फाउंडेशन बनाम डी. जी. आई. टी. (ई) 70, भारतीय मानक ब्यूरो बनाम डी. जी. आई. टी. (ई) 71 और जी. एस. 1 इंडिया बनाम डी. जी. आई. टी. (ई) 72।

66. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ए. ई. पी. सी.) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय वोहरा ने आग्रह किया कि यह भारत से वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने (यानी व्यापार को बढ़ावा देने) के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी से स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है।यह आई. टी. अधिनियम की धारा 12ए. ए. (1) के तहत <आई. डी. 1 पर पंजीकृत किया गया था और यह सभी प्रकार के तैयार कपड़ों, बुने हुए कपड़ों और चमड़े, जूट और भांग से बने कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने की गतिविधि में लगा हुआ है।यह लाभ के लिए किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं है, और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय परिधान निर्माताओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए मंच और मंच दिए जाएं।उस उद्देश्य के लिए, ए. ई. पी. सी. सदस्यता शुल्क लेता है, और ऐसी सेवाएं प्रदान करता है, जिनकी सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता है।ये गतिविधियाँ मेलों में बड़ी जगह बुक करने के माध्यम से होती हैं, और इस तरह के कार्यक्रम, विशेष रूप से विदेशी स्थानों में, ताकि भारतीय

जी.

---

70 321 आईटीआर 73 (डेल) 71 358 आईटीआर 78 (डेल) 72 360 आईटीआर 138 (डेल)

एच.

निर्माता अन्य विदेशी खरीदारों के साथ बातचीत कर सकते हैं, और व्यापार को बढ़ावा देने में सक्षम हैं।यह प्रस्तुत किया गया कि नीति निर्माण स्तरों सहित ए. ई. पी. सी. की गतिविधियों में केंद्र सरकार की ओर से पदेन भागीदारी है।

67. श्री वोहरा ने वित्त विधेयक, 2008 73 में प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन, वित्त विधेयक, 2008 74 पर लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण, सीबीडीटी परिपत्र संख्या 11 दिनांक 75 पर धारा 2 (15) में उस प्रावधान को प्रस्तुत करने के लिए भरोसा किया जो केवल लाभ के उद्देश्य से की गई वाणिज्यिक/व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल आय अर्जित करना और/या कोई शुल्क लेना परंतुक द्वारा वर्जित नहीं है; बल्कि, व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में किसी भी गतिविधि को करना या उसके संबंध में सेवा प्रदान करना वर्जित है।रिलायंस को रखा गया था

दिर में निर्णय। सप का।& विवाद करें।v. राजस्व बोर्ड 76 जो एच. अब्दुल बखी एंड ब्रदर्स (उपरोक्त), बरेंद्र प्रसाद रे बनाम आईटीओ 77 और गुजरात राज्य बनाम रायपुर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 78 का अनुसरण करता है।

यह तर्क दिया जाता है कि "व्यवसाय" में लाभ कमाने के निर्धारित उद्देश्य के साथ कुछ वास्तविक और व्यवस्थित, या संगठित गतिविधि या आचरण होना चाहिए।अधिवक्ता ने साई प्रकाशन कोष (उपरोक्त) का उल्लेख किया जहां इस अदालत ने कहा कि चूंकि ट्रस्ट की प्राथमिक और प्रमुख गतिविधि साईबाबा का संदेश फैलाना था और इसलिए व्यवसाय नहीं, इसलिए पुस्तकों और साहित्य के प्रकाशन और बिक्री की किसी भी आनुषंगिक या सहायक गतिविधि को व्यवसाय नहीं माना जा सकता है।सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम लॉर्ड फिशर 79 को संदर्भित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि व्यवसाय निर्धारित करने के लिए छह संकेत हैं, अर्थात् (ए) गंभीरता से किए गए गंभीर उपक्रम, (बी) उचित निरंतरता, (सी) पर्याप्त राशि, (डी) नियमित रूप से व्यावसायिक सिद्धांतों पर संचालित, (ई) मुख्य रूप से विचार के लिए कर योग्य आपूर्ति करने से संबंधित, (एफ) जो आमतौर पर लाभ कमाने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं।अन्य निर्णयों को भी उद्धृत किया गया था और संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, वेबस्टर के न्यू ट्वेंटिएथ सेंचुरी डिक्शनरी, ब्लैक के लॉ डिक्शनरी और संपत अयंगर के लॉ ऑफ इनकम टैक्स में परिभाषाओं का संदर्भ दिया गया था।

68. श्री अजय वोहरा ने आग्रह किया कि ए. ई. पी. सी. धारा 11 के तहत ए. वाई. 1979-80 से 1990-91 तक छूट का दावा
जी. कर रहा है।एवाई 1991-92 के दौरान,

73 298 आई. टी. आर. (सेंट)
74 आई. टी. पी. ओ बनाम डी. जी. आई. टी. (ई) में उद्धृत है:371 आई. टी. आर. 333 (डेल) (इसके बाद "आई. टी. पी. ओ".) 75308 आई. टी. आर. (सेंट)
76 1967 (3) एससीआर 778
77 1981 (3) एससीआर 387
78 1967 (1) एससीआर 618
एच. 79 (1981) 2 सभी ईआर 147 ए

मूल्यांकन अधिकारी ("एओ") ने इस आधार पर छूट देने से इनकार कर दिया कि यह व्यवसाय कर रहा था।उस आदेश को अंततः आई. टी. ए. टी. द्वारा दरकिनार कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का हकदार है। इसके बाद, धारा 11 (4ए) में एक संशोधन लाया गया और एईपीसी को अलग-अलग लेखा बही बनाए रखनी पड़ी।ए. वाई. 1992-93 में ए. ओ. ने फिर से छूट देने से इनकार कर दिया।अपील पर, आई. टी. ए. टी. द्वारा ए. ई. पी. सी. के पक्ष में निर्णय लिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निर्णय 80 में आई. टी. ए. टी. के आदेश को बरकरार रखा।ए. ई. पी. सी. को प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क प्राप्त हुआ, जिसके बारे में उसने दावा किया कि इसे पारस्परिकता के सिद्धांत पर छूट दी गई थी।इस मुद्दे को भी अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय द्वारा ए. वाई. 1992-93 से ए. वाई. 1997-98 तक इसके पक्ष में हल किया गया था।निर्धारण वर्ष 1998-99 से निर्धारण वर्ष 2008-09 तक, ए. ओ. ने निर्धारिती के इस दावे को स्वीकार कर लिया कि आय को अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट दी गई थी।

69. ए. वाई. 2009-10 और 2010-11 के दौरान, ए. ओ. ने इस आधार पर धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया कि धारा 2 (15) में नया जोड़ा गया परंतुक आकर्षित किया गया था और इस प्रकार निर्धारिती धारा 11 के तहत छूट के लिए अयोग्य था।ए. ओ. ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती व्यापार, वाणिज्य व्यवसाय के संबंध में सेवाएं दे रहा था और जिसकी प्राप्ति 10 लाख से अधिक है।सी. आई. टी. (ए) ने अपने मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद निर्धारिती की अपील की अनुमति दी, और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ।आई. टी. ए. टी. ने पहले अपीलीय प्राधिकरण के निष्कर्षों को बरकरार रखा क्योंकि उसने देखा कि निर्धारिती ने लाभ के उद्देश्य के साथ कोई गतिविधि नहीं की, और इस प्रकार परंतुक को आकर्षित करने का सवाल ही नहीं उठा।

70. विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रभा स्वामी ने प्रस्तुत किया कि ए. पी. राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी बीज अधिनियम, 1966 की धारा 8,81 के तहत स्थापित एक सांविधिक संस्था है जिसका प्रतिनिधित्व बीज व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों, बीज किसानों, कृषक समुदाय और केंद्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा किया जाता है।समाज की धर्मार्थ विशेषता को समझाते हुए अधिवक्ता ने बताया कि सोसायटी विधिवत पंजीकृत थी और इसके संगठन के ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिस उद्देश्य के लिए इसकी साबित गई थी, वह यह देखना था कि किसान बीज अधिनियम के अनुसार गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन के लिए सभी वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं और शिक्षा को आगे बढ़ाएं।

जी.

---

80 244 आई. टी. आर. 736 दर्ज किया गया

81 " धारा 8.राज्य सरकार या केंद्र सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रमाणन एजेंसी को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य के लिए एक प्रमाणन एजेंसी की स्थापना कर सकती है।

एच.

प्रमाणित बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कार्यक्रम।बीजों के व्यापार में लगे व्यापारियों या समितियों से शुल्क एकत्र किया जाता है।समाज किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करता है और इसलिए व्यापारियों को कम किस्म के बीज बेचने से रोका जाता है।प्राधिकरण की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए, यह आग्रह किया गया कि किसानों को विभिन्न सेवाओं से लाभ हो-बीज उत्पादन के समय खेतों का निरीक्षण, बीजों का प्रसंस्करण करते समय पर्यवेक्षण और पैकिंग, नमूने लेने और बीज परीक्षण के समय सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करना।समाज (जो व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में शामिल नहीं है) इसलिए आम जनता की सेवा कर रहा है क्योंकि वे किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को रोकने में मदद कर रहे हैं।राजस्थान राज्य बीज निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय झावर ने भी सुश्री प्रभा स्वामी की दलीलों को स्वीकार किया।

71. मैसर्स रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय विसेन ने तर्क दिया कि निर्धारिती यू. पी. शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 के तहत गठित एक निकाय है।चूंकि उनकी गतिविधियाँ सार्वजनिक उद्देश्य के लिए थीं, इसलिए इसने आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया।यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्धारिती की आय को पहले आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20ए) के तहत छूट दी गई थी, जिसे वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा हटा दिया गया था; हालाँकि, यह निर्धारिती को आईटी अधिनियम की धारा 12एए के तहत पंजीकृत होने से प्रतिबंधित नहीं करता था, क्योंकि प्राधिकरण का उद्देश्य बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करना है, जो कि धर्मार्थ है।

72. श्री हरीश साल्वे, सौराष्ट्र क्रिकेट संघ की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आयकर अधिनियम, 1922 (यानी पुराना अधिनियम) की धारा 4 (3) के दायरे की ओर इस अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जबकि आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 2 (15) जो 'धर्मार्थ उद्देश्य' को परिभाषित करती है।उन्होंने थांथी ट्रस्ट (उपरोक्त) के आलोक में धारा 11 का निर्माण भी प्रस्तुत किया।इस बात पर जोर दिया गया कि न्यास के उद्देश्य निर्णायक होते हैं और प्रत्येक अधिशेष को लाभ के रूप में नहीं माना जा सकता है, जैसा कि कृष्ण वारियार (उपरोक्त) में चर्चा की गई है।धर्मार्थ उद्देश्य के लिए न्यास के तहत रखी गई संपत्ति से उत्पन्न व्यापार या व्यवसाय से होने वाले लाभ, यदि 100% की सीमा तक वापस जुताई की जाती है, तो इसे वाणिज्यिक गतिविधि नहीं कहा जा सकता है।धारा 13 (1) (बी. बी.) को हटाने में यह प्रमुख विचार था क्योंकि इसे ऐसी गतिविधियों को करने के लिए प्रतिबंधात्मक माना जाता था।यह तर्क दिया गया कि वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा धारा 2 (15)
जी. में "धर्मार्थ उद्देश्य" की परिभाषा के प्रतिस्थापन ने कानून को नहीं बदला है।शब्द "किसी के संबंध में"

व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय "और" उपकर, शुल्क या प्रतिफल के लिए "
एच.

धारा 2 (15) के परंतुक में कहा गया है कि न्यास के उद्देश्य की प्रगति में लाभ की गतिविधियाँ शामिल नहीं हो सकती हैं।यह आग्रह किया गया कि इस संशोधन ने सूरत आर्ट सिल्क (ऊपर) में इस अदालत के फैसले को कमजोर कर दिया है।73. यह तर्क दिया गया था कि "धर्मार्थ उद्देश्य" की परिभाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा परंतुक में प्रयुक्त "उपकर" शब्द है।एक व्याख्यात्मक उपाय के रूप में, प्रचार परिषदों की गतिविधियों को ध्यान में रखा गया-उदाहरण के लिए सूरत आर्ट सिल्क समर्थित रेशम निर्माता।यदि ऐसी गतिविधि उपकर या शुल्क के लिए है, तो संगठन धर्मार्थ होना बंद कर देता है।व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की गतिविधियाँ धर्मार्थ नहीं हैं यदि वे शुल्क या अन्य विचार के लिए हैं।निजी संगठनों द्वारा एकत्र की गई फीस धारा 2 (15) की सामग्री है।हालांकि, नियंत्रण कानून द्वारा लगाए गए शुल्क नियमों या कानून-आधारित शुल्क पर आधारित राशि उस प्रावधान के तहत न तो "शुल्क" है और न ही "उपकर"।इसके अलावा, गतिविधि या सेवा पर भी विचार किया जाता है।परीक्षण वह उद्देश्य है जिसके लिए प्रतिफल का भुगतान किया जाता है, और इसमें क्या शामिल है, जिसमें शब्द "कोई अन्य प्रतिफल" व्यवसाय की सहायता या सेवा में गतिविधियों के लिए है।इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया था कि सही अर्थों में "व्यवसाय" शब्द का अर्थ लाभ है, हालांकि वैधानिक संगठनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।ऐसे संगठनों द्वारा एकत्र की गई फीस या प्रतिफल को मुनाफाखोरी के अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह उनके उद्देश्यों की प्रगति के लिए है।इस अर्थ में "उपकर" शब्द को गैर-वैधानिक के रूप में पढ़ा जा सकता है।

74. यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 2 (15) के परंतुक में "उपकर, शुल्क या कोई अन्य प्रतिफल" वाक्यांश परंतुक के दूसरे भाग को शामिल करता है, यानी यह व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में "सेवा" से संबंधित है।श्री साल्वे ने कहा कि एन. डी. एम. सी. (ऊपर) में इस अदालत के फैसले में बताए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी वैधानिक उपकर या शुल्क को, जो कानून द्वारा अधिकृत या राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, कर योग्य नहीं माना जा सकता है।उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 पर भरोसा किया और कहा कि यह केवल तभी है जब कोई राज्य-अपने आप से, या किसी एजेंसी के माध्यम से, सीधे व्यापारिक गतिविधि में संलग्न होता है, तो केंद्रीय कराधान से प्रतिरक्षा हटा ली जाती है।वर्तमान मामले में, विनियमन और आवास जैसी कल्याणकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अनिवार्य रूप से कानून के माध्यम से राज्य द्वारा स्थापित एजेंसियों को स्वयं व्यापारिक चिंताओं के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

जी.

75. श्री साल्वे ने कहा कि क्रिकेट संघ विशुद्ध रूप से खेल को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें व्यापार, वाणिज्य को आगे बढ़ाने की गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

एच.

या व्यापार।"उपकर" शब्द को विपरीत (रिवर्स इजसडेम जेनरिस) में पढ़ा जाना चाहिए और इसकी उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाते समय इसे गैर-सांविधिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए।रिलायंस को नाभा पावर लिमिटेड बनाम पंजाब एस. पी. सी. एल. 82 पर यह कहने के लिए रखा गया था कि "उपकर" की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाया जाना है।

76. यह भी तर्क दिया गया कि क्रिकेट का खेल शिक्षा का एक रूप है और यदि इसे शिक्षा का क्षेत्र नहीं माना जाता है, तो भी यह आम जनता की उपयोगिता का एक उद्देश्य है।प्राथमिक नियामक निकाय अर्थात बी. सी. सी. आई. पूरे देश और दुनिया भर में खेल को बढ़ावा देता है और इसमें मूल्यांकनकर्ता इसके दूसरे और तीसरे स्तर के संघ हैं।बी. सी. सी. आई. द्वारा उत्पन्न राजस्व राज्य और क्षेत्रीय क्रिकेट संघों को स्टेडियमों के रखरखाव, मैचों के संचालन, प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन और अन्य सहायक उद्देश्यों के लिए अनुदान के रूप में प्रवाहित होता है।अधिवक्ता ने सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के उद्देश्यों पर भरोसा किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संघ के अधिकार क्षेत्र में क्रिकेट खेल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन, प्रोत्साहन, प्रचार और विकास शामिल है।अन्य उद्देश्यों में खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और सामान्य रूप से खेल और विशेष रूप से क्रिकेट के माध्यम से एक स्वस्थ खेल भावना का निर्माण शामिल है।अन्य सभी वस्तुएँ समान थीं, जिनमें शामिल हैं

“व्यवस्था करने के लिए, और/या अन्य चीजों के बीच प्रबंधन लीग और/या किसी भी
अन्य प्रतियोगिताएँ; मैचों का आयोजन करना, क्रिकेट खेलने के लिए मैदान तैयार करना, सार्वजनिक दान की सहायता के लिए मैचों का आयोजन करना आदि। यदि ये संघ टिकट बेचते हैं और अन्य गतिविधियों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करते हैं, तो उनका मतलब यह नहीं है कि उनका उद्देश्य वाणिज्यिक है या व्यापार को बढ़ावा देना है।खेल प्रदर्शन या मैच के लिए टिकट बेचना क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए है, न कि व्यापार के लिए।श्री साल्वे ने यह भी आग्रह किया कि "व्यापार" अभिव्यक्ति का एक विशेष अर्थ है; उन्होंने गुजरात राज्य बनाम.

महेश कुमार धीरजल ठक्कर 83 जहाँ अदालत ने कहा कि "व्यापार शब्द का अपने संकीर्ण लोकप्रिय अर्थ में अर्थ है 'लाभ कमाने के उद्देश्य से माल के लिए या पैसे के लिए माल का आदान-प्रदान'।अपने व्यापक अर्थों में इसमें लाभ अर्जित करने की दृष्टि से किया गया कोई भी व्यवसाय शामिल है।इसके अलावा, यह शब्द संदर्भ से अपना अर्थ लेता है।”

जी.

77. इसी तरह, "व्यवसाय" के संबंध में अधिवक्ता ने H.Abdul बखी एंड ब्रदर्स का उल्लेख किया।(ऊपर) जिसने इस शब्द पर चर्चा की थी और

82 (2018) 11 एससीसी 508 83 (1980) 2 एससीसी 322

एच. 84 हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम। 32 पैरा 487 ए

यह समझाया गया कि कोई भी गतिविधि लाभ के उद्देश्य से संचालित होनी चाहिए।85 अंत में,
सचिव, शिक्षा और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य में निर्णय बनामक्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल 86 का हवाला दिया गया था
बी. सी. सी. आई. के प्रमुख उद्देश्य की व्याख्या करना। उस निर्णय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्या प्रासंगिक और लागू है गतिविधि के प्रमुख चरित्र की परीक्षा है, न कि कि कोई संस्थान संयोग से अधिशेष या लाभ कमाता है।78. श्री अरविंद दातार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इसके बाद "आईसीएआई") के साथ-साथ द ट्रिब्यून ट्रस्ट की ओर से पेश हुए।

79. अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आई. सी. ए. आई. देश का एक प्रमुख पेशेवर लेखा निकाय है जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 ("सी. ए. अधिनियम") के तहत लेखांकन में औपचारिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और उसके बाद भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंसी के पेशे को विनियमित करने के लिए साबित किया गया है।यह भारत सरकार के निगमित कार्य मंत्रालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में है।सी. ए. अधिनियम की धारा 15 87 संस्थान परिषद के कार्यों को परिभाषित करती है जिसमें संस्थान का गठन शामिल है।

---

85 "हालांकि 'व्यवसाय' अभिव्यक्ति का व्यापक रूप से उपयोग अनिश्चित महत्व का एक शब्द है, लेकिन कर लगाने वाले कानूनों में इसका उपयोग एक ऐसे व्यवसाय या पेशे के अर्थ में किया जाता है जो किसी व्यक्ति के समय, ध्यान और श्रम पर कब्जा कर लेता है, आमतौर पर लाभ कमाने के उद्देश्य से।किसी गतिविधि को व्यवसाय मानने के लिए लेन-देन का एक क्रम होना चाहिए, या तो वास्तव में जारी रहना चाहिए या लाभ के उद्देश्य से जारी रखने पर विचार किया जाना चाहिए, न कि खेल या आनंद के लिए।लेकिन एक व्यापारी होने के लिए एक व्यक्ति को एक ही वस्तु को खरीदने, बेचने और आपूर्ति करने की गतिविधि का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिए खरीदारी करना यानी लाभ के उद्देश्य के बिना किसी व्यक्ति को अधिनियम के अर्थ के भीतर एक व्यापारी नहीं बना देगा, लेकिन एक व्यक्ति जो अपने व्यापार के दौरान उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु का उपभोग करता है, या बिक्री के लिए किसी अन्य वस्तु के निर्माण में उपयोग करता है, उसे एक व्यापारी माना जाएगा।

86 (1995) 2 एससीसी 161
87 15.परिषद के कार्य (1) संस्थान परिषद के समग्र नियंत्रण, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगा और इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने का कर्तव्य परिषद में निहित होगा।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद के कर्तव्यों में शामिल होंगे -

(क) शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और उनकी सामग्री को मंजूरी देना;
(ख) नामांकन के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा और उसके लिए शुल्क निर्धारित करना; (ग) विशिष्ट और लेखापरीक्षा सहायकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण का विनियमन; (घ) रजिस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित करना;

(ई) नामांकन के उद्देश्यों के लिए विदेशी योग्यताओं और प्रशिक्षण की मान्यता; (च) इस अधिनियम के तहत अभ्यास के प्रमाण पत्र देना या अस्वीकार करना;

(छ) चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में अभ्यास करने के लिए योग्य व्यक्तियों के रजिस्टर का रखरखाव और प्रकाशन;

(ज) सदस्यों, परीक्षकों और अन्य व्यक्तियों से शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रह; (i) अधिनियम के तहत उपयुक्त अधिकारियों के आदेशों के अधीन, रजिस्टर से नामों को हटाना और जिन नामों को हटा दिया गया है, उन्हें रजिस्टर में बहाल करना;

चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों के लिए परीक्षाओं का संचालन और विशिष्ट लिपिकों और लेखा परीक्षा सहायकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण का विनियमन।

80. यह प्रस्तुत किया गया था कि कोचिंग और संशोधन कक्षाओं का आयोजन, और उस गतिविधि से एकत्र शुल्क के कारण उत्पन्न अधिशेष एक व्यावसायिक या वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है।अधिवक्ता ने आग्रह किया कि यह संस्थान के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से आनुषंगिक और सहायक है-जो कि शिक्षा प्रदान करना और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित उम्मीदवारों की परीक्षाओं का संचालन करना है, ताकि सच्चे व्यावसायिकता को सामने लाया जा सके।इसलिए, आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी) के पांचवें और सातवें परंतुक के साथ पठित धारा 11 (4ए) के संदर्भ में अलग-अलग लेखा पुस्तकों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।यह आग्रह किया गया कि आई. सी. ए. आई. आई. आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) (डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2009 अंतःस्थापित) के प्रावधान से प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि इसकी गतिविधियाँ उक्त अधिनियम की धारा 2 (15) में "धर्मार्थ उद्देश्य" की परिभाषा में निर्दिष्ट खंड "शिक्षा" के दायरे में आती हैं, न कि जी. पी. यू. श्रेणी से संबंधित अवशिष्ट खंड, जिसमें प्रावधान पूरी तरह से बाद वाले पर लागू होता है।इस संबंध में अधिवक्ता ने कहा कि

सौराष्ट्र एजुकेशन फाउंडेशन बनाम में गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय।
सी. आई. टी. 88 ने एक अन्य निर्णय में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा
गुजरात राज्य सहकारी संघ बनाम सी. आई. टी. 89 में उसी उच्च न्यायालय द्वारा,
यह अभिनिर्धारित करना कि आई. सी. ए. आई. केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में था और इसकी गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 2 (15) में 'शिक्षा' की श्रेणी में आती हैं। इस प्रस्ताव के समर्थन में, इस पर निर्भरता रखी गई थी

अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन बनाम सीबीडीटी 90 का तर्क है कि

(जे) संस्थान के सदस्यों की व्यावसायिक योग्यता की स्थिति और मानक का विनियमन और रखरखाव;

(ट) परिषद के सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके या किसी अन्य तरीके से लेखांकन में अनुसंधान करना;

(l) एक पुस्तकालय का रखरखाव और लेखांकन से संबंधित पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन;

(एम) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित निदेशक (अनुशासन), अनुशासन बोर्ड, अनुशासन समिति और अपीलीय प्राधिकरण के कामकाज को सक्षम बनाने के लिए;

(एन) गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड के कामकाज को सक्षम बनाने के लिए;

जी. (ओ) धारा 28बी के खंड (ए) के तहत की गई गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करना और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उस पर की गई कार्रवाई का विवरण; और (पी) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संस्थान का कामकाज सुनिश्चित करना और अन्य वैधानिक कर्तव्यों का पालन करना जो समय-समय पर संस्थान को सौंपे जाते हैं।

88 (2005) 273 आईटीआर 139 (गुजरात) 89 (1992) 195 आईटीआर 279 (गुजरात) 90 (2008) 10 एससीसी 509 ए

एच.

एएसएसटी। आय कर राजस्व (छूट) बनाम अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

आईसीएआई अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी) (iv) आर/डब्ल्यू धारा 2 (15) के तहत अधिसूचित होने का हकदार है।

81. अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि लाभ का उद्देश्य किसी भी व्यवसाय या वाणिज्यिक गतिविधि के लिए एक आवश्यक तत्व या प्रेरक शक्ति है।आईसीएआई की गतिविधियाँ ऐसी प्रकृति की नहीं हैं।अधिवक्ता ने एन. डी. एम. सी. (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के संदर्भ में लाभ का उद्देश्य व्यापार और व्यवसाय का मुख्य पहलू है, जो किसी राज्य की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट देने की बात करता है।

82. यह तर्क दिया गया कि वाणिज्यिक उद्यमों और आई. सी. ए. आई. जैसे धर्मार्थ संस्थानों की प्रकृति के बीच अंतर है। 'लाभ' शब्द का उपयोग कभी भी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, गतिविधियों को विनियमित करने के लिए, सार्वजनिक हित में स्थापित निकाय के साथ नहीं किया जाना चाहिए और संगठन/प्रतिष्ठान के इरादे को ध्यान में रखा जाना चाहिए।समर्थन में, पोर्ट ऑफ मद्रास (उपरोक्त) के न्यासी मंडल का उल्लेख किया गया, जहां पोर्ट ट्रस्ट की गतिविधियों में विभिन्न वैधानिक शुल्कों, वस्तुओं आदि के निर्वहन में लावारिस और गैर-उपयोगी वस्तुओं की बिक्री शामिल थी। वे पोर्ट ट्रस्ट की सेवा की मुख्य गतिविधियों का हिस्सा थे।अदालत ने कहा कि उन्हें 'व्यवसाय' के रूप में नहीं माना जा सकता है और पोर्ट ट्रस्ट का अनुपयोगी/लावारिस वस्तुओं की बिक्री में व्यवसाय करने का कोई इरादा नहीं था।रिलायंस था

सूरत आर्ट सिल्क (ऊपर), आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (ऊपर), विक्टोरिया तकनीकी संस्थान बनाम सी. आई. टी. 91, अदितनार शैक्षिक संस्थान बनाम अतिरिक्त।सी. आई. टी. 92, थियागराजर चैरिटीज़ बनाम ए. सी. आई. टी. 93, आयकर निदेशक बनाम भारत डायमंड बोर्स 94 और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड मामला (ऊपर)।टी. एम. ए. पाई में टिप्पणियाँ

(उपर्युक्त) कि शिक्षा के विकास और संस्थान के विस्तार के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थान द्वारा उचित राजस्व अधिशेष हो सकता है, का भी उल्लेख किया गया था।

83. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे वित्त अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के व्याख्यात्मक टिप्पणियों पर भरोसा किया, विशेष रूप से आईटी अधिनियम की धारा 2 (15) में किए गए संशोधन की दिशा में, जिसका उद्देश्य "धर्मार्थ उद्देश्य" की परिभाषा को सुव्यवस्थित करना है जैसा कि पैरा 5 95 में चर्चा की गई है और

---

91 (1991) 188 आईटीआर 57 (एससी) 92 (1997) 3 एससीसी 346 93 (1997) 4 एससीसी 724

94 (2003) 259 आईटीआर 280 (एससी)

95 "5."धर्मार्थ उद्देश्य" की परिभाषा को सुव्यवस्थित करना

5.1 अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (15) "धर्मार्थ उद्देश्य" को परिभाषित करती है जिसमें गरीबों की राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति शामिल है।

अनुपात विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाम सहायक आयुक्त
आयकर 96 का यह कहना कि एक जी. पी. यू. दान के चरित्र को कोई नुकसान नहीं है जहां उत्पन्न अधिशेष को वापस जुताई जाता है।इसके अलावा, जे. के. सिंथेटिक्स में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ का एक फैसला

& एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। 97 को यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया गया था कि यह
राजस्व अधिकारियों के लिए, बिना किसी ठोस कारण के और केवल अपनी इच्छाओं पर, पहले के अवसर पर पहुंचे निष्कर्ष का पालन करने से इनकार करने और बाद के वर्षों में पूरी तरह से अलग रुख अपनाने के लिए खुला नहीं है-जैसा कि इस मामले में आई. सी. ए. आई. को आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी) के तहत छूट देने से इनकार करते हुए किया गया था।

84. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में बोर्ड द्वारा जारी दो परिपत्र शामिल हैं। परिपत्र सं. 1/2009 दिनांकित 27.03.2009 और परिपत्र सं. 11/2008 दिनांकित 19.12.2008 जो स्पष्टीकरणात्मक हैं और अधिनियम, 1961 के किसी भी प्रावधान के विपरीत नहीं हैं और

इसलिए रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज में निर्णय का अनुपात
(ऊपर) लागू नहीं होता है।में की गई टिप्पणियों पर रिलायंस रखा गया था
नवनीत लाल ज़वेरी (ऊपर) और एलरमैन लाइन्स बनाम कमिश्नर ऑफ़
आयकर 98 यह आग्रह करता है कि इन परिपत्रों को "लाभकारी" के रूप में वर्गीकृत किया जाए।वे एक वैधानिक प्रावधान पर एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करते हैं।इस तरह के परिपत्र करदाताओं की मुकदमेबाजी और कठिनाइयों को काफी कम करते हैं और वे करों के उचित प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

85. यह तर्क दिया गया कि आई. सी. ए. आई. के खिलाफ मांग 2004-05 से है और छात्रों से एकत्र की गई फीस पहले ही विभिन्न पर खर्च की जा चुकी है।

सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता।यह इस तर्क पर आधारित है कि वे "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य की उन्नति" में लगे हुए हैं जैसा कि वर्तमान 12 के चौथे अंग में शामिल है यह देखा गया है कि वाणिज्यिक आधार पर काम करने वाली कई संस्थाएं या तो उप-धारा के तहत अपनी आय पर छूट का दावा कर रही हैं।

(23(ग) अधिनियम की धारा 10 या धारा 11 इस आधार पर कि वे धर्मार्थ संस्थान हैं।यह इस तर्क पर आधारित है कि वे "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य की उन्नति" में लगे हुए हैं जैसा कि "धर्मार्थ उद्देश्य" की वर्तमान परिभाषा के चौथे अंग में शामिल है।ऐसा दावा, जब वाणिज्यिक आधार पर की गई गतिविधि के संबंध में किया जाता है, तो प्रावधान के इरादे के विपरीत होता है।5.2 "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति" वाक्यांश के दायरे को सीमित करने की दृष्टि से, धारा 2 की उप-धारा (15) में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति के लिए -

जी.

एक धर्मार्थ उद्देश्य, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की कोई गतिविधि, या किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि, उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए, ऐसी गतिविधि से आय के उपयोग या आवेदन या प्रतिधारण की प्रकृति की परवाह किए बिना शामिल है।"

96 (2016) 12 एस. सी. सी. 258
97 1981 एससीसी ऑनलाइन डेल 457 98 (1972) 4 एससीसी 474 ए

एच.

अवसंरचना विकास और अन्य पूंजीगत व्यय मद।शेष अधिशेष राशि का राष्ट्रीयकृत बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियों/एफ. डी. में निवेश किया गया था, इसलिए उठाई गई मांगों से निर्धारिती गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।

86. ट्रिब्यून ट्रस्ट की ओर से, श्री दातार ने तर्क दिया कि ट्रस्ट की धर्मार्थ प्रकृति का पता इन रे में लगाया जा सकता हैःप्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए ट्रिब्यून (उपरोक्त) फैसले के न्यासियों ने लाहौर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ट्रस्ट की अपील की अनुमति दी (जिसने एवाई 1932-33 के लिए ट्रस्ट की आय के लिए छूट को खारिज कर दिया)।प्रिवी काउंसिल ने ट्रस्ट के उद्देश्यों पर विचार किया और कहा कि यह निजी लाभ के लिए स्थापित नहीं किया गया था और प्रथम दृष्टया ट्रस्ट का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का था, क्योंकि प्रांत में समाचार पत्रों की आपूर्ति करके ट्रस्ट में शिक्षित जनमत का प्रसार शामिल था।यह आग्रह किया गया कि ट्रिब्यून की अपील को खारिज करते हुए ट्रिब्यून के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 99 द्वारा पारित विवादित फैसले ने गलती से सूरत आर्ट सिल्क निर्णय (उपरोक्त) के पैरा 17 पर भरोसा किया, जिसमें ट्रिब्यून के मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले को गलत तरीके से उद्धृत किया गया था।

87. यह आगे तर्क दिया गया कि विचार के लिए विज्ञापन एकत्र करने को लाभ द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधि के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि समाचार पत्र का बिक्री मूल्य 2 है जबकि प्रत्येक समाचार पत्र को छापने की लागत 12 है और घाटे की भरपाई केवल विज्ञापनों के माध्यम से की जा सकती है।स्वर्गीय सरदार दयाल सिंह मजीठिया की वसीयत के उद्धरणों पर भरोसा करते हुए यह आग्रह किया गया कि ₹ न्यासियों का कर्तव्य था कि वे अतिरिक्त आय को समाचार पत्र के सुधार के लिए समर्पित करें और इसलिए अपील की अनुमति देने का अनुरोध किया।

88. आई. टी. पी. ओ. निर्णय (ऊपर) में संवैधानिक पहलू पर अग्रिम प्रस्तुतियों के संबंध में इस अदालत के प्रश्न पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 289 के संदर्भ में धारा 2 (15) की वैधता पर अपनी प्रस्तुतियां दीं।यह प्रस्तुत किया गया था कि आई. टी. पी. ओ. के निर्णय में किया गया वर्गीकरण यानी जी. पी. यू. के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित संस्थानों की तुलना में लाभ के उद्देश्य से संचालित संस्थान सही थे और एन. डी. एम. सी. (उपरोक्त) में इस अदालत के फैसले के अनुरूप थे।यह आग्रह किया गया कि अनुच्छेद 289 (1) आई. टी. पी. ओ. पर लागू नहीं होगा क्योंकि इसकी आय और संपत्ति को किसी राज्य की आय और संपत्ति नहीं माना जा सकता है।यह भी प्रस्तुत किया गया कि धारा 2 (15) का परंतुक केवल इन पर लागू होता है - जी.

अंतिम अंग अर्थात, "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य की उन्नति"
और न कि पूर्ववर्ती अंग "शिक्षा" और दान के संबंध में

इन दोनों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है।चूँकि इस संबंध में कोई बोधगम्य अंतर और तर्कसंगत संबंध नहीं है, इसलिए यह भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

89. यह तर्क दिया गया कि धारा 2 (15) में प्रयुक्त "उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए" शब्द स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है क्योंकि यह उन गतिविधियों के बीच अंतर करने में विफल रहता है जो राज्य द्वारा या राज्य की साधनों या एजेंसियों द्वारा की जाती हैं, और जो वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा की जाती हैं जिनके लिए प्रतिफल लिया जाता है।इसके अलावा, अनुच्छेद 289 (1) राज्यों की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट देता है।किसी राज्य द्वारा एकत्र किए गए उपकर या शुल्क पर आयकर लगाने की अनुमति देने से अनुच्छेद 289 (1) का उल्लंघन होगा, इसलिए परंतुक में "उपकर" या "शुल्क" शब्द को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है और न केवल अनुच्छेद 14 बल्कि राज्य उपक्रमों के संदर्भ में अनुच्छेद 289 का भी उल्लंघन किया जा सकता है।केंद्रीय संस्थानों के लिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि उपकर या शुल्क कभी भी सूची-I की प्रविष्टि 82 के साथ पठित धारा 2 (24) के तहत "आय" की परिभाषा के भीतर नहीं आ सकता है और कर के अधीन नहीं हो सकता है।

ग. राजस्व के खंडन तर्क

90. निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के खंडन में,
ए. एस. जी. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण पर निर्भर था
v. भारत संघ 100 और प्रस्तुत किया कि राज्य के लिए कराधान से कोई संवैधानिक प्रतिरक्षा नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 289 (2) के अनुसार राज्य या इसकी साधन/एजेंसियां भी कराधान से मुक्त नहीं हैं यदि वे व्यापार या व्यवसाय करते हैं।अनुच्छेद 289 (2) के आलोक में, राज्यों (या संघ) के लिए व्यापार या व्यवसाय करने या करने के लिए कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है, और अनुच्छेद 289 संसद को ऐसे व्यापार या व्यवसाय पर कर लगाने की अनुमति देता है।एन. डी. एम. सी. (ऊपर) में अनुपात को प्रावधानों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए और श्री रामतनु कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (ऊपर) में दिए गए निर्णय को एन. डी. एम. सी. के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए निर्णायक कारक इकाई की स्थिति नहीं है, बल्कि उसके द्वारा की गई गतिविधि की प्रकृति है।यदि गतिविधि की प्रकृति लाभ के उद्देश्य से व्यापार या व्यवसाय है, तो उस पर कर लगाया जा सकता है, भले ही वह राज्य या उसके उपकरणों द्वारा चलाया जाता हो।यह भी तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 289 कराधान से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है।

जी.

91. राजस्व ने आगे कहा कि संशोधन की वैधता का परीक्षण विशेष रूप से सीमित आधारों पर बहिष्करण या छूट के मामले में किया जा सकता है-अयोग्यता, मनमानेपन, अनुचितता,

---

एच. 100 (2006) 5 एससीसी 100 ए

भेदभाव; और निर्धारिती ने ऐसे किसी भी आधार के तहत मामला नहीं बनाया है।इसके अलावा, इन रे का उल्लेख करकेः ट्रिब्यून के न्यासी और
ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन ऑफ मिर्जापुर (ऊपर), यह तर्क दिया गया था
कि "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता" केवल एक वैधानिक सृजन है ताकि धर्मार्थ उद्देश्यों का हिस्सा बन सके और इसे हमेशा अलग-अलग समय पर धारा 2 (15) के तहत निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन करके एक वैधानिक महत्व दिया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, कराधान से छूट देते समय इसे हमेशा वैधानिक निर्देशों, शर्तों और सीमाओं के माध्यम से विनियमित या संशोधित किया जा सकता है।निर्धारिती का यह निवेदन कि किसी को यह निर्धारित करने के लिए केवल उद्देश्यों को देखना होगा कि क्या यह अधिनियम की धारा 2 (15) के लिए धर्मार्थ उद्देश्य का गठन करता है, अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि छूट या बहिष्करण केवल विश्वास के उद्देश्यों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि इस बात पर आधारित हैं कि क्या न्यास का उद्देश्य किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति है।

सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता "।

III. विश्लेषण और तर्क

92. कानून के इतिहास और "धर्मार्थ उद्देश्य" की विकसित व्याख्या से पता चलता है कि-पी. कृष्ण वारियर (उपरोक्त) में, इस अदालत ने इस विषय पर पिछले न्यायशास्त्र (पुराने कानून की पहले से मौजूद धारा 4 (3) के आलोक में) के साथ-साथ 1953 में पेश किए गए संशोधन पर भी व्यापक रूप से विचार किया।उस समय, एक धर्मार्थ संगठन की आय, जो व्यवसाय से अर्जित होती थी, सीमाओं के अधीन थी।सीमाएँ यह थीं कि (i) व्यवसाय को पाठ्यक्रम में चलाया जाना था।

न्यास के प्राथमिक उद्देश्य को वास्तविक रूप से पूरा करना या
संस्था; या (ii) व्यवसाय के संबंध में कार्य होना था
इसे मुख्य रूप से संस्थान के लाभार्थियों द्वारा चलाया जाता है।ये
कृष्ण वारियार (ऊपर) में अभिव्यक्तियों पर विचार किया गया था, जहां अदालत ने माना था कि "संपत्ति" (एक न्यास की) शब्द का विस्तार व्यापक था, जिसमें व्यवसाय शामिल था।निम्नलिखित निर्णय, आंध्र चैंबर ऑफ कॉमर्स (उपरोक्त) में, जहां वाणिज्य मंडल का अपने उद्देश्यों में से एक था, जो इसे व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अलावा नीतियों या विधान की वकालत करने या उनका विरोध करने में सक्षम बनाता था, यह माना गया कि ऐसे उद्देश्यों का आकस्मिक समावेश, जिसमें एक राजनीतिक उद्देश्य का समर्थन करना शामिल है, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के अपने आवश्यक या मुख्य उद्देश्य को कमजोर नहीं करता है।नया प्रावधान, यानी आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15), "धर्मार्थ उद्देश्य" को सीमित रूप से परिभाषित करता हैः लाभ के लिए उन गतिविधियों के लिए कर छूट से इनकार करना जो सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक न्यास द्वारा की जाती थीं।इस परिवर्तन (पहले चर्चा की गई) का कारण यह था कि कर छूट का लाभ लेने का इरादा नहीं था

जी.

एच.

धर्मार्थ न्यासों को जो वाणिज्यिक सरोकार थे, जो सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करते हुए, उनके द्वारा प्रदान किए गए लाभों के लिए पूरी तरह से भुगतान किए जाते थे।

93. कुछ नोट के पहले दो निर्णय लोक शिक्षा हैं।
ट्रस्ट और भारतीय वाणिज्य मंडल (ऊपर)।पूर्व निर्णय,
बहुमत से, यह माना गया कि एक धर्मार्थ उद्देश्य के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, दो अवयवों को संतुष्ट करना होगा।यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिभाषा में परिवर्तन का अर्थ था कि धर्मार्थ उद्देश्य की चौथी श्रेणी होने के लिए, यह दिखाना आवश्यक था कि

> "(1) न्यास का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को आगे बढ़ाना है, और (2) उपरोक्त उद्देश्य में लाभ के लिए कोई गतिविधि करना शामिल नहीं है।न्यास के उद्देश्य को धर्मार्थ उद्देश्य मानने से पहले उपरोक्त दोनों शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।"

94. भारतीय वाणिज्य मंडल में यह न्यायालय स्पष्ट रूप से
यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही लाभ के लिए गतिविधि, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हो, दान छूट का दावा नहीं कर सकता है।अदालत ने निम्नलिखित परीक्षण का संकेत दिया:

> "21. असली परीक्षा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर माँगना है:(क) क्या निर्धारिती का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का है?(ख) क्या उद्देश्य की प्रगति में धन लाने की गतिविधियाँ शामिल हैं?(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी गतिविधियाँ (i) लाभ के लिए या (ii) लाभ के बिना की जाती हैं?भले ही (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया जाए, यदि (ग) (i) का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया जाता है, तो छूट का दावा विफल हो जाता है।किसी गतिविधि के लाभ के लिए या उसके बावजूद होने की समस्या का समाधान तथ्यों के आधार पर एकत्र किया जाता है। गतिविधि की वास्तविक प्रकृति क्या है?जिसे आम लोग आम तौर पर लाभ के लिए चलाते हैं?क्या संविधान में लाभ कमाने के खिलाफ कोई अंतर्निहित निर्देश है?....."

जी. 95. सूरत आर्ट सिल्क में निर्णय की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है, न केवल इसलिए कि यह एक बड़ी पीठ द्वारा किया गया है, बल्कि इसलिए भी कि यह निर्धारिती की दलीलों का आधार रहा है-और यह वह आधार रहा है जिस पर लगभग सभी उच्च न्यायालयों ने 2008 में इसके संशोधन के बाद धारा 2 (15) की व्याख्या की है।जैसा कि पहले देखा गया है, पुराने अधिनियम (धारा 4 (3) में) में कोई ऐसी शर्त नहीं थी, जो दान को वाणिज्यिक गतिविधियों या लाभ कमाने वाली गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करती हो।इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचार ए

एच.

"किसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्था की ओर से किए गए व्यवसाय से होने वाली आय" को छूट दी जा रही है, बशर्ते कि "व्यवसाय किसी प्राथमिक उद्देश्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान किया जाता है।

संस्थान को 1953 में संशोधन द्वारा पेश किया गया था।यह व्याख्या की गई थी
आंध्र चैंबर ऑफ कॉमर्स और कृष्णा वारियर (ऊपर) में।
हालाँकि, संसद ने स्पष्ट रूप से एक प्रस्थान का इरादा किया, जब उसने आई. टी. अधिनियम के तहत नई धारा 2 (15) पेश की।
भारत में पहले के निर्णय
चैंबर ऑफ कॉमर्स और लोक शिक्षा ट्रस्ट (ऊपर) ने इस पर ध्यान दिया
परिवर्तन करें।सूरत कला (ऊपर) एक और प्रस्थान था।हालांकि इसने अदालत के पिछले फैसलों पर विचार किया, लेकिन यह जानबूझकर उनसे अलग हो गया, और यहां तक कि भारतीय वाणिज्य मंडल (उपरोक्त) में व्याख्या को भी खारिज कर दिया।सूरत आर्ट सिल्क की बड़ी पीठ ने पिछले फैसलों से इस आशय से सहमति व्यक्त की कि विचाराधीन गतिविधि (यानी इसे धर्मार्थ होने के लिए) की प्रेरणा लाभ से प्राप्त नहीं होनी चाहिए।हालांकि, वृहद पीठ ने 'प्रमुख उद्देश्य' के सिद्धांत को स्पष्ट किया और कहा कि जो महत्वपूर्ण था वह यह था कि क्या

सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को पूरा करने में शामिल गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करना है या

लाभ अर्जित करें "और यह कि ऐसी संस्था अपने धर्मार्थ चरित्र को केवल इसलिए नहीं खोएगी क्योंकि उक्त गतिविधि से कुछ लाभ हुआ था।

96. इस प्रकार, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह अनिवार्य रूप से धर्मार्थ था, या 'लाभ के लिए', एक संगठन का 'प्रमुख उद्देश्य' परीक्षण पैदा हुआ।यदि प्रमुख उद्देश्य लाभ के लिए नहीं था, लेकिन सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति, कि कुछ लाभ अर्जित किया गया था, ~~तो इसे धर्मार्थ~~ उद्देश्य के साथ एक संगठन होने का दावा करने से नहीं रोका जाएगा।हालाँकि, यदि प्रमुख उद्देश्य ऐसा था कि लाभ कमाना इसके साथ "जुड़ा हुआ" या "जुड़ा हुआ" था, तो संगठन या न्यास को धर्मार्थ नहीं कहा जा सकता था।महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि विचाराधीन गतिविधि को जारी रखने का तरीका निर्धारक थाः

---

> “धर्मार्थ उद्देश्य की प्रकृति, धर्मार्थ उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए गतिविधि जिस तरह से की जा रही है और आसपास की परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से इंगित कर सकती हैं कि गतिविधि एक प्रमुख लाभ उद्देश्य से प्रेरित नहीं है।”

जी.

97. दिलचस्प बात यह है कि सूरत आर्ट सिल्क में बहुमत के फैसले द्वारा प्रस्तावित परीक्षण इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (जिसे उसने खारिज कर दिया था) में वकालत किए गए परीक्षण के समान है।दृष्टिकोण में अंतर यह है कि सूरत आर्ट सिल्क ने यह देखने के लिए "प्रमुख वस्तु" परीक्षण की वकालत की कि क्या

एच.

उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति के लिए है, लाभ के उद्देश्य से रहित,
जबकि भारतीय वाणिज्य मंडल (ऊपर) में, न्यायालय ने नहीं किया
किसी "प्रमुख वस्तु" पर विचार करना या उसकी कल्पना करना।दोनों निर्णयों के बीच दूसरा अंतर यह है कि सूरत आर्ट सिल्क ने कहा कि लाभ के उद्देश्य को छोड़कर किसी दिए गए न्यास के गठन में एक स्पष्ट प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि भारतीय वाणिज्य मंडल में ऐसी शर्त की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था।

98. सूरत आर्ट सिल्क (ऊपर) के बाद इस अदालत के फैसलों में, के उच्चारण और परीक्षण को लागू करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया।
“प्रमुख "वस्तु।आयकर आयुक्त बनाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 101 मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया थाः“दूसरे शब्दों में, सूरत आर्ट सिल्क के मामले (उपरोक्त) में बहुमत का विचार यह था कि इस शर्त को पूरा किया जाएगा कि लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को जारी रखना शामिल नहीं होना चाहिए, यदि लाभ कमाना वास्तविक उद्देश्य नहीं है।इसलिए न्यास के प्रमुख या प्राथमिक उद्देश्य के सिद्धांत को निर्णायक कारक माना गया है, यहां तक कि दान के चौथे प्रमुख के संबंध में भी।, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति, ताकि व्यावसायिक गतिविधि को मुख्य उद्देश्य के लिए केवल सहायक या आनुषंगिक बनाया जा सके।”

99. महाराष्ट्र बार काउंसिल (ऊपर) में इस न्यायालय ने विचार किया
क्या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत गठित एक बार काउंसिल ऐसी गतिविधियों का प्रदर्शन करती है जो धर्मार्थ प्रकृति की होती हैं; यह माना गया था कि क़ानून कई गतिविधियों को बाध्य करता है जिनका प्रमुख उद्देश्य लाभ के उद्देश्य के बिना सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति करना था।इस अदालत ने माना कि अधिनियम के प्रावधान

जी. “मुकदमेबाजी करने वाली जनता को बेईमान पेशेवरों से उनकी ओर से किसी भी कदाचार के लिए दंडित करके उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है; यह राज्य बार काउंसिल के अनिवार्य कार्यों में से एक है कि वह कानून सुधार के उपायों को बढ़ावा दे और उनका समर्थन करे और साथ ही प्रतिष्ठित न्यायविदों द्वारा कानून सेमिनार आयोजित करे और कानूनी विषयों पर वार्ता आयोजित करे, जाहिर तौर पर आम जनता को शिक्षित करने के उद्देश्य से, खंड (ई. ई. ई.) द्वारा निर्धारित कार्य स्पष्ट रूप से धर्मार्थ प्रकृति का है, जैसा कि गरीबों को कानूनी सहायता का आयोजन करना है।

एच. 101 1981 (3) एससीआर489 ए

इन विभिन्न अनिवार्य कार्यों में से एक खंड (घ) के तहत अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना है और इसे एक प्राथमिक या प्रमुख कार्य या उद्देश्य के रूप में मानना मुश्किल है जिसके लिए निकाय का गठन किया गया है।यहां तक कि यह कार्य वादियों द्वारा वकीलों के प्रति दायित्वों के त्वरित निर्वहन को सुनिश्चित करने के अलावा उच्च व्यावसायिक मानकों और बार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है जो समाज के प्रति उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन में आवश्यक हैं।दूसरे शब्दों में, राज्य बार काउंसिल का प्रमुख उद्देश्य, जो विभिन्न अनिवार्य कार्यों से परिलक्षित होता है, मुकदमेबाज जनता के लिए सक्षम वकीलों की गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करना, कानूनी साक्षरता का प्रसार करना, कानून सुधारों को बढ़ावा देना और गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करना है, जबकि वकील-सदस्यों को होने वाला लाभ आकस्मिक है।

100. सूरत आर्ट सिल्क (उपरोक्त) में निर्णय के बाद जो विचार प्रचलित था, वह यह था कि जब तक किसी न्यास का "प्रमुख" उद्देश्य धर्मार्थ था, और यह अनिवार्य रूप से व्यापार या वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं था, तब तक उस मुख्य या प्रमुख गतिविधि के लिए आकस्मिक गतिविधियों के माध्यम से लाभ या अधिशेष का उत्पादन, इसके धर्मार्थ उद्देश्य को कमजोर नहीं करता था, जब तक कि अधिशेष या लाभ का उपयोग किया जाता था।

सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी उद्देश्य की उन्नति।

101. एक दिलचस्प विवरण यह है कि पुराने अधिनियम ने "धर्मार्थ उद्देश्य" को प्रतिबंधात्मक रूप से परिभाषित नहीं किया था, जिस तरह से आईटी अधिनियम ने 1961 में अधिनियमित होने पर किया था।इसने अदालतों को यह तय करने के लिए काफी हद तक व्याख्यात्मक लचीलापन दिया कि क्या एक वाणिज्यिक या व्यावसायिक तत्व को एक धर्मार्थ उद्देश्य के साथ जोड़ा जा सकता है।1953 के संशोधन ने सुनिश्चित किया कि

102 "ऐसी आय जो ऐसे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आवेदन के लिए लागू या संचित की जाती है जो कर योग्य क्षेत्रों के भीतर की गई किसी भी चीज़ से संबंधित है, और इस तरह से केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए आंशिक रूप से रखी गई संपत्ति के मामले में, आवेदन के लिए लागू या अंत में अलग रखी गई आय।

इसे किसी धर्मार्थ संगठन की कर योग्य आय के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता था।यह प्रावधान आई. टी. अधिनियम के तहत धारा 11 के लिए एक अग्रदूत है। दूसरे शब्दों में, पुराने अधिनियम की संरचना व्यवसाय के संचालन को प्रतिबंधित नहीं करती थी; यह एक शर्त बताती थी कि व्यवसाय से प्राप्त कोई भी आय

“एक प्राथमिक के वास्तविक निष्पादन के दौरान किया गया
संस्थान के उद्देश्य "यदि धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आवेदन किया जाता है, तो इसे छूट दी गई थी।

---

102 पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 4 (3) (i)।

102. दूसरा पहलू यह है कि सूरत आर्ट सिल्क (उपरोक्त) को आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि यह मूल रूप से था।तथापि, कराधान विधि संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा 01.04.1977), धारा 13 (1) (bb) अंतःस्थापित की गई थी।उस प्रावधान में धारा 11 और 12 (जिसके तहत दान की आय) के संचालन को शामिल नहीं किया गया था।

~~से प्राप्त आय के मामले में छूट पाने के हकदार थे)~~

~~चिकित्सा~~ राहत, शिक्षा और गरीबों को राहत देने में लगे दानों द्वारा व्यवसाय, जब तक कि व्यवसाय एक शर्त को पूरा न करेः

> "(बी) गरीबों की राहत के लिए एक धर्मार्थ ट्रस्ट या संस्था के मामलों में, शिक्षा या चिकित्सा राहत, जो किसी भी व्यवसाय को चलाती है, ऐसे व्यवसाय से प्राप्त कोई भी आय, जब तक कि व्यवसाय ट्रस्ट या संस्था के प्राथमिक उद्देश्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान नहीं किया जाता है;

103. सूरत आर्ट सिल्क (उपरोक्त) में व्याख्या, स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं हो सकती थी, बाद के संशोधन के आलोक में; हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि 01.04.1977 से प्रभाव के साथ, शर्त

संचालन करते समय न्यास के प्राथमिक उद्देश्य को वास्तविक रूप से पूरा करना
व्यवसाय की कल्पना केवल ~~गरीबों की राहत, शिक्षा या चिकित्सा राहत में शामिल न्यास~~ों के मामले में की गई थी।सूरत आर्ट ~~सिल्क (ऊपर) में बहुमत के फैसले ने इसे~~ मान्यता दीः

> "8. […] इसलिए, जहां कोई धर्मार्थ न्यास या संस्था धारा 2 खंड (15) में निर्धारित धर्मार्थ उद्देश्य की पहली तीन श्रेणियों में से किसी के भीतर आती है और वह अपने धर्मार्थ उद्देश्य के लिए न्यास के तहत व्यवसाय करती है, तो ऐसे व्यवसाय से होने वाली आय को धारा 13 (1) (बी. बी.) के कारण छूट नहीं दी जाएगी।इसलिए, धारा 11 की उप-धारा (4) का 'धर्मार्थ उद्देश्य' के पहले तीन शीर्षों में से किसी के भीतर आने वाले धर्मार्थ न्यास या संस्थान के मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।"

फिर भी, अदालत ने 'प्रमुख वस्तु' परीक्षण को लागू किया।103 इसलिए, नए जोड़े गए 13 (1) (बी. बी.) में अंतिम उद्देश्य, यानी जी. पी. यू. श्रेणी को जानबूझकर छोड़ने का मतलब था कि जब उन न्यासों को, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की
जी. उन्नति के उद्देश्य को पूरा करते हुए, व्यवसाय का संचालन करना था, तो आय पर कर लगाया जाना था (क्योंकि धारा 13 (1) के तहत मुख्य प्रावधान में धारा 11 और 12 के संचालन को शामिल नहीं किया गया था)।

---

एच. 103 सूरत आर्ट सिल्क का पैरा 19 देखें (इस फैसले के पैरा 18 पर ऊपर निकाला गया)।

104. अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो वित्त अधिनियम, 1983 (w.e.f.01.04) के साथ हुआ(1984).यह संशोधनः

(क) धारा 2 (15) के तहत प्रतिबंधात्मक शब्दों को हटा दिया गया है अर्थात "नहीं"।
लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को जारी रखना शामिल है "

(ख) धारा 13 (1) (ख) का लोप किया गया।

(ग) धारा 11 (4ए) 104 अंतःस्थापित की गई थी, जिसके द्वारा-सामान्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के उद्देश्य से स्थापित दान के संबंध में, "व्यवसाय" कर सकता है
"किसी संस्था द्वारा पूरी तरह से धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चलाया जाता है और व्यवसाय के संबंध में काम मुख्य रूप से संस्था के लाभार्थियों द्वारा किया जाता है, और ऐसे व्यवसाय के संबंध में ट्रस्ट या संस्था द्वारा अलग-अलग लेखा बहियां रखी जाती हैं।"

105. इसलिए यह स्पष्ट है कि 1 अप्रैल, 1984 के बाद, कानून में जी. पी. यू. श्रेणी के दान द्वारा की जा सकने वाली गतिविधि की प्रकृति के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं था।इसके अलावा, धारा 13 (1) (बी. बी.) की शर्त-जो अन्य प्रकार के न्यासों पर लागू होती है, यानी कि उनकी आय को धारा 11 के तहत छूट दी जा सकती है, जिस हद तक वे व्यवसाय से उत्पन्न होती हैं,

---

यदि व्यवसाय "एक के वास्तविक निष्पादन के दौरान" था
न्यास का प्राथमिक उद्देश्य "-हटा दिया गया था।दूसरी ओर, धारा 11 (4ए) के शब्दों से यह संकेत मिलता प्रतीत होता है कि व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति थी यदि न्यास के उद्देश्य पूरी तरह से धर्मार्थ थे, और इस तरह के व्यवसाय को उसके लाभार्थियों द्वारा चलाया जाना था।यह कानूनी स्थिति तब तक जारी रही जब तक कि 2008 में धारा 2 (15) के संबंध में प्रश्नगत संशोधन नहीं किए गए।

106. आई. टी. अधिनियम के तहत परिभाषित की जाने वाली प्रत्येक अभिव्यक्ति की प्रस्तावना के रूप में धारा 2 "जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होती है। 1922 के अधिनियम में परिभाषा खंड में प्रतिबंध का कोई शब्द नहीं था।हालाँकि, आई. टी. अधिनियम ने धर्मार्थ उद्देश्य को परिभाषित किया-शुरुआत में, प्रतिबंधात्मक रूप से, और फिर, मूल रूप से।

---

104 “(4क) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (3क) किसी भी आय, जो व्यवसाय का लाभ और लाभ है, के संबंध में तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि (क) व्यवसाय पूरी तरह से सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए किसी न्यास द्वारा किया जाता है और व्यवसाय में पुस्तकों का मुद्रण और प्रकाशन या पुस्तकों का प्रकाशन शामिल है या आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक प्रकार का है; या (ख) व्यवसाय पूरी तरह से धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक संस्था द्वारा किया जाता है और व्यवसाय के संबंध में काम मुख्य रूप से संस्था के लाभार्थियों द्वारा किया जाता है, और ऐसे व्यवसाय के संबंध में न्यास या संस्था द्वारा अलग-अलग लेखा बहियां रखी जाती हैं।…”

संसदीय आशय को प्रभावी बनाने वाले प्रावधानों को अधिनियमित किया।धारा 10 (23सी) (iv) किसी भी अन्य निधि या संस्थान की किसी भी "आय" को छूट देती है।
यह धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए साबित किया गया है जो निधि या संस्था के उद्देश्यों और पूरे भारत में या किसी भी राज्य या राज्यों में कराधान से इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

A. व्याख्या में सहायता करता है

((i) ~~विधान का इतिहास~~

107. संशोधन (अर्थात वित्त अधिनियम 2008, वित्त अधिनियम 2009, वित्त अधिनियम 2012 और वित्त अधिनियम 2015) खंडों पर उद्देश्यों और कारणों या टिप्पणियों के विवरण के माध्यम से प्रकाश नहीं डालते हैं।इसलिए न्यायालय को आसपास की परिस्थितियों का सहारा लेना होगा जिनके कारण संशोधन हुआ।

108. कानून के शब्दों का अर्थ उनकी शर्तों में, उन परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए जिनमें वे होते हैं।साथ ही, इस प्रस्ताव के लिए कुछ अधिकार है कि क़ानून-विशेष रूप से संशोधन करने वाले प्रावधानों पर, कानून के पिछले इतिहास के आलोक में विचार किया जा सकता है।डुपार्केट कं. बनाम में न्यायमूर्ति कार्डोजो।इवांस 105 ने कहा कि निर्माण से संबंधित प्रश्नों में, "इतिहास एक शिक्षक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।"इसी तरह, मुख्य न्यायाधीश लर्नड हैंड ने कहा

कि "कानूनों का हमेशा कुछ उद्देश्य या उद्देश्य पूरा करना होता है, जिनकी सहानुभूतिपूर्ण और कल्पनाशील खोज उनके अर्थ के लिए निश्चित मार्गदर्शक है"।

109. इस न्यायालय के कुछ फैसलों ने इस पहलू को उजागर किया है।में।
भुवाल्का स्टील इंडस।लिमिटेड और ओआरएस. वी.बॉम्बे आयरन एंड स्टील लेबर
बी. डी. & ओआरएस. 107 इस न्यायालय ने कहा कि

> “अधिनियमन के विधायी इरादे को कई स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है, जो हैं, क़ानून से ही, प्रस्तावना से लेकर क़ानून तक, उद्देश्यों और कारणों के विवरण से, विधायी बहसों से, समितियों और आयोगों की रिपोर्ट जो कानून से पहले की हैं और अंत में उन सभी वैध और स्वीकार्य स्रोतों से जहां से उन्हें अनुमति दी जा सकती है।विधायी इतिहास का संदर्भ दिया जा सकता है।

जी.

---

105 297 अमेरिका 216 (1936)
106 कैबेल बनाम मार्कहम (1945) 148 एफ 2डी 737 107 2009 (16) एससीआर 618 ए

एच.

और नवीनतम कानून भी।लेकिन, निर्माण का प्राथमिक नियम अधिनियम में उपयोग की जाने वाली सरल भाषा का पता लगाना होगा जो कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाती है।110. आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य बनामएलवीए।

दीक्षितुलु और ओआरएस। 108 एक बार फिर, अदालत ने माना कि किसी प्रावधान की व्याख्या करने के लिए कानून के इतिहास का सहारा लेना वैध हैः

> “.....नियोजित नियमों और वाक्यांशों के सही अर्थ का पता लगाने के लिए, न्यायालय के लिए यह वैध है कि वह प्रावधान की शुष्क शाब्दिक सीमाओं से परे जाए और निर्माण के अन्य अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त नियमों की सहायता के लिए कॉल करे, जैसे कि इसका विधायी इतिहास, समग्र रूप से क़ानून की मूल योजना और ढांचा, प्रत्येक भाग शेष पर प्रकाश डालता है, विधान का उद्देश्य, उद्देश्य जिसे प्राप्त करने की इच्छा है, और वे परिणाम जो अन्य संभावित व्याख्या की वरीयता में एक को अपनाने से हो सकते हैं।”

111. अन्य निर्णय 109 ने भी इसके निर्माण के लिए एक उपकरण के रूप में कानून के इतिहास के उपयोग पर टिप्पणी की है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अदालतें क़ानून के पिछले इतिहास और इसमें किए गए परिवर्तनों को देख सकती हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि जब कोई संशोधन पेश किया जाता है, या एक नया कानून लागू किया जाता है तो सांसदों का क्या इरादा होता है।इन कारकों के आलोक में, इसलिए अदालत के लिए यह भी उपयोगी होगा कि वह उस पृष्ठभूमि पर विचार करे जिसके कारण संशोधन हुआ-पहले 2008 में और उसके बाद 2012 और 2015 में, उन गतिविधियों की प्रकृति को प्रतिबंधित करने की मांग करते हुए जो एक जी. पी. यू. श्रेणी दान वैध रूप से कर सकता है।

((ii) ~~कानून के निर्माण के लिए अन्य बाहरी सहायता (क) संसद में भाषण~~

112. विधायिका या संसद में दिए गए भाषणों को संशोधन के औचित्य पर प्रकाश डालने के लिए देखा जा सकता है।उस प्रस्ताव के लिए कुछ अधिकार है।110 संसद में वित्त मंत्री के बयान से कुछ प्रकाश पाया जा सकता है, जो

जी.

---

108 1979 (1) एससीआर26
109 लोहिया मशीन्स लिमिटेड और ओआरएस बनामभारत संघ और अन्य 1985 (2) एससीआर 686; सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्य 2018
(9) एससीसी 1
110 पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ 1964 (1) एस. सी. आर. 371:
“संसद द्वारा पारित एक कानून, संसद के सामूहिक इरादे की अभिव्यक्ति है।

एच.

2008 में संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तन के खिलाफ की गई आलोचना का जवाब दिया।वित्त मंत्री ने धारा 2 (15) में संशोधन के खिलाफ की गई आलोचना पर निम्नलिखित शब्दों में टिप्पणी कीः

> "मैं एक बार फिर सदन को आश्वस्त करता हूं कि वास्तविक धर्मार्थ संगठन किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। सीबीडीटी, सामान्य प्रथा का पालन करते हुए, यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देशों वाला एक व्याख्यात्मक परिपत्र जारी करेगा कि क्या कोई संस्था व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में कोई गतिविधि कर रही है या किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि कर रही है।क्या उद्देश्य एक धर्मार्थ उद्देश्य है, यह मामले के तथ्यों की समग्रता पर निर्भर करेगा।आम तौर पर, वाणिज्य मंडल और अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करने वाले समान संगठन संशोधन से प्रभावित नहीं होंगे और उनकी गतिविधियों को "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति" के रूप में वंचित रखा जाएगा।"

(ख) विभागीय परिपत्र

113. निर्धारिती के लिए विद्वान अधिवक्ता ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या 1/2009 दिनांकित 27.03.2009 और परिपत्र No.11/2008 दिनांकित 19.12.2008 पर भरोसा किया।परिपत्र सं. 11/2008 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> "3. धारा 2 (15) में नया जोड़ा गया परंतुक केवल उन संस्थाओं पर लागू होगा जिनका उद्देश्य 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति' है अर्थात

---

समग्र रूप से विधायिका और किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह मंत्री हो, अधिनियम के इरादे और उद्देश्यों के बारे में दिए गए किसी भी बयान का उपयोग कानून में उपयोग किए गए शब्दों की व्यापकता को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है।"

साथ ही, बाद के फैसलों ने इस नियम की कठोरता में ढील दी है।के. पी. वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी, 1982 (1) एस. सी. आर. 629 में, इस अदालत ने मंत्री के बजट भाषण का उल्लेख करते हुए कहाः

"अब यह सच है कि विधानमंडल के सदस्यों द्वारा सदन में दिए गए भाषण जब एक वैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए एक विधेयक पर बहस की जा रही है, तो वैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के उद्देश्य से अस्वीकार्य हैं, लेकिन विधेयक के प्रस्तावक द्वारा विधेयक को पेश करने के कारण को समझाते हुए दिए गए भाषण को निश्चित रूप से कानून द्वारा दूर की जाने वाली शरारत और उस उद्देश्य और उद्देश्य का पता लगाने के उद्देश्य से संदर्भित किया जा सकता है जिसके लिए कानून बनाया गया है।"

जी.

इसी दृष्टिकोण का पालन करने वाले अन्य निर्णय रमेश यशवंत प्रभु बनाम हैं।
प्रभाकर काशीनाथ कुंते 1995 (पूरक 6) एस. सी. आर. 371; नोवार्टिस ए. जी. बनाम भारत संघ (2013) 6 एस. सी. सी. 1; सुराना स्टील्स (पी) लिमिटेड बनाम।आयकर आयुक्त 1999 (2) एस. सी. आर. 589 और कल्पना मेहता और अन्य बनामभारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य 2017 (7) एस. सी. सी.

एच. 295।

धारा 2 (15) में निहित 'धर्मार्थ उद्देश्य' की परिभाषा।इसलिए, ऐसी संस्थाएं अधिनियम की धारा 11 या धारा 10 (23सी) के तहत छूट के लिए पात्र नहीं होंगी यदि वे वाणिज्यिक गतिविधियों को जारी रखते हैं।ऐसी संस्था व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में कोई गतिविधि कर रही है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है जो गतिविधि की प्रकृति, दायरे, विस्तार और आवृत्ति के आधार पर तय किया जाएगा।

3.1.ऐसे उद्योग और व्यापार संघ हैं जो इस आधार पर धारा 11 के तहत कर से छूट का दावा करते हैं कि ये परियोजनाएं धर्मार्थ उद्देश्य के लिए हैं क्योंकि ये 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य' के तहत आती हैं। पारस्परिकता के सिद्धांत के तहत, यदि व्यापार उन व्यक्तियों के बीच होता है जो एक साथ जुड़े हुए हैं और किसी उद्यम या उद्देश्य के वित्तपोषण के लिए एक सामान्य निधि में योगदान करते हैं और इस संबंध में कोई लेनदेन नहीं होता है।

या किसी बाहरी निकाय के साथ संबंध, तो ऐसा संघ बनाने वाले व्यक्तियों को वापस किया गया कोई भी अधिशेष कर के लिए प्रभार्य नहीं है।ऐसे मामलों में, योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच पूरी पहचान होनी चाहिए।

इसलिए, जहां उद्योग या व्यापार संघ धर्मार्थ संस्थानों के साथ-साथ पारस्परिक संगठन होने का दावा करते हैं और उनकी गतिविधियाँ केवल उनके सदस्यों के योगदान और भागीदारी तक ही सीमित हैं, वे पारस्परिकता के सिद्धांत के कारण धारा 2 (15) के परंतुक के दायरे में नहीं आएंगे।हालाँकि, यदि ऐसे संगठनों का गैर-सदस्यों के साथ लेन-देन है, तो उनका धर्मार्थ संगठन होने का दावा अब धारा 2 (15) के परंतुक में निर्धारित अतिरिक्त शर्तों द्वारा शासित होगा।"

114. परिपत्र सं. 1/2009 दिनांकित 27.03.2009 में वित्त अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ हैं। अन्य बातों के साथ-साथ यह इस प्रकार हैः

"5. "धर्मार्थ उद्देश्य" की परिभाषा को सुव्यवस्थित करना

5.1 अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (15) गरीबों की राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी अन्य उद्देश्य की प्रगति को शामिल करने के लिए "धर्मार्थ उद्देश्य" को परिभाषित करती है।यह देखा गया है कि वाणिज्यिक लाइनों पर काम करने वाली कई संस्थाएं धारा 10 की उप-धारा (23सी) या अधिनियम की धारा 11 के तहत अपनी आय पर छूट का दावा कर रही हैं।

जी. एच.

इस आधार पर कि वे धर्मार्थ संस्थान हैं।यह इस तर्क पर आधारित है कि वे "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य की उन्नति" में लगे हुए हैं जैसा कि "धर्मार्थ उद्देश्य" की वर्तमान परिभाषा के चौथे अंग में शामिल है।ऐसा दावा, जब वाणिज्यिक आधार पर की गई गतिविधि के संबंध में किया जाता है, तो प्रावधान के इरादे के विपरीत होता है।

5.2 "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति" वाक्यांश के दायरे को सीमित करने की दृष्टि से, धारा 2 की उप-धारा (15) में यह प्रावधान करते हुए संशोधन किया गया है कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगी, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में कोई गतिविधि या किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि, उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए, ऐसी गतिविधि से आय के उपयोग या आवेदन या प्रतिधारण की प्रकृति के बावजूद, शामिल है।इस संशोधन के दायरे को सी. बी. डी. टी. ने अपने परिपत्र सं.11/2008 दिनांक 19 दिसंबर 2008।"

115. कर निर्धारकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने आई. टी. अधिनियम की धारा 119 के साथ-साथ इस अदालत के फैसलों पर भरोसा किया, जिसे नवनीत लाल झवेरी (ऊपर) और यूको बैंक कलकत्ता (ऊपर) के रूप में रिपोर्ट किया गया और तर्क दिया कि विभागीय परिपत्र कर प्रशासकों पर बाध्यकारी हैं, और उन्हें वैध रूप से निर्माण के सहायक के रूप में माना जाना चाहिए।यह वर्तमान मामले में परिपत्रों (No.11/2008 और सं. 1/2009) पर उनकी निर्भरता के समर्थन में था।

116. इस अदालत ने नवनीत लाल झवेरी (उपरोक्त) मामले में आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (6ए) (ई) और 12 (1बी) पर विचार किया, जिन्हें वित्त अधिनियम, 15,1955 द्वारा लागू किया गया था। 01.04.1955)।इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, दोनों प्रावधानों का संयुक्त प्रभाव यह था कि शेयरधारक कंपनियों को किए गए तीन प्रकार के भुगतान, जिनके लिए वे आवेदन करते थे, को कंपनी द्वारा रखे गए संचित लाभ की सीमा तक कर योग्य लाभांश के रूप में माना जाता था।इस प्रावधान को चुनौती दी गई थी।यह देखा गया कि संशोधन पेश करते समय, वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि बकाया ऋण और अग्रिम-
जी. अन्यथा ए. वाई. 1955-56 में लाभांश के रूप में कराधान के लिए उत्तरदायी, कर के अधीन नहीं होंगे यदि यह दिखाया जाता है कि उन्हें वास्तव में संबंधित कंपनियों को 30.06.1955 से पहले वापस कर दिया गया था।सरकार ने महसूस किया कि जब तक ऐसा कदम नहीं उठाया जाता, ए का संचालन

एच.

एएसएसटी। आय कर राजस्व (छूट) बनाम अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण [एस. रवींद्र भाट,जे.] ए.

धारा 12 (1बी) अत्यधिक कठिनाई का कारण बनती है, क्योंकि यह पिछले वर्षों के सभी बकाया ऋणों के कुल को शामिल करती है और उन शेयरधारकों पर अनुचित रूप से उच्च देयता का कारण बन सकती है जिन्हें ऋण आगे बढ़ाया गया हो सकता है।केंद्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा 10.05.1955 पर एक परिपत्र [संख्या 20 (XXI-6)/55] जारी किया गया था।इस संदर्भ में न्यायालय ने कहा किः

> "यह स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया इस प्रकार का एक परिपत्र धाराओं के तहत अधिनियम के निष्पादन में कार्यरत सभी अधिकारियों और व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगा।5(8) अधिनियम से। इस परिपत्र में सभी अधिकारियों को बताया गया कि यह संभावना है कि कुछ कंपनियों ने ऋणों के वास्तविक लेनदेन के परिणामस्वरूप अपने शेयरधारकों को अग्रिम ऋण दिए हों, और इस तरह के लेनदेन को प्रभावित करने और उन्हें नए प्रावधान की शरारत के दायरे में लाने का विचार नहीं था।
>
> इसलिए, अधिकारियों से कहा गया कि वे सभी कंपनियों को सूचित करें कि यदि ऋणों का भुगतान 30 जून, 1955 से पहले वास्तविक तरीके से किया जाता है, तो उन्हें उन शेयरधारकों के कर दायित्व का निर्धारण करने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जिन्हें वे दिए गए होंगे।दूसरे शब्दों में, पिछले लेन-देन जो आम तौर पर एस के कड़े प्रावधानों को आकर्षित करते।12(1बी) जैसा कि इसे 1955 में पेश किया गया था, सभी कंपनियों और उनके शेयरधारकों को यह स्पष्ट करके उक्त प्रावधानों के संचालन से काफी हद तक छूट दी गई थी कि यदि पिछले ऋणों को वास्तव में कंपनियों को वापस कर दिया जाता है, तो उन्हें एस के तहत ध्यान में नहीं रखा जाएगा।12(1बी)।इसलिए, धारा 12 (1बी) आम तौर पर कंपनियों द्वारा अपने संबंधित शेयरधारकों को उनके द्वारा निर्धारित प्रावधानों की पूरी सूचना के साथ दिए गए ऋणों पर लागू होगी।"

117. इस अदालत ने अंततः संशोधनों को बरकरार रखा।जैसा कि स्पष्ट है, निर्णय में देखा गया कि परिपत्र में संशोधन को तत्काल लागू करने के अन्यथा कठोर परिणाम की कठोरता को कम करने की मांग की गई थी।परिपत्र में आने वाले सभी समय के लिए इसे लागू करने के लिए कुछ भी नहीं था।यह सरकार द्वारा संशोधन द्वारा प्रस्तुत मूल प्रावधान के संचालन का अस्थायी निलंबन जारी करने की प्रकृति में अधिक था। जी.

118. यूको बैंक, कलकत्ता (ऊपर) में, इस अदालत को लेखांकन की विधि के संबंध में धारा 145 के तहत जारी परिपत्रों से निपटना था एच.

बैंक ऋणों को बट्टे खाते में डालने के संदर्भ में, जब कोई निर्धारिती वाणिज्यिक प्रणाली (लेखांकन) का पालन कर रहा था, इसका पालन किया जाना चाहिए।अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 119 (2) के तहत, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आय के किसी भी वर्ग या मामलों के वर्ग के संबंध में सामान्य या विशेष आदेश जारी करने का अधिकार है, जो निर्धारण से संबंधित कार्य में पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के रूप में निर्धारिती के लिए प्रतिकूल नहीं होते हैं।अदालत ने कहा कि

> "9. […] इस प्रकार बोर्ड के पास, अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिपत्र जारी करके कानून की कठोरता को कम करने और इसके प्रावधानों का निष्पक्ष प्रवर्तन सुनिश्चित करने की शक्ति है, जो अधिनियम के प्रशासन में अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं। हालाँकि, धारा 119 (2) (ए) के तहत, उसमें विचार किए गए परिपत्र निर्धारिती के लिए प्रतिकूल नहीं हो सकते हैं।इस प्रकार, जो प्राधिकरण अधिनियम के तहत अपने लाभ के लिए शक्ति का उपयोग करता है, उसे कानून की कठोरता में ढील देकर या धारा 119 में निर्धारित अन्य अनुमेय तरीकों से इसका उपयोग करने के लिए आवश्यक होने पर लाभ छोड़ने का अधिकार दिया जाता है।यह शक्ति मूल्यांकन के कार्य के न्यायपूर्ण, उचित और कुशल प्रबंधन के उद्देश्य से और जनहित में दी गई है।"

119. नवनीत लाल झवेरी (ऊपर) में व्यक्त किए गए विचार और बाद में यूको बैंक (ऊपर) में विस्तार से बताए गए विचार इस अदालत के अन्य निर्णयों 111 में प्रतिध्वनित हुए प्रतीत होते हैं।एक हालिया उदाहरण जहां इस अदालत ने व्याख्यात्मक परिपत्रों की सहायता ली, सी. आई. टी. बनाम में है।वाटिका टाउनशिप 112 जब यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि विचाराधीन संशोधन संभावित रूप से लागू होता है, तो अदालत ने एक परिपत्र में इस तरह के संभावित आवेदन के बारे में राजस्व की समझ का हवाला देते हुए उस धारणा का समर्थन किया।उस फैसले में जो बात ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि इस सवाल पर चर्चा नहीं की गई कि क्या कार्यपालिका द्वारा जारी परिपत्र या व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ निर्माण के लिए बाध्यकारी सहायक हैं; इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने पहले क़ानून की अपनी शर्तों में व्याख्या की, और फिर परिपत्र का हवाला दिया।

जी.

---

111 एलरमैन लाइन्स लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त 1972 (2) एससीआर 168; के. पी. वर्गीज बनाम आयकर आयुक्त 1982 (1) एससीआर 629; भारत संघ बनाम आजादी बचाओ
आंदोलन 2003 (पूरक 4) एससीआर 222 112 (2015) 1 एससीसी 1 ए

एच.

120. यह परिपत्र किसी वैधानिक प्रावधान की व्याख्या के संबंध में अदालतों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं और विभागीय अधिकारियों के लिए व्याख्या के लिए सबसे अधिक मार्गदर्शक या सहायक हैं, जो उन्हें ध्यान में रखने के लिए बाध्य हैं, केशवजी रवजी एंड कंपनी और अन्य में स्पष्ट रूप से कहा गया था।आय कर आयुक्त 113 जहाँ न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "यह तर्क और वह प्रस्ताव जिस पर यह आधारित है, अर्थात्, कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्रों में एक बाध्यकारी कानूनी गुणवत्ता है, स्पष्ट रूप से, बहुत व्यापक रूप से कही जाने की आलोचना की जाती है।बोर्ड इस विषय पर परिपत्र जारी करके 'अधिनियम' के प्रावधान के दायरे और दायरे की न्यायिक व्याख्या को रोक नहीं सकता है।यह इतना स्पष्ट प्रस्ताव है कि इसके लिए किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं है।एक परिपत्र कर दाता पर उस बोझ से अधिक बोझ भी नहीं लगा सकता है जिसकी कल्पना अधिनियम स्वयं एक सच्ची व्याख्या पर करता है।कानूनों की व्याख्या का कार्य अदालतों का अनन्य क्षेत्र है।हालाँकि, श्री रामचंद्रन के दिमाग में वास्तव में यही है-निर्धारिती के लिए फायदेमंद परिपत्र और जो अधिनियम की धारा 119 के तहत या पूर्ववर्ती अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किए गए कानून की कठोरता को कम करते हैं, अधिनियम के प्रशासन में अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं। न्यायाधिकरण, बहुत कम उच्च न्यायालय, अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण है। वृत्ताकार उन्हें बांधते नहीं हैं।लेकिन निर्धारिती के लिए इस तरह के परिपत्रों के लाभों को अनुमेय माना गया है, भले ही परिपत्र वैधानिक प्रावधान के सख्त कार्यकाल से अलग हो गए हों और कानून की कठोरता को कम कर दिया हो।लेकिन यह कहने के समान बात नहीं है कि इस तरह के परिपत्रों का या तो प्रावधान की व्याख्या में ही बाध्यकारी प्रभाव पड़ेगा या यह कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय से परिपत्र के आलोक में कानून की व्याख्या करने की अपेक्षा की जाती है।हालाँकि, इस दृष्टिकोण के लिए कुछ न्यायिक टिप्पणियों का समर्थन है कि इस तरह के परिपत्र निर्माण के लिए बाहरी सहायक हैं।"

121. इस विचार को सीमा शुल्क आयुक्त बनाम भारतीय तेल निगम 114 में स्वीकार किया गया था, जिसने कुछ हद तक स्पष्टता के साथ स्थिति को स्पष्ट किया था।नवनीत लाल झवेरी (उपरोक्त) और अन्य निर्णयों पर टिप्पणी करते हुए यह देखा गया कि

113 1992 (2) एस. सी. सी. 331 114 2004 (2) एस. सी. आर. 511

> “30. उस मामले में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था कि भले ही परिपत्र स्पष्ट रूप से अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था, लेकिन यह प्रबल होना चाहिए, दूसरी ओर, विद्वान न्यायाधीश परिपत्र को कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन विवादित प्रावधानों के संचालन से छूट का लाभ देने के रूप में देखने के लिए इच्छुक थे।नवनीत लाल के मामले को दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठों द्वारा तय किए गए दो मामलों में भेजा गया और समझा गया।पहला मामला एलरमैन लाइन्स लिमिटेड बनाम का था।आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल [1971] 82आईटीआर913 (एससी) और दूसरा केपी वर्गीज बनाम आईटी अधिकारी, एर्नाकुलम [1981] 131आईटीआर597 (एससी) है।इन दोनों मामलों में यह माना गया था कि नवनीत लाल का मामला इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण था कि भले ही परिपत्र में दिए गए निर्देश अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट रूप से विचलित हों, फिर भी राजस्व इसके लिए बाध्य है।इन तीन निर्णयों को बार-बार संदर्भित किया गया और बाद के निर्णयों में उन पर भरोसा किया गया जिसमें आयकर अधिनियम या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत परिपत्रों की बाध्यकारी प्रकृति के संबंध में मुद्दा उठा। बीच में, सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड में तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय था।धन कर आयुक्त [1970] 77आईटीआर6 (एससी) जिसमें आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 5 (8) के अनुरूप धन कर अधिनियम की धारा 13 विचार के लिए थी।इस न्यायालय का विचार था कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश प्रशासनिक मामलों में विभागीय अधिकारियों की शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अर्ध-न्यायिक नहीं।तीन न्यायाधीशों की पीठ का एक और निर्णय है जो इस प्रस्ताव के महत्व को कम करता प्रतीत होता है कि बोर्ड के परिपत्र, भले ही वे अधिनियम के प्रावधानों के स्पष्ट रूप से विपरीत हों, अधिनियम के प्रशासन में संबंधित अधिकारियों को प्रभावी और बाध्यकारी बनाए जाने चाहिए। यह केशवजी रावजी एंड कंपनी बनाम का मामला है।आई. टी. आयुक्त [1990] 183 आई. टी. आर. 1 (एससी) "

जी. 122. निर्णयों के बीच टकराव को देखते हुए, बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों की बाध्यकारी प्रकृति पर (अप्रत्यक्ष कराधान के मुद्दों से निपटने वाले अधिकारियों के निर्णयों के संदर्भ में) इस अदालत ने पांच न्यायाधीशों के फैसले द्वारा,

रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज (ऊपर) में कहा गया है कि "6. बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र और निर्देश निस्संदेह संबंधित ए के तहत अधिकारियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।

एच.

कानून, लेकिन जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर कानून घोषित करता है, तो न्यायालय के लिए यह निर्देश देना उचित नहीं होगा कि परिपत्र को प्रभावी बनाया जाना चाहिए न कि इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय में व्यक्त विचार को।जहां तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरणों/परिपत्रों का संबंध है, वे केवल वैधानिक प्रावधानों की उनकी समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं।वे अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। यह घोषणा करना न्यायालय का काम है कि क़ानून का विशेष प्रावधान क्या कहता है और यह कार्यपालिका के लिए नहीं है।एक अन्य कोण से देखने पर, एक परिपत्र जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, वास्तव में कानून में मौजूद नहीं है।"

123. इस अदालत की राय में, केशवजी में व्यक्त किए गए विचार
रवजी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज
(हालांकि अंतिम निर्णय में (नवनीत लाल झवेरी) का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह सही स्थिति दर्शाता है, यानी कि परिपत्र विभागीय अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं, अगर वे वैधानिक प्रावधान के ढांचे के भीतर एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हैं। हालाँकि, यदि वे किसी क़ानून के सादे शब्दों के विपरीत हैं, तो वे बाध्यकारी नहीं हैं।इसके अलावा, वे अदालतों को बाध्य नहीं कर सकते हैं, जिन्हें अपनी शर्तों में स्वतंत्र रूप से क़ानून की व्याख्या करनी होती है।इस तरह के कार्य में, उन्हें विषय पर विभागीय समझ के रूप में माना जा सकता है और उनका सीमित प्रेरक मूल्य हो सकता है।सबसे ऊपर, वे कर प्रशासकों और अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं, यदि वे क़ानून के साथ सहमत हैं और क़ानून के विपरीत नहीं हैं; सबसे बुरी बात यह है कि अगर वे क़ानून के स्पष्ट अर्थ में कटौती करते हैं, या अपनी स्पष्ट शर्तों के विपरीत उड़ते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए।

ख. धारा 2 (15) की व्याख्या, परिभाषा खंड

124. आयकर अधिनियम की धारा 2 इस वाक्यांश के साथ शुरू होती है
"जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो।यह एस. के. गुप्ता में आयोजित किया गया है।
& एन. आर. वी.के. पी. जैन और अन्र. 115 कि जहाँ किसी शब्द की परिभाषा से पहले यह वाक्यांश होता है, आम तौर पर, खंड में दी गई परिभाषा
"लागू किया जाना चाहिए और प्रभाव दिया जाना चाहिए लेकिन इस सामान्य नियम को विचलित किया जा सकता है यदि यह दिखाने के लिए संदर्भ में कुछ है कि परिभाषा
इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।यह नियम इंदिरा नेहरू में भी अपनाया गया था।
गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्र। 116 खन्ना, जे और काल्या में

115 (1979) 3 एससीसी 54। 116 (1975) सप.एससीसी 1

एच.

सिंह बनाम गेंदलाल और अन्य 117।इससे पहले, वैनगार्ड फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम.एम/एस. फ्रेजर और रॉस और एनर। 118, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "जब तक संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो" शब्द का तात्पर्य है कि
इस प्रकार परिभाषित शब्द या शब्द को संदर्भ के अधीन लागू किया जाना चाहिए।यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी योग्यता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को न केवल शब्दों को देखना है, बल्कि ऐसे मामलों के संबंध में संदर्भ, संयोजन और ऐसे शब्दों के उद्देश्य को भी देखना है और परिस्थितियों में शब्दों के उपयोग द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अर्थ को ध्यान में रखना है।लगभग यही तर्क एन. के. जैन और ओ. आर. एस. बनाम में प्रतिध्वनित किया गया है।सी. के.

शाह और ओआरएस 119।

125. कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित शब्दों का महत्व यह है कि वे व्याख्या के लिए आंतरिक और बाध्यकारी सहायक हैं। प्रस्तावना -
किसी भी परिभाषा के लिए-वाक्यांश की "जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो"
केवल यह दर्शाता है कि यदि अधिनियम के मुख्य भाग में किसी विशिष्ट प्रावधान (ओं) में स्पष्ट रूप से इसके विपरीत कुछ भी है, तो एक अलग अर्थ लगाया जा सकता है।हालाँकि, किसी प्रावधान के उद्देश्य को समझने के लिए, जब भी क़ानून में अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, तो परिभाषित शब्द को प्रबल होना पड़ता है।यह नियम इस अपवाद के अधीन है कि जब कोई विपरीत इरादा स्पष्ट होता है, विशेष रूप से, तो वह अर्थ दिया जाना चाहिए।इसलिए, पिछली चर्चा के आलोक में, यह न्यायालय 2008 में अपने संशोधन के बाद, बाद के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, "धर्मार्थ उद्देश्य" के सही अर्थ की व्याख्या करेगा।

126. जैसा कि इस फैसले की शुरुआत में देखा गया है, जी. पी. यू. दान को दान की 'प्रति श्रेणियों' (शिक्षा, चिकित्सा राहत, गरीबों को राहत; और बाद में-जल शेड, स्मारकों, पर्यावरण और योग का संरक्षण) से अलग माना गया है।धर्म दीप्ति (ऊपर) में इस अदालत के फैसले में स्पष्ट किया गया है कि प्रति श्रेणियां-लाभ की गतिविधियों को छोड़ने की प्रतिबंधात्मक शर्त के अधीन नहीं हैं।इस सिद्धांत के इस प्रतिपादन का समर्थन बाद के सभी निर्णयों में किया गया है-सूरत आर्ट सिल्क (सुप्रा) से शुरू होता है।इसलिए, दान के खिलाफ संसद द्वारा लगाया गया प्रतिबंध-उन्हें लाभ की गतिविधियों को करने से प्रतिबंधित करना-पहली छह श्रेणियों पर लागू नहीं होता है।यद्यपि सूरत आर्ट सिल्क (उपरोक्त) में ऐसा अवसर नहीं आया था (क्योंकि यह न्यायालय 1975 से पहले ए. वाई. के साथ काम कर रहा था), धारा 13 (1) (बी. बी.) में प्रावधान जो तब 01.04.1977 से प्रभावी था, ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया।

जी.

---

117 (1975) 3 एससीआर 783 118 (1960) 3 एससीआर 837 119 (1991) 1 एससीआर 938 ए

एच.

कि इसने इन प्रति श्रेणी दानों को, उनकी गतिविधियों के वास्तविक संचालन के दौरान, लाभ अर्जित करने की अनुमति दी।बेशक, इस प्रावधान को 01.04.1984 से हटा दिया गया था।साथ ही, जी. पी. यू. पर लाभ के लिए गतिविधियों में शामिल होने पर लगाए गए प्रतिबंध को भी हटा दिया गया था।127. जैसा कि थांथी ट्रस्ट (उपरोक्त) में देखा गया है, धारा 11 (4ए) को मूल रूप से 01.04.1984 से लागू किया गया था और इसके स्थान पर डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1991 को रखा गया था।उस स्तर पर, कानून जैसा कि खड़ा था, जी. पी. यू. श्रेणी के दान को लाभ की गतिविधियों को चलाने या व्यवसाय करने से प्रतिबंधित नहीं करता था। फिर भी यह अदालत सूरत आर्टसिल्क (उपरोक्त) के फैसले से बाध्य थी जिसने फैसला सुनाया था किः

(i) न्यासियों को धर्मार्थ और गैर-धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल होने का विवेक प्रदान करने वाले संविधान के साथ एक जी. पी. यू. श्रेणी का दान, छूट का दावा नहीं कर सकता था;

((ii) जी. पी. यू. श्रेणी दान का मुख्य या प्रमुख उद्देश्य अनिवार्य रूप से धर्मार्थ होना चाहिए।यदि ऐसा था, और संयोग से इसमें ऐसी गतिविधियों को जारी रखना शामिल था जिससे लाभ हुआ, तो यह छूट का हकदार था।

128. इस अदालत की कानून के बारे में समझ, जैसा कि थांथी ट्रस्ट में व्यक्त की गई थी, इसलिए क़ानून द्वारा रंगीन थी जैसा कि यह मौजूद थी, और सूरत आर्ट सिल्क (ऊपर) में सूत्रीकरण।नतीजतन, थांथी ट्रस्ट ने इस पृष्ठभूमि में धारा 11 (4ए) की व्याख्या की और कहा कि उस मामले में निर्धारिती संयोग से लाभ के लिए गतिविधियों में लगा हुआ था।अदालत की यह भी राय थी कि धारा 11 (4ए) राजस्व की तुलना में व्यापक थी, जिसमें व्यवसाय के माध्यम से गतिविधियों को एक ट्रस्ट द्वारा संयोग से नहीं चलाया जा सकता था, जो अन्यथा एक जीपीयू श्रेणी का ट्रस्ट था।129. जैसा कि पहले देखा गया है, सूरत आर्ट सिल्क (ऊपर) और उसके बाद लिए गए निर्णयों (यानी, महाराष्ट्र बार काउंसिल,

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और
थांथी ट्रस्ट) ने 1983 में डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1984 कानून में दो बदलाव किए-एक ओर जी. पी. यू. श्रेणियों को लाभ उठाने से रोकने वाले प्रतिबंधात्मक शब्दों को हटाना और दूसरी ओर धारा 13 (1) (बी. बी.) को हटाना और दूसरी ओर धारा 11 (4ए) को लागू करना।अन्यथा कोई सार्थक वैधानिक परिवर्तन नहीं हुआ।इसलिए यह पद लगभग 25 वर्षों तक बना रहा।
जी.

130. इसकी शुरूआत के बाद, 2008 में संशोधन द्वारा, धारा 2 (15) को निम्नानुसार पढ़ा गयाः

एच.

(15) “धर्मार्थ उद्देश्य "में गरीबों की राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी अन्य उद्देश्य की उन्नति शामिल हैः

बशर्ते कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति एक धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगा, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में किसी गतिविधि को चलाना या किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि शामिल है, तो उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए, ऐसी गतिविधि से आय के उपयोग या आवेदन या प्रतिधारण की प्रकृति की परवाह किए बिना;

131. धारा 2 (15) में आने वाले "प्रकृति में" शब्द की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा अक्सर की गई है।जी. वेंकटस्वामी नायडू बनाम आयकर आयुक्त 120 में भूमि की बिक्री के अलग-अलग लेनदेन को व्यापार या व्यवसाय की प्रकृति में गतिविधि नहीं माना गया था।राज्य में

तमिलनाडु बनाम.बर्मा शेल तेल भंडारण वितरण कंपनी
इंडिया लिमिटेड 121 परीक्षण ने संकेत दिया कि क्या आवृत्ति, आयतन,
लाभ के उद्देश्य से किए गए लेन-देन की निरंतरता और नियमितता।तमिलनाडु राज्य बनाम शक्ति संपदा 122 में, निर्धारिती का
वन भूमि को पट्टे पर देने, उन्हें साफ करने और लकड़ी के स्लीपर बनाने की गतिविधियाँ, जिन्हें बेचा गया था, साथ ही लकड़ी का कोयला, जिसे बेचा गया था।
"निरंतर, व्यवस्थित और संगठित गतिविधियों" की श्रृंखला को व्यवसाय की प्रकृति में माना जाता था।नागरिक आपूर्ति निदेशक बनाम सदस्य
राजस्व बोर्ड 123 इस न्यायालय ने रेखांकित किया कि व्यवसाय की प्रकृति में क्या गतिविधि होगीः

“किसी गतिविधि को व्यवसाय मानने के लिए लेन-देन का एक क्रम होना चाहिए, या तो वास्तव में जारी रहना चाहिए या लाभ के उद्देश्य से जारी रखने के लिए विचार किया जाना चाहिए; लाभ कमाने के एक निर्धारित उद्देश्य के साथ कोई वास्तविक और व्यवस्थित या संगठित गतिविधि या आचरण होना चाहिए।लेन-देन के एक क्रम से यह अनुमान लगाने के लिए कि इसका उद्देश्य सामान्य रूप से व्यवसाय को जारी रखना है, मात्रा, आवृत्ति, निरंतरता और प्रणाली की विशेषताएँ मौजूद होनी चाहिए जो लाभ के लिए लेनदेन को जारी रखने की गतिविधि को इंगित करती हैं।लेकिन कोई भी परीक्षण या परीक्षणों का समूह व्यवसाय को जारी रखने के इरादे के बारे में निर्णायक नहीं है।“

जी.

---

120 1959 (सप्लीमेंट 1) एससीआर 646 121 1973 (2) एससीआर 636 122 1989 (1) एससीआर 408 123 1967 (3) एससीआर 778 ए

एच.

132. "के संबंध में" शब्द की व्याख्या रेनुसागर में की गई थी।
पावर कं. लिमिटेड बनामजनरल इलेक्ट्रिक कं. 124 एक मध्यस्थता खंड में-के रूप में
निम्नलिखित हैः

> “25..... (2) "अनुबंध से उत्पन्न होने वाली या" के संबंध में या "के संबंध में" या "के संबंध में" या "के परिणामस्वरूप या" संबंधित "या" अनुबंध से संबंधित "जैसी अभिव्यक्तियाँ व्यापक आयाम और विषय वस्तु की होती हैं।

मनसुखलाल धनराज जैन बनाम एकनाथ विट्ठल ओगले 125 में यह
अदालत ने "संबंधित" शब्द के आयाम को रेखांकित कियाः

> “16. इसलिए यह स्पष्ट है कि लघु कारण न्यायालय अधिनियम की धारा 41 (1) में पाया गया वाक्यांश "कब्जे की वसूली से संबंधित" प्रकृति में व्यापक है और इसमें सभी प्रकार के मुकदमे और कार्यवाहियां शामिल हैं जो लाइसेंसधारी से मुकदमे की संपत्ति के कब्जे की वसूली से संबंधित हैं और इसलिए, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे जो प्रतिवादी को लाइसेंसधारी-वादी से ऐसे कब्जे की जबरन वसूली करने से रोकते हैं, उक्त वाक्यांश के व्यापक दायरे में आते हैं।”

डॉयपैक सिस्टम (पी) लिमिटेड बनामभारत संघ 126, यह न्यायालय
यह निर्णय दिया कि "के संबंध में" अभिव्यक्ति व्यापक है और "के संबंध में" और "के संबंध में" के समान है; और यह भी विस्तृत है।अदालत ने कहाः

> “50. अभिव्यक्ति "के संबंध में" (इसलिए भी "से संबंधित"), एक बहुत व्यापक अभिव्यक्ति है जो किसी अन्य विषय वस्तु का अनुमान लगाती है।ये व्यापकता के शब्द हैं जिनका संदर्भ के आधार पर प्रत्यक्ष महत्व के साथ-साथ अप्रत्यक्ष महत्व भी हो सकता है।यह मानते हुए कि शेयरों और भूमि में निवेश उपक्रम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन अलग-अलग विषय हैं, फिर भी उपरोक्त अभिव्यक्तियों के कारण इन्हें निहित करने के दायरे में लाया जाएगा।इस संबंध में पृष्ठ 620 और 621 पर 76 कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम का संदर्भ दिया जा सकता है जहां यह कहा गया है कि "संबंधित" शब्द को संबंध या संबंध में लाने के अर्थ के रूप में भी परिभाषित किया गया है।इसमें है।

जी.

---

124 1985 (1) एससीआर 432 125 1995 (1) एससीआर 996 126 1988 (2) एससीसी 299

एच.

स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "संबंधित" को "संबंधित" और "संबंधित" के बराबर या पर्यायवाची माना गया है।"संबंधित" अभिव्यक्ति विस्तार की अभिव्यक्ति है न कि संकुचन की।"

133. इसलिए, जी. पी. यू. चैरिटी वैध रूप से किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं, इस संबंध में स्थिति 2015 तक अस्थिर स्थिति में थी।हालांकि, संशोधन संचयी रूप से उन प्रतिबंधों की ओर इशारा करते हैं जो स्थिर थेः

(1) में शामिल ऐसे दानों पर लागू निषेध

"व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की गतिविधियाँ, या किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि, उपकर या शुल्क या किसी अन्य विचार के लिए"

(2) " ऐसी गतिविधि से आय के उपयोग या अनुप्रयोग या प्रतिधारण की प्रकृति के बावजूद "(अर्थात गतिविधि)

उपकर, शुल्क या अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में)।

134. पूर्वव्यापी संशोधन द्वारा, धारा 2 (15) में, परंतुक के बाद, 01.04.2009 से प्रभावी दूसरा परंतुक जोड़ा गया था।-

"बशर्ते कि पहला परंतुक तब लागू नहीं होगा जब उसमें निर्दिष्ट गतिविधियों से प्राप्तियों का कुल मूल्य पिछले वर्ष में दस लाख रुपये या उससे कम हो।

दूसरे परंतुक की शुरुआत के साथ, परिणामी स्थिति यह थी कि पहला परंतुक (एक गतिविधि के माध्यम से आय के बहिष्करण का जैसा कि संदर्भित है) लागू नहीं था यदि ऐसी गतिविधि की प्राप्तियों का कुल मूल्य 10,00,000 से अधिक नहीं था, और बाद में वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा-इसे 25,00,000 तक बढ़ा दिया गया था।

135. अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से हुआ, जिसने डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2016 ने निम्नलिखित प्रावधान के साथ धारा 2 (15) के दो प्रावधानों को प्रतिस्थापित कियाः

जी.

"बशर्ते कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति एक धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगा, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में कोई गतिविधि या किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि शामिल है, तो उपयोग की प्रकृति या किसी अन्य विचार के बावजूद, उपकर या शुल्क के लिए।

एच.

ऐसी गतिविधि से आय का अनुप्रयोग या प्रतिधारण, जब तक कि -

((i) ऐसी गतिविधि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति को वास्तविक रूप से पूरा करने के क्रम में की जाती है; और

(ii) पिछले वर्ष के दौरान ऐसी गतिविधि या गतिविधियों से कुल प्राप्तियां, उस पिछले वर्ष की ऐसी गतिविधि या गतिविधियों को करने वाले न्यास या संस्थान की कुल प्राप्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

136. जी. पी. यू. चैरिटी (2009-2015 अवधि के लिए) को दूसरे प्रावधान द्वारा दी गई सीमित राहत यह थी कि ऐसे जी. पी. यू. श्रेणी के मामले में
दानदाताओं ने अपने जी. पी. यू. वस्तुओं के वास्तविक निष्पादन के दौरान की गई गतिविधियों को जारी रखा जो व्यापार की प्रकृति में थे,
वाणिज्य या व्यवसाय, या व्यापार, व्यवसाय, आदि के संबंध में कोई सेवा प्रदान की गई, और संग्रहित शुल्क, उपकर, या अन्य विचार, ऐसी आय को तब भी छूट दी जा सकती है, यदि यह 10,00,000 (और बाद में, 25,00,000) से अधिक नहीं थी।2015 के संशोधन द्वारा, दूसरे परंतुक को हटा दिया गया था और व्यापार, वाणिज्य आदि करने की अनुमति के संबंध में दो शर्तें पेश की गई थीं:

((i) ऐसी गतिविधि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति को वास्तविक रूप से पूरा करने के क्रम में की जाती है; और

(ii) पिछले वर्ष के दौरान ऐसी गतिविधि या गतिविधियों से कुल प्राप्तियां, उस पिछले वर्ष की ऐसी गतिविधि या गतिविधियों को करने वाले न्यास या संस्थान की कुल प्राप्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

137. अब तक "धर्मार्थ उद्देश्य" शब्द में परिवर्तनों की प्रकृति और न्यायिक सोच ने इसे कैसे आकार दिया है, इस पर चर्चा करने के बाद, यह न्यायालय अब न्याय के दायरे के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पता लगाएगा।

"आम तौर पर सार्वजनिक उपयोगिता का कोई अन्य उद्देश्य" धर्मार्थ उद्देश्य नहीं है, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की कोई गतिविधि या किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि शामिल है, तो उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए, ऐसी गतिविधि से आय के उपयोग या आवेदन या प्रतिधारण की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना।"

138. संसदीय प्रयास, आई. टी. अधिनियम के तहत जी. पी. यू. श्रेणी के दान के कराधान पर लागू व्यवस्था को बदलना था। जी. पी. यू. दानदाताओं पर व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की गतिविधियों को चलाने या किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में उपकर या शुल्क या किसी अन्य विचार ~~के लिए कोई~~ भी सेवा प्रदान करने पर लगाया गया ~~पूर्ण प्रतिबंध इस इरादे का प्रमाण है।मूल धारा 2 (15) में ऐसी गतिविधियों के संबंध में~~ व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय या किसी सेवा का उल्लेख नहीं किया गया था।इसने केवल जी. पी. यू. दानदाताओं को 127 लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को करने से खुद को शामिल करने का आदेश दिया (जिसकी सूरत आर्ट सिल्क में व्याख्या की गई थी)।2008-2012 और 2015 के संशोधनों द्वारा लाया गया यह महत्वपूर्ण परिवर्तन व्यवसाय, वाणिज्य या व्यापार की प्रकृति में किसी भी प्रकार की गतिविधि में शामिल होने या उसके संबंध में कोई भी सेवा प्रदान करने और उपकर, शुल्क या प्रतिफल के माध्यम से आय अर्जित करने पर प्रतिबंध है।इस अदालत की राय में, एक ओर 'लाभ के लिए गतिविधि' के संदर्भ को स्पष्ट रूप से हटाना, और एक विस्तारित सूची का अधिनियमन करना कि जी. पी. यू. चैरिटी द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है यदि उन्हें चैरिटी के रूप में ~~अपनी विशेषता~~ को बनाए ~~रखना है, एक~~ जोरदार तरीका है जिसमें संसद खुद को व्यक्त करना चाहती है।

139. दोनों पक्षों के अधिवक्ताों ने इस प्रस्ताव के लिए कई निर्णयों का हवाला दिया कि "व्यापार या व्यवसाय" ऐसे शब्द हैं जो लाभ कमाने का संकेत देते हैं।वे खोडे डिस्टिलरीज (ऊपर); मेसर्स पर निर्भर थे।

रायपुर विनिर्माण (ऊपर); मद्रास बंदरगाह के न्यासी मंडल (ऊपर), और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला बनाम के. जी.

शर्मा 128।राजस्व द्वारा यह तर्क दिया गया था कि शर्तों का संदर्भ
“ऐसे व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य "और" सेवा के संबंध में "
गतिविधियाँ यह दर्शाने के लिए होती हैं कि लाभ का उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित होना चाहिए।साथ ही-निर्धारिती की ओर से, यह संतोषजनक था कि यदि ऐसी गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधित गतिविधियाँ यानी व्यवसाय, वाणिज्य या व्यापार या सेवा-मुख्य या प्रमुख उद्देश्य नहीं है।

~~जी. पी. यू. दान,~~ ऐसी गतिविधियों में कोई भी आकस्मिक भागीदारी है
अनुमति है।कई कर निर्धारकों की ओर से अधिवक्ता ने आग्रह किया कि उनमें से कुछ वैधानिक निगम हैं जो आवास औद्योगिक अवसंरचना क्षेत्र के विकास, व्यवसायों के विनियमन (जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट, आदि) के लिए जिम्मेदार हैं।यह रेखांकित किया गया कि ऐसे निगम राज्य की एजेंसियां हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" के रूप में मान्यता प्राप्त है और वे उन आवश्यक उद्देश्यों को पूरा करते हैं जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी।

जी.

127 “… सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति जिसमें ~~लाभ के लिए कोई गतिविधि~~ करना शामिल नहीं है।

एच. 128 (1997) 4 एससीसी 257।

अन्यथा राज्य के विभागों से ऐसा करने की अपेक्षा की जाती।तब इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे निगमों की गतिविधियों को लाभ से प्रेरित नहीं माना जा सकता है-बल्कि उनके आवश्यक उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

140. नगर निवेश बनाम पर्यावरण विभाग 129 में, यह
यह टिप्पणी की गई थी कि "व्यवसाय" एक 'व्युत्पत्ति संबंधी गिरगिट' है।एन. डी. एम. सी. (उपरोक्त) में-राज्यों और राज्य निगमों, नगर निगमों और स्थानीय अधिकारियों को संघ कर से छूट के सवाल पर विचार करते हुए, इस अदालत ने (नौ-न्यायाधीशों की पीठ की संरचना में) संविधान 130 के अनुच्छेद 289 की व्याख्या की और उन गतिविधियों की प्रकृति पर चर्चा की जो राज्य या राज्य एजेंसियों द्वारा की जा सकती हैं:

> "धारा 155 (1), जो प्रांतीय सरकारों द्वारा किए गए व्यापार और व्यावसायिक कार्यों पर अपने बल से कर लगाती है, ने या तो उक्त अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया या यह निर्दिष्ट नहीं किया कि कौन से व्यापार या व्यावसायिक संचालन कराधान के अधीन हैं।इस कारण से, यह प्रावधान अप्रभावी या अप्रवर्तनीय नहीं था और न ही कहा जा सकता था।यह 26-1-1950 तक प्रभावी था।अनुच्छेद 289 का खंड (2) भी इसी तरह परिभाषित या निर्दिष्ट नहीं करता है-और न ही यह आवश्यक है कि इसके तहत बनाए गए कानून को इस तरह से परिभाषित या निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।यह नहीं कहा जा सकता है कि जब तक खंड (2) के तहत और उसके संदर्भ में बनाई गई कानून कर लगाए जाने वाले विशेष व्यापार या व्यावसायिक संचालन को निर्दिष्ट नहीं करती है, तब तक यह खंड (2) के अर्थ के भीतर एक कानून नहीं होगा।खंड (2) की भाषा पर वापस आते हुए, एक सवाल उठाया जाता है कि परंतुक व्यापार या व्यवसाय के संबंध में कराधान की बात क्यों करता है, जबकि उप-धारा (1) का मुख्य अंग केवल भूमि या भवनों और आय के संबंध में करों की बात करता है? क्या परंतुक का दायरा इससे अधिक व्यापक है

---

129 1977 1 ऑलर 813

130 289.किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट।—(1) द.
किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कर से छूट होगी।(2) खंड (1) की कोई बात संघ को किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय या उससे जुड़े किसी संचालन, या ऐसे व्यापार या व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई या कब्जा की गई किसी संपत्ति, या उसके संबंध में उपार्जित या उत्पन्न होने वाली किसी आय के संबंध में, उस हद तक, यदि कोई हो, कोई कर लगाने या अधिरोपित करने से नहीं रोकेगी, जो संसद कानून द्वारा प्रदान करे।

(3) खंड (2) की कोई बात किसी व्यापार या व्यवसाय या व्यापार या व्यवसाय के किसी वर्ग पर लागू नहीं होगी, जिसे संसद कानून द्वारा सरकार के सामान्य कार्यों के लिए आकस्मिक घोषित कर सकती है।

मुख्य अंग?क्या यह एक मूल प्रकृति का एक स्वतंत्र प्रावधान है, भले ही इसे एक परंतुक के रूप में लेबल दिया गया हो?या यह केवल एक अपवाद है?यह पूछा जाता है।हालाँकि, हमारी यह सुविचारित राय है कि परंतुक की भाषा और उसके अंतर्निहित इरादे को प्रभावी बनाना इसके लिए एक लेबल खोजने से अधिक महत्वपूर्ण है।यह बिना किसी संदेह के प्रकृति में स्पष्ट है; यह वास्तव में अधिक प्रतीत होता है।यह मुख्य रूप से उप-धारा (1) के मुख्य अंग में निर्दिष्ट (प्रांतीय सरकारों की) "आय" से संबंधित है।यह केवल उसी संदर्भ में "भूमि या भवनों" पर कर की बात करता है, जैसा कि हम अगले पैराग्राफ में समझायेंगे।परंतुक में अंतर्निहित विचार यह स्पष्ट करना है कि प्रांतीय सरकार की आय की छूट केवल तभी संचालित होती है जब सरकार के रूप में उसके द्वारा आय अर्जित या प्राप्त की जाती है; इसका लाभ वहां नहीं होगा जहां प्रांतीय सरकार द्वारा उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यापार या व्यवसाय के कारण या उससे आय अर्जित या प्राप्त की जाती है-जो कि लाभ के उद्देश्य से किया जाने वाला व्यापार या व्यवसाय है।धारा 155 और अनुच्छेद 289 के खंड (2) के परंतुक की भाषा के आलोक में, यह कहना संभव नहीं है कि सरकार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि सरकारी गतिविधि है।कम से कम इस खंड के प्रयोजनों के लिए सरकारी गतिविधि और सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यापार और व्यवसाय के बीच अंतर किया जाना चाहिए।यही कारण है कि हम कहते हैं कि जब तक व्यापार और व्यवसाय की प्रकृति की कोई गतिविधि लाभ के उद्देश्य से नहीं की जाती है, तब तक यह खंड (2) द्वारा विचारित व्यापार या व्यवसाय नहीं होगा।उदाहरण के लिए, केवल अचल या चल सरकारी संपत्तियों की बिक्री या उनकी संपत्तियों के संबंध में पट्टे और लाइसेंस देना व्यापार या व्यवसाय करने के बराबर नहीं है।केवल जहां कोई व्यापार या व्यवसाय लाभ के उद्देश्य से किया जाता है-या किसी संपत्ति का उपयोग या कब्जा इस तरह के व्यापार या व्यवसाय को करने के उद्देश्य से किया जाता है-तो परंतुक [या उस मामले के लिए अनुच्छेद 289 का खंड (2)] आकर्षित किया जाएगा।जहां राज्य सरकार द्वारा की गई किसी भी गतिविधि में कोई लाभ का उद्देश्य शामिल नहीं है, वहां इसे परंतुक/खंड (2) के अर्थ के भीतर व्यापार या व्यवसाय करना नहीं कहा जा सकता है, केवल इसलिए कि गतिविधि से कुछ लाभ होता है [उदाहरण के लिए, लगभग हर राज्य सरकार अपने अधिकारियों को समायोजित करने के लिए दिल्ली में एक या अधिक अतिथि गृह रखती है और

जी.

एच.

राज्य के मामलों से जुड़े अन्य।लेकिन, जब कुछ कमरे/आवास ऐसे व्यक्तियों द्वारा कब्जा नहीं किए जाते हैं और खाली रहते हैं, तो बाहरी लोगों को उसमें समायोजित किया जाता है, हालांकि उच्च दरों पर।इस गतिविधि को स्पष्ट रूप से व्यापार या व्यवसाय करना नहीं कहा जा सकता है और न ही यह कहा जा सकता है कि इमारत का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी भी व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है या उस पर कब्जा किया जाता है।].हम यहाँ कुछ समय के लिए रुक सकते हैं और समझा सकते हैं कि हम धारा 155 के परंतुक और अनुच्छेद 289 के खंड (2) में "व्यापार या व्यवसाय" शब्दों के साथ इस तरह के प्रतिबंधित अर्थ को क्यों जोड़ रहे हैं।दोनों शब्द काफी हद तक एक ही विचार को दर्शाते हैं, हालांकि आम तौर पर, अभिव्यक्ति "व्यवसाय" इसकी सामग्री में व्यापक प्रतीत होती है।हालांकि, अभिव्यक्ति का कोई निश्चित अर्थ नहीं है; इसका अर्थ संदर्भ और कई अन्य कारकों के साथ भिन्न होता है।…उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें "व्यापार या व्यवसाय" शब्द आते हैं-चाहे वह भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 155 के परंतुक में हो या हमारे संविधान के अनुच्छेद 289 के खंड (2) में-उन्हें दिया जाना चाहिए, और हमने एक सीमित अर्थ दिया है, संघ की एक इकाई द्वारा दूसरी इकाई की आय पर कर लगाने का संदर्भ, हमारी संवैधानिक योजना के तहत सरकारों द्वारा की जाने वाली कई गतिविधियों, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता आदि।”

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

(जोर दिया गया) 141।एन. डी. एम. सी. (उपरोक्त) से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 289 के संदर्भ में वाणिज्य जैसी प्रत्येक राज्य गतिविधि को संघ कर से मुक्त नहीं माना जा सकता है।अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल सरकारी संपत्ति की बिक्री या पट्टे का मतलब व्यापार या व्यवसाय नहीं है।कहने के लिए, उद्यम में महत्वपूर्ण या निर्धारक तत्व यह है कि क्या किसी कार्य का प्रदर्शन लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होता है।142. फिर "शुल्क, उपकर या प्रतिफल" अभिव्यक्तियों का सही अर्थ क्या है?धारा 2 (15) के संशोधित परंतुक के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चलता है कि निषेध चार गुना तरीके से लागू होता है-(ए) व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में संलग्न होने पर रोक, (बी) व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई भी सेवा प्रदान करने पर रोक,

जी.

एच.

(ग) जिसमें "शुल्क, उपकर या किसी अन्य प्रतिफल के लिए" है -
(क) और (ख) दोनों के लिए नियंत्रण वाक्यांश (जिन्हें सामूहिक रूप से संक्षिप्तता के लिए "निषिद्ध गतिविधियों" के रूप में संदर्भित किया जाता है) (घ) ऐसी "निषिद्ध गतिविधियों" से प्राप्त आय के अनुप्रयोग की परवाह किए बिना।

———

143. जी. पी. यू. दान की परिभाषा के पहले भाग में, किसी भी व्यापार, या वाणिज्यिक गतिविधि या सेवा, और उनसे होने वाली आय की अनिवार्यता को निषेध के माध्यम से व्यक्त करने का इरादा था।आवश्यक निहितार्थ जो उत्पन्न होता है वह यह है कि ऐसी 'निषिद्ध गतिविधियों' से प्राप्त आय (शुल्क, उपकर या किसी अन्य प्रतिफल के रूप में प्राप्त) अनिवार्य रूप से लाभ से प्रेरित होती है।शुल्क या प्रतिफल का सामान्य अर्थ किसी मूल्यवान वस्तु का पर्याय होगा, आमतौर पर मौद्रिक संदर्भ में। हालांकि, "सेस" अभिव्यक्ति का उपयोग चेहरे पर तीनों अभिव्यक्तियों को एक अलग रंग देता है।

144. “ शुल्क, उपकर और किसी भी अन्य प्रतिफल को प्राप्त करना होगा
वर्तमान संदर्भ में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या।यदि किसी राज्य विभाग या संस्था द्वारा किसी गतिविधि के उद्देश्य से शुल्क या उपकर या ऐसा प्रतिफल एकत्र किया जाता है, जो कानून द्वारा स्थापित किया गया है, तो ऐसी राशि एकत्र करने के उसके आदेश को व्यापार या व्यवसाय के लिए प्रतिफल के रूप में नहीं माना जा सकता है।इसलिए, विनियामक गतिविधि, अधिनियमित कानून के संदर्भ में शुल्क या उपकर संग्रह की आवश्यकता, या शिक्षा, पेशे के विनियमन आदि जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए राशि का संग्रह, अपने आप में व्यवसाय या वाणिज्यिक प्रकृति के नहीं हैं।इसी तरह, वैधानिक बोर्ड और प्राधिकरण, जो आवास, औद्योगिक और अन्य संपदाओं को विकसित करने के लिए अधिदेशित हैं, जिसमें उचित या रियायती लागत पर आवासीय आवास का विकास शामिल है, जिसमें मुख्य गतिविधि को क्रॉस-सब्सिडी देने के लिए लाभार्थियों के कुछ वर्ग से अधिक राशि वसूलनी पड़ सकती है, उन्हें व्यवसाय में संलग्न होने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।'राज्य' होने के चरित्र और विशिष्ट कानूनों (चाहे राज्यों या केंद्र द्वारा) के तहत स्थापित ऐसे निगमों या निकायों का मतलब यह नहीं होगा कि कुछ वाणिज्यिक या व्यावसायिक सेवा प्रदान करने के लिए राशि 'शुल्क' या 'उपकर' है।प्रत्येक मामले में, एक ही समय में, "शुल्क" या "उपकर" के रूप में विचार का मात्र नामकरण निर्णायक नहीं है।यदि शुल्क या उपकर, या अन्य विचार एक आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए है, तो व्यापक सार्वजनिक हित में, जैसे कि जल उपकर या सीवेज उपकर या शुल्क, एक वैधानिक निकाय द्वारा प्राप्त इस तरह के विचार को "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" या उनके संबंध में सेवा नहीं माना जाएगा।दूसरी ओर गैर-वैधानिक निकाय, जो नियामक या ए की नकल कर सकते हैं।

जी.

एच.

विकास निकाय-जैसे कि वे जो व्यवसाय या उद्योग के किसी वर्ग के लिए व्यापार को बढ़ावा देते हैं, या जिनका उद्देश्य दक्षता में सुधार के लिए सुविधाएं या सुविधाएं प्रदान करना है, या व्यवसाय के किसी वर्ग को मंच प्रदान करना है, शुल्क के लिए, चाहे वह सदस्यता द्वारा लिया गया हो, या विशिष्ट शुल्क, आदि, धर्मार्थ नहीं हो सकते हैं; जब वे छूट का दावा करते हैं, तो उनके मामलों की और जांच की आवश्यकता होगी।

145. इस न्यायालय ने कुछ निर्णयों में "उपकर" शब्द पर विचार किया है। शिंदे ब्रदर्स आदि में v.उपायुक्त, रायचूर और ओआरएस। 131, न्यायमूर्ति एम. हिद्यातुल्ला ने कहा कि (हालांकि उनका निर्णय असहमत था, फिर भी "उपकर" के संबंध में बहुमत द्वारा कोई विपरीत राय व्यक्त नहीं की गई थी):

> “..... "उपकर" शब्द का उपयोग आयरलैंड में किया जाता है और अभी भी भारत में उपयोग में है, हालांकि इंग्लैंड में दर शब्द ने इसकी जगह ले ली है।इसका अर्थ है एक कर और आमतौर पर इसका उपयोग तब किया जाता है जब लेवी किसी विशेष प्रशासनिक खर्च के लिए होती है जिसे नाम (स्वास्थ्य उपकर, शिक्षा उपकर, सड़क उपकर आदि) इंगित करता है। जब किसी मौजूदा कर में वृद्धि के रूप में लगाया जाता है, तो नाम उपकर की वैधता के लिए मायने नहीं रखता है, उसी तरह से आंका जाना चाहिए जिस तरह से कर की वैधता के लिए यह वृद्धि है।अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित अनुसूची ए (1) द्वारा, इसे कर के साथ एक अतिरिक्त शुल्क के रूप में एकत्र किया जाता है, जो, जैसा कि अनुसूची ए में वर्णित है, निस्संदेह राज्य विधानमंडल की शक्तियों के भीतर एक है और संविधान से पहले भी ऐसा रहा है।

146. इंडिया सीमेंट में इस अदालत का सात-न्यायाधीशों की पीठ का फैसला लिमिटेड और ओआरएस. वी.तमिलनाडु राज्य और अन्य। 132 ने हिदायतुल्ला द्वारा प्रस्तावित परिभाषा को मंजूरी दी, जे. इन विजयलक्ष्मी राइस मिल और ओआरएस. वी.वाणिज्यिक कर अधिकारी, पलकोल और अन्य 133 इस अदालत ने कहा कि "13. इसलिए आम तौर पर उपकर भी एक कर है, लेकिन यह एक विशेष प्रकार का कर है।आम तौर पर कर राजस्व बढ़ाता है जिसका उपयोग आम तौर पर राज्य द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।उदाहरण के लिए, आयकर या उत्पाद शुल्क या बिक्री कर ऐसे कर हैं जो राजस्व उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जैसे कि सशस्त्र बलों या सिविल सेवकों, पुलिस आदि के सदस्यों को वेतन का भुगतान या विकास कार्यक्रमों आदि के लिए। हालांकि, उपकर एक कर है।

जी.

---

131 1967 (1) एससीआर 548
132 1989 (पूरक 1) एससीआर 692 133 (2006) 6 एससीसी 763

एच.

> जो राजस्व उत्पन्न करता है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है।उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य उपकर राजस्व बढ़ाता है जिसका उपयोग स्वास्थ्य उद्देश्यों जैसे अस्पताल बनाना, गरीबों को दवा देना आदि के लिए किया जाता है। इसी तरह, शिक्षा उपकर राजस्व बढ़ाता है जिसका उपयोग स्कूलों के निर्माण या अन्य शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।"

147. अतः "उपकर" शब्द का तात्पर्य किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाए गए कर या शुल्क से है, जिसे मौजूदा कर में वृद्धि के रूप में लगाया जा सकता है।"शुल्क" शब्द का कुछ हद तक एक समान अर्थ है।

आयकर आयुक्त, लखनऊ बनाम यू. पी. वन में
निगम 134 इस न्यायालय ने अन्य पिछले निर्णयों पर विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से राशि के निष्पादन को "शुल्क" कहा जा सकता है लेकिन मोटे तौर पर कर हैं:

> "सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लगाए गए धन का अनिवार्य अधिभार और इसे बनाए रखने के लिए किसी विचार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक व्यापक सामान्य अर्थ में जिसमें प्रदान की गई सेवाओं के लिए अनिवार्य रूप से लगाए गए शुल्क भी शामिल हैं।अब यह अच्छी तरह से माना जाता है कि कर और शुल्क के बीच कोई सामान्य अंतर नहीं है; दोनों सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धन का अनिवार्य निष्पादन हैं।"

148. साथ ही, इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण 135 भी है कि स्थानीय या नगरपालिका अधिकारियों द्वारा पानी की आपूर्ति, सीवरेज आदि के लिए एकत्र किए गए शुल्क (जिसे दिए गए कानूनों में "शुल्क" कहा जा सकता है) "कर" नहीं हैं-वे संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट सेवाओं के लिए विचार करते हैं।

149. हालाँकि "विचार" शब्द व्यापक है।सरल अर्थ एक मौद्रिक भुगतान है, प्राप्त किसी चीज़ के लिए, के रूप में

वस्तुएँ या सेवाएँ।केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुंबई बनाम
फिएट इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य 136 इस अदालत ने उस शब्द का अर्थ समझाया:

> "विचार का अर्थ है कुछ ऐसा जो कानून की नजर में मूल्यवान है, वादी से हटकर, या तो वादी के लिए लाभप्रद या प्रतिवादी के लिए नुकसानदायक है।दूसरे शब्दों में, यह

जी.

---

134 1998 (2) एससीआर 22
135 भारत संघ और ओआरएस. वी. देखें।यू. पी. राज्य & ओआरएस। 2007 (12) एससीआर 792; भारत संघ बनाम पूर्ण नगर निगम 1991 (पूरक 1) एससीआर 183; नगरपालिका
निगम, अमृतसर बनाम डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक, अमृतसर प्रभाग और
एन. आर. 2004 (1) एससीआर 913। 136 2012 (12) एससीआर 975 ए

एच.

जैसा कि करी बनाम मीसा (1875) एल. आर. 10 एक्स. के मामले में देखा गया है, इसमें या तो एक पक्ष को अर्जित कुछ अधिकार, ब्याज, लाभ या लाभ, या दूसरे द्वारा दिए गए, पीड़ित या किए गए कुछ सहनशीलता, नुकसान, हानि या जिम्मेदारी शामिल हो सकती है। 153.

54. वेबस्टर का तीसरा नया अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश (असंपादित) इस प्रकार विचार को परिभाषित करता हैः

‘कुछ ऐसा जिसे कानूनी रूप से दूसरे के कार्य या वादे के लिए एक द्वारा दिए गए या पीड़ित किए गए बराबर या वापसी के रूप में माना जाता है।’

55. कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम के खंड 17 में (पी।420-421 और 425) 'प्रतिफल' के महत्व का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

‘विचार के अर्थ की विभिन्न परिभाषाएँ पाठ्य-पुस्तकों और न्यायिक रायों में पाई जाती हैं।एक पर्याप्त, जैसा कि कॉर्पस ज्यूरिस में कहा गया है और जिसे उद्धृत किया गया है और अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है, "उस पार्टी के लिए एक लाभ है जिसका वादा किया गया है या उस पार्टी को नुकसान या नुकसान है जिसे वादा किया गया है।

सामान्य कानून में प्रत्येक अनुबंध जो मुहर के तहत नहीं है, उसका समर्थन करने के लिए विचार की आवश्यकता होती है, अर्थात, जैसा कि ऊपर की परिभाषा में दिखाया गया है, वचनदाता को कुछ लाभ, या वचनदाता को कुछ नुकसान।’

56. न्यायशास्त्र पर सैल्मंड में 'विचार' शब्द को निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है।

अपने व्यापक अर्थों में विचार वह कारण, उद्देश्य या प्रलोभन है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति एक समझौते द्वारा खुद को बांधने के लिए प्रेरित होता है।यह कुछ भी नहीं है कि वह अपने ऊपर कोई दायित्व थोपने, या किसी अधिकार को छोड़ने या स्थानांतरित करने के लिए सहमति देता है।यह ऐसे और ऐसे तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि वह नए बोझ उठाने या उन लाभों को छोड़ने के लिए सहमत होता है जो कानून पहले से ही उसे अनुमति देता है।

जी.

57. 'विचार' शब्द का सार और इसके कानूनी महत्व को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (डी) में स्पष्ट रूप से संक्षेपित किया गया है जो 'विचार' को इस प्रकार परिभाषित करता हैः

एच.

> ‘जब वचनदाता की इच्छा पर, वचनदाता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है या करने से बचता है, या करता है या करने से बचता है, या कुछ करने या करने से दूर रहने का वादा करता है, तो ऐसा कार्य या त्याग या प्रतिज्ञा को वचन पर विचार कहा जाता है।’

> 58. निर्णयों और शब्दकोश के अर्थ के संदर्भ में, इस प्रकार का अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि 'विचार' का अर्थ है वचनदाता द्वारा वचनदाता को या हस्तांतरणकर्ता द्वारा हस्तांतरणकर्ता को दिया गया एक उचित समतुल्य या अन्य मूल्यवान लाभ।इसी तरह, जब 'विचार' शब्द 'एकमात्र' शब्द से योग्य होता है, तो यह विचार को मजबूत बनाता है ताकि मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे पर्याप्त और मूल्यवान बनाया जा सके।”

150. इसलिए, संसद का उद्देश्य-विचाराधीन संशोधनों के माध्यम से जी. पी. यू. दान की भागीदारी या भागीदारी को प्रतिबंधित करना था, किसी भी रूप से ("प्रकृति में") ऐसी गतिविधियों से जो व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य थीं, या व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य के संबंध में सेवाएं प्रदान करने में संलग्न या शामिल थीं-शुल्क, उपकर या अन्य विचार के लिए।"की प्रकृति में" शब्द को शामिल करना, बिना किसी संदेह के स्पष्ट करने के लिए था, कि न केवल व्यापार, व्यापार या वाणिज्य, बल्कि उनकी प्रकृति या उससे मिलती-जुलती सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था।इसी तरह, ऐसी गतिविधियों के संबंध में सेवा, यानी ऐसी प्रतिबंधित गतिविधियों से संबंधित या उनसे संबंधित सेवाएँ भी निषिद्ध थीं।

---

151. शुल्क या उपकर का संदर्भ, अदालत की राय में है, केवल इस बात पर जोर देने के लिए कि व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य की सेवा के लिए एक वैधानिक विचार भी गतिविधि को जी. पी. यू. दान की परिभाषा से बाहर ले जाएगा।जिस अर्थ में "उपकर, शुल्क या अन्य प्रतिफल" अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जाता है, वह यह है कि यदि कोई राशि, व्यापार, या व्यवसाय या वाणिज्यिक गतिविधि, या ऐसी गतिविधि के लिए किसी भी सेवा के लिए प्राप्त की जाती है, तो उनके नामकरण (शुल्क या उपकर के रूप में, यानी कि वे एक कानून के तहत तय किए गए हैं) के बावजूद जी. पी. यू. दान कर छूट की स्थिति का दावा नहीं कर सकता है।इसे और अधिक स्पष्ट रूप से घर लाने के लिए-और अतीत से एक विराम को रेखांकित करने के लिए, ऐसी राशियों का आवेदन (व्यापार, वाणिज्य, या व्यवसाय के दौरान प्राप्त, या उसके संबंध में सेवाओं के लिए) अप्रासंगिक होगा, जैसा कि धारा 2 (15) को पढ़ने के चौथे अंग में "चाहे जो भी हो" शब्द से प्रमाणित होता है।

जी.

~~धारा 2 (15) की व्याख्या का सारांश~~

एच.

152. धारा 2 (15)-2008 और 2015 के बीच इसके कई संशोधनों के मद्देनजर-इस न्यायालय द्वारा असंशोधित धारा 2 (15) की व्याख्या के साथ जोड़ा जा सकता है।सूरत आर्ट सिल्क (ऊपर) में, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि जब तक जी. पी. यू. श्रेणी दान का प्रमुख उद्देश्य धर्मार्थ है, तब तक गैर-धर्मार्थ उद्देश्य में इसका जुड़ाव जिसके परिणामस्वरूप आकस्मिक लाभ होता है, अनुमत है।अदालत ने यह भी घोषणा की कि ऐसी गतिविधियों से होने वाले लाभ और लाभ जो गैर-धर्मार्थ थे, उन्हें प्रमुख धर्मार्थ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैनात किया जाना चाहिए या वापस "खिलाया" जाना चाहिए।

153. 2008 में अपने संशोधन के बाद धारा 2 (15) द्वारा हासिल किया गया प्रतिमान परिवर्तन और जैसा कि आज भी है, यह है कि सबसे पहले एक जी. पी. यू. दान किसी भी विचार (वैधानिक शुल्क आदि सहित) के लिए ऐसी गतिविधियों के संबंध में व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय या किसी भी सेवा की प्रकृति में किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं हो सकता है।धारा 2 (15) के मुख्य भाग द्वारा नियोजित नकारात्मक भाषा में इस पर जोर दिया गया है।इसलिए, कई अन्य वस्तुओं के बीच एक प्रमुख वस्तु के विचार को त्याग दिया जाता है।प्रतिबंध को एक सीमित सीमा तक छूट दी गई है, जो उस शर्त को तैयार करता है जिसके द्वारा अन्यथा प्रतिबंधित गतिविधियों को जी. पी. यू. दान द्वारा लगाया जा सकता है।शर्तें इस प्रकार हैं:

(क) कि व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय या सेवा (विचार के लिए व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में) की प्रकृति में ऐसी गतिविधियाँ जी. पी. यू. उद्देश्य के "वास्तविक संचालन" के क्रम में होनी चाहिए, और

(ख) ऐसी गतिविधियों से प्राप्तियों की मात्रा कुल प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।

(ग) परंतुक के दोनों भाग:(i) और (ii) (धारा 2 (15)) को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए-"या" दोनों को जोड़ने के सचेत उपयोग को देखते हुए।इसका मतलब है कि यदि कोई धर्मार्थ न्यास अपने उद्देश्यों को पूरा करने के वास्तविक क्रम में व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य की प्रकृति में कोई गतिविधि करता है, तो ऐसे व्यवसाय से आय, उपखंड (ii) में परिभाषित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ग. आई. टी. अधिनियम की धारा 10,11,12,12ए, 12एए और 13 जी.

154. धारा 11,12,12ए 12एए और 13 का प्रभाव इस न्यायालय के कुछ निर्णयों 137 का विषय रहा है।इन निर्णयों में देखा गया है कि धारा 11 धर्मार्थ और सामाजिक कार्यों के लिए न्यासों से होने वाली आय से संबंधित है।

---

137 आयकर आयुक्त बनाम दाउदी बोहरा जमात, (2014) 16 एस. सी. सी. 222; S.RM.M.CT.M. तिरुप्पानी ट्रस्ट बनाम आयकर आयुक्त, (1998) 2 एससीसी 584

एच.

धार्मिक उद्देश्य और प्रावधान जो कर के अधीन होंगे।धारा 11 (1) न्यास के उद्देश्यों के प्रति आय के अनुप्रयोग से संबंधित है और न्यास की आय को पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों या आय के कुछ हिस्सों से छूट देती है जो ऐसे उद्देश्यों से संबंधित हैं।धारा 11 (1-ए) न्यासों द्वारा प्राप्त पूंजीगत लाभ की छूट प्रदान करती है।धारा 11 (1-बी), धारा 11 (1) के स्पष्टीकरण (2) के तहत विकल्प के अनुसार आय को लागू करने में विफलता की बात करती है।धारा 11 (2) आय को अलग करने या जमा करने से संबंधित है।धारा 11 (3) आय के दुरुपयोग या अनुचित निवेश के परिणामों से संबंधित है, जबकि धारा 11 (3-ए) धारा 11 (2) के तहत प्रपत्र 10 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के संशोधन से संबंधित है।धारा 11 (4) और 11 (4-ए) धर्मार्थ न्यासों की व्यावसायिक आय से संबंधित हैं।अंत में, धारा 11 (5) उक्त न्यासों के संबंध में निवेश के निर्धारित तरीकों का प्रावधान करती है।धारा 12 में कहा गया है कि स्वैच्छिक योगदान से पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाए गए न्यासों की आय को अधिनियम की धारा 11 और 13 के प्रयोजनों के लिए ऐसे न्यास के तहत आयोजित संपत्ति से आय माना जाएगा। धारा 12-ए अधिनियम की धारा 11 और 12 को लागू करने के लिए शर्तें निर्धारित करती है। यह दो आवश्यक शर्तों को लागू करता है जिन्हें उन धाराओं के तहत छूट का दावा करने के लिए एक धर्मार्थ या धार्मिक न्यास द्वारा संतुष्ट किया जाना हैःपहला, कि आय की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति ने न्यास के पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र और तरीके से आयुक्त को आवेदन किया है और ऐसा न्यास धारा 12-एए के तहत पंजीकृत है और दूसरा, जहां न्यास की कुल आय अधिकतम राशि से अधिक है जो किसी पिछले वर्ष में आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, न्यास के खातों का लेखा परीक्षण एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाना चाहिए और आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आय की वापसी के साथ निर्धारित प्रपत्र में ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।पंजीकरण के अनुदान (या अस्वीकृति) की प्रक्रिया धारा 12एए द्वारा निर्धारित की गई है। धारा 13 उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करती है जिनके तहत धारा 11 या 12 के तहत आने वाले धार्मिक या धर्मार्थ न्यासों के लिए कर छूट उपलब्ध नहीं है।इसलिए, छूट के लिए न्यास के दावे की पात्रता तय करने के लिए धारा 13 को धारा 11 और 12 के प्रावधानों के साथ पढ़ना होगा।

जी. ~~न्यास [धारा 11 (4)] के तहत आयोजित व्यवसाय और व्यवसाय करने वाले न्या~~स [धारा 11 (4ए)] के बीच अंतर

155. धारा 11 (4) उन मामलों पर लागू होती है जहां व्यावसायिक ~~उपक्रम स्वयं एक न्या~~स द्वारा धारित संपत्ति है।इस प्रकार, ~~जहां न्यास में धारित संपत्ति, या जहां दाता या~~ न्यास निर्माता द्वारा न्यासियों के पक्ष में बसाई गई संपत्ति स्वयं एक व्यावसायिक उपक्रम है, तो ऐसी ए से आय

एच.

एक उपक्रम धारा 11 (4) के अंतर्गत आता है।धारा 11 (4ए) अलग तरह से काम करती है।यह उन मामलों में लागू होता है जहां न्यास व्यवसाय करता है।धारा 11 (4ए) में कहा गया है कि जब कोई न्यास कोई व्यवसाय करता है, जब तक कि व्यवसाय न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक या सहायक नहीं है, तो वह धारा 11 (1) के तहत छूट का हकदार नहीं होगा।यह एक और शर्त लगाता है कि ऐसे मामलों में अलग-अलग लेखा पुस्तिकाओं को बनाए रखने की आवश्यकता है।

156. धारा 11 (1) केवल वहाँ कर से छूट प्रदान करती है जहाँ संपत्ति स्वयं किसी न्यास या अन्य कानूनी दायित्व के तहत आयोजित की जाती है।यह उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां किसी संपत्ति पर न्यास या कानूनी दायित्व नहीं बनाया जाता है, लेकिन केवल किसी विशेष संपत्ति या स्रोत से प्राप्त आय को अलग रखा जाता है और किसी धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए शुल्क लिया जाता है।इसी तरह, जब किसी व्यवसाय को स्वयं न्यास के उद्देश्यों के लिए अलग रखा गया है, तो ऐसा व्यवसाय न्यास के तहत आयोजित किया जाता है और यह उप-धारा (4) के तहत आएगा।हालांकि, जहां किसी न्यास के व्यवसाय के लाभ को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू किया जाता है, तो ऐसा व्यवसाय और न्यास उप-धारा (4ए) द्वारा शासित होगा।

157. अधिनियम की धारा 11 (1) पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए न्यास के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय को उस हद तक छूट देती है, जिस हद तक ऐसी आय भारत में ऐसे उद्देश्यों के लिए लागू की जाती है।अधिनियम व्यापक रूप से "न्यास के तहत रखी गई संपत्ति" को परिभाषित नहीं करता है।तथापि, धारा 11 (4) में यह प्रावधान है कि धारा 11 के प्रयोजनों के लिए -

"न्यास के तहत रखी गई संपत्ति" शब्दों में एक व्यावसायिक उपक्रम शामिल है।
इस तरह से आयोजित "।वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 द्वारा संशोधित धारा 11 (4ए) डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1992 निम्नानुसार हैः-

> “(4क) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (3ए) किसी न्यास या संस्था की किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो व्यवसाय के लाभ और लाभ हैं, जब तक कि व्यवसाय न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक न हो या, जैसा भी मामला हो, संस्था न हो और ऐसे न्यास या संस्था द्वारा ऐसे व्यवसाय के संबंध में अलग-अलग लेखा बहियां रखी जाती हैं।”

158. इस सवाल का कि क्या धारा 11 (4ए) लागू होती है जहां कोई व्यवसाय न्यास के तहत आयोजित किया जाता है, उच्च न्यायालय के पहले के फैसलों में नकारात्मक उत्तर दिया गया था।पुराने अधिनियम की धारा 4 (3) (i) के तहत सामान्य प्रावधान न्यास के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय को कराधान से छूट देता है।हालांकि, धारा 4 (3) (आई. ए.) ने अधिनियमित किया कि किसी धार्मिक या धर्मार्थ न्यास की ओर से किए गए व्यवसाय से प्राप्त कोई भी आय

छूट का हकदार केवल तभी है जब व्यवसाय न्यास के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के क्रम में किया गया था या व्यवसाय के संबंध में काम मुख्य रूप से लाभार्थियों द्वारा किया जाता है।

ट्रस्ट से।राजस्व ने वहां तर्क दिया कि चूंकि खंड (आई. ए.) एक विशेष प्रावधान था जो किसी न्यास के लिए और उसकी ओर से किए गए व्यवसाय के संबंध में छूट से संबंधित था, इसलिए ऐसे व्यवसाय के लाभ के संबंध में छूट के लिए कोई भी दावा केवल उस प्रावधान के तहत किया जा सकता है, और यदि उसमें निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो निर्धारिती धारा 4 (3) (आई) में निहित सामान्य प्रावधान पर इस आधार पर छूट का दावा करने के लिए भरोसा नहीं कर सकता है कि व्यवसाय संपत्ति है।गडोदिया स्वदेशी में

स्टोर बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब 138, लाहौर उच्च न्यायालय
न्यायालय ने कहा कि यह तथ्य कि न्यास की ओर से किया गया व्यवसाय धारा 4 (3) (आई. ए.) की दो शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है, अगर यह धारा 4 (3) (आई.) के अंतर्गत आता है तो इसे छूट से वंचित करने का कोई कारण नहीं है।अदालत ने कहा कि दोनों खंडों में उल्लिखित दो श्रेणियां एक-दूसरे को बाहर नहीं करती हैं।

159. लाहौर उच्च न्यायालय के इस फैसले को जे. के. ट्रस्ट बनाम सी. आई. टी. 139 में इस अदालत द्वारा संदर्भ द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका पालन कृष्णा वारियर (ऊपर) में किया गया था।तब तक धारा 4 (3) (आई. ए.) की सामग्री को 1953 के अधिनियम में संशोधन करके धारा 4 (3) के खंड (आई) के प्रावधान के रूप में अधिनियमित कर दिया गया था। लाहौर उच्च न्यायालय (ऊपर) के फैसले का उल्लेख करने और राजस्व के इस तर्क को खारिज करने के बाद कि किसी कानून में एक परंतुक को हमेशा मुख्य अधिनियम के प्रभाव पर सीमा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, कृष्ण वारियर (ऊपर) में न्यायाधीश सुब्बाराव ने कहाः

> “.....लेकिन यह निर्माण का एक अनम्य नियम नहीं है कि एक क़ानून में एक परंतुक को हमेशा मुख्य अधिनियम के प्रभाव पर एक सीमा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।आम तौर पर स्वाभाविक धारणा यह है कि परंतुक के लिए धारा के अधिनियमित करने वाले भाग में परंतुक का विषय शामिल होता; लेकिन मूल प्रावधान की स्पष्ट भाषा के साथ-साथ परंतुक यह स्थापित कर सकता है कि परंतुक मुख्य प्रावधान का एक योग्यता खंड नहीं है, बल्कि अपने आप में एक मूल प्रावधान है।मैक्सवेल के शब्दों में, "सही सिद्धांत यह है कि अधिनियमन खंड, बचत खंड और परंतुक का ठोस दृष्टिकोण एक साथ लिया गया और समझा गया।

जी.

---

138 गडोदिया स्वदेशी स्टोर बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब, (1944) 12 देखें।
आईटीआर 385
139 1958 (1) एससीआर 65 ए

एच.

> प्रबल होना है। "इस प्रकार माने जाने पर हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं मिलती है, जैसा कि हम अपने निर्णय में बाद में इंगित करेंगे कि परंतुक का उक्त खंड (ख) ऐसे व्यवसाय के मामले से संबंधित है जो धारा 4 (3) (i) के मूल खंड के अर्थ के भीतर धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए न्यास में निहित नहीं है।"

160. इसलिए, इस पर कानूनी स्थिति पर संक्षेप में-यदि कोई संपत्ति न्यास के तहत आयोजित की जाती है, और ऐसी संपत्ति एक व्यवसाय है, तो मामला धारा 11 (4) के तहत आएगा, न कि अधिनियम की धारा 11 (4ए) के तहत। अधिनियम की धारा 11 (4ए) केवल उस मामले में लागू होगी जहां व्यवसाय न्यास के तहत नहीं है।न्यास के तहत आयोजित संपत्ति या व्यवसाय और न्यास द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले व्यवसाय के बीच अंतर होता है।इस विशिष्टता को सूरत आर्ट सिल्क (उपरोक्त) में मान्यता दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यावसायिक उपक्रम धर्मार्थ उद्देश्य के लिए न्यास के तहत आयोजित किया जाता है, तो उससे होने वाली आय अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत छूट का हकदार होगी।

161. धारा 11 (1) और (4) के बीच अंतरफलक का कुछ महत्व है।सबसे पहले, धारा 11 (4) के तहत, यह केवल वह व्यवसाय है जो ट्रस्ट के तहत आयोजित किया जाता है जिसे धारा 11 (1) के तहत अपनी आय के संबंध में छूट प्राप्त होगी।दूसरा, न्यास के उद्देश्यों और न्यास के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए न्यासियों को दी गई शक्तियों के बीच अंतर है।इस संबंध में, जे. के. ट्रस्ट (ऊपर) में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ प्रासंगिक हैं।वहाँ, जो प्रश्न उठे उनमें से एक यह था कि क्या प्रबंध एजेंसी का कार्यालय, जो लाभ का कार्यालय था, वास्तव में ट्रस्ट पर तय किया गया था और इसलिए, इसे ट्रस्ट के तहत आयोजित व्यवसाय माना जा सकता है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1922 के अधिनियम की धारा 4 (3) (i) के प्रयोजनों के लिए, प्रबंध अभिकरण का कार्यालय ऐसी संपत्ति है जिसे न्यास के अधीन रखा जा सकता है।राजस्व ने बताया कि बसने वालों द्वारा पहले निष्पादित न्यास विलेख की शर्तों पर (15.06.1945 पर), जिन संपत्तियों को न्यासियों को रखना है और जिनके पास होना है, वे केवल 1,00,000-, न्यासियों द्वारा प्राप्त किसी भी दान और योगदान और उसमें किए गए सभी परिवर्धन और समय-समय पर की गई प्रतिभूतियों में निवेश का योग था जो परिवर्धन का प्रतिनिधित्व करता है।यह तर्क दिया गया था कि न्यास विलेख की शर्तों पर, प्रबंधन एजेंसी जिसे 20 साल की अवधि के लिए 10.09.1945 पर अधिग्रहित किया गया था, उसे न्यास के तहत रखी गई संपत्ति नहीं कहा जा सकता है क्योंकि 1,00,000 की प्रारंभिक राशि का कोई भी हिस्सा, जिसे न्यास पर तय किया गया था, का उपयोग प्रबंधन एजेंसी के अधिग्रहण में नहीं किया गया था, ताकि उसे वृद्धि के चरित्र से प्रभावित किया जा सके।इस तर्क को पलटते हुए, इस अदालत ने कहा किः

₹

जी.

₹

एच.

> “.....लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि न्यास विलेख के खंड (3) में स्पष्ट रूप से न्यास की ओर से और "न्यास निधि की मदद से" प्रबन्धन अभिकरण के व्यवसाय के अधिग्रहण का प्रावधान है और ठीक यही हुआ है और वास्तव में, ए और बी को एक साथ पढ़ने पर, इस निष्कर्ष का विरोध करना असंभव है कि दोनों दस्तावेज एक अभिन्न योजना का हिस्सा थे, और जो निपटानकर्ताओं ने प्रदर्शनी ए के खंड 3 में देखा था वह बहुत ही प्रबन्धन अभिकरण है, जिसे प्रदर्शनी बी के तहत अधिग्रहित किया गया था। इंग्लैंड में काफी अधिकार है कि जब न्यासी न्यास निधि की सहायता से व्यवसाय करते हैं, तो कानून में स्थिति वैसी ही है जैसे कि वे वास्तव में इसे व्यवसाय में नियोजित करते हैं, हालांकि, वास्तव में, यह नहीं होना चाहिए।”

162. ऐसा प्रतीत होता है कि जे. के. न्यास (उपर्युक्त) में यह परीक्षण लागू किया गया है कि किसी व्यवसाय के लिए, जिसे न्यास के तहत रखी गई संपत्ति माना जाता है, इसे या तो मूल रूप से न्यास पर तय की गई निधि की मदद से अधिग्रहित किया जाना चाहिए था या न्यास पर तय की गई मूल निधि का न्यासियों द्वारा बाद में किए गए अधिग्रहण या व्यवसाय के संचालन के साथ निकट संबंध होना चाहिए।न्यास या न्यासियों द्वारा संचालित न्यास व्यवसाय द्वारा आयोजित और संचालित व्यवसाय के बीच इस अंतर को मद्रास उच्च न्यायालय और राजा पी. सी. द्वारा थियागेसर धर्म वनिकम बनाम सी. आई. टी. 140 में देखा गया था।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा लाल चौधरी बनाम सी. आई. टी., बिहार और उड़ीसा 141
जो 1922 के अधिनियम की धारा 4 (3) (i) के संबंध में समान रूप से आयोजित किया गया था (जो 1961 के अधिनियम की धारा 11 (1) के अनुरूप है)।

163. इसलिए, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या व्यवसाय
स्वयं ट्रस्ट के तहत आयोजित किया जाता है या ट्रस्ट द्वारा और उसकी ओर से चलाया जाता है।
महत्वपूर्ण रूप से अधिनियम की धारा 11 (1) "विषय" अभिव्यक्ति से शुरू होती है।
धारा 60 से 63 तक के प्रावधानों के लिए।इन प्रावधानों में
अधिनियम का अध्याय V। धारा 60 आय के हस्तांतरण के परिणामों के लिए प्रावधान करती है जहां परिसंपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं होता है।इसमें कहा गया है कि जहां कोई व्यक्ति संपत्ति को हस्तांतरित किए बिना केवल संपत्ति से आय हस्तांतरित करता है, वह आयकर के लिए प्रभार्य बना रहेगा।धारा 61 परिसंपत्तियों के प्रतिसंहरणीय अंतरण के परिणामों का प्रावधान करती है और कहती है कि वही स्थिति होगी जहां कोई व्यक्ति परिसंपत्तियों के प्रतिसंहरणीय अंतरण के आधार पर
जी. आय प्राप्त कर रहा है।धारा 62 किसी विनिर्दिष्ट के लिए परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के परिणामों का प्रावधान करती है।

---

140 (1963) 50 आईटीआर 798 मद्रास।141 (1957) 31 आईटीआर 226 पटना।

एच.

अवधि, और धारा 61 के अपवाद के रूप में कार्य करता है।आय के संबंध में आकलन करनेयोग्य न होने से पहले किसी निर्धारिती को संपत्ति का विनिवेश करना होता है।केवल यह निर्देश कि व्यवसाय से होने वाली आय को ट्रस्ट के धर्मार्थ उद्देश्यों पर लागू किया जाएगा, बिना ट्रस्ट पर व्यवसाय का समझौता किए, किसी भी ट्रस्ट या कानूनी दायित्व में परिणत नहीं होता है।

164. अब थांथी ट्रस्ट (ऊपर) और उसके संदर्भ पर विचार करना आवश्यक है।इस अदालत ने धारा 11 (4ए) (संशोधित डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1992) की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रावधान के लिए "व्यावसायिक आय" की आवश्यकता है।

किसी न्यास या संस्था को छूट दी जानी चाहिए कि व्यवसाय न्यास या संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक होना चाहिए।

165. उपरोक्त टिप्पणियों को अदालत के समक्ष तथ्यों के आलोक में समझना होगा।थांथी ट्रस्ट समाचार पत्र व्यवसाय चलाता था जो ट्रस्ट के तहत आयोजित किया जाता था।ट्रस्ट का धर्मार्थ उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना था-जो अधिनियम की धारा 2 (15) के तहत आता है। द.

समाचार पत्र व्यवसाय न्यास के उद्देश्य, अर्थात् शिक्षा प्रदान करने की प्राप्ति के लिए आकस्मिक था।यह पहलू महत्वपूर्ण है,

क्योंकि ट्रस्ट का उद्देश्य एक प्रति धर्मार्थ उद्देश्य था, न कि एक जी. पी. यू. उद्देश्य।इसलिए टिप्पणियाँ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गईं कि समाचार पत्र व्यवसाय के लाभ का उपयोग ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस तरह के तथ्यों के आलोक में, समाचार पत्र व्यवसाय को जारी रखना, शिक्षा के उद्देश्य-ए प्रति श्रेणी के लिए आकस्मिक हो सकता है।इसलिए थांथी न्यास (ऊपर) अनुपात को उन मामलों में विस्तारित नहीं किया जा सकता है जहां न्यास व्यवसाय करता है जो न्यास के तहत नहीं है और जिसकी आय का उपयोग न्यास के धर्मार्थ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

166. फिर जी. पी. यू. दान (जो धारा 11 (4ए) में आता है) के "व्यवसाय" से "उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक" होने से "आकस्मिक" लाभ की अभिव्यक्ति की क्या व्याख्या है?जैसा कि पहले कहा गया है, थांति ट्रस्ट (ऊपर) में उस अभिव्यक्ति की व्याख्या एक प्रति दान के संदर्भ में थी, यानी, जहां ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा था।हालाँकि, जी. पी. यू. चैरिटी को लाभदायक गतिविधि करने से रोकने वाले प्रतिबंधात्मक या नकारात्मक शब्दों को 1983 में हटा दिया गया था। 01.04.1984)।सूरत आर्ट सिल्क (उपरोक्त) में, अदालत ने यह परिभाषित करने के लिए निर्धारक परीक्षण को स्पष्ट किया था कि क्या एक ट्रस्ट एक जी. पी. यू. दान था यदि इसका प्रमुख उद्देश्य एक धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करना था और यदि ऐसा था, तो यह तथ्य कि उसने लाभ अर्जित किया था, उसे कर छूट से वंचित नहीं करेगा।इस निर्णय की व्याख्या धारा के संदर्भ में की गई थी

एच.

11(4ए) थांथी ट्रस्ट में इस अदालत द्वारा, यह अभिनिर्धारित करना कि व्यवसाय ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक हो सकता है।

167. इस प्रकार, सूरत आर्ट सिल्क के साथ शुरू हुई यात्रा की व्याख्या थांथी ट्रस्ट में इस अर्थ में की गई थी कि जी. पी. यू. चैरिटी द्वारा व्यवसाय करना तब तक अनुमत था जब तक कि यह ट्रस्ट के लाभ के लिए था।हालाँकि, प्रश्नों में संशोधनों द्वारा लाया गया परिवर्तन पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता हैःकि यदि व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की कोई गतिविधि, या उसी की प्रकृति की कोई सेवा, किसी भी प्रकार के विचार के लिए अनुमत है, तो उस गतिविधि को आंतरिक रूप से जी. पी. यू. श्रेणी के उद्देश्य से या उसके किसी भाग से जोड़ा जाना चाहिए।इस प्रकार, दान का एक प्रमुख उद्देश्य द्वारा संचालित होने का परीक्षण अब अच्छा कानून नहीं है।इसी तरह, लाभ उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के संबंध में अस्पष्टता जो मुख्य उद्देश्य और आकस्मिक लाभ-प्राप्ति को पूरा कर सकती है, भी अच्छा कानून नहीं है।इसके बजाय, धारा 2 (15) के तहत परिभाषा अपने परन्तुक के माध्यम से निर्देश देती है और इस तरह पिछले कानून से एक प्रस्थान को चिह्नित करती है, पहला यह है कि यदि कोई जी. पी. यू. दान व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में किसी भी गतिविधि में संलग्न है, तो विचार के लिए यह केवल जी. पी. यू. उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस वास्तविक कार्य का एक हिस्सा होना चाहिए और दूसरा-और समान रूप से महत्वपूर्ण विचार एक मात्रात्मक मानक-यानी, इन तीन गतिविधियों के संबंध में व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य या सेवा की प्रकृति में गतिविधि से प्राप्त आय (शुल्क, उपकर या अन्य विचार) को लागू करना है, जो 10,00,000 (डब्ल्यू. ई. एफ.) की मात्रात्मक सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। 01.04.2009), 25,00,000 (डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2012), और 20 प्रतिशत (डब्ल्यू. ई. एफ. कुल प्राप्तियों का 01.04.2016)।अंत में, दान को "पोषण" देने के लिए व्यावसायिक आय की "जुताई" एक अप्रासंगिक कारक है-फिर से व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में शामिल होने पर प्रतिबंध पर जोर देना।

₹ ₹

168. यदि कोई उपरोक्त व्याख्या के आलोक में परिभाषा को समझता है, तो अनुक्रमणिका यह है कि "आय के लाभ और व्यवसाय के लाभ होने" के संदर्भ में इसके न्यास के उद्देश्यों के आनुषंगिक होने के संदर्भ के साथ, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है और न ही इसका अर्थ यह है कि

मुख्य उद्देश्य, आकस्मिक वस्तुओं या आय के लिए आकस्मिक गतिविधियाँ

जी. आनुषंगिक गतिविधियों से उत्पन्न।धारा 11 (4ए) में "आनुषंगिक" शब्द के संदर्भ को पढ़ने का उचित तरीका धारा 2 (15) के परंतुक के उपखंड (i) के आलोक में इसकी व्याख्या करना है, अर्थात ऐसी गतिविधियों के संबंध में व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य या सेवा की प्रकृति की गतिविधि।

वास्तव में जी. पी. यू. प्राप्त करने के क्रम में आयोजित किया जाना चाहिए

~~उद्देश्य,~~ और आय, लाभ या अधिशेष या लाभ तब, तार्किक रूप से ए हो सकता है

एच.

आनुषंगिक।2016 का संशोधन, धारा 2 (15) के परंतुक में उपखंड (i) सम्मिलित करना इसलिए स्पष्टीकरणात्मक था।इस प्रकार व्याख्या की जाए तो, धर्मार्थ उद्देश्य की परिभाषा और धारा 11 (4ए) के मशीनरी भाग के बीच कोई टकराव नहीं है।इसके अलावा, ऐसी प्राप्तियों के संबंध में अलग-अलग लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए धारा 11 (4ए) के तहत दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि उपखंड (ii) से धारा 2 (15) द्वारा लगाई गई मात्रात्मक सीमा की गणना और निर्धारण किया जा सके।

169. ऊपर अभिलिखित निष्कर्ष धारा 10 (23सी) के सातवें परंतुक 142 की भाषा द्वारा भी समर्थित है।जबकि धारा 2 (15) परिभाषा खंड है, धारा 10 यह सूचीबद्ध करती है कि आय क्या नहीं है।धारा 10 (23सी)-उपखंड (iv) और (v) द्वारा धर्मार्थ संगठनों की आय को छूट दी गई है।इस तरह के संगठन और संस्थान जी. ~~पी. यू. श्रेणी~~ के दान तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अन्य प्रकार के दान (यानी प्रति व्यक्ति भी) तक फैले हुए हैं।धारा 10 (23सी) के नियंत्रण भाग के साथ-साथ संबंधित खंड (iv) और (v) संबंधित दानों द्वारा प्राप्त आय को बाहर करने का प्रयास करते हैं।हालांकि, प्रावधान इस तरह की छूट को शर्तों के साथ बचाते हैं।सातवाँ परंतुक-धारा 11 (4ए) और परिभाषा की तरह-छूट के लिए एक अपवाद बनाता है, जैसे कि दान द्वारा व्यवसाय से प्राप्त आय को छूट नहीं दी जाती है।सातवाँ परंतुक वस्तुतः धारा 11 (4ए) को प्रतिध्वनित करता है जिसमें एक दान (वर्तमान मामले में, जी. पी. यू. दान) द्वारा प्राप्त व्यावसायिक आय जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आकस्मिक गतिविधि से उत्पन्न होती है, स्वयं बहिष्कृत नहीं है।

170. शास्त्रीय रूप से, दान का विचार एलिमोसिनरी 143 के साथ जुड़ा हुआ था।हालांकि, "धर्मार्थ उद्देश्य"-और अधिनियम में परिभाषित दान का एक व्यापक अर्थ है जहां यह उस संस्था का उद्देश्य है जो ध्यान केंद्रित करता है।इस प्रकार, बिना किसी विचार, लागत या नाममात्र विचार के सेवाओं या वस्तुओं को प्रदान करने का विचार कुछ भी शुल्क लिए या सांकेतिक या नाममात्र राशि लिए बिना सेवाओं या वस्तुओं के प्रावधान तक सीमित नहीं है।यह इंडियन चैंबर ऑफ इंडिया में लिखा गया है।

---

142 " बशर्ते कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) में निहित कुछ भी निधि या न्यास या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान की किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगा, जो व्यवसाय का लाभ और लाभ है, जब तक कि व्यवसाय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक न हो और उसके द्वारा ऐसे व्यवसाय के संबंध में अलग-अलग लेखा बहियां नहीं रखी जाती हैं:"

143 ईसाई मूल्यों के आधार पर मनुष्यों को संकट से राहत प्रदान करना-निदेशक को देखें
आयकर बनाम भारत डायमंड बोर्स (2002) 10 एस. सी. सी. 392, और बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवेज उपक्रम बनाम ए. राजप्पा (1978) 2 एस. सी. सी. 233।

वाणिज्य (उपर्युक्त) जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कुछ जी. पी. यू. जनता को इस शर्त के साथ सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं कि वे "अधिक" शुल्क नहीं लेंगे।
सेवाओं के प्रदान करने के लिए वास्तव में जितनी आवश्यकता होती है,-हो सकता है कि यह एक सटीक समकक्ष न हो, इस तरह की गणितीय सटीकता चर के मामले में असंभव हो,-हो सकता है कि वर्ष के अंत में थोड़ा अधिशेष बचा हो-लाभ कमाने के खिलाफ व्यापक अवरोध एक अच्छी गारंटी है कि गतिविधि को जारी रखना लाभ के लिए नहीं है।

—

171. इसलिए, इस अर्थ में शुद्ध दान कि किसी भी विचार के बिना किसी गतिविधि के प्रदर्शन की कल्पना अधिनियम के तहत नहीं की गई है। यदि कोई इसे ध्यान में रखता है, तो धारा 2 (15) जिस पर जोर देती है, वह यह है कि जब तक जी. पी. यू. के दान के उद्देश्य में ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो लाभ भी उत्पन्न करती हैं (आकस्मिक, या दूसरे शब्दों में, जी. पी. यू. के उद्देश्यों को वास्तव में पूरा करते हुए, यदि कुछ लाभ उत्पन्न होता है), तो इसे छूट दी जा सकती है बशर्ते इस तरह के लाभ से प्राप्तियों के लिए धारा 2 (15) के दूसरे परंतुक के तहत मात्रात्मक सीमा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) का पालन किया जाए।

172. धारा 10 (23) और 11 के साथ परिभाषा को देखने का एक अन्य तरीका यह है कि एक सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यदि दान स्वयं को उन गतिविधियों में शामिल करता है, जिसमें केवल लागत पर या लागत पर मामूली अंक पर राशि वसूल करना शामिल है, और कुछ लाभ भी प्राप्त होता है, तो व्यवसाय से संबंधित व्यवसाय या सेवा को ले जाने के खिलाफ निषेध आकर्षित नहीं होता है-यदि ऐसे लाभ की मात्रा इसकी समग्र प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

173. इस खंड को कुछ चित्रों के साथ व्याख्या पर समाप्त करना उपयोगी हो सकता है।गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा संग्रहालयों और प्रदर्शनियों के माध्यम से महात्मा गांधी के दर्शन (सूरत कला रेशम में) का प्रसार करने और उनकी कृतियों को नाममात्र की लागत पर प्रकाशित करने का उदाहरण वास्तव में व्यवसाय नहीं है।इसी तरह, समाज के कमजोर वर्गों को कम लागत वाले छात्रावासों तक पहुंच प्रदान करना, जहां वसूल किए गए शुल्क या शुल्क में लागत (प्रशासनिक व्यय सहित) और नाममात्र का भुगतान शामिल है; या कम राशि के लिए विवाह कक्ष किराए पर लेना, फिर से लागत को कवर करने के लिए शुल्क के साथ; या रक्त बैंक सेवाएं, फिर से लागत को कवर करने के लिए शुल्क के साथ, व्यवसाय की प्रकृति में गतिविधियाँ नहीं हैं।फिर भी, जब संबंधित संस्था एक ही काम या काम जो उसके उद्देश्य का हिस्सा है (यानी, गांधी पर एक महंगी कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन, या मैरिज हॉल के मामले में, उन लोगों से महत्वपूर्ण राशि वसूल करती है जो अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करके, भुगतान करने का खर्च उठा सकते हैं, लागत-प्लस नाममात्र मार्कअप से कहीं अधिक) तो ऐसी ए

जी.

एच.

गतिविधियाँ उनके संबंध में व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय या सेवा की प्रकृति की होती हैं।ऐसे मामले में, ऐसी बाद की प्रकार की गतिविधियों से प्राप्तियां जहां अधिक राशि ली जाती है, धारा 2 (15) के परंतुक (ii) द्वारा इंगित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

174. धारा 13 (8) 144 का अंतःस्थापन, धारा 10 (23सी) का सत्रहवाँ परंतुक और धारा 143 (3) का तीसरा परंतुक (ये सभी वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे, लेकिन w.r.e.f। 01.04.2009), इस न्यायालय की "धर्मार्थ उद्देश्य" की व्याख्या को और मजबूत करता है।ये प्रावधान उन शर्तों को नियंत्रित करने के लिए तंत्र बनाते हैं जिनके तहत आय को छूट दी जाती है।धारा 10 (23सी) के सत्रहवें परंतुक का प्रभाव उसी शर्त को लागू करना है, यानी कि व्यापार, वाणिज्य या व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य से संबंधित व्यावसायिक गतिविधि या सेवा, जी. पी. यू. की गतिविधियों का हिस्सा होनी चाहिए, ताकि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।दूसरी शर्त-जो छूट की शर्त के हिस्से के रूप में तैयार की जाती है, वह यह है कि यदि ऐसी व्यापार या वाणिज्यिक गतिविधि होती है तो प्राप्तियां समग्र प्राप्तियों के निर्धारित प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए।धारा 13 (8) भी इसी शर्त को मजबूत करती है।175. इस न्यायालय की राय में, धारा 2 (15) के संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा किए गए परिवर्तन पर धारा 10 (23सी) के संशोधन और धारा 13 (8) को शामिल करके जोर देने और स्पष्ट करने की मांग की गई थी।यह संसद का यह कहने का जोरदार तरीका था कि आम तौर पर जी. पी. यू. चैरिटी द्वारा कोई वाणिज्यिक या व्यावसायिक या व्यापारिक गतिविधि नहीं की जानी चाहिए, लेकिन सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की गतिविधियों को करने के अपने कार्य के दौरान, वे सीमित तरीके से ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते रसीदें धारा 2 (15) के परंतुक के खंड (ii) में उल्लिखित सीमा के भीतर हों।

घ. किस प्रकार की आय या प्राप्तियों को व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय या ऐसी गतिविधियों के संबंध में प्राप्त आय के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

(i) सांविधिक निगम, प्राधिकरण या निकाय

176. अब यह आवश्यक होगा कि कुछ प्रकार की प्राप्तियों से निपटा जाए जो जी. पी. यू. चैरिटी, आम तौर पर वैधानिक आवास बोर्ड, नियामक प्राधिकरण और निगमों के लिए हकदार हो सकते हैं, यदि उन्हें एकत्र करने या एकत्र करने के लिए अनिवार्य किया जाता है।

144 “(8) धारा 11 या धारा 12 में निहित कुछ भी इस तरह से काम नहीं करेगा कि उसकी प्राप्ति में व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय से किसी भी आय को बाहर कर दिया जाए यदि धारा 2 के खंड (15) के पहले परंतुक के प्रावधान उक्त पिछले वर्ष में ऐसे व्यक्ति के मामले में लागू हो जाते हैं।”

प्राप्त करें।सुनवाई के दौरान, विद्वान वकीलों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैधानिक बोर्डों और निगमों को सार्वजनिक हित में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने की लागत की वसूली करनी होगी, और बड़े पैमाने पर विकास और सार्वजनिक संपत्ति के रखरखाव के लिए भी धन देना होगा।इनमें शुल्क या शुल्क की वसूली, ब्याज और जमा रखने के लिए ब्याज प्राप्त करना भी शामिल होगा।यह भी बताया गया कि कुछ मामलों में किराए के रूप में आय-उन योजनाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिन्हें संबंधित बोर्ड, न्यास या निगम को अनिवार्य या जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, प्राप्त करनी होती है।उदाहरण के लिए, कुछ स्थितियों में, कुछ प्रकार की संपत्तियों के लिए, बोर्डों को केवल अपनी संपत्तियों को पट्टे पर देने और किराए प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

177. इस न्यायालय की राय में, इनके उत्तर यह हैं कि इप्सो फैक्टो परिभाषा में यह नहीं बताया गया है कि क्या कुछ प्रकार की आय को बाहर रखा जा सकता है।हालांकि, कुछ दरों, शुल्कों या लागतों के संग्रह को सक्षम या अनिवार्य करने वाले विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ की जांच करनी होगी।आम तौर पर, अधिनियमों में वैधानिक मॉडलों (जिसके तहत निगम बोर्ड या ट्रस्ट या प्राधिकरण किसी भी नाम से स्थापित किए जाते हैं) को देखते हुए, केवल यह तथ्य कि इन निकायों को सामान या वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के लिए राशि वसूलनी होती है, यानी पानी प्रदान करने, खाद्यान्न के वितरण, दवाओं के वितरण, सड़कों, पार्कों आदि के रखरखाव जैसी विशिष्ट आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क, को "वाणिज्यिक प्राप्तियों" के रूप में वर्णित नहीं किया जाना चाहिए।इस तरह के बहिष्कार के लिए तर्क यह होगा कि यदि कानूनों द्वारा निर्धारित और आवश्यक सेवाओं के लिए एकत्र की गई ऐसी दरों, शुल्कों, शुल्कों आदि को व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के हिस्से के रूप में प्राप्तियों के रूप में समग्र आय में शामिल किया जाता है, तो धारा 2 (15) के दूसरे परंतुक द्वारा लगाई गई 20 प्रतिशत की मात्रात्मक सीमा आकर्षित होगी जिससे आवश्यक सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्य को नकार दिया जाएगा और इस प्रकार अंतिम उपयोगकर्ता या उपभोक्ता द्वारा वहन की जाने वाली लागत बढ़ जाएगी जो आम जनता है।उदाहरण के लिए, यदि कोई निगम लागत पर आवश्यक खाद्यान्न की आपूर्ति करता है, या एक मामूली मार्क अप करता है, तो कोई अन्य आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करता है, और एक तिहाई, पानी, इन्हें व्यवसाय की प्रकृति की गतिविधियों के रूप में चिह्नित करना आत्म-पराजय होगा, क्योंकि कुछ मामलों में समग्र प्राप्तियां मात्रात्मक सीमा से अधिक हो सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप कराधान होता है और इसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता या उपभोक्ता से अधिक प्रतिफल लिया जाता है।

जी.

(क) धारा 10 (46) और धारा 2 (15) की व्याख्या

एच. 178. धारा (20ए) को वित्त अधिनियम, 1970 द्वारा 01.04.1962 से प्रभावी किया गया था।इसने आय के कुछ वर्गों को बाहर कर दिया था, ए

निगम 145।इस अदालत के पास इस प्रावधान पर विचार करने का अवसर था जब यह जी. आई. डी. सी. मामले (उपरोक्त) में लागू था।अदालत ने तब इस बात पर जोर दिया था कि धारा 10 (20ए) में "विकास" अभिव्यक्ति को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए; इस प्रकार, "किसी भी उद्योग से संबंधित" सभी विकास कार्यक्रम "विकास" के दायरे में आते हैं।अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आई. टी. अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह निर्धारित करता हो कि किसी निगम को विकास निगम कैसे कहा जा सकता है और न ही ऐसा कुछ है जो यह अनिवार्य करता है कि ऐसे निगमों द्वारा प्रभार्य शुल्क गैर-औद्योगिक गतिविधियों तक ही सीमित है।

179. गुजरात समुद्री बोर्ड मामले (ऊपर) में निर्णय था
धारा 10 (20) के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया।यह प्रावधान स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त होने वाली आय को कराधान से छूट देता है।वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा, धारा 10 (20) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था जिसमें "स्थानीय प्राधिकरण" को पूर्वव्यापी रूप से परिभाषित किया गया था।बोर्ड ने पूर्वव्यापी परिभाषा के अभाव में छूट का आनंद लेना बंद कर दिया जो उसे अब तक प्राप्त था।इसलिए इसने एक जी. पी. यू. श्रेणी के दान के रूप में छूट की मांग की, यह दावा करते हुए कि यह अपने मूल अधिनियम, यानी गुजरात समुद्री बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों द्वारा नियंत्रित किया गया था। इस अदालत ने राजस्व के इस तर्क का खंडन किया कि यदि कोई निगम "स्थानीय प्राधिकरण" की परिभाषा के भीतर नहीं आता है तो वह जी. पी. यू. दान होने का दावा नहीं कर सकता है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1961 के अधिनियम की धारा 10 (20) और धारा 11 पूरी तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं।भले ही बोर्ड को एक स्थानीय प्राधिकरण के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन यह 1961 के अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत छूट का दावा करने से वंचित नहीं है। इसलिए, अदालत ने धारा 2 (15) के तहत परिभाषित "धर्मार्थ उद्देश्य" शब्दों की परिभाषा के आलोक में धारा 11 (1) को पढ़ा।इस अदालत ने सी. आई. टी. बनाम ए. पी. एस. आर. टी. सी. (उपरोक्त) के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत गठित ए. पी. एस. आर. टी. सी. को अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जी. पी. यू. दान माना गया था, इस प्रकार इसे आई. टी. अधिनियम के संदर्भ में छूट का अधिकार दिया गया था। 180.इन निर्णयों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि राजस्व की संकीर्ण संरचना जिसके द्वारा कर छूट से जमीनी स्तर पर इनकार किया जाता है

---

145 आय जो कुल आय में शामिल नहीं है।
10. किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना करने में, निम्नलिखित खंडों में से किसी के भीतर आने वाली कोई भी आय शामिल नहीं होगी - जी

XXXXX XXXXX XXXXX
(20(क) आवास की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से या शहरों, कस्बों और गाँवों की योजना, विकास या सुधार के उद्देश्य से या दोनों के लिए अधिनियमित किसी कानून द्वारा या उसके तहत भारत में गठित प्राधिकरण की कोई आय।

एच.

कि यदि कोई संस्था धारा 10 (20ए)-या नई लागू धारा 10 (46) द्वारा कवर नहीं की गई है, तो वह धारा 11 के तहत जीपीयू चैरिटी के रूप में लाभ का दावा नहीं कर सकती है।ये दोनों प्रावधान अलग-अलग लेकिन अतिव्यापी लाभ प्रदान करते हैं।यदि कोई संस्था एक प्रावधान की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है क्योंकि वह उस प्रावधान के तहत किसी निकाय के विवरण का जवाब नहीं देती है, तो वह वास्तव में दूसरे प्रावधान के लाभ का दावा करने के लिए कोई बाधा नहीं है।

181. धारा 10 (46) को धारा 10 (20ए) कहने के लिए पुनर्जन्म दिया गया, जिसे डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2003 से हटा दिया गया था।यह प्रावधान, अर्थात, धारा 10 (46) को वित्त अधिनियम, 2011-14 द्वारा पूर्वव्यापी रूप से आई. डी. 1 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया था।आम जनता में किसी भी गतिविधि को विनियमित करने या प्रशासित करने के उद्देश्य से केंद्र या राज्य अधिनियमों द्वारा या उसके तहत साबित या गठित की गई धारा 10 (46), यानी निर्दिष्ट आय या बंदरगाहों, न्यासों या आयोगों आदि की निर्दिष्ट आय का एक वर्ग, के लागू होने की शर्तें जी. पी. यू. दान के मामले की तरह ही हैं।जी. पी. यू. चैरिटी के मामले की तरह, धारा 10 (46) (बी) द्वारा ऐसे निगमों आदि के वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल होने पर प्रतिबंध है।यह प्रतिबंध पहली बार लागू किया गया है [क्योंकि वह निषेध अब निरस्त की गई धारा 10 (20ए) में अनुपस्थित था]।

182. "~~वाणिज्यिक" शब्द व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में वाक्यांश के साथ~~, यदि समान नहीं है, तो निकटता से ~~मिलता-जुलता है।" धारा 10 (46) में दूसरी शर्त यह है कि जिस निर्दिष्ट आय को~~ छूट दी जानी है, उसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाना है।वाणिज्यिक गतिविधि के लिए संकेत, उन गतिविधियों के लिए एक पूर्ण प्रतिबंध की प्रकृति में प्रतीत होता है जो वाणिज्य या व्यवसाय के समान हैं, जिससे लाभ होता है।हालांकि, इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि धारा 10 का उद्देश्य आय की प्राप्तियों के एक पूरे वर्ग को कर योग्य शुद्ध से हटाना है।धारा 10 के इस उद्देश्य को देखते हुए,

---

146 आय जो कुल आय में शामिल नहीं है।
10. किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना करने में, निम्नलिखित खंडों में से किसी के भीतर आने वाली कोई भी आय शामिल नहीं होगी -
XXXXX XXXXX XXXXX

जी. (46) किसी निकाय या प्राधिकारी या बोर्ड या न्यास या आयोग (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए) या उसके किसी वर्ग से उत्पन्न होने वाली कोई विनिर्दिष्ट आय, जो -
(क) केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत साबित या गठित किया गया है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य आम जनता के लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को विनियमित करना या प्रशासित करना है;

((ख) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं है; और
(ग) इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

एच.

"वाणिज्यिक" गतिविधि की व्याख्या उसी तर्ज पर होनी चाहिए जैसे जी. पी. यू. दानों द्वारा प्राप्त आय के मामले में, उनके वास्तविक कामकाज के दौरान, व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की गतिविधियों में शामिल होकर।इस प्रकार, यदि धारा 10 (46) के भीतर सांविधिक निगम प्रदान की गई सेवा या आपूर्ति की गई वस्तुओं की लागत पर मामूली मार्क-अप वसूलकर अपनी आय प्राप्त करते हैं, जिसका उद्देश्य उन गतिविधियों की लागत की वसूली करना है जिनमें वे मुख्य रूप से संलग्न हैं या उस उद्देश्य को प्राप्त करना है जिसके लिए वे स्थापित किए गए थे, जैसे कि आवास, सड़क अवसंरचना, जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, खाद्यान्न, दवाओं आदि की आपूर्ति, नियामक शक्तियों के साथ या उसके बिना, केवल यह तथ्य कि कुछ अधिशेष या लाभ प्राप्त किया जाता है, उन्हें धारा 10 (46) के लाभ से वंचित नहीं करेगा।

183. इस संदर्भ में, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के निर्णय पर विचार करना उपयोगी होगा।
विकास प्राधिकरण बनाम भारत संघ 147 (इसके बाद "जी. एन. आई. डी. ए".) और सी. आई. टी. बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 148।में।
जी. एन. आई. डी. ए. (ऊपर), उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्य और उद्देश्यों के साथ स्थापित निकायों-जो लाभ से प्रेरित हैं, और अन्य सरकारी निकायों के बीच अंतर किया।अदालत ने ठीक ही कहा कि अन्य सरकारी निकाय छूट के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे लाभ से प्रेरित हैं।फिर, धारा 10 (46) के तहत "वाणिज्यिक गतिविधि" शब्द से निपटने के लिए, यह माना गया कि निर्णायक परीक्षा यह है कि क्या वे गतिविधियाँ जिनके लिए शुल्क, सेवा शुल्क के रूप में विचार किया जाता है।

आदि, एकत्र किया जाता है, "आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है और जनता के लाभ के लिए गतिविधि को विनियमित करने और प्रशासित करने के उद्देश्य के साथ न्यूनतम संबंध था।"

184. यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यदि गतिविधि वाणिज्यिक आधार पर नहीं की जाती है, यानी लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, लेकिन निकाय को एक प्रशासनिक भूमिका सौंपी जाती है, तो नियंत्रक क़ानून या कानून के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, धारा 10 (46) के तहत छूट से इनकार नहीं किया जा सकता है।जैसा कि जोड़ा गया है, लाभ या गतिविधियों के लिए गतिविधियाँ जो स्पष्ट रूप से सरकार या वैधानिक निकायों द्वारा किए गए लाभ से प्रेरित थीं, छूट का लाभ नहीं उठा सकती हैं।

यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) में निर्णय है -
समान रेखाओं के साथ।185. जहाँ तक बोर्डों और निगमों का संबंध है, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का कार्य सौंपा गया है, क़ानून द्वारा, इस न्यायालय के निर्णय,

147 (2018) 406 आई. टी. आर. 418 (इसके बाद "जी. एन. आई. डी. ए".) 148 (2017) 395 आई. टी. आर. 18

श्री रामतनु कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (ऊपर) और गुजरात औद्योगिक विकास निगम (ऊपर) ने घोषणा की है कि ये

निकाय 'विकास' में शामिल होते हैं और अनिवार्य रूप से इसमें शामिल नहीं होते हैं
व्यापार करते हैं।श्री रामतनु कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (ऊपर) में यह
अदालत ने पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम एक व्यापारिक संस्था नहीं है, और निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "भूमि के हस्तांतरण, या धन के उधार लेने या किराए और लाभ की प्राप्ति की ये विशेषताएं अपने आप में न तो संकेत होंगी और न ही निगम के व्यापारिक चरित्र की निर्णायक विशेषताएं होंगी।आम तौर पर, एक निगम की साबित शेयरधारकों द्वारा उनकी पूंजी के साथ की जाती है।शेयरधारकों के पास निगम के विनियमन और प्रबंधन के लिए अपने निदेशक होते हैं-शेयरधारकों द्वारा स्थापित ऐसा निगम व्यवसाय करता है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है।जब ऐसे निगम द्वारा लाभ अर्जित किया जाता है तो उन्हें लाभांश के रूप में शेयरधारकों को वितरित किया जाता है या आरक्षित निधियों में रखा जाता है।वर्तमान मामले में, एक व्यापारिक निगम की ये विशेषताएँ अनुपस्थित हैं।निगम की साबित अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिनियम द्वारा की गई है। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य में उद्योगों का विकास करना है।निगम में राज्य सरकार, राज्य विद्युत बोर्ड और आवास बोर्ड के उम्मीदवार शामिल हैं। निगम के कार्यों और शक्तियों से संकेत मिलता है कि निगम औद्योगिक संपदाओं की स्थापना और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, उन उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण, भवनों का निर्माण, उद्योगपतियों या औद्योगिक उपक्रमों को भवन, फैक्ट्री शेड आवंटित करने में राज्य सरकार की एक शाखा के रूप में कार्य कर रहा है।यह स्पष्ट है कि निगम को भूमि, भवनों और अन्य संपत्तियों के निपटान के लिए धन प्राप्त होगा और यह भी कि निगम को उचित मामलों में किराया और लाभ प्राप्त होगा।इन धन की प्राप्ति किसी भी व्यवसाय या व्यापार से नहीं होती है, बल्कि उद्योगों की स्थापना, विकास और विकास के एकमात्र उद्देश्य से होती है।

जी.

17. निगम को औद्योगिक संपदाओं और औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं।औद्योगिक संपदाओं और औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, बिजली, सीवरेज और अन्य सुविधाओं की सुविधाएँ ए के कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं।

एच.

निगम।निगम की प्राप्ति में राज्य सरकार से प्राप्त धन, निगम द्वारा प्राप्त सभी शुल्क, लागत और शुल्क, भूमि, भवनों और अन्य संपत्तियों के निपटान से निगम द्वारा प्राप्त सभी धन और निगम द्वारा किराए और लाभ के रूप में या किसी अन्य तरीके से प्राप्त सभी धन शामिल हैं।निगम के पास निगम की सामान्य निधियों या आरक्षित और अन्य निधियों से ऐसी राशियों को खर्च करने का अधिकार होगा।निगम को राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरक्षित और अन्य विशेष रूप से निर्धारित निधियों का प्रावधान करना है।निगम उन व्यक्तियों, प्राधिकरणों या संस्थानों से जमा स्वीकार करता है जिन्हें अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भूमि, भवनों या शेड का आवंटन या बिक्री की जाती है या किए जाने की संभावना है। अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए एक बजट तैयार किया जाता है।निगम के खातों का लेखा-परीक्षण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है।निगम के वित्त के संबंध में ये प्रावधान निगम की वास्तविक भूमिका को इंगित करते हैं अर्थात अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने में सरकार की एजेंसी जो उद्योगों का विकास है।यदि अंतिम विश्लेषण में व्यय पर आय की अधिकता है जो निगम के व्यापारिक चरित्र को स्थापित नहीं करेगी।सरकार के विभिन्न विभाग हैं जिनकी आय व्यय से अधिक हो सकती है।

********** ******** *********

20. एक व्यापारिक निगम की अंतर्निहित अवधारणा खरीद और बिक्री है।वर्तमान मामले में निगम द्वारा खरीदने या बेचने का कोई पहलू नहीं है।निगम अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करता है, अर्थात् इस राज्य में उद्योगों का विकास।भवनों का निर्माण, किराए पर या बिक्री पर भवनों को किराए पर देकर उद्योगों की स्थापना, औद्योगिक संपदा की स्थापना या औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और उद्योगों की स्थापना के संबंध में भूमि का अधिग्रहण और हस्तांतरण को भूमि या भवनों में लेनदेन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह स्पष्ट कारण है कि राज्य राज्य में उद्योग स्थापित करने में निगम के साथ एक एजेंट के रूप में अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा कर रहा है।इस अधिनियम का उद्देश्य एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करना है।

जी.

एच.

नगर और निगम अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। एक व्यापारिक निगम का कठोर मूल इसका वाणिज्यिक चरित्र है।वाणिज्य का अर्थ वस्तुओं की खरीद और बिक्री, वस्तुओं में लेनदेन से है।व्यावसायिक लेन-देन के रूप अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन वास्तविक चरित्र खरीद और बिक्री है।वर्तमान मामले में निगम का वास्तविक चरित्र औद्योगिक संपदाओं और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और विकास करके औद्योगिक शहरों के विकास और विकास के वास्तुशिल्प एजेंट के रूप में कार्य करना है।हमारा मानना है कि निगम व्यापारिक नहीं है।"186. श्री रामतनु कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (ऊपर) में नं.

संदेह, इस अदालत को यह तय करने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम कर छूट का हकदार था।हालांकि, इसने अधिनियम के प्रावधानों की जांच की, और यह अनुपात, कि ऐसे औद्योगिक विकास निगम व्यापार में शामिल नहीं हैं, बाध्यकारी है।उस मामले की तरह, यहां भी संबंधित राज्य अधिनियमों (गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम, 1962 और कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966) ने बोर्डों को औद्योगिक क्षेत्रों की योजना और विकास का काम सौंपा।उनके कर्मियों को अधिनियमों के तहत नियुक्त किया जाता है और उन्हें लोक सेवक माना जाता है। राज्य सरकार को अपने उद्देश्यों के लिए प्रतिष्ठित क्षेत्र शक्ति का प्रयोग करते हुए भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार है; उनका लेखा परीक्षा संबंधित राज्य के महालेखाकार या राज्य द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है।वे पूर्व निर्धारित आधार पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए दरें और शुल्क लगाने के लिए कानून द्वारा अधिकृत हैं।इन प्रावधानों के आलोक में, स्पष्ट रूप से, ये बोर्ड और अधिकारी सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों को पूरा करते हैं और वे लाभ के उद्देश्य से संचालित नहीं होते हैं।187. अब हटाई गई धारा 10 (20ए) और नई जोड़ी गई धारा 10 (46) के बीच दो गुना अंतर है। 01.06.2011)।सबसे पहले, कि पूर्ववर्ती धारा 10 (20ए) आवास अवसंरचना की योजना और विकास के लिए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत गठित निकायों या निगमों के एक सीमित वर्ग पर लागू होती है।हालांकि, नई जोड़ी गई धारा 10 (46) किसी भी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा या उसके तहत गठित गतिविधियों की तुलना में व्यापक है।

जी.

"आम जनता के लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को विनियमित करने या प्रशासित करने के उद्देश्य" के साथ किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम का व्यापक महत्व है।

एक मायने में, नई जोड़ी गई धारा 10 (46), धारा 2 (15) के तहत वर्गीकृत जी. पी. यू. श्रेणी के दान से मिलती-जुलती है। दूसरा अंतर यह है कि धारा 10 (20ए) किसी भी बोर्ड या निगम आदि को ए में शामिल होने से नहीं रोकती है।

एच.

व्यावसायिक गतिविधियों में।हालांकि, धारा 10 (46) का उपखंड (बी) इस तरह की रोक लगाता है, और संबंधित निकाय वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न होने पर कर छूट का दावा नहीं कर सकता है।

188. जिस तरह से जी. पी. यू. दान को परिभाषा खंड, यानी धारा 2 (15) के तहत निपटाया गया है, वह इंगित करता है कि भले ही व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में व्यापार या वाणिज्यिक गतिविधि या सेवा प्रतिबंधित प्रतीत होती है-फिर भी प्रतिबंध को कुछ हद तक उस परंतुक द्वारा हटा दिया जाता है जो ऐसी गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है यदि वे सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को प्राप्त करने की गतिविधि का आंतरिक रूप से हिस्सा हैं।इसके अलावा, जी. पी. यू. दान के मामले में समग्र प्राप्तियों की एक मात्रात्मक सीमा है, जो ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि से अनुमत है।धारा 10 (46) के अंतर्गत आने वाले स्थानीय अधिकारियों और निगमों के मामले में ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है।

189. जैसा कि इस फैसले के पहले भाग में देखा गया था-इस बात पर विचार करते हुए कि क्या 01.0.2003-31.05.2011 अवधि के लिए, वैधानिक बोर्ड, निगम, आदि कानूनी रूप से जी. पी. यू. दान होने का दावा कर सकते हैं, इस अदालत ने कहा है कि ऐसे निगमों की प्रकृति लाभ उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लाभ के लिए वस्तुओं और अन्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए है।यदि ऐसे निगमों (धारा 10 (46) के विवरण के भीतर आने वाले) ने छूट के लिए केंद्र सरकार को आवेदन किया है, तो उनकी प्राप्तियों का व्यवहार, यह निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए कि क्या वे जी. पी. यू. दान हैं, उस अवधि के दौरान जब धारा 10 (46) अस्तित्व में नहीं थी, इस तरह की प्राप्तियों को कैसे माना जा सकता है और किया जाना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए।इसके अलावा, इस अदालत की राय है कि गुजरात समुद्री बोर्ड मामले (उपरोक्त) में टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, एक श्रेणी के तहत छूट से इनकार ऐसे निगमों को दूसरी श्रेणी के तहत आय छूट का दावा करने से नहीं रोक सकता है।

(ख) सांविधिक प्राधिकरणों/निगमों के संबंध में सारांश

190. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय की राय है वहः

(i) यह तथ्य कि वे निकाय जो वैधानिक कार्यों को करते हैं, जिनकी आय धारा 10 (20ए) के तहत छूट के लिए विचार किए जाने के योग्य थी, उस प्रावधान को हटाने के बाद उस लाभ का आनंद लेना बंद कर देते हैं।

एच.

अधिनियम की धारा 2 (15) के साथ पठित धारा 11 के तहत जी. पी. यू. श्रेणी के दान।

((ii) आवास विकास, नगर नियोजन, औद्योगिक विकास क्षेत्रों में सांविधिक निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, आयोग आदि (किसी भी नाम से) सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों की उन्नति में शामिल हैं, इसलिए वे जी. पी. यू. श्रेणियों में दान के रूप में माने जाने के हकदार हैं।

((ग) ऐसे सांविधिक निगम, बोर्ड, न्यास प्राधिकरण आदि सार्वजनिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने में शामिल हो सकते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की गतिविधियों में शामिल या संलग्न हो सकते हैं।(iv) यह निर्धारित करते समय विचार करने के लिए निर्धारक परीक्षण कि क्या ऐसे वैधानिक निकाय, बोर्ड, प्राधिकरण, निगम, स्वायत्त या स्व-शासित सरकारी प्रायोजित निकाय, जी. पी. यू. श्रेणी के दान हैं:

(क) क्या राज्य या केंद्रीय कानून, या संघ का ज्ञापन, संविधान, आदि किसी भी जी. पी. यू. उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि आवास का विकास, नगर योजना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, या सामान्य जनहित में किसी भी गतिविधि का विनियमन, आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति-जैसे कि जल आपूर्ति, सीवेज सेवा, दवाओं का वितरण, खाद्यान्न (पी. डी. एस. संस्थाएं), आदि।;

(ख) ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी गतिविधियों को जारी रखते समय (जिन्हें अधिनियम के उद्देश्यों और नीतियों से समझा जाना चाहिए; या नियंत्रण साधन के संदर्भ में, जैसे कि संघ का ज्ञापन आदि।), जिस उद्देश्य के लिए इस तरह के सार्वजनिक जी. पी. यू. दान की स्थापना की जाती है-चाहे

विकास या धर्मार्थ उद्देश्य को आगे बढ़ाना या ऐसे व्यापार आदि के संबंध में व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य या सेवा को आगे बढ़ाना।

जी.

(ग) ऐसे बोर्ड, प्राधिकरण, निगम आदि द्वारा लागत या नाममात्र मार्क-अप के आधार पर सेवा प्रदान करना या किसी भी वस्तु या सामान को प्रदान करना, वास्तव में ऐसे व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य के संबंध में व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य या सेवा की प्रकृति की गतिविधियाँ नहीं होंगी।

एच.

(घ) जहां नियंत्रक साधन, विशेष रूप से कोई कानून संबंधित निकाय पर कुछ जिम्मेदारियां या कर्तव्यों को अधिरोपित करता है, जैसे कि पूर्व निर्धारित वैधानिक आधार पर दरों का निर्धारण, या कानून द्वारा विनियमित सूत्रों के आधार पर, या कानून के बल वाले नियमों के आधार पर, विकास के उद्देश्यों के लिए सुविधाओं को अलग करना, पानी की आपूर्ति के लिए निश्चित दरें वसूलना, सीवेज सेवाएं प्रदान करना, खाद्यान्न, दवाएं प्रदान करना और/या जमा या सरकारी प्रतिभूतियों में धन रखना और उससे ब्याज निकालना या पट्टा किराया, भूमि किराया, आदि वसूलना, ऐसे शुल्क, शुल्क, ब्याज, आदि की वसूली को व्यापार, वाणिज्य, या व्यवसाय की प्रकृति की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए या सेवा प्रदान करने के लिए "शुल्क, उपकर या अन्य विचार" के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

(ई) क्या कानून या नियंत्रण साधन नीति या योजना निर्धारित करता है, कि वस्तुओं और सेवाओं को कैसे वितरित किया जाना है; अधिशेष या लाभ, किस अनुपात में अनुमत रूप से प्राप्त किया जा सकता है; क्या ऐसी सीमाएं हैं जिनके भीतर भूखंड, दरें या लागतें निर्धारित की जानी हैं; क्या जिस कार्य में निकाय लगा हुआ है, वह सामान्य रूप से कुछ ऐसा है जिसमें सरकार या राज्य से संविधान और अधिनियमित कानूनों के प्रावधानों और एन. डी. एम. सी. में इस अदालत की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए संलग्न होने की उम्मीद की जाती है; चाहे अधिशेष या लाभ अर्जित हो, निगम, निकाय या प्राधिकरण को इसे वितरित करने की अनुमति है, और यदि ऐसा है, तो केवल सरकार या राज्य को; किस हद तक राज्य या उसके उपकरणों का निगम या उसके उपकरणों पर नियंत्रण है।;

(च) जब तक संबंधित वैधानिक निकाय, निगम, प्राधिकरण, आदि वास्तव में एक जी. पी. यू. उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं जिनमें कुछ व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय शामिल होते हैं, जो लाभ उत्पन्न करते हैं (यानी, लागत से काफी अधिक राशि), और ऐसी प्राप्तियों की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर होती है (धारा 2 (15) के दूसरे प्रावधान द्वारा अनिवार्य 20 प्रतिशत)-संबंधित वैधानिक या सरकारी संगठनों को जी. पी. यू. दान के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।यह बिना कहे चला जाता है कि दूसरा

एच.

धारा 10 (23सी) के सातवें परंतुक और धारा 11 द्वारा लगाई गई शर्तों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।(v) परिणामस्वरूप, प्रत्येक मामले में, धारा 10 (23सी) के पहले परंतुक और सत्रहवें परंतुक (जिसे 2012 में प्रस्तुत किया गया था) को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि छूट देने पर विचार करने वाला प्राधिकारी, जी. पी. यू. दान होने का दावा करने वाली संस्था के संबंधित अधिनियम या साधन, इसकी अंतर्निहित नीति और कार्यों और गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखता है।यदि यह अपने कार्य के दौरान शुल्क एकत्र करता है, या कोई भी प्रतिफल जो केवल अपने खर्च को कवर करता है (जिसमें प्रशासनिक और अन्य लागतें और प्रावधान के लिए एक छोटा सा अनुपात शामिल है)-ऐसी राशि व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय या सेवा के संबंध में विचार नहीं की जाती है।हालांकि, जो राशि लागत की वसूली से काफी अधिक है, उसे व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय से प्राप्त प्राप्तियों के रूप में माना जाना चाहिए।यह उन राशियों के लिए है जो धारा 2 (15) के परंतुक (ii) में मात्रात्मक सीमा लागू होती है, और जिसके लिए आई. टी. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत अलग-अलग लेखा पुस्तकों को बनाए रखना होगा।

((ii) ~~सांविधिक नियामक निकाय/प्राधिकरण~~

191. सुनवाई के दौरान, नियामक निकायों के सार्वजनिक उपयोगिता चरित्र के चेहरे की प्रकृति के संबंध में प्रतिद्वंद्वी विवाद किए गए थे।एक नमूना विशेष मामला भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई. सी. ए. आई.) का था।कुछ वर्षों के संबंध में, राजस्व ने अपीलों को प्राथमिकता दी है और कुछ अन्य के संबंध में, संस्थान ने अपीलों को प्राथमिकता दी है।आई. सी. ए. आई. अधिनियम के प्रावधानों पर भरोसा रखा गया था और इस बात पर जोर देने के लिए विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गई थीं कि यह चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के व्यवसाय के पूरे ब्रह्मांड को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है-यानी, उन उम्मीदवारों का चयन करना जो शैक्षिक पाठ्यक्रम से गुजर सकते हैं, चार्टर्ड एकाउंटेंसी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना; कक्षाएं आयोजित करना, प्रशिक्षण सत्र और शिक्षा प्रदान करना; परीक्षा आयोजित करना आदि। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि संस्थान की सदस्यता, यानी जो चार्टर्ड खातों के रूप में नामांकित हैं, उनमें काफी वृद्धि हुई है।जबकि वित्तीय वर्ष 2005 के अंत में, सदस्यता 1.23 लाख थी, यह 31.03.2012 पर 1,86,440 तक बढ़ गई थी।इसी तरह, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों में एक घातीय वृद्धि हुई-2005 में, यह 2,96,294 थी, और 31.03.2012 पर, यह बढ़कर 10,70,839 हो गई थी।जाहिर है, संस्थान ए

जी.

एच.

दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों का संचालन करता है और कक्षा निर्देश सुविधाओं का भी संचालन करता है।ये पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत हैं।इसके अतिरिक्त, यह आग्रह किया गया कि कोई व्यावसायिक उद्देश्य शामिल नहीं था; आयोजित कोचिंग और पुनरीक्षण कक्षाओं की कीमत बहुत नाममात्र है-एक समूह के लिए 1500 से 2500 तक, और दोनों समूहों के लिए 4000 से 6000 तक, उन शहरों के आधार पर जहां कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

192. संस्थान की ओर से प्रस्तुतियों के दौरान, विभिन्न वर्षों के लिए वित्तीय जानकारी प्रदान की गई थी।यह पता चला कि 2003-04 के लिए वेतन की ओर कुल बहिर्वाह 55.27 लाख था और उसी के लिए मूल्यह्रास 51.64 लाख था।उस वर्ष का कुल व्यय 1.0691 लाख था।इसके विपरीत, संबंधित वर्ष के लिए शुल्क के सृजन से अर्जित राजस्व जो 1.78 करोड़ था और संबंधित व्यय 96.93 लाख था।वित्त वर्ष 2011-12 के लिए वेतन के लिए संबंधित आंकड़े 2 करोड़ 94 लाख थे।मूल्यह्रास रु। 4. 05 करोड़।इस प्रकार कुल व्यय 6.9 करोड़ था।इसके विपरीत, शुल्क के लिए प्राप्त राशि 6 करोड़ 36 लाख रुपये थी और कोचिंग के लिए वेतन, पाठ्यक्रम सामग्री के प्रावधान आदि सहित खर्च 4 करोड़ 44 लाख रुपये था।उस वर्ष के लिए अधिशेष (प्रशासनिक व्यय को शामिल किए बिना) 2 करोड़ 51 लाख था।संस्थान स्पष्ट रूप से अधिशेष को वितरित नहीं कर सकता है या इसका उपयोग किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि नियंत्रण कानून और इसके नियमों के तहत निर्धारित किया गया है।

193. राजस्व ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक पेशेवर योग्यता की ओर ले जाने वाले पाठ्यक्रमों का संचालन करना और इसके लिए शुल्क लेना एक 'सेवा' की प्रकृति में है, और व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में सभी सेवाएं पूरी तरह से धारा 2 (15) की शरारत के दायरे में आती हैं, जिसे जी. पी. यू. दान के रूप में छूट के लिए संस्थान के दावे को रोकना पड़ता है।

194. यह संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एक्ट, 1949 का एक अंग है।इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में पंजीकरण कराना होगा। जब सदस्य धारा 6 के तहत संस्थान की परिषद द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, तभी उन्हें 'चार्टर्ड एकाउंटेंट' के रूप में जाना जा सकता है और वे उस पेशे (धारा 6 और 7) का अभ्यास करने के हकदार हो सकते हैं।संस्थान की परिषद का गठन धारा 9 के तहत किया जाता है जो इस तरह के संविधान और चुनाव आदि आयोजित करने के तरीके को परिभाषित करता है। धारा 15 (2ए) द्वारा परिषद के कार्यों में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और उनकी सामग्री को मंजूरी देना, उम्मीदवारों की जांच करना, विनियमन और लेख सहायता, रजिस्टर में व्यक्तियों के प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित करना, शुल्क का संग्रह शामिल है।

एच.

सदस्य; संस्थान के सदस्यों की व्यावसायिक योग्यताओं का विनियमन और रखरखाव और स्थिति, आदि। धारा 15ए द्वारा विश्वविद्यालयों को संस्थान के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल विषयों पर शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाया गया है।हालाँकि, धारा 15ए (2) द्वारा डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करते समय, उनका पदनाम संस्थान द्वारा दिए गए पदनाम के समान या समान नहीं होना चाहिए।वित्त धारा 18 द्वारा विनियमित किया जाता है।परिषद को धारा 19 के तहत रजिस्टर को बनाए रखने का आदेश दिया गया है और उसके पास अधिनियम की धारा 21ए, 21बी और 21सी के आधार पर अनुशासनात्मक शक्तियां हैं।

195. अधिनियम के ये प्रावधान संदेह से परे स्पष्ट करते हैं कि संस्थान शिक्षा के मानकों को विनियमित करने के व्यापक सार्वजनिक हित में वैधानिक कार्य करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे तक ले जाता है और अपने सदस्यों के पेशेवर शिष्टाचार, व्यवहार और अनुशासन के मानकों को भी निर्धारित करता है।किसी अन्य संस्था या निकाय के पास संस्थान द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करने का कानूनी अधिकार नहीं है।यद्यपि चार्टर्ड एकाउंटेंसी को विनियमित करने वाला अधिनियम भारत के संविधान से पहले लागू हुआ था, लेकिन यह विषय (व्यवसायों को विनियमित करने आदि का) समवर्ती सूची 149 की प्रविष्टि 25 और 26 के तहत विधायी शक्ति के प्रयोग से संबंधित प्रतीत होता है।इसके अलावा, वे संघ सूची 150 की प्रविष्टि 65 (जिसे समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 में जोड़ा गया है) के अनुरूप भी प्रतीत होते हैं।जैसा कि स्थिति है, संस्थान एकमात्र निकाय है जो व्यावसायिक शिक्षा की सामग्री निर्धारित करता है और पूरी तरह से चार्टर्ड एकाउंटेंसी के पेशे को नियंत्रित करता है।ऐसा कोई अन्य निकाय नहीं है जो किसी अन्य कर्तव्य का पालन करने के लिए अधिकृत हो।इसलिए, यह स्पष्ट रूप से सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने वाले दान के विवरण में आता है।दान की प्रकृति और 'व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य की प्रकृति' में गतिविधियों का गठन क्या है, इस पर पिछली चर्चा को ध्यान में रखते हुए, संस्थान के कार्य

---

149 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III में,
"25. तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा, सूची I की प्रविष्टियों 63,64,65 और 66 के प्रावधानों के अधीन; श्रम का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।

26. कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय।

जी. 150 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I में,
"65. संघ की अभिकरण और संस्थान -
(क) पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित व्यावसायिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण; या

((ख) विशेष अध्ययन या अनुसंधान को बढ़ावा देना; या
(ग) अपराध की अनुसंधान या पता लगाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता।"

एच.

इप्सो फैक्टो ऐसी 'निषिद्ध गतिविधियों' के विवरण में नहीं आता है।संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस और इसके उपयोग का तरीका पूरी तरह से कानून द्वारा नियंत्रित होता है।इसके अलावा, अभिलेख की सामग्री से पता चलता है कि उसके द्वारा प्राप्त राशि कोई वाणिज्यिक सेवा या व्यवसाय प्रदान करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज और आम जनता को सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

196. इसी तरह, कई अन्य नियामक निकाय हैं जो ऐसे कार्यों का निर्वहन करते हैं जो अन्यथा राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं।आई. सी. ए. आई. और अन्य वैधानिक निकायों की एक विशिष्ट विशेषता, जिन्हें विशिष्ट कार्यों और व्यवसायों (लागत और कार्य लेखाकारों और कंपनी सचिव, आदि के पेशे सहित) को विनियमित करने के लिए कहा जा सकता है, उन्हें मानकों को निर्धारित करने और अनुशासनात्मक प्रतिबंधों के माध्यम से उन्हें लागू करने के लिए कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं।इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जो निकाय व्यवसायों को विनियमित करते हैं और कानूनों द्वारा या उनके तहत बनाए जाते हैं, जिन्हें संबंधित व्यक्तियों के पेशे या व्यवसाय में प्रवेश का दावा करने के हकदार होने से पहले अनिवार्य पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने का आदेश दिया जाता है, और इसके सदस्यों के आचरण की लगातार निगरानी भी करते हैं, वे वास्तव में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय या सेवाओं की प्रकृति की गतिविधियों को जारी नहीं रखते हैं।

197. साथ ही, यह अदालत सावधानी बरतती है।कभी-कभी, गतिविधियों की प्रकृति (जो एक वैधानिक जनादेश का हिस्सा हो सकता है) पर विचार करते समय यह महत्वपूर्ण है कि नियामक निकाय प्रदर्शन कर सकते हैं, चाहे जिस तरह का प्रतिफल लिया जाता है वह लागत की तुलना में बहुत अधिक हो या काफी अधिक हो।उदाहरण के लिए, दी गई स्थितियों में, नियामक शुल्क हो सकता है जिसका वार्षिक भुगतान करना पड़ सकता है, या निकाय को उम्मीदवारों, या पेशेवरों को व्यवसाय में प्रवेश के लिए, या परीक्षाओं के लिए फॉर्म खरीदने और भरने की आवश्यकता हो सकती है।यदि प्रपत्रों, विवरण पुस्तिकाओं या परीक्षाओं के लिए इस तरह के शुल्क या संग्रह का स्तर लागत से काफी अधिक है, तो ऐसी आय धारा 2 (15) के प्रावधान की शरारत को आकर्षित करेगी, और धारा 2 (15) के प्रावधान के उपखंड (ii) द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर होनी चाहिए।

198. वर्तमान बैच में 'वैधानिक नियामक प्राधिकरणों' का अगला समूह बीज अधिनियम, 1966 (यानी आंध्र प्रदेश राज्य बीज प्रमाणन प्राधिकरण और राजस्थान राज्य बीज और जैविक उत्पादन प्रमाणन एजेंसी) के तहत स्थापित प्राधिकरणों से संबंधित है।इन दोनों संस्थाओं को बीज अधिनियम की धारा 8 के तहत समितियों के रूप में स्थापित किया गया है, और इसमें किसान, किसान सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, बीज प्रमाणन प्राधिकरण आदि शामिल हैं। इन कार्यों को

एच.

एजेंसियां और अधिकारी बीजों का प्रमाणन करते हैं, यह तय करने के लिए कि "किसी भी अधिसूचित प्रकार या किस्म" के बीजों की आपूर्ति को उन आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए या नहीं जो उन्हें व्यापार के लिए पेश करना चाहते हैं।ये एजेंसियां/अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए नमूनों की जांच करते हैं कि वे धारा 6 के तहत अधिसूचित अपेक्षित मानक के अनुरूप हैं।ये निर्णय धारा 11 के तहत अपील के अधीन हैं।

199. बीज प्रमाणन एजेंसी का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप बीजों को किसानों द्वारा व्यापार और उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।इस तरह के मानक इस तथ्य के संदर्भ में हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था के मुख्य आधारों में से एक है, और इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है-क्योंकि वे बीजों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हैं और किसानों को गारंटी देते हैं कि उन पर भरोसा किया जा सकता है।इन प्रमाणन एजेंसियों द्वारा किए गए नियामक कार्य की आवश्यक प्रकृति स्पष्ट है।उनकी गतिविधियों की प्रकृति व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के रूप में नहीं है, न ही व्यापार वाणिज्य, व्यवसाय के संबंध में सेवा, किसी भी रूप में विचार के लिए है।

(iii) व्यापार संवर्धन निकाय, परिषद, संघ या संगठन

200. सूरत आर्ट सिल्क (ऊपर) और अन्य निर्णयों ने फैसला सुनाया था कि जब तक व्यापार संवर्धन निकायों के उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के लिए थे-जिसमें 'व्यापार संवर्धन' को स्वयं एक जी. पी. यू. माना जाता था-यह तथ्य कि संयोग से ये निकाय कुछ वाणिज्यिक गतिविधि करते थे, जिससे लाभ होता था, उन्हें धर्मार्थ उद्देश्य से संचालित होने का दावा करने से नहीं रोकता था।जैसा कि पहले देखा गया है, उन सिद्धांतों का प्रतिपादन असंशोधित धारा 2 (15) के संदर्भ में था।

201. सवाल यह उठता है कि क्या परिभाषा में बदलाव व्यापार संवर्धन निकायों, वाणिज्य संघों या ऐसे संगठनों के दावों को प्रभावित करता है, कि वे जी. पी. यू. दान हैं।सूरत आर्ट सिल्क (उपरोक्त) में निर्णय इस धारणा पर आगे बढ़ा कि व्यापार संवर्धन अदालत के समक्ष जी. पी. यू. चैरिटी का प्रमुख उद्देश्य था, और लाइसेंस, व्यापार आदि की खरीद सहित अन्य उद्देश्य आकस्मिक थे।सूरत सिल्क में निर्धारिती के स्पष्ट व्यापारिक उद्देश्य थेः

जी.

“(ख) सदस्यों से संबंधित और उनकी ओर से कला रेशम धागे, कच्चे रेशम, सूती धागे के साथ-साथ कला रेशम कपड़े, रेशम कपड़े और सूती कपड़े के सभी और किसी भी व्यवसाय को जारी रखना।**********

********** ए.

एच.

(ङ) सदस्यों से संबंधित और उनकी ओर से सभी प्रकार के कपड़े और अन्य वस्तुओं और कपड़ों को खरीदना और बेचना और उनका सौदा करना।"

फिर भी, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि निर्धारिती का प्रमुख उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना था, इसे आगे बढ़ाते हुए, यह तथ्य कि कुछ व्यापार हुआ, जिससे आय हुई, निर्धारिती को कर छूट का दावा करने से नहीं रोकता है।

202. इस न्यायालय की राय में, धारा 2 (15) में परिभाषा में परिवर्तन और नकारात्मक वाक्यांश-विचार, न्यास या संस्थानों को छोड़कर जो शुल्क या अन्य विचार के लिए व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में सेवाएं प्रदान करते हैं-ने एक अंतर पैदा किया है।बैठकों का आयोजन, प्रकाशनों के माध्यम से जानकारी का प्रसार, जागरूकता शिविर और कार्यक्रम आयोजित करना, व्यापक रूप से व्यापार संवर्धन द्वारा कवर किया जाएगा।हालांकि, जब कोई व्यापार संवर्धन निकाय व्यक्तिगत या विशेष सेवाएं प्रदान करता है-जैसे कि सशुल्क कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, उसके द्वारा प्रमाणित कौशल विकास पाठ्यक्रमों का संचालन करना, और उन स्थानों को काम पर रखना जिन्हें फिर औद्योगिक, व्यापार या व्यावसायिक संगठनों को उनके संबंधित व्यवसायों को बढ़ावा देने और विज्ञापन देने के लिए दिया जाता है, तो जी. पी. यू. स्थिति के दावे की अधिक बारीकी से जांच की जानी चाहिए।ऐसी गतिविधियाँ व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में सेवाओं की प्रकृति में होती हैं।ये गतिविधियाँ, और परामर्श की सुविधा, या कौशल विकास पाठ्यक्रम, व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार करने और उन्हें अधिक कुशल बनाने के लिए हैं।ऐसी गतिविधियों से प्राप्तियां स्पष्ट रूप से "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" के संबंध में सेवा प्रदान करने के लिए "शुल्क या अन्य प्रतिफल" हैं।203. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ए. ई. पी. सी.) के मामले में राजस्व ने दो मूल्यांकन वर्षों के संबंध में इस अदालत में अपील की है।1978 में स्थापित ए. ई. पी. सी. के उद्देश्यों में तैयार परिधान निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसके उद्देश्यों में कार्यबल में कौशल पैदा करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, उद्योग में कौशल में सुधार करना; सोर्सिंग मशीनरी में मार्गदर्शन करना; सलाह देने वाले निकाय के रूप में काम करना, बाजार या तकनीकी खुफिया जानकारी प्रदान करना; आयात लाइसेंस प्राप्त करने में संबंधित उद्योग की सहायता करना; एईपीसी द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित प्रतिष्ठित "भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला" के माध्यम से भारतीय परिधान निर्यात की सर्वोत्तम क्षमताओं का प्रदर्शन करना आदि शामिल हैं। इन मेलों में 350 से अधिक प्रतिभागी भाग लेते हैं जो अपने परिधानों के डिजाइन और पैटर्न का प्रदर्शन करते हैं।अन्य कार्य जानकारी प्रदान करना और बाजार अनुसंधान प्रदान करना है।ए. ई. पी. सी. नए डिजाइन पैटर्न और कपड़ों को विकसित करने और व्यक्तिगत रूप से विदेशों में प्रचार गतिविधियों को करने में भी सहायता करता है।

जी.

एच.

बाज़ार।इसके अलावा, ए. ई. पी. सी. विदेशों में मिशन और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को भेजता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेते हैं और तैयार कपड़ों के संभावित निर्यात पर जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करते हैं।

204. अपने कामकाज के हिस्से के रूप में, यह थोक स्थान भी बुक करता है, जिसे फिर व्यक्तिगत भारतीय निर्यातकों को किराए पर दिया जाता है, जो अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करते हैं, और अंततः निर्यात आदेशों को सुरक्षित करते हैं।इन सेवाओं के लिए, यानी, आरक्षण और स्थान प्रदान करने के लिए, ए. ई. पी. सी. किराया लेता है।अब, ये किराए उसके स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों के लिए नहीं हैं।वे वास्तव में व्यवसाय के संबंध में सेवाओं के लिए शुल्क या शुल्क हैं; इसी तरह, इसके द्वारा संचालित कौशल विकास और डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिनके लिए शुल्क लिया जाता है, परिधान निर्यातकों के व्यावसायिक कामकाज में सुधार के लिए हैं।इसके अलावा, बाजार सर्वेक्षण और बाजार खुफिया, विशेष रूप से देश विशिष्ट गतिविधियाँ, जिनका उद्देश्य निर्दिष्ट निर्यातकों, या निर्यातकों के निर्दिष्ट वर्ग को पूरा करना है, भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में सेवा है।

205. इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि ए. ई. पी. सी. के कामकाज में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय या सेवा का कोई तत्व शामिल नहीं है।हालांकि कुछ मामलों में, प्राप्तकर्ता एक व्यक्तिगत व्यावसायिक घराने या निर्यातक हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक व्यापार निकाय द्वारा की जाने वाली ये गतिविधियाँ व्यापार संवर्धन बनी हुई हैं। इसलिए, वे जी. पी. यू. गतिविधि को "जारी रखने की वास्तविक प्रक्रिया" में हैं।ऐसे मामले में, प्रत्येक वर्ष के लिए, सवाल यह होगा कि क्या इन प्राप्तियों और ऐसी अन्य प्राप्तियों की मात्रा धारा 2 (15) के परंतुक के उपखंड (ii) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।यदि वे सीमा के भीतर हैं, तो ए. ई. पी. सी. उस वर्ष के लिए जी. पी. यू. दान के रूप में लाभ का दावा करने का हकदार होगा।

(iv) ~~गैर-सांविधिक निकाय-ईआरएनईटी, एनआईएक्सआई और जीएस1~~ इंडिया

206. ई. आर. एन. ई. टी. केंद्र सरकार के तत्वावधान में स्थापित एक गैर-लाभकारी संस्था है।एक समय में, दिवंगत राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम सहित सरकारी पदाधिकारी अपनी पदेन क्षमता के कारण सदस्य थे।इस निर्धारिती के उद्देश्य हैं -

जी. “ 3.1.1 इस क्षेत्र के तेजी से राष्ट्रव्यापी विकास और देश के तकनीकी और आर्थिक विकास की दृष्टि से देश में कंप्यूटर संचार के सभी पहलुओं और आयामों को आगे बढ़ाना।

एच. 3.1.2 ए के साथ राष्ट्रव्यापी अत्याधुनिक कंप्यूटर संचार बुनियादी ढांचे का विकास, डिजाइन, स्थापना और संचालन करना।

अनुसंधान और विकास की दिशा में निर्देशित अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की उन्नति, सामग्री का निर्माण और आयोजन, देश और दुनिया में शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच इंट्रानेट और इंट्रानेट पीयर टू पीयर संपर्क के माध्यम से रचनात्मक और शैक्षणिक क्षमता को व्यक्त करना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास संस्थानों, सरकारी संगठनों में उपयोगकर्ताओं के लिए संचार अवसंरचना उपलब्ध कराना।"

207. ई. आर. एन. ई. टी. के नेटवर्क स्थलीय और उपग्रह आधारित व्यापक क्षेत्र नेटवर्क का मिश्रण हैं।यह देश भर में स्थित अपने 15 प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पी. ओ. पी.) के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है।ये सभी उपयोगकर्ता संस्थानों को परीक्षण पट्टे पर दिए गए सर्किट और रेडियो लिंक के माध्यम से इंट्रानेट, इंटरनेट और डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच प्रदान करने के लिए सुसज्जित हैं। एस. टी. पी. आई. बेंगलुरु में पी. ओ. पी. उपग्रह के माध्यम से इंट्रानेट और इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है।ई. आर. एन. ई. टी. एस. आर. एन. टी. के तहत नेटवर्क अभिगम सेवाएँ, नेटवर्क अनुप्रयोग सेवाएँ, होस्टिंग सेवाएँ, संचालन सहायता सेवाएँ और डोमेन पंजीकरण सेवाएँ प्रदान करता है।इन, एसी।में, एडु।इन & रेस।क्षेत्रों में।सरकारी अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित, इसकी परियोजनाएं शैक्षिक नेटवर्क और समाज के कई अन्य वर्गों में इंटरनेट बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करती हैं।

208. ई. आर. एन. ई. टी. की गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय, या सेवा, व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में हैं।इसे अपनी लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए शुल्क प्राप्त करना पड़ता है।अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता है कि इसकी प्राप्तियां (सदस्यता शुल्क, संपर्क शुल्क, डेटा हस्तांतरण अंतर शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रकृति में) ऐसी प्रकृति की हैं जिन्हें व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य, या सेवा के प्रति शुल्क या विचार के रूप में जाना जाता है।ई. आर. एन. ई. टी. द्वारा किए जाने वाले कार्य ऑनलाइन शैक्षिक और अनुसंधान मंचों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।इन कारणों से, यह माना जाता है कि आई. टी. ए. टी. के आदेश को बरकरार रखने वाले विवादित फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

209. राजस्व ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील की है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट विनिमय (एन. आई. एक्स. आई.) को जी. पी. यू. श्रेणी का दान माना गया था।अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि एन. आई. एक्स. आई. की साबित 2003 में केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में भारत में इंटरनेट सेवाओं के प्रचार और विकास के लिए, इंटरनेट यातायात को विनियमित करने, इंटरनेट विनिमय के रूप में कार्य करने और कार्य करने के लिए की गई थी।"डोमेन नाम पंजीकरण में।स्वीकार करते हुए,

एन. आई. एक्स. आई. लाभ के लिए नहीं है और इसे किसी भी वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधि को करने से रोक दिया गया है।इसका उद्देश्य भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और इंटरनेट उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देना, इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और कैरीऑन डोमेन नाम संचालन करना है।यह लाइसेंस देने की शर्तों से बंधा है-जिसमें केंद्र सरकार की पूर्व सहमति के बिना इसके ज्ञापन में बदलाव करने पर प्रतिबंध शामिल है।एन. आई. एक्स. आई. की ओर से की गई प्रस्तुतियों के अनुसार, यह 1000/- का वार्षिक सदस्यता शुल्क और 500/- और 250/- पर दूसरे और तीसरे स्तर के डोमेन नामों का पंजीकरण लेता है।आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि एन. आई. एक्स. आई. के उद्देश्य और कार्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के माध्यम से हैं और इस प्रकार यह एक जी. पी. यू. श्रेणी का दान है।210. अभिलेख पर उपलब्ध निष्कर्षों और पक्षों द्वारा रखी गई सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि एन. आई. एक्स. आई. इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देने के आवश्यक-महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करता है और इससे भी महत्वपूर्ण, डोमेन नाम पंजीकरण को विनियमित करना जो भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट पर निर्भर होने के बजाय घरेलू इंटरनेट विनिमय की आवश्यकता पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है।इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापना का केंद्र सरकार का उद्देश्य संचार नेटवर्क के कुछ खंड को विनियमित करने के लिए एक सरकार के रूप में इसके आवश्यक कार्य का हिस्सा है।पंजीकृत करने के लिए अधिकृत एक एकल इकाई के अभाव में "।डोमेन नामों में, अराजकता या भ्रम होना तय है।

211. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि राजस्व का यह तर्क कि एन. आई. एक्स. आई. केवल विनियामक गतिविधि के सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, बल्कि व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय या उसके संबंध में सेवा प्रदान करने में शामिल है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।212. विचाराधीन अगला निर्धारिती-जी. एस. 1 इंडिया है।

जी. जी. एस. 1 कोड जी. एस. 1 इंटरनेशनल, बेल्जियम (बेल्जियम कर कानून के तहत एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी) द्वारा विकसित और बनाए गए थे।यह कोडिंग प्रणाली दुनिया भर में उपयोग में रही है और कुछ सेवाओं/वस्तुओं के लिए भी अनिवार्य है, या एक एकल पहचान प्रणाली होने के महत्वपूर्ण लाभों के लिए अपनाई गई है, जिसे पूरी दुनिया में मान्यता और स्वीकार किया गया है।यह कोड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटर-एक्सचेंज (ईडीआई) और अन्य सेवाओं में सार्वभौमिक मानक को बढ़ावा देता है।कोडिंग की इस प्रणाली को भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गई है क्योंकि यह भारत से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर एक अनिवार्य आवश्यकता है।भारत सरकार ने गैर-लाभकारी संगठनों ई. ए. एन. इंडिया की स्थापना की थी, जिसे अब जी. एस. 1 इंडिया (निर्धारिती) के रूप में जाना जाता है।

एच.

213. जी. एस. 1 इंडिया की ओर से अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जी. एस. 1 भारत में जी.एस. 1 कोडिंग से संबंधित विशेष अधिकार प्रदान करता है।किसी उत्पाद पर जी. एस. 1 कोड, उसे व्यापक लाभ और लाभों के साथ एक अनूठी पहचान प्रदान करता है जो उत्पाद का पता लगाने, उत्पाद को वापस बुलाने, नकली का पता लगाने, सटीकता के कारण उपयोगकर्ता की सुरक्षा, वस्तुओं के लिए सटीक निगरानी और स्टॉक स्तर के माध्यम से अपव्यय नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा और सुरक्षा, अवैध व्यापार का पता लगाने आदि की सुविधा प्रदान करता है। जी. एस. 1 इंटरनेशनल या जी. एस. 1 इंडिया द्वारा विकसित और संचालित अद्वितीय पहचान या कोडिंग प्रणाली को विश्व स्तर पर मान्यता और स्वीकार किया जाता है।इसके अतिरिक्त, अद्वितीय पहचान कोड को आर. एफ. आई. डी. चिप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के साथ सक्षम किया जा सकता है।विश्व स्तर पर अपने प्रकार में से एक होने के नाते, केवल एक जी. एस. 1 पंजीकृत संगठन ही किसी देश के भीतर उक्त प्रणाली/मानक की स्थापना और प्रचार कर सकता है।इनका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि, स्वास्थ्य उत्पाद आदि सहित कई क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है और उत्पाद पैकेज लेबल के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।उपभोक्ताओं, सरकार, निर्माताओं, व्यापारियों, निर्यातकों आदि के लिए दुनिया भर में किसी के द्वारा भी आकलन करने योग्य एक सार्वभौमिक कोडिंग प्रणाली की उपयोगिता और लाभ बहुत अधिक और महत्वपूर्ण हैं।20, 000/- का प्रारंभिक पंजीकरण शुल्क जी. एस. 1 द्वारा लिया जाता है, साथ ही 4,000/- का वार्षिक शुल्क (वित्तीय वर्ष 2006-07 के बाद से 5,000/- तक बढ़ाया गया) तीसरे पक्ष से लिया जाता है, जो सदस्यता लेने वाले सदस्य बन जाते हैं और जी. एस. 1 कोडिंग प्रणाली का उपयोग करने के हकदार होते हैं।

₹ ₹ ₹

214. जी. एस. 1 की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि इसे 1996 में सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था।केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और व्यापार निकायों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं।जी. एस. 1 की गतिविधियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को शामिल करने के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जी. एस. 1 सभी संगठनों को सेवाएं प्रदान करता है, चाहे वे व्यापार, व्यापार या अन्य वाणिज्यिक गतिविधि करते हों, "सेवा" अभिव्यक्ति को सीमित करने वाली एक संकीर्ण व्याख्या को अपनाया नहीं जाना चाहिए।यह आग्रह किया गया कि इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि जी. एस. 1 को आई. टी. अधिनियम के तहत पंजीकरण देने का निर्देश दिया गया था, और यह कि जी. एस. 1 बेल्जियम, मूल संगठन, जो प्रौद्योगिकी का मालिक है, को गैर-लाभकारी दान का दर्जा दिया गया है।जी. एस. 1 आग्रह करता है कि यह मूल्यवान अधिकारों को लाभ अर्जित करने या उत्पन्न करने के लिए व्यावसायिक रूप से दोहन के अधिकार के रूप में नहीं ले रहा है या मान रहा है।यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी गतिविधि को बाजार तंत्र/गतिशीलता (यानी मांग और आपूर्ति) के अधीन नहीं करता है, बल्कि यह लाभार्थियों की सेवा करने के लिए प्रेरित और प्रेरित होता है।इसलिए, यह लाभ अर्जित करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के वाणिज्यिक दोहन का मामला नहीं है (जैसा कि तर्क दिया गया है)।

जी.

एच.

राजस्व द्वारा), बल्कि एक ऐसा मामला जहां वैश्विक पहचान प्रणाली के उपयोगकर्ता द्वारा एक टोकन शुल्क तय किया गया है और देय है।याचिकाकर्ता के जी. एस. आई. के संगठन ज्ञापन के खंड 44 में कहा गया है कि यह एक "गैर-लाभकारी" समाज है और धन/प्राप्तियों का उपयोग केवल उस समाज के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना है जिसके लिए यह साबित किया गया है, जिसमें निर्वाह और विस्तार शामिल हैं।

215. राजस्व ने तर्क दिया कि हालांकि जी. एस. 1 इंडिया का एकाधिकार है, केवल यह तथ्य कि इसे अपने प्रबंधन में कुछ सरकारी भागीदारी के साथ एक गैर-लाभकारी समाज कहा जाता है, इसकी आवश्यक प्रकृति से विचलित नहीं होगा; जो कि व्यापारिक समुदाय के हित को कम करने के लिए है।इस संदर्भ में यह विस्तार से बताया गया कि जी. एस. 1 बार कोड और लाइसेंस द्वारा सुरक्षित कोडिंग प्रणाली प्रदान करके न केवल बौद्धिक संपदा अधिकारों का दोहन करता है, बल्कि वास्तव में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में सेवाओं में लगा हुआ है।अधिवक्ता ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि पिछले कुछ वर्षों में जी. एस. 1 के राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है।यह बताया गया कि बैलेंस शीट के अनुसार वर्ष समाप्त होने के लिए कुल पंजीकरण शुल्क रसीद 31.03.2007 1,80,80,760/- थी, जबकि वर्ष समाप्त होने के लिए 31.03.2008 जो बढ़कर 4,85,47,170/- हो गई थी।इसी तरह, सदस्यता शुल्क 44,40,000 से बढ़कर 31.03.2007 से 93,42,500 हो गया था।इसके अलावा, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नवीनीकरण शुल्क 1,68,57,200/- था जबकि अगले वर्ष के लिए यानी 31.03.2008 पर यह 1,90,50,650/- था।राजस्व ने प्रस्तुत किया कि जहां आय और ब्याज को बाहर रखा जाना था, वहां भी वार्षिक आधार पर वृद्धि घातीय थी।इसी तरह, यह बताया गया कि 31.03.2011 पर पंजीकरण शुल्क 4,24,69,850/- था जबकि 31.03.2012 पर यह 6,07,58,100/- था; 31.03.2011 पर सदस्यता शुल्क 1,02,06,720/- था; अगले वर्ष के लिए यानी 31.03.2012 पर यह 1,01,69,850/- था।इसी तरह, 31.03.2011 पर सदस्यता नवीकरण शुल्क 4,18,62,804/- था और 31.03.2012 पर समान शीर्ष 4,46,71,134/- था।

216. राजस्व इस तथ्य पर जोर देता है कि जी. एस. 1 एक एकाधिकारवादी संगठन है, जिसके पास बार कोडिंग तकनीक के संबंध में विशेष लाइसेंस हैं जिनका उपयोग वह शुल्क या अन्य विचार के लिए करता है।यह रेखांकित किया जाता है कि ये सेवाएं ज्यादातर व्यापार, व्यापार उद्देश्य, विनिर्माण आदि के लिए प्रदान की जाती हैं।दूसरी ओर, जी. एस. 1 आग्रह करता है
जी. कि यह महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य करता है जो न केवल विनिर्माण बल्कि पैकेजिंग आदि द्वारा विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति में शामिल अन्य लोगों को उनकी पहचान को विनियमित करने और सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

217. इस न्यायालय की राय में, जी. एस. 1 के कार्य निस्संदेह सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के हैं।हालाँकि, समान रूप से
एच. यह जो सेवाएँ करता है, वे ए की सहायता के लिए हैं।

व्यवसाय विनिर्माण, व्यापारी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान करते हैं।बार कोडिंग पैकेज्ड वस्तुओं और वस्तुओं को उनकी पहचान करने के लिए उनके प्रेषकों की सहायता करता है; निर्माण और विपणन संगठनों की सहायता करता है (विशेष रूप से समकालीन समय के संदर्भ में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बाजार स्थानों के रूप में काम करते हैं)।इसलिए जी. एस. 1 का उद्देश्य व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य के संबंध में सेवा प्रदान करना है-शुल्क या अन्य विचार के लिए।यह भी सच है कि इसके पास जो कोडिंग प्रणाली है और जो सुविधाएं यह प्रदान करता है, वह अन्य क्षेत्रों द्वारा कल्याण या जनहित के क्षेत्रों में सक्षम है और शायद इसका उपयोग किया जा रहा है।हालांकि, किसी भी आंकड़े के अभाव में, उन क्षेत्रों से जी. एस. 1 के राजस्व के योगदान को दर्शाते हुए, और क्या यह ऐसे संगठनों से कम राशि लेता है, इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि कोडिंग सेवाओं का उपयोग वाणिज्यिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय है कि विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

(v) राज्य क्रिकेट संघ

218. राजस्व ने गुजरात क्रिकेट संघ, सौराष्ट्र क्रिकेट संघ, बड़ौदा और राजकोट क्रिकेट संघों के मामलों में दिए गए आदेशों और राजस्थान क्रिकेट संघ के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की है।शामिल प्रश्नों को तय करने के लिए प्रासंगिक मुख्य तथ्य आई. टी. ए. टी. 151 के आदेश में दिए गए हैं, जिसके खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय 152 दिया था।चूंकि इन सभी मामलों के संबंध में कानूनी मुद्दे सामान्य हैं, इसलिए गुजरात क्रिकेट संघ (जी. सी. ए.) से संबंधित तथ्यों पर सुविधा के लिए विचार किया जा सकता है।

219. जी. सी. ए. (और अन्य संघों) का उद्देश्य अपने अधिकार क्षेत्र में क्रिकेट के खेल को नियंत्रित करना, पर्यवेक्षण करना, विनियमित करना, बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना और विकसित करना है।एसोसिएशन कोई भी अन्य और सभी गतिविधियाँ भी कर सकता है जो इसके लिए फायदेमंद हो सकती हैं।जी. सी. ए. के उद्देश्यों में खेल प्रतियोगिताओं और प्रतियोगिताओं के माध्यम से मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने, बढ़ावा देने और बनाए रखने, सामान्य रूप से खेल और क्रिकेट के माध्यम से एक स्वस्थ भावना पैदा करने के उद्देश्य से गतिविधियाँ शामिल हैं।

जी.

---

151 आई. टी. ए. संख्याः1257/आहद/13,3303/आहद/16,3304/आहद/16,408/आहद/17 निर्धारण वर्षः2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13।

152 गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, सौराष्ट्र, बड़ौदा और राजकोट क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित एक सामान्य निर्णय के खिलाफ एसएलपी (डी) सं. 16597/2020।

एच.

विशेष रूप से।अन्य वस्तुओं में शामिल हैंःस्कूल और कॉलेज के छात्रों, अन्य संस्थानों के सदस्यों और अन्य नागरिकों में खेल भावना की भावना पैदा करना; क्रिकेट के आदर्शों को स्थापित करना और उन्हें उसी में शिक्षित करना; किसी भी प्रतिस्पर्धी मंच में संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीमों का चयन करना; टीमों की व्यवस्था करना, पर्यवेक्षण करना, आयोजित करना, प्रोत्साहित करना और वित्त दौरा करना; लीग और/या किसी अन्य टूर्नामेंट की व्यवस्था करना या प्रबंधन करना; खेल के संबंध में व्यक्तियों, बैठकों, प्रतियोगिताओं और मैचों को बढ़ावा देना; और पुरस्कार, पदक और पुरस्कारों के लिए पेशकश करना, देना/वितरित करना या योगदान करना; खेल खेलने के लिए मैदान तैयार करना; और इसके संबंध में मंडप, स्टेडियम, अन्य सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान करना।जी. सी. ए. के उद्देश्यों में क्रिकेट के खेल के विभिन्न विभागों में योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना; पेशेवर क्रिकेटरों, प्रशिक्षकों, अंपायरों, मैदानकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को शामिल करना और उन्हें पारिश्रमिक या मानदेय देना; और ऐसे व्यक्तियों या उनके परिवारों के लाभ के लिए किसी भी निधि की शुरुआत करना, प्रायोजन करना और/या सदस्यता लेना शामिल है।जी. सी. ए. संघ के उद्देश्य के लिए धन एकत्र कर सकता है और इसका उपयोग इस तरह से कर सकता है कि इसकी प्रबंध समिति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वांछनीय समझे।

220. आकलन करने वाले अधिकारियों ने जी. सी. ए. और अन्य संघों के इस दावे का खंडन किया कि वे दान थे।आई. टी. ए. टी. के समक्ष, राजस्व की ओर से, यह तर्क दिया गया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी. सी. सी. आई.) के साथ इन राज्य क्रिकेट संघों के संबंधों की प्रकृति को देखते हुए, इन संघों द्वारा बी. सी. सी. आई. से प्राप्त राशि अन्य बातों के अलावा मीडिया अधिकार देने और अपने हिस्से की वसूली के लिए विचार या शुल्क की प्रकृति में थी।यह एक व्यावसायिक या वाणिज्यिक गतिविधि थी।इस संदर्भ में, आई. टी. ए. टी. के आदेश (जो आयुक्त के आदेश का हिस्सा थे) में निर्धारित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगा।आयुक्त ने बी. सी. सी. आई. के संबंध में मूल्यांकन कार्यवाही पर ध्यान दिया था और अपनी दलीलें निर्धारित की थींः

जी.

" 9.7.2 डी. आई. टी. (ई), मुंबई के संचार के आधार पर बी. सी. सी. आई. के ए. ओ. ने बी. सी. सी. आई. को अधिनियम की धारा 11 और 12 का लाभ नहीं दिया है। बी. सी. सी. आई. द्वारा अपनी मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान लिए गए रुख का उल्लेख नीचे किया गया है।बी. सी. सी. आई. ने ए. ओ. को अपने प्रस्तुतिकरण दिनांक 03/12/2012 के माध्यम से राज्य क्रिकेट संघ के साथ अपने संबंधों को इस प्रकार समझायाः- "1. बी. सी. सी. आई. तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी है। इसका गठन वर्ष 1929 में ए उद्देश्य के साथ किया गया था।

एच.

भारत में क्रिकेट के प्रचार और विकास के लिए और विश्व क्रिकेट के लिए नियामक निकाय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आई. सी. सी.) का सदस्य है।आई. सी. सी. के सदस्य के रूप में, बी. सी. सी. आई. सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय दौरों और विश्व कप जैसे आई. सी. सी. प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

2. बी. सी. सी. आई. के 30 सदस्य हैं जिनमें से 25 राज्य क्रिकेट संघ हैं, 2 निजी क्लब हैं और 3 केंद्र सरकार के संस्थान हैं।बी. सी. सी. आई. क्रिकेट के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का स्वामित्व या प्रबंधन नहीं करता है।यह विभिन्न राज्य संघों को खेल को बढ़ावा देने, अपने-अपने राज्यों में टूर्नामेंट, लीग, कोचिंग शिविर आदि आयोजित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनकी देखरेख करता है।जब भी कोई विदेशी टीम भारत का दौरा करती है, तो टेस्ट और एकदिवसीय जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैच बी. सी. सी. आई. द्वारा राज्य क्रिकेट संघों को एक रोटेशन नीति द्वारा आवंटित किए जाते हैं।मैच संबंधित राज्य संघों द्वारा आयोजित और प्रबंधित किए जाते हैं और समय के साथ, संबंधित जिम्मेदारियों, अधिकारों, राजस्व के शेयरों आदि के बारे में व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं। ये सदस्य संघों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा देने और समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को लागू करने के लिए विकसित हुए हैं, जिसके लिए क्रिकेट का खेल प्रसिद्ध है।"

9.7.3 बी. सी. सी. आई. ने अपने प्रस्तुतिकरण दिनांक 21/1/2013 में एस. सी. ए. और टी. वी. अनुदान को दी गई सब्सिडी अर्जित की जैसा कि निम्नानुसार कहा गया हैः- " 13.2

राज्य संघों को भुगतान

वर्ष के दौरान, बी. सी. सी. आई. ने "टीवी, सबवेंशन टू एसोसिएशन" शीर्षक के तहत राज्य संघों को राशि का भुगतान किया है।यह राज्य संघों को मीडिया अधिकारों की बिक्री से होने वाले राजस्व का 70 प्रतिशत भुगतान दर्शाता है।

जब भी कोई विदेशी टीम भारत का दौरा करती है, तो टेस्ट और एकदिवसीय जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैच बी. सी. सी. आई. द्वारा राज्य क्रिकेट संघों को एक रोटेशन नीति द्वारा आवंटित किए जाते हैं।मैच संबंधित राज्य संघों द्वारा आयोजित और प्रबंधित किए जाते हैं।बी. सी. सी. आई. के लिए अपने सीमित कर्मचारियों के साथ इन सभी मैचों का आयोजन करना संभव नहीं है।यह राज्य संघों पर निर्भर है,

एच.

मैच आयोजित करने के लिए स्थानीय केंद्र में उनके पदाधिकारी, उनके कर्मचारी और उनका नेटवर्क और संसाधन।

एसोसिएशन संबंधित राज्य पुलिस कर्मियों के साथ समन्वय में खिलाड़ियों, दर्शकों को सुरक्षा के प्रावधान से लेकर आग की रोकथाम आदि जैसे अन्य सुरक्षा उपाय करने तक पूरे मैच का प्रबंधन करता है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट/एकदिवसीय/टी20/आईपीएल/सी. एल. टी20 मैचों के आयोजन में काफी खर्च करता है।

राजस्व का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा करने के लिए, समय के साथ बी. सी. सी. आई. और राज्य संघों की संबंधित जिम्मेदारियों, अधिकारों, राजस्व के शेयरों आदि के बारे में व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं।राज्य संघ टिकट राजस्व और जमीनी प्रायोजन राजस्व का हकदार है।खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा, अस्थायी स्टैंड, फ्लडलाइट्स के संचालन, स्कोर बोर्ड, भीड़ के प्रबंधन के कारण खर्च।मैच के लिए बीमा, बिजली शुल्क, खानपान आदि राज्य संघों द्वारा पूरा किया जाता है।दूसरी ओर खिलाड़ियों और अन्य मैच अधिकारियों के परिवहन, भोजन और ठहरने, खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए भोजन, दौरे का शुल्क, मैच शुल्क आदि पर खर्च बीसीसीआई द्वारा किया जाता है और प्रायोजन से प्राप्त राजस्व बीसीसीआई का होता है। मीडिया अधिकारों की बिक्री से होने वाले राजस्व के संबंध में समय के साथ एक व्यवस्था विकसित हुई है।1991-92 तक मीडिया अधिकारों से आय बहुत कम थी।मीडिया अधिकारों से आय में वृद्धि के साथ, मीडिया अधिकारों की बिक्री के लिए व्यवस्था को अनुकूलित करना आवश्यक हो गया।कई केंद्रों में आयोजित और बी. सी. सी. आई. और कई राज्य संघों द्वारा आयोजित एक टेस्ट श्रृंखला या एकदिवसीय श्रृंखला के लिए, यह पाया गया कि यदि प्रत्येक राज्य संघ अपने केंद्र में आयोजनों के अधिकारों की बिक्री के लिए बातचीत करता है, तो इसकी बातचीत की ताकत कम होगी।इसलिए, यह सहमति हुई कि बी. सी. सी. आई. इस शीर्ष के तहत आय को अनुकूलित करने के लिए पूरे देश के लिए मीडिया अधिकारों की बिक्री पर बातचीत करेगा।यह भी निर्णय लिया गया कि मीडिया अधिकारों की बिक्री से प्राप्त प्राप्तियों में से सकल राजस्व कम उत्पादन लागत का 70 प्रतिशत राज्य संघों का होगा।हर साल, बी. सी. सी. आई. ने मीडिया अधिकारों (कम उत्पादन लागत) से अपनी प्राप्तियों का ठीक 70 प्रतिशत राज्य संघों को भुगतान किया है।इस राशि का उपयोग संबंधित संघों द्वारा ए के निर्माण के लिए किया गया है।

जी.

एच.

आधारभूत संरचना और क्रिकेट को बढ़ावा देना, खेल को और अधिक लोकप्रिय बनाना, क्रिकेट प्रतिभा को पोषित करना और प्रोत्साहित करना, और मीडिया अधिकारों से उच्च राजस्व की ओर ले जाना।

********** **********

यहां तक कि अगर धारा 11 के तहत छूट से इनकार किया जाता है, तो राज्य संघों को भुगतान को कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की आय अर्जित करने के उद्देश्य से पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया जाता है, यह सराहना की जानी चाहिए कि राजस्व अर्जित करने के लिए, बी. सी. सी. आई. राज्य संघों पर अत्यधिक निर्भर था और बना हुआ है।बी. सी. सी. आई. के पास स्वयं मैचों के संचालन के लिए बुनियादी ढांचा और संसाधन नहीं हैं और वह मैचों के संचालन के लिए राज्य संघों पर निर्भर है।मीडिया अधिकारों से होने वाली आय उन मैचों के संचालन में राज्य संघों के प्रयासों पर निर्भर है जिनसे मीडिया अधिकार प्राप्त होते हैं।राजस्व और व्यय का विभाजन पक्षों के बीच व्यवस्था का विषय है।टिकट राजस्व की बिक्री जैसी कुछ आय राज्य संघों की होती है, जो मैचों पर होने वाले खर्च को पूरा करते हैं जैसे कि खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए सुरक्षा, अस्थायी स्टैंड, फ़्लडलाइट्स का संचालन, स्कोर बोर्ड, भीड़ का प्रबंधन, मैच के लिए बीमा, बिजली शुल्क, खानपान आदि। जबकि मीडिया अधिकारों की बिक्री से होने वाली आय के संबंध में, बी. सी. सी. आई. और राज्य संघों के बीच व्यवस्था यह रही है कि राजस्व का 70 प्रतिशत राज्य संघों का होगा।जैसा कि दिखाया गया है, बीस वर्षों से पार्टियों के बीच यह व्यवस्था रही है।राज्य संघ साबित प्रथा के आधार पर मीडिया अधिकार शुल्क के 70 प्रतिशत के हकदार हैं।इस राजस्व की उम्मीद में विभिन्न राज्य संघ सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और मैचों के संचालन में सहयोग करते हैं।इसलिए यह भुगतान केवल मीडिया अधिकारों से आय अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है।"

221. आई. टी. ए. टी. ने निर्धारिती की दलीलों को स्वीकार किया, और माना कि संघ जी. षी. यू. दान थेः

"35. आइए हम यहां एक विराम लें और जांच करें कि निर्धारिती क्रिकेट संघों की क्या गतिविधियाँ हैं ताकि उन्हें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के दायरे में लाया जा सके।हम.

एच.

संघ की वस्तुओं को देखा है, जो हमारे क्रम में पहले पुनः प्रस्तुत की गई हैं, और यह राजस्व का मामला भी नहीं है कि इन वस्तुओं का किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय से कोई लेना-देना है; ये उद्देश्य केवल क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हैं।धारा 2 (15) के प्रावधान को लागू करने के लिए ट्रिगर, जैसा कि श्री सोपारकर ने सही तर्क दिया है, निर्धारिती की एक गतिविधि है जो व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में है।हालाँकि, राजस्व अधिकारियों का मामला इस आरोप पर टिका हुआ है कि जिस तरह से और जिस तरह से क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जा रहा है, विशेष रूप से आई. पी. एल. मैचों में, क्रिकेट मैचों के आयोजन की गतिविधि कुछ और नहीं बल्कि क्रूर व्यापार है। निस्संदेह, ऐसा प्रतीत होता है कि 1977 में जब से केरी पैकर ने अपना विश्व श्रृंखला क्रिकेट शुरू किया, तब से क्रिकेट के व्यावसायीकरण में पीछे मुड़कर नहीं देखा गया है और इस व्यावसायीकरण के प्रभाव ने भारतीय क्रिकेट को अक्षुण्ण नहीं रखा है।इंडियन प्रीमियर लीग और खेल के नियमों को वाणिज्यिक विचारों के आदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाना भारतीय क्रिकेट के व्यावसायीकरण का एक ऐसा ही उदाहरण प्रतीत हो सकता है।हालाँकि, हमारे सामने राजस्व के मामले में कठिनाई यह है कि इन मैचों का आयोजन स्थानीय क्रिकेट संघों द्वारा नहीं किया जा रहा है।हमें बताया गया है कि मैच भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन फिर, अगर हम इस दावे को स्वीकार करते हैं और इस कारण से धारा 2 (15) के प्रावधान का आह्वान करते हैं, तो यह एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें धारा 2 (15) के प्रावधान को निर्धारिती के अलावा किसी अन्य संस्था की गतिविधियों के कारण लागू किया जा रहा है-कुछ ऐसा जिसकी कानून अनुमति नहीं देता है।हम वास्तव में इस स्तर पर चिंतित नहीं हैं कि क्या बी. सी. सी. आई. द्वारा क्रिकेट के व्यावसायीकरण के बारे में आरोप सही हैं या नहीं, क्योंकि मामले का वह पहलू केवल बी. सी. सी. आई. के हाथों धारा 2 (15) के प्रावधान के उद्देश्य से प्रासंगिक होगा। हम मामले के उस पहलू से निपटना नहीं चाहते हैं या ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं जिससे बी. सी. सी. आई. के मामले में पूर्वाग्रह पैदा हो। यह कहना पर्याप्त है कि राजस्व मामले की नींव कानूनी रूप से टिकाऊ आधार से रहित है क्योंकि बीसीसीआई द्वारा क्रिकेट का व्यावसायीकरण, भले ही ऐसा हो, धारा 2 (15) के प्रावधान को लागू करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है।हम विद्वान आयुक्त (डी. आर.) के इस सुझाव पर जीवित हैं कि क्रिकेट संघों को एकल ए पर नहीं देखा जा सकता है।

जी.

एच.

क्योंकि बी. सी. सी. आई. सामूहिक स्तर पर इन क्रिकेट संघों का एक शीर्ष निकाय है और बी. सी. सी. आई. जो कुछ भी करता है वह स्थानीय क्रिकेट संघों के कहने पर या उनकी मिलीभगत से होता है और ऐसा नहीं है कि कोई भी बी. सी. सी. आई. का सदस्य बन सकता है क्योंकि केवल एक मान्यता प्राप्त क्रिकेट संघ ही बी. सी. सी. आई. का सदस्य बन सकता है। हम आयुक्त के इस तर्क से भी अवगत हैं कि इन संघों के धर्मार्थ दर्जे द्वारा जो संरक्षित करने की मांग की जा रही है, वह क्रिकेट मैचों के आयोजन से बी. सी. सी. आई. द्वारा अर्जित वाणिज्यिक लाभ से इन क्रिकेट संघों का हिस्सा है। हालाँकि, समस्या यह है कि शीर्ष निकाय की गतिविधियाँ, जैसा कि हमने पहले समझाया है, इन मामलों में धारा 2 (15) को लागू करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकती हैं।चाहे ये क्रिकेट संघ सामूहिक रूप से बी. सी. सी. आई. का गठन करें या न करें, बी. सी. सी. आई. के वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल होने की स्थिति में, इस तरह के वाणिज्यिक लाभ की करयोग्यता बी. सी. सी. आई. के हाथों में होगी न कि अंतिम लाभार्थियों के हाथों में।ऐसे मामले में भी इन लाभों की करयोग्यता का मुद्दा बी. सी. सी. आई. है न कि क्रिकेट संघ, क्योंकि, यहां तक कि विद्वान आयुक्त के तर्कों के अनुसार, क्रिकेट संघों के हाथों में ये प्राप्तियां लाभ के विनियोग के अलावा और कुछ नहीं हैं।जिस पर कर लगाया जा सकता है वह लाभ का संचय है न कि लाभ का विनियोग।किसी भी स्थिति में, कर उपचार के उद्देश्यों के लिए क्रिकेट संघों और बी. सी. सी. आई. के बीच अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मैचों का आयोजन बी. सी. सी. आई. द्वारा किया गया था, और इस प्रकार निर्धारिती को मैचों की योजना बनाने में निहित वाणिज्यिक विचारों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।जैसा कि हम ये टिप्पणियां करते हैं, और चूंकि हमें बी. सी. सी. आई. के दृष्टिकोण को सुनने का लाभ नहीं है, हम यह स्पष्ट करते हैं कि इन टिप्पणियों का बी. सी. सी. आई. के हाथों किसी भी निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कहना पर्याप्त है कि जहां तक क्रिकेट संघों का संबंध है, राजस्व अधिकारियों के आरोपों का हमारे सामने क्रिकेट संघों के हाथों में 'धर्मार्थ गतिविधियों' के दर्जे से इनकार करने पर कोई असर नहीं पड़ता है-विशेष रूप से विद्वान आयुक्त निर्धारिती क्रिकेट संघों के एक भी उद्देश्य को इंगित करने में सक्षम नहीं हैं जो व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में है, और क्योंकि यह विवाद में भी नहीं है।

जी.

एच.

कि निर्धारिती क्रिकेट संघों द्वारा अपनाए जा रहे उद्देश्य धारा 2 (15) के तहत "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य" हैं।निर्धारिती क्रिकेट संघों के सभी उद्देश्य, जैसा कि इस क्रम में पहले पुनः प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट रूप से क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं, और यह उद्देश्य, जैसा कि सीबीडीटी द्वारा स्वयं हमेशा से स्वीकार किया गया है, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का एक उद्देश्य है।"

222. राहत देने में, आई. टी. ए. टी. को निर्णय से राजी किया गया था
मद्रास उच्च न्यायालय, तमिलनाडु क्रिकेट संघ बनाम आयकर निदेशक (छूट) और अन्य में। 153, और आयोजित

"54. निर्धारिती भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी. सी. सी. आई.) का सदस्य है, जो बदले में आई. सी. सी. (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) का सदस्य है।बी. सी. सी. आई. दौरा करने वाली विदेशी टीम के साथ टेस्ट मैच और विभिन्न सदस्य क्रिकेट संघों को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आवंटित करता है जो अपने स्टेडियमों में मैचों का आयोजन करते हैं।फ्रेंचाइजी राज्य क्रिकेट संघ से संबंधित स्टेडियमों में मैच आयोजित करती हैं।राज्य संघ सभी इन-स्टेडिया प्रायोजन विज्ञापन और पेय राजस्व का हकदार है और यह मैचों के संचालन के लिए खर्च करता है।बी. सी. सी. आई. प्रायोजन और मीडिया अधिकारों के साथ-साथ आई. पी. एल. के लिए फ्रेंचाइजी राजस्व के माध्यम से राजस्व अर्जित करता है और यह सदस्य क्रिकेट संघ को राजस्व का 70 प्रतिशत वितरित करता है।इस प्रकार, निर्धारिती भी राजस्व का प्राप्तकर्ता होता है।इस प्रकार, अधिनियम की धारा 2 (15) के साथ पठित धारा 12एए को लागू करने के लिए, राजस्व को यह दिखाना होगा कि गतिविधियाँ संघ के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हैं और प्रमुख गतिविधियाँ व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय की प्रकृति में हैं।हमें नहीं लगता कि रसीद की मात्रा से कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि गतिविधि वाणिज्यिक है।आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का विचार कि यह एक मनोरंजन है और इसलिए, अधिनियम की धारा 2 (15) को आहत किया गया है, सही नहीं प्रतीत होता है और यह मुफ्त टिकट, मनोरंजन कर के भुगतान और चीयर समूह की उपस्थिति पर अपने स्वयं के प्रभाव पर आधारित है और अप्रासंगिक विचार दिया गया है।ये विचार इस सवाल पर विचार करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं कि क्या गतिविधियाँ वास्तविक हैं या उनके उद्देश्यों के अनुसार की जाती हैं।

जी.

---

एच. 153 [2014] 360 आई. टी. आर. 633 (मैड)

संगठन।हम केवल यह कह सकते हैं कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय पर विचार करने पर रोक लगा दी जो संघ की गतिविधि को वाणिज्यिक रूप देने के लिए धारा 12एए (3) के तहत निर्दिष्ट परीक्षण पर विचार करने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।इन परिस्थितियों में, हम निर्धारिती से सहमत हैं कि राजस्व ने अधिनियम की धारा 12एए (3) के तहत पंजीकरण को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनाया है।

55. जहां तक आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के इस अवलोकन का संबंध है कि आई. पी. एल. मैच और सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच भी संघ द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं और इसलिए, यह एक मनोरंजन उद्योग है, हमें आयकर निदेशक (छूट) के आदेश के लिए इन पहलुओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रस्ट के उद्देश्यों की वास्तविकता पर कोई संदेह नहीं है। इसलिए, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के तहत सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, यह निर्धारण अधिकारी का काम है कि वह उन पर ध्यान दे।हम इस संबंध में न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं।उपर्युक्त परिस्थितियों में, हम आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार कर देते हैं।"

223. आई. टी. ए. टी. ने मूल्यांकनकर्ताओं से सहमति व्यक्त की कि संघों द्वारा प्राप्त टीवी सब्सिडी राशि बी. सी. सी. आई. के दिनांकित 05.09.2001 के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए "कोष दान" थी।तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि ये राशियाँ पूंजी क्षेत्र में थीं, चाहे उनका राज्य संघ द्वारा पूरी तरह से उपयोग किया गया हो, या इसका कुछ हिस्सा जिला संघों को दिया गया था।इस प्रकार, ए. वाई. 2009-2010 के लिए, बी. सी. सी. आई. द्वारा जी. सी. ए. को भुगतान की गई 3,52,86,521 की राशि सब्सिडी थी, जो पूंजी क्षेत्र में आती थी।

₹

224. राजस्व की ओर से यह आग्रह किया गया था कि क्रिकेट संघ कोई धर्मार्थ गतिविधि नहीं कर रहे हैं; यह कहने के लिए तथ्यों पर भरोसा किया गया था कि राज्य संघों को मीडिया अधिकारों (बी. सी. सी. आई. के घटकों या सदस्यों के रूप में) की बिक्री के अपने हिस्से के लिए पर्याप्त राशि प्राप्त हुई थी, जो वाणिज्यिक प्राप्तियां हैं।हालाँकि उन अधिकारों की बिक्री बी. सी. सी. आई. द्वारा की गई थी, लेकिन उन राशियों का बड़ा हिस्सा संबंधित राज्य संघों का था।इसके अलावा, राज्य संघों के पास स्टेडियम का स्वामित्व था, और वास्तव में मैचों का संचालन किया, जिसके संबंध में स्टेडियम विज्ञापन और प्रायोजन राशि प्राप्त की गई थी:ये भी व्यावसायिक या वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रकृति में थे।दूसरी ओर, मूल्यांकनकर्ताओं ने कहा कि वे बी. सी. सी. आई. से अलग हैं। यह आग्रह किया गया कि

खेल और खेल को बढ़ावा देने की गतिविधि मूल रूप से शिक्षा है, और इसलिए, इसे छूट दी गई है।खेल भावना को विकसित करने और खेल की संस्कृति को बढ़ावा देने के मूल्य को महसूस करते हुए, संसद ने खेल निकायों द्वारा प्राप्त आय को छूट देने के लिए धारा 10 (23) पेश की थी।हालाँकि, उसे डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2003 से हटा दिया गया था।यह तर्क दिया गया था कि यह क्रिकेट संघों जैसे खेल निकायों को दान करने का दावा करने से नहीं रोकता है।यह आग्रह किया गया था कि भले ही अदालत क्रिकेट संघों को शिक्षा से संबंधित दान नहीं मानती हो, लेकिन उनके उद्देश्यों की खेल प्रचार प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन्हें जी. पी. यू. दान के दर्जे से वंचित नहीं किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया गया था कि ये निकाय मुख्य रूप से खेल को बढ़ावा देने, प्रतिभा का पता लगाने, इसे पोषित करने और क्रिकेट के खेल के लिए योग्यता और जुनून रखने वालों को अवसर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।ये सभी सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं हैं।यह प्रस्तुत किया गया था कि बी. सी. सी. आई. जो राशि एकत्र करता है वह वाणिज्य के दौरान हो भी सकता है और नहीं भी; हालाँकि, संघों को जो दिया जाता है वह सब्सिडी है, जिसे किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को जारी रखने के लिए विचार के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

225. शुरुआत में, इस तर्क से निपटा जाना चाहिए कि खेल को बढ़ावा देना 'शिक्षा' है और इसलिए इसे छूट दी गई है।लोक शिक्षा न्यास (ऊपर) में इस न्यायालय ने इस शब्द के दायरे को व्यापक रूप से संबोधित किया है और निष्कर्ष निकाला है कि इसमें "शैक्षिक" शिक्षा शामिल होगीः

> “5. धारा 2 (15) में जिस अर्थ में "शिक्षा" शब्द का उपयोग किया गया है, वह जीवन के कार्य की तैयारी में युवाओं को दिया जाने वाला व्यवस्थित निर्देश, स्कूली शिक्षा या प्रशिक्षण है।यह एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त शैक्षिक निर्देश के पूरे पाठ्यक्रम को भी दर्शाता है।"शिक्षा" शब्द का उपयोग उस व्यापक और विस्तारित अर्थ में नहीं किया गया है, जिसके अनुसार आगे के ज्ञान की प्रत्येक प्राप्ति शिक्षा का गठन करती है।इस व्यापक और विस्तारित अर्थ के अनुसार, यात्रा शिक्षा है, क्योंकि यात्रा के परिणामस्वरूप आप नया ज्ञान प्राप्त करते हैं।इसी तरह, यदि आप समाचार पत्र और पत्रिकाएँ पढ़ते हैं, चित्र देखते हैं, कला दीर्घाओं, संग्रहालयों और चिड़ियाघरों में जाते हैं, तो आप अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं।फिर, जब आप बड़े होते हैं और अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जिनमें से कुछ सीधे नहीं होते हैं, तो आप अनुभव से सीखते हैं और इस तरह दुनिया के तरीकों के बारे में आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं।यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आपका बटुआ चोरी हो सकता है या आपको किसी बेईमान व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जा सकता है।जो चोर आपका बटुआ निकालता है और जो ठग आपको धोखा देता है, वह आपको ए सिखाता है।

जी.

एच.

> आप एक सबक हैं और इस प्रक्रिया में आपको गरीब होने के बावजूद बुद्धिमान बनाते हैं।यदि आप किसी नाइट क्लब में जाते हैं, तो आप उनसे परिचित हो जाते हैं और जीवन की कुछ अप्रकाशित वास्तविकताओं और रहस्यों के बारे में अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं।यह सब एक तरह से जीवन के महान स्कूल में शिक्षा है।लेकिन यह वह अर्थ नहीं है जिसमें "शिक्षा" शब्द का उपयोग धारा 2 के खंड (15) में किया गया है।उस खंड में शिक्षा का अर्थ औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल, मन और चरित्र को प्रशिक्षित करने और विकसित करने की प्रक्रिया है।"

इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान खेल संघों का दावा 'शिक्षा' के दायरे में नहीं आएगा और यदि कर छूट का मामला बनाना है, तो धारा 2 (15)-यानी जी. पी. यू. श्रेणी के चौथे अंग के तहत इसकी जांच करनी होगी।

226. बी. सी. सी. आई. वह निकाय है जो क्रिकेट को नियंत्रित करता है और देश का प्रतिनिधित्व करता है।देश के भीतर यह रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दलीप सिंह ट्रॉफी, देवदार ट्रॉफी और एनकेपी साल्वे चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन और संचालन करता है।ये घरेलू आयोजन हैं, फिर भी केवल वे ही इन आयोजनों में भाग ले सकते हैं जो बोर्ड के सदस्य हैं और/या इसके द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।बोर्ड के सदस्य (इसके चुनाव में मतदान करने के हकदार) राज्य क्रिकेट संघ हैं।154 बी. सी. सी. आई. मैदान के बाहर और मैदान पर देश स्तर का क्रिकेट नियामक है, और इसके कार्यों में खिलाड़ियों और अंपायरों का चयन शामिल है।अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (जिसमें से बी. सी. सी. आई., देश के प्रतिनिधि निकाय के रूप में, एक सदस्य है) के पास अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी क्रिकेट को विनियमित करने के लिए सभी शक्तियां हैं और उनका प्रयोग करता है।यह अनुशासनात्मक शक्ति का भी प्रयोग करता है-नियमों के उल्लंघन के मामले में, किसी देश के सदस्य या खिलाड़ी की मान्यता रद्द की जा सकती है।आई. सी. सी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों पर एकाधिकार रखता है जबकि बी. सी. सी. आई. देश स्तर पर ऐसा करता है।बी. सी. सी. आई. उन निकायों को मान्यता देता है जो नामित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के हकदार हैं।खिलाड़ियों और अंपायरों को भी इसके साथ पंजीकृत किया जाना है।

227. संगठनात्मक स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के खेल को इस तरह से संरचित किया गया है कि बी. सी. सी. आई. का राज्य संघों के साथ संबंध है।न केवल बाद वाले सदस्य हैं, जो बी. सी. सी. आई. का गठन करते हैं और इसके शासी निकायों का चुनाव करते हैं, उनके पास क्रिकेट खेलने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा भी हैःजैसे स्टेडियम, और सभी संबंधित सुविधाएं।बी. सी. सी. आई. उन सुविधाओं या बुनियादी ढांचे का मालिक नहीं है और उन पर निर्भर है।

---

154 बी. सी. सी. आई. के नवीनतम संगठन ज्ञापन और नियमों और विनियमों के नियम 3 (ए) (बी)

इसके अलावा, राज्य संघ वे चैनल हैं जिनके माध्यम से खिलाड़ियों का ज्यादातर चयन किया जाता है, और उन्हें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट में भाग लेने के अवसर मिलते हैं।

228. इसलिए, राज्य संघ और बी. सी. सी. आई. निकटता से जुड़े हुए हैं।क्रिकेट खेल के प्रबंधन को इस तरह से संरचित किया गया है कि यह कड़ी प्रत्येक मैच या महत्व की स्थिरता में स्पष्ट है।मैच आयोजित करने के दौरान (जो बी. सी. सी. आई. द्वारा राष्ट्रीय समन्वय निकाय के रूप में निर्धारित किए जाते हैं), प्रवेश टिकटों की बिक्री के लिए प्राप्त राशि के अलावा, राज्य संघों को बी. सी. सी. आई. से विज्ञापन राशि, प्रायोजन शुल्क आदि भी प्राप्त होते हैं। इनके अलावा, मीडिया अधिकार-यानी, राज्य संघों के स्वामित्व वाले विभिन्न स्थानों पर आयोजित प्रत्येक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रसारण अधिकार, और डिजिटल अधिकार (जो सभी अनन्य हैं, प्रकृति में)-बी. सी. सी. आई. द्वारा नीलाम किए जाते हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, बी. सी. सी. आई. ने खुद स्वीकार किया है,

राज्य संघों की ओर से उन शर्तों पर बातचीत करता है जिन पर मीडिया अधिकार बेचे जाते हैंः

> “कई केंद्रों में आयोजित और बी. सी. सी. आई. और कई राज्य संघों द्वारा आयोजित एक टेस्ट श्रृंखला या एकदिवसीय श्रृंखला के लिए, यह पाया गया कि यदि प्रत्येक राज्य संघ अपने केंद्र में आयोजनों के अधिकारों की बिक्री के लिए बातचीत करता है, तो इसकी बातचीत की ताकत कम होगी।इसलिए, यह सहमति हुई कि बी. सी. सी. आई. इस शीर्ष के तहत आय को अनुकूलित करने के लिए पूरे देश के लिए मीडिया अधिकारों की बिक्री पर बातचीत करेगा।यह भी निर्णय लिया गया कि मीडिया अधिकारों की बिक्री से प्राप्त प्राप्तियों में से सकल राजस्व कम उत्पादन लागत का 70 प्रतिशत राज्य संघों का होगा।हर साल, बी. सी. सी. आई. ने मीडिया अधिकारों (कम उत्पादन लागत) से अपनी प्राप्तियों का ठीक 70 प्रतिशत राज्य संघों को भुगतान किया है।इस राशि का उपयोग संबंधित संघों द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण और क्रिकेट को बढ़ावा देने, खेल को और अधिक लोकप्रिय बनाने, क्रिकेट प्रतिभा को पोषित करने और प्रोत्साहित करने और मीडिया अधिकारों से उच्च राजस्व प्राप्त करने के लिए किया गया है।”

जी. 229. ये मीडिया, या प्रसारण अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति में हैंःकॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 37 से 40 के तहत।ये अधिकार-विशेष रूप से टेलीविजन और डिजिटल अधिकार-लाइसेंसधारी या सफल बोलीदाता को मीडिया में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापनों को प्रसारित करके या व्यावसायिक रूप से प्रसारित करने में सक्षम बनाते हैं।यह देखते हुए कि (i) बी. सी. सी. आई. स्टेडियम का मालिक नहीं है, और ए

एच.

राज्य संघों के पूरे भौतिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है (ii) ऐसे अधिकारों की बिक्री के लिए उनकी ओर से स्पष्ट रूप से बातचीत करता है (जो विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक अनुबंध प्रतीत होते हैं), संघों का दावा है कि उन्हें केवल बी. सी. सी. आई. से सब्सिडी मिली थी, इसकी गहन जांच की आवश्यकता है।230. 31.03.2009 पर समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से पता चलता है कि जी. सी. ए. की कुल आय 4,03,98,736.81 थी।इन प्रायोजन राशि में से 20,00,000-बैंक ब्याज 2,21,88,527.05 था और शीर्ष 'भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच' के खिलाफ, 1,51,97,741/- का योग दिखाया गया है। आय के रूप में दिखाए गए कुल 2,21,02,441.45 में से 32,24,591.25 को व्यय के रूप में दिखाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल एक अंश क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया गया है।यह निम्नलिखित से स्पष्ट होता हैः

231. प्रत्येक मैच के लिए बी. सी. सी. आई. से प्राप्त सब्सिडी राशि का विवरण दिखाया गया है।यह कुल मिलाकर 41 लाख से अधिक है।इसके अलावा, 03.04.2008-04.04.2008 के बीच भुगतान किए गए भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच के लिए प्राप्त विवरण दिखाया गया है।जी. सी. ए. को जगह की बिक्री के लिए 1,57,00,000/- प्राप्त हुए; टिकट की बिक्री से 27,57,700 प्राप्त हुआ और मुख्य स्क्रीन आय के लिए, 3 लाख की राशि प्राप्त हुई।खर्च में कटौती के बाद, वर्ष के लिए प्राप्त अतिरिक्त आय 1,51,97,741/- थी।

232. सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के मामले में, 31.03.2012 पर समाप्त वर्ष के लिए, आय के विभिन्न शीर्षों का खुलासा किया गया है।इनमें प्रवेश शुल्क शामिल है जो 5200 से आगे है।सावधि जमा से प्राप्त आय का ब्याज 8,85,67,418/- था; बी. सी. सी. आई. से प्राप्त सब्सिडी की कुल राशि 17,56,72,490/- है।इनमें से, भारी हिस्सा बी. सी. सी. आई. द्वारा एकत्र किए गए आई. पी. एल. धन के लिए है-जिसमें सौराष्ट्र क्रिकेट संघ का हिस्सा कुल 17,16,32,490/- था।

233. इसके अलावा, बी. सी. सी. आई. ने सौराष्ट्र क्रिकेट संघ को 73,73,911-की राशि की प्रतिपूर्ति भी की।आय और व्यय खाते में 8,14,53,834/- की सीमा तक "बी. सी. सी. आई. से अनुदान आय" शीर्षक वाला एक शीर्ष दिखाया गया है।व्यय के शीर्ष को काटने के बाद, ए. वाई. के लिए व्यय पर आय की अधिकता 69,96,537-थी।क्रिकेट एसोसिएशन ने व्यय कॉलम में दिखाया कि 24,00,00,000/- की राशि क्रिकेट अवसंरचना कोष में स्थानांतरित कर दी गई थी।पिछले वर्ष के लिए, स्टेडियम में 21,21,00,000/- की राशि स्थानांतरित की गई थी।

कोष।

234. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि क्रिकेट संघों की गतिविधियाँ व्यावसायिक आधार पर चलाई जाती हैं।संघ भौतिक और अन्य बुनियादी ढांचे के मालिक हैं, उनका रखरखाव करते हैं, स्थायी श्रमशक्ति की व्यवस्था करते हैं और उनके द्वारा आयोजित कई मैचों को पूरा करने के लिए सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं।इस तरह के कई मैच राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर अंडर-16 या अंडर-18 मैच होते हैं।हालाँकि, इन गतिविधियों को अलग-थलग नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें समग्र योजना और पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा माना जाना चाहिए, जिसमें भारत में क्रिकेट का खेल आयोजित किया जाता है। स्थानीय स्तर पर प्रतिभा को देखा जाता है और उचित प्रदर्शन दिए जाने पर दिखाए गए वादे पर निर्भर होता है।

235. प्राप्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, वहन किए गए खर्चों की बारीकी से जांच करने पर, क्रिकेट संघों द्वारा किए गए खर्च से यह पता नहीं चलता है कि कोई महत्वपूर्ण अनुपात निरंतर या संगठित कोचिंग शिविरों या अकादमियों के लिए खर्च किया जाता है।इसलिए, इस अदालत की राय में, आई. टी. ए. टी. ने बी. सी. सी. आई. से जी. सी. ए. और एस. सी. ए. के कोष में बहने वाली प्राप्तियों की प्रकृति पर विचार नहीं किया-साथ ही अन्य संघ जो इस अदालत के समक्ष हैं-ताकि उनके वास्तविक चरित्र का निर्धारण किया जा सके।ऐसा प्रतीत होता है कि आई. टी. ए. टी. इस दलील से प्रभावित हुआ कि बी. सी. सी. आई. द्वारा दी गई राशि पूंजीगत सब्सिडी के लिए थी।

236. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या दी गई रसीद को राजस्व या पूंजी प्रवाह में आने के रूप में चिह्नित किया जाना है, जिस उद्देश्य के लिए इसे दिया गया है और साथ ही जिस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, उसकी जांच की जानी चाहिए।साहनी स्टील एंड प्रेस वर्क्स लिमिटेड बनाम में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है।

आय कर आयुक्त 155 निम्नलिखित शर्तों में:"यह वह स्रोत नहीं है जिससे निर्धारिती को राशि का भुगतान किया जाता है जो इस सवाल का निर्धारण करता है कि सब्सिडी भुगतान राजस्व या पूंजी प्रकृति के हैं या नहीं।ओस्टाइम मामले में विस्काउंट साइमन द्वारा कहा गया पहला प्रस्ताव [28 टी. सी. 261:(1946) 1 समस्त ई. आर. 668] यह है कि यदि निर्धारिती को उसके व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने में सहायता करने के लिए सार्वजनिक निधियों से सब्सिडी की प्रकृति में भुगतान किया जाता है, तो वे व्यापार रसीदें हैं।"

जी.

इसके बाद आयकर आयुक्त बनाम पोन्नी शुगर 156 में इसका पालन किया गया है।

एच.

155 1997 (पूरक 4) एस. सी. आर. 189 ए

237. हाल के रुझानों से पता चला है कि मीडिया अधिकारों, विशेष रूप से प्रसारण और डिजिटल मीडिया अधिकारों से बी. सी. सी. आई. को भारी राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले 10 वर्षों में अपनाया गया मॉडल 3 या 5 साल की अवधि में घटनाओं के संबंध में मीडिया अधिकारों की नीलामी करने के लिए है।जैसा कि पहले चर्चा की गई है, ये मीडिया अधिकार बी. सी. सी. आई. के स्वामित्व में नहीं हैं, जो कि व्यक्तियों का एक संघ या सभी राज्य क्रिकेट संघों का समूह है।स्टेडियम जो इन क्रिकेट मैचों के लिए स्थल बनाते हैं (जिसके संबंध में मीडिया अधिकार हस्तांतरित या लाइसेंस प्राप्त हैं) राज्य क्रिकेट संघों के स्वामित्व में हैं।बी. सी. सी. आई. के अनुसार, राज्य संघ अच्छी तरह से सौदेबाजी कर सकते हैं और ऐसे मीडिया अधिकारों की बिक्री के लिए व्यवस्था कर सकते हैं।हालांकि, बेहतर शर्तों को प्राप्त करने और सौदेबाजी का लाभ उठाने के लिए ऐसे अधिकारों की बिक्री के एक केंद्रीकृत रूप पर सहमति बनी है और इसे अपनाया गया है जिसके द्वारा बी. सी. सी. आई. राज्य संघों की ओर से इन अधिकारों की नीलामी करता है।सभी राज्य संघ कुल मिलाकर राजस्व के 70 प्रतिशत यानी मीडिया अधिकारों की बिक्री से प्राप्त आय के हकदार हैं।यह प्रत्येक या कुछ क्रिकेट संघों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अनुपात में हो भी सकता है और नहीं भी।फिर भी, यह उस व्यवस्था का हिस्सा है जिसके द्वारा ऐसे वाणिज्यिक अधिकारों से आने वाले विचार को बी. सी. सी. आई. के सभी सदस्यों के बीच साझा करने पर सहमति व्यक्त की गई है। ये अधिकार स्पष्ट रूप से व्यावसायिक हैं।

238. इनके आलोक में, अदालत की राय है कि आई. टी. ए. टी.-के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अंकित मूल्य पर इस निवेदन को स्वीकार करने में गलती की कि बी. सी. सी. आई. द्वारा क्रिकेट संघों को दी गई राशि बुनियादी ढांचे की सब्सिडी की प्रकृति में थी। प्रत्येक मामले में, और प्रत्येक वर्ष के लिए, कर अधिकारी प्राप्तियों और व्यय के स्वरूप की सावधानीपूर्वक जांच करने और देखने के लिए बाध्य हैं।ऐसा करते समय, बी. सी. सी. आई. द्वारा सफल बोलीदाताओं को दिए गए अधिकारों की प्रकृति, दूसरे शब्दों में, प्रसारण अधिकारों की सामग्री के साथ-साथ राज्य संघों के संबंध में व्यवस्था (या तो प्रमुख दस्तावेजों, प्रस्तावों या राज्य संघों के साथ व्यक्तिगत समझौतों के रूप में) की जांच की जानी चाहिए।यह बिना कहे चला जाता है कि रसीद और वास्तविक व्यय के बीच एक सटीक सहसंबंध या आनुपातिक विभाजन की आवश्यकता नहीं है।यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि किसी ऐसी चीज के लिए पर्याप्त विचार क्या है जिस पर पक्षों द्वारा सहमति हो, यह उनके लिए सबसे अच्छा मामला है।हालाँकि, इन टिप्पणियों को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए; इस संबंध में पक्षों की दलीलों पर उनकी योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

जी.

---

156 2008 (9) एस. सी. सी. 337

एच.

(vi) ~~निजी न्यास (क)~~ ट्रिब्यून न्यास

239. ट्रिब्यून ट्रस्ट का गठन स्वर्गीय सरदार डायल सिंह मजीठिया द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार किया गया था।अपनी वसीयत के खंड (xi) में-तीन न्यासियों को नामित करने के बाद, वसीयतकर्ता ने निर्देश दिया कि उन्हें एक प्रेस और एक समाचार पत्र बनाए रखना चाहिए; खंड (xx) में वसीयतकर्ता ने निर्देश दिया कि ट्रिब्यून प्रेस और समाचार पत्र में उनकी संपत्ति स्थायी रूप से न्यासियों की एक समिति में निहित होगी जो बाद में उनका रखरखाव करेगी और "

समाचार पत्र की उदार नीति और गतिविधि और उक्त समाचार पत्र को सुधारने में वर्तमान खर्चों के बाद अतिरिक्त आय और इसे स्थायित्व के आधार पर रखें।

240. पुराने अधिनियम के तहत, एक सवाल उठा कि क्या समाचार पत्र चलाने की गतिविधि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की थी; राजस्व ने ए. वाई. 1932-33 के लिए छूट की अनुमति नहीं दी।लाहौर उच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की।प्रिवी काउंसिल ने अपने फैसले के अनुसारःट्रिब्यून (ऊपर) के न्यासियों ने न्यास की अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि न्यास का गठन न तो वसीयतकर्ता के निजी लाभ के लिए किया गया था और न ही किसी अन्य निजी व्यक्ति के लिए, और यह कि पत्र के उद्देश्य का वर्णन किया जा सकता है।

एक के रूप में "शिक्षित जनता के एक अंग के साथ प्रांत की आपूर्ति
राय "।इसलिए प्रिवी काउंसिल ने तर्क दिया कि ट्रस्ट को जी. पी. यू. चैरिटी के रूप में साबित किया गया था।

241. जाहिरा तौर पर, ट्रस्ट को लगातार जी. पी. यू. श्रेणी के दान के रूप में माना जाता था और धारा 10 (23सी) (iv) के तहत 1984-85 से छूट दी गई थी।ए. वाई. 2009-10 के लिए, न्यास की संशोधित वापसी पर विचार करने के बाद, राजस्व की राय थी कि वह धारा 10 (23सी) के तहत छूट का दावा करने का हकदार नहीं है।ट्रस्ट की वर्तमान अपील पर विचार करने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की राय थी कि सूरत आर्ट सिल्क (उपरोक्त) में, इस अदालत ने प्रिवी काउंसिल के फैसले पर विचार किया था।उस फैसले में, इस न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की थीं कि भले ही समाचार पत्र के प्रकाशन की गतिविधि लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक आधार पर की जाती थी, लेकिन यह ट्रस्ट द्वारा अपने धर्मार्थ उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधि थी।उच्च न्यायालय ने राजस्व के तर्क को बरकरार रखा और धारा 2 (15) के अपने विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि न्यास की गतिविधियों से प्राप्त आय लाभ के उद्देश्य पर आधारित थी। ऐसा करते हुए, यह देखा गया कि ट्रस्ट के राजस्व का 85 प्रतिशत विज्ञापनों और ब्याज से था।कुल राजस्व 161 करोड़ था जिसमें से 124.87 करोड़ प्राप्त हुए थे

जी.

₹ ₹

एच.

विज्ञापनों से और एफ. डी. आर.₹पर ब्याज से 11.38 करोड़; 17.49 करोड़ समाचार पत्रों की बिक्री से और दैनिक सदस्यता से 3.74 करोड़ थे।

242. ट्रस्ट की ओर से यह तर्क दिया गया था कि यह कभी भी इरादा नहीं था और वास्तव में, लाभदायक आधार पर नहीं चलाया गया था।इसकी आय का कोई भी हिस्सा कभी भी किसी निजी व्यक्ति को लाभ बंटवारे के माध्यम से या अन्यथा वितरित नहीं किया गया था, न ही ट्रस्ट की गतिविधियों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए वितरित किया गया था।यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय का यह अनुमान कि बड़े मुनाफे का संचय और यह धारणा कि न्यास भविष्य में गैर-धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग कर सकता है, निराधार था।इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि आई. डी. 1 तक सभी आकलन पूरे कर लिए गए थे, क्योंकि राजस्व संतुष्ट था कि मुख्य धर्मार्थ गतिविधि को पूरा करने के लिए 85 प्रतिशत से अधिक जुताई वापस कर दी गई थी।

243. विवादित फैसले से यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ट्रस्ट की गतिविधियों को 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता' के उद्देश्यों के वित्तपोषण का गठन करने के लिए प्रिवी काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था; इसके अलावा केवल इसलिए कि हजारों समाचार पत्र प्रकाशित किए जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा।यह अभी भी एक जी. पी. यू. दान जारी है।

244. तब सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट द्वारा प्राप्त प्राप्तियों और आय की प्रकृति, वास्तव में समाचार पत्र प्रकाशन की अपनी गतिविधि को पूरा करने के दौरान, "प्रकृति में" के रूप में वर्णित की जा सकती है।

व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय "या" व्यापार के संबंध में सेवा ",
वाणिज्य या व्यवसाय ", किसी भी विचार के लिए।प्रस्तुतियों के दौरान, यह आग्रह किया गया था कि विज्ञापन राजस्व को व्यावसायिक या वाणिज्यिक प्राप्तियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह वस्तुतः जीवन-रक्त है जो समाचार पत्रों के प्रकाशन की गतिविधि को बनाए रखता है।इस बात पर प्रकाश डाला गया कि समाचार पत्र के प्रकाशन और वितरण की गतिविधि को बनाए रखने का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति है, क्योंकि इसका वर्तमान मामलों और विकास के बारे में आम जनता को सूचित करने और शिक्षित करने दोनों का प्रभाव पड़ता है।विज्ञापनों का समावेश आम जनता के लिए जानकारी के रूप में भी काम करता है, विशेष रूप से रोजगार, संसाधनों की उपलब्धता आदि के क्षेत्रों में। इसलिए, विज्ञापन का प्रकाशन आंतरिक रूप से समाचार पत्रों के मुद्रण और प्रकाशन की गतिविधि से जुड़ा हुआ है।

जी.

245. अदालत की राय में समाचार पत्र द्वारा विचार के लिए विज्ञापनों के प्रकाशन को व्यापार, व्यापार या वाणिज्य करने की प्रकृति की गतिविधि के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

एच.

शुल्क या प्रतिफल।इस मामले में ट्रस्ट ("द ट्रिब्यून") द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र को मुख्य रूप से विज्ञापन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि ट्रस्ट द्वारा इस तरह के विज्ञापनों को प्रकाशित करना व्यवसाय नहीं है।न्यास का उद्देश्य समाचार पत्रों के प्रकाशन में शामिल होना या संलग्न होना है।विज्ञापनों का प्रकाशन स्पष्ट रूप से उन प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए है जो लाभ की प्रकृति में हैं।अब, धारा 2 (15) की संशोधित परिभाषा के आधार पर, जी. पी. यू. दान स्वयं को व्यापार या वाणिज्यिक गतिविधि या लाभ में संलग्न कर सकते हैं, केवल तभी जब ऐसी गतिविधियों से प्राप्त प्राप्तियां किसी दिए गए वर्ष में अर्जित कुल प्राप्तियों की मात्रात्मक सीमा से अधिक न हों।यद्यपि निर्धारिती का यह तर्क कि विज्ञापन का प्रकाशन आंतरिक रूप से समाचार पत्र गतिविधि से जुड़ा हुआ है (जिससे धारा 2 (15) के परंतुक के उपखंड (i) को पूरा किया जाता है, अर्थात उद्देश्य की प्रगति की दिशा में गतिविधि को वास्तविक रूप से आगे बढ़ाने के क्रम में एक गतिविधि) स्वीकार्य है, फिर भी, धारा 2 (15) के परंतुक के उपखंड (ii) द्वारा लगाई गई शर्त को भी पूरा करना होगा।वर्तमान मामले में, उस प्रतिशत को पार कर लिया गया था, जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है।

246. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, इस अदालत की राय है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को इस हद तक कायम नहीं रखा जा सकता है कि ट्रिब्यून ट्रस्ट जी. पी. यू. चैरिटी नहीं है।हालाँकि, तथ्यात्मक विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(ख) श्री बालाजी समाज विकास समिति

247. राजस्व ने आई. टी. ए. टी. के आदेश की पुष्टि करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय 157 के एक फैसले की अपील की, जिसने सी. आई. टी. को आयकर अधिनियम की धारा 12ए. ए. के तहत पंजीकरण देने का निर्देश दिया था।

248. निर्धारिती एक पंजीकृत सोसायटी है जिसका गठन एक स्वास्थ्य क्लब, आरोग्य केंद्र की स्थापना और संचालन के उद्देश्य से किया गया था; इसके उद्देश्य में आपातकालीन राहत केंद्रों का संगठन आदि शामिल था। अन्य उद्देश्यों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, बाल श्रम का उन्मूलन, दहेज आदि शामिल थे। निर्धारिती ने मेरठ जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ किए गए अनुबंधों के माध्यम से विभिन्न गांवों में प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को मध्याह्न भोजन की आपूर्ति के लिए राज्य एजेंसियों के साथ व्यवस्था की थी।यह रिकॉर्ड की बात है कि मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए सामग्री की आपूर्ति जी. सरकार द्वारा की गई थी।निर्धारिती समिति ने दावा किया कि वह केवल नाममात्र शुल्क प्राप्त करती है

157 आई. टी. ए. 49/2014 में दिनांकित 09.02.2018।

एच.

मध्यान्ह भोजन की तैयारी।पंजीकरण के लिए निर्धारिती के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल था।अपील पर, आई. टी. ए. टी. ने निर्धारिती से सहमति व्यक्त की कि मध्याह्न भोजन की आपूर्ति व्यवसाय या वाणिज्य का गठन नहीं करती है और यह सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों को बढ़ावा देती है।

249. अपनी अपील में राजस्व का तर्क है कि संबंधित वर्ष के लिए निर्धारिती की एकमात्र गतिविधि प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति थी।यह समाज के किसी भी उद्देश्य से संबंधित नहीं था।निर्धारिती का तर्क है कि राज्य ने आम तौर पर मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की गतिविधि को जारी रखा होगा।फिर भी, इसने अपनी गतिविधि को निर्धारिती जैसी बाहरी एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया, जिसने इसे नाममात्र शुल्क के लिए किया।

250. इस अदालत की राय है कि इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की गतिविधि निर्धारिती सोसायटी के उद्देश्य खंड के भीतर आती है।आई. टी. ए. टी. के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश से पता चला कि निर्धारिती के उद्देश्यों में स्वास्थ्य क्लबों, आरोग्य केंद्र, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना और आपातकालीन राहत का प्रावधान शामिल है। हालाँकि इनमें वह गतिविधि शामिल नहीं है जो इसने वास्तव में की थी, यानी, मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति और खाना पकाने और मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति के लिए अनुबंध करना।पूर्ण सामग्री के अभाव में, अदालत के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह उस गतिविधि का आकलन करे जिसके साथ निर्धारिती जुड़ा हुआ था, और यह निर्धारित करे कि क्या यह वैध रूप से जी. पी. यू. के विवरण के भीतर आता है। 251.पहला विचार यह होगा कि क्या संबंधित गतिविधि किसी भी तरह से वस्तु खंड के दायरे में थी या नहीं।दूसरा, राजस्व अधिकारियों को राज्य या उसकी एजेंसियों के साथ निर्धारिती द्वारा किए गए अनुबंध या अनुबंधों की स्पष्ट शर्तों पर भी विचार करना चाहिए।यदि ऐसे अनुबंधों के आधार पर, खाते यह खुलासा करते हैं कि भुगतान की गई राशि सेवाओं की आपूर्ति के लिए की गई लागत से अधिक है, तो गतिविधि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने वाले के विवरण के भीतर आ सकती है।यदि दूसरी ओर, सेवा की वास्तविक लागत पर एक महत्वपूर्ण मार्क-अप है, तो अगला कदम यह पता लगाना होगा कि क्या धारा 2 (15) के परंतुक में मात्रात्मक सीमा का पालन किया जाता है।यह केवल उस स्थिति में है जब न्यास वास्तव में अपने किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में कोई गतिविधि कर रहा है, और आय अर्जित कर रहा है जो प्रासंगिक समय पर निर्धारित मात्रात्मक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसे धर्मार्थ उद्देश्य से संचालित कहा जा सकता है।

जी.

एच.

252. यह न्यायालय, सामान्य परिस्थितियों में, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मामले को विचार के लिए भेज देता। हालाँकि, अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि कर प्रभाव Rs.10 लाख से कम है।यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में गतिविधियों से प्राप्त रसीद संबंधित समय पर निर्धारित Rs.10 लाख की मात्रात्मक सीमा से अधिक नहीं थी।इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

IV. निष्कर्षों का सारांश

253. पूर्वगामी चर्चा और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, "धर्मार्थ उद्देश्य" की बदली हुई परिभाषा की व्याख्या के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। 01.04.2009), साथ ही बाद के संशोधन, और आईटी अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधान।

ए. धारा 2 (15) के तहत सामान्य परीक्षण

ए. 1.यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने वाला निर्धारिती किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में खुद को संलग्न नहीं कर सकता है, या किसी भी विचार ("उपकर, या शुल्क, या कोई अन्य विचार") के लिए उसके संबंध में सेवा प्रदान नहीं कर सकता है।

ए. 2।हालांकि, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में, संबंधित न्यास, समाज या ऐसा अन्य संगठन, व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय कर सकता है या विचार के लिए उसके संबंध में सेवाएं प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि (i) व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की गतिविधियाँ जी. पी. यू. के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़ी हों ("वास्तविक निष्पादन". डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2016 सम्मिलित की गई हों)। और (ii) उसके संबंध में ऐसी व्यावसायिक या वाणिज्यिक गतिविधि या सेवा से प्राप्त रसीद, वर्षों में संशोधित मात्रात्मक सीमा से अधिक नहीं है। 10 लाख डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2009; फिर रु. 25 लाख डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2012; और अब पिछले वर्ष की कुल प्राप्तियों का 20 प्रतिशत, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2016); ए. 3.आम तौर पर, ऐसी गतिविधि (सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने) के लिए विचार के लिए किसी भी राशि का प्रभार, जो लागत के आधार पर या नाममात्र लागत से अधिक है, को "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" या उसके संबंध में कोई सेवा नहीं माना जा सकता है।यह केवल तभी होता है जब शुल्क विचाराधीन निर्धारिती द्वारा की गई लागत से स्पष्ट रूप से या महत्वपूर्ण रूप से अधिक होते हैं, कि वे "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" के प्रति "उपकर, या शुल्क, या किसी अन्य विचार" की शरारत के दायरे में आते हैं।इस संबंध में, न्यायालय ने दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि लागत या नाममात्र के आधार पर प्रदान की जाने वाली किस तरह की सेवाओं या वस्तुओं को आम तौर पर निर्णय के मुख्य भाग में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की शरारत से बाहर रखा जाएगा।

जी.

एच.

ए. 4.धारा 11 (4ए) की व्याख्या धारा 2 (15) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए, जिसके साथ कोई टकराव नहीं है। ऐसी गतिविधियों के संबंध में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय या सेवा की प्रकृति में गतिविधि करना, जी. पी. यू. उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में आयोजित किया जाना चाहिए, और आय, लाभ या अधिशेष या लाभ, इसलिए, आकस्मिक होना चाहिए।धारा 11 (4ए) में अलग-अलग लेखा पुस्तिकाओं को बनाए रखने की आवश्यकता भी यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता के अनुरूप है कि धारा 2 (15) के परंतुक में निर्धारित मात्रात्मक सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।इसी तरह, धारा 13 (8) का अंतःस्थापन, धारा 10 (23सी) का सत्रहवाँ परंतुक और धारा 143 (3) का तीसरा परंतुक (सभी w.r.e.f)। 01.04.2009), इस व्याख्या की पुष्टि करते हैं और वैधानिक प्रावधानों में एकरूपता लाते हैं।

B. कानून द्वारा साबित प्राधिकरण, निगम या निकाय

बी. 1.राज्य सरकार या केंद्र सरकारों द्वारा स्थापित किसी वैधानिक निगम, बोर्ड या किसी अन्य निकाय द्वारा अनिवार्य रूप से 'सार्वजनिक कार्यों/सेवाओं' (जैसे आवास, औद्योगिक विकास, पानी की आपूर्ति, सीवेज प्रबंधन, खाद्यान्न की आपूर्ति, विकास और नगर नियोजन, आदि) को प्राप्त करने के लिए जो भी राशि या कोई भी धन लिया जाता है, वह व्यापार, वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधियों के समान हो सकता है।हालाँकि, चूंकि उनके उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्यों/कार्यों की प्रगति के लिए आवश्यक हैं (और तदनुसार वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से प्रतिबंधित हैं), इसलिए ऐसी प्राप्तियों को प्रथम दृष्टया व्यापार या वाणिज्यिक प्राप्तियों की शरारत से बाहर रखा जाना चाहिए।यह रामतनु कोऑपरेटिव हाउसिंग में इस अदालत के बड़ी पीठ के फैसलों के अनुरूप है।

---

सोसायटी और एन. डी. एम. सी. (ऊपर)।

बी. 2.हालांकि, साथ ही, प्रत्येक मामले में, मूल्यांकन अधिकारियों को अपने दिमाग को लागू करना होगा और रिकॉर्ड की जांच करनी होगी, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या, और किस हद तक, प्रभारित प्रतिफल या राशि लागत और नाममात्र मार्क-अप से काफी अधिक है।यदि ऐसा है, तो रसीदें इंगित करेंगी कि गतिविधियाँ वास्तव में "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" की प्रकृति की हैं और इसके परिणामस्वरूप, आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) के परंतुक में मात्रात्मक सीमा (समय-समय पर संशोधित) का पालन करना होगा।

जी.

बी. 3.आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (46) के खंड (बी) में, "वाणिज्यिक" का अर्थ आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) में "व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय" के समान है। इसलिए, ऐसे अधिसूचित निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास या आयोग (जो भी नाम से जाना जाए) द्वारा प्रभारित राशियों की आवश्यकता होगी। ———

एच.

इसी तरह का विचार-यानी, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह "वाणिज्यिक गतिविधि" की शरारत के दायरे में आता है, क्या यह नाममात्र के मार्क-अप के साथ लागत पर है या काफी अधिक है।हालाँकि, ऐसे अधिसूचित निकायों के मामले में, धारा 10 (46) में कोई मात्रात्मक सीमा नहीं है।इसलिए, केंद्र सरकार को मामले-दर-मामले के आधार पर यह तय करना होगा कि धारा 10 (46) के तहत अधिसूचित निकायों को क्या और किस हद तक छूट दी जा सकती है।

बी. 4.01.04.2003 से 01.04.2011 की अवधि के लिए, एक सांविधिक निगम धारा 2 (15) के लाभ का दावा कर सकता है।

गुजरात समुद्री बोर्ड मामले (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय।
इसी तरह, 01.04.2011 के बाद धारा 10 (46) के तहत लाभ से इनकार एक सांविधिक निगम, बोर्ड, या जो भी ऐसा निकाय कहा जा सकता है, उसे यह दावा करने से नहीं रोकता है कि यह एक धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है और धारा 10 (23सी) या अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत छूट की मांग करता है।

ग. सांविधिक नियामक

सी. 1.उदाहरण के लिए, सांविधिक नियामक निकायों की आय और प्राप्तियाँ, जिन्हें पाठ्यक्रम निर्धारित करने, पेशेवरों को अनुशासित करने और पेशेवर आचरण के मानकों को निर्धारित करने के विशेष कर्तव्यों के साथ काम सौंपा गया है, प्रथम दृष्टया व्यावसायिक या वाणिज्यिक प्राप्तियाँ नहीं हैं।हालाँकि, यह इस चेतावनी के अधीन है कि यदि मूल्यांकन अधिकारी यह समझते हैं कि ऐसे नियामक निकाय द्वारा की जाने वाली कुछ प्रकार की गतिविधियों में शुल्क लेना शामिल है जो खर्च की गई लागत से काफी अधिक है (नाममात्र मार्क-अप के साथ) या अन्य सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करना जैसे कि प्रवेश प्रपत्र, कोचिंग कक्षाएं, पंजीकरण प्रसंस्करण शुल्क, आदि, स्पष्ट रूप से अधिक कीमतों पर, वे वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्राप्तियां होंगी।उस स्थिति में, धारा 2 (15) (समय-समय पर संशोधित) के परंतुक में निर्धारित समग्र मात्रात्मक सीमा का पालन करना होगा, यदि नियामक निकाय को 'धर्मार्थ उद्देश्य' के साथ आईटी अधिनियम के तहत छूट के लिए पात्र माना जाना है।

सी. 2.व्यवसायों को विनियमित करने वाले सांविधिक प्राधिकरणों की तरह, योग्यता आदि के मानकों के आधार पर उत्पादों (जैसे बीज) को प्रमाणित करने वाले सांविधिक निकायों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा।

जी.

D. व्यापार संवर्धन निकाय

व्यापार संवर्धन में शामिल निकायों (जैसे ए. ई. पी. सी.), या विशुद्ध रूप से व्यापार संगठनों की वकालत करने, समन्वय करने और सहायता करने के उद्देश्यों के साथ स्थापित, को ए के उद्देश्यों की प्रगति में शामिल कहा जा सकता है।

एच.

सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता।हालांकि, यदि ऐसे संगठन अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे कि कौशल कर्मियों के लिए पाठ्यक्रम, मेलों या व्यापार शो, परामर्श सेवाओं आदि में निजी किराये की जगह प्रदान करना, तो ऐसी गतिविधियों से आय या प्राप्तियां, व्यवसाय या वाणिज्यिक प्रकृति की होंगी।उस स्थिति में, कर छूट के दावे को फिर से आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) के प्रावधानों की कठोरता के अधीन करना होगा।

ई. गैर-सांविधिक निकाय

ई. 1.वर्तमान मामलों में, ई. आर. एन. ई. टी. और एन. आई. एक्स. आई. जैसे सार्वजनिक कार्यों को करने वाले गैर-सांविधिक निकाय महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्यों में लगे हुए हैं।अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि प्रदान किए गए उद्देश्यों के लिए उनके द्वारा लिया गया शुल्क या प्रतिफल नाममात्र है।इन परिस्थितियों में, यह माना जाता है कि उक्त दो निर्धारिती धर्मार्थ उद्देश्यों से प्रेरित हैं।हालांकि, सार्वजनिक कार्यों को करने वाले ऐसे गैर-सांविधिक संगठनों के दावों का वार्षिक आधार पर पता लगाना होगा, और कर अधिकारियों को रिकॉर्ड से यह पता लगाना होगा कि क्या शुल्क नाममात्र लागत से अधिक है, या इसे बहुत अधिक स्तर तक बढ़ा दिया गया है।

ई. 2.यह माना जाता है कि हालाँकि जी. एस. 1 इंडिया वास्तव में, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति में शामिल है, लेकिन इसकी सेवाएं व्यापार और व्यवसाय के लाभ के लिए हैं, जिससे उन्हें काफी अधिक प्राप्तियाँ मिलती हैं।इन परिस्थितियों में, संशोधित धारा 2 (15) को ध्यान में रखते हुए छूट का उसका दावा सफल नहीं हो सकता है।हालाँकि, न्यायालय भविष्य में किए गए किसी भी दावे और स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किए जाने से इनकार नहीं करता है, यदि जी. एस. 1 यह संतुष्ट करने में सक्षम है कि वह अपने ग्राहकों को जो प्रदान करता है, वह लागत के आधार पर अधिक से अधिक, एक नाममात्र मार्कअप के साथ लिया जाता है।

एफ. खेल संघ

जहाँ तक राज्य क्रिकेट संघों (सौराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बड़ौदा और राजकोट) का संबंध है, इस न्यायालय की राय है कि फैसले के पैराग्राफ 228-238 में चर्चा के आलोक में मामले की और जांच की आवश्यकता है।तदनुसार, एक निर्देश जारी किया जाता है कि ए. ओ. संबंधित निर्धारिती को नोटिस जारी करने और इस निर्णय के पिछले पैराग्राफ में इंगित प्रासंगिक सामग्री की जांच करने के बाद मामले पर नए सिरे से निर्णय लेगा।इसके अलावा, यदि कोई परिणामी आदेश जारी करने की आवश्यकता है, तो वही किया जाएगा और मूल्यांकन आदेशों सहित परिणामी कार्रवाई, आई. टी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानून के अनुसार पारित की जाएगी।

एच.

जी. निजी न्यास

जहां तक निर्धारिती-ट्रिब्यून ट्रस्ट की अपील का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने के बावजूद, ट्रस्ट धारा 2 (15) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को दी गई छूट से लाभान्वित नहीं हो सकता है क्योंकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि विज्ञापनों से प्राप्त आय, व्यवसाय या वाणिज्यिक प्राप्तियों का गठन करती है।नतीजतन, छूट के लिए पात्र दान के रूप में ट्रस्ट के दावे के सफल होने के लिए धारा 2 (15) के परंतुक में निर्धारित सीमा का पालन करना होगा।इसलिए, अलग-अलग तर्कों के बावजूद, इस अदालत ने माना है कि उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

एच. व्याख्या का अनुप्रयोग

एच. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस निर्णय के माध्यम से आए निष्कर्ष, न तो किसी भी निर्धारिती (चाहे सांविधिक, या गैर-सांविधिक) को छूट का दावा करने से रोकते हैं, न ही कर अधिकारियों को छूट से इनकार ~~करने से, भविष्य में, यदि संबंधित वर्ष की प्राप्तियां~~ मात्रात्मक सीमा से अधिक हैं।आकलन करने वाले अधिकारियों को वार्षिक आधार पर, यह पता लगाने के लिए अभिलेख की जांच करनी चाहिए कि क्या निर्धारिती की गतिविधियों की प्रकृति उसकी प्राप्तियों और आय के आधार पर "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" के बराबर है (यानी, क्या प्रभारित राशि लागत-आधार पर है, या काफी अधिक)।यदि यह पाया जाता है कि वे "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" की प्रकृति के हैं, तो इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या धारा 2 (15) के परंतुक में मात्रात्मक सीमा (समय-समय पर संशोधित) का उल्लंघन किया गया है, इस प्रकार उन्हें छूट से वंचित कर दिया गया है।

254. पूर्वगामी चर्चा और निष्कर्षों के सारांश के अनुसार, कई अपीलों का निपटारा निम्नानुसार किया जाता हैः(i) इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, मोगा 158, होशियारपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 159, बठिंडा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 160, फाजिल्का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 161, संगरूर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 162, पटियाला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 163, जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 164, कपूरथला के खिलाफ राजस्व की अपीलें।

जी.

158 सीए संख्या. 9974/2018 और 10371/2017 159 सीए संख्या. 12058/2017 और 9886/2018

160 सीए संख्या. 16375/2017,2047/2019 और डायरी संख्या. 5683/2019 161 सीए संख्या. 10598/2018

162 सीए सं. 17527/2017

163 सीए संख्या. 9860/2018,8321/2018,2335/2019,4449/2019 और 4957/2019 164 सीए संख्या. 12869/2017 और 10406/2018 ए

एच.

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 165, पठानकोट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 166, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, हांसी 167 और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड 168 और कर्नाटक जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड 169 के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।

(ii) अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण 170, गुजरात आवास बोर्ड 171, गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण 172, राजकोट शहरी विकास प्राधिकरण 173, सूरत शहरी विकास प्राधिकरण 174, जामनगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण 175 और गुजरात औद्योगिक विकास निगम 176 के खिलाफ राजस्व की अपीलों को खारिज कर दिया गया है।इसी तरह, आगरा विकास न्यास 177; उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 178; रायबरेली विकास प्राधिकरण 177, राजस्थान आवास बोर्ड 180; मैंगलोर शहरी विकास प्राधिकरण 181; मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण 182; मेरठ विकास प्राधिकरण 183; बेलगाम विकास प्राधिकरण 184; मुरादाबाद शहरी विकास प्राधिकरण 185,

---

165 सीए सं. 11259/2018
166 डी. नहीं। 44856/2018
167 सीए सं. 9200/2018
168 एसएलपी (सी) संख्या. 3759/2021,4612/2021,5167/2021,4678/2021,4636/2021,4723/2021,7854/2021 और 11683/2021

169 एसएलपी (सी) संख्या 8364/2021।
170 CA Nos.21762/2017,5719/2018,6762/2018,3343/2018,3359/2018,1643/2019,3971/2019, SLP (C) 6686/2021, और SLP (C) संख्या 6580/2021।
171 सीए सं. 6553/2019 और 783/2020
172 एसएलपी (सी) सं. 5709/2021,6005/2021 और 10490/2021
173 एस. एल. पी. (सी) नं. 7003/2021; 7166/2021; 6917/2021; 7510/2021; 7290/2021 और 7606/2021

174 एसएलपी (सी) सं. 10908/2021; 7789/2021 और 11072/2021 175 SLP (C) संख्या. 7302/2021 और 7011/2021

176 डी. Nos.39525/2017,15525/2019,21237-2019; 15488/2019; 15489/2019 और 21237/2019; सीए संख्या। 3971-3972/2018,170/2019; SLP (C) सं। 15055/2019 177 सी. ए. नं. 10114/2018

178 एसएलपी (सी) सं. 12304/2018
179 सी. ए. नं. 6489/2018
180 एसएलपी (सी) सं. 10912/2018
181 सी. ए. सं. 9172/2018
182 सी. ए. सं. 11884/2018
183 सी. ए. सं. 226/2019
184 सी. ए. नं. 213/2020
185 एसएलपी (सी) सं. 7779/2018

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 186; ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण 187; न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 188 और कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड 189 को खारिज कर दिया गया है।

(iii) आई. सी. ए. आई. के खिलाफ राजस्व की 190 अपीलों को खारिज कर दिया जाता है और इन्हीं कारणों से आई. सी. ए. आई. द्वारा दायर 191 अपीलों की अनुमति दी जाती है।

(iv) राजस्थान राज्य बीज और जैविक उत्पादन प्रमाणन एजेंसी के खिलाफ राजस्व की अपील-सी. ए. संख्या 21845/2017 को खारिज कर दिया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी द्वारा दायर एस. एल. पी. (सी) संख्या 15547/2013 को उन्हीं कारणों से अनुमति दी गई है।

(v) ए. पी. ई. सी. के खिलाफ राजस्व की अपील आंशिक रूप से सफल होती है।उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है; मामला संबंधित वर्षों के लिए निर्धारण अधिकारी को भेज दिया जाता है।उपरोक्त शर्तों में एस. एल. पी. (सी) सं. 14995/2019 की अनुमति है।(vi) गैर-सांविधिक निकायों के संबंध में-ई. आर. एन. ई. टी. के खिलाफ राजस्व की अपील विफल हो जाती है, और एस. एल. पी. (सी) सं. 15040/2019 को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। और इसी तरह एन. आई. एक्स. आई. के संबंध में विवादित निर्णय की पुष्टि की जाती है-एस. एल. पी. (सी) सं. 15079/2019 इसलिए खारिज कर दिया जाता है।तथापि, जी. एस. 1-सी. ए. सं. 5058/2014 और सी. ए. सं. 4374/2015 के विरुद्ध राजस्व की अपीलों की एतद्द्वारा अनुमति दी जाती है और निर्णय के मुख्य भाग में विस्तृत कारणों के लिए विवादित निर्णयों को अलग कर दिया जाता है।

(vii) इस अदालत के समक्ष क्रिकेट संघों के खिलाफ राजस्व की अपीलें आंशिक रूप से सफल होती हैं, और गुजरात उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के विवादित फैसलों को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।उपरोक्त चर्चा और टिप्पणियों के आलोक में प्रश्न के नए सिरे से निर्धारण के लिए मामला संबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है।डी. नंबर. 16597/2020, सी. ए. नंबर. 7643/2018, सी. ए. नंबर. 8554/2018, डी. नंबर. 17255-2020,

जी. _____

186 एसएलपी (सी) सं. 14574/2019 187 सी. ए. सं. 3596/2018 188 सीए सं. 3347/2018

189 सीए संख्या. 4430/2021,2477/2021,2478/2021 190 सीए संख्या. 8193/2012,5057/2012 और 4196/2015 191 एसएलपी (सी) संख्या। और सीए सं. 5056/2012 ए

एच.

एसएलपी (सी) नंबर. 1404/2021, डी. नंबर. 19394-2020, डी. नंबर. 19399-2020, डी. नंबर. 19403-2020, एसएलपी (सी) नंबर. 11486/2020, एसएलपी (सी) नंबर. 11124/2020, डी. नंबर. 19449-2020, एसएलपी (सी) नंबर. 12206/2020, डी. नंबर. 20986-2020, डी. No.23310-2020, एसएलपी (सी) नंबर. 6253/2021, एसएलपी (सी) नंबर. 19044/2021, डी. नंबर 5806/21, डी. नंबर. 6662/2021 की अनुमति है।

(viii) निजी न्यासों के संबंध में, निर्धारिती, ट्रिब्यून ट्रस्ट-CA 9380/2017 द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है।श्री बालाजी समाज विकास समिति के खिलाफ राजस्व की अपील-एसएलपी (सी) नंबर 30597/2018, कम कर प्रभाव के कारण खारिज कर दी जाती है।

255. उपरोक्त शर्तों में मामलों के इस समूह का निपटारा किया जाता है।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, खारिज कर दिए जाते हैं।

निधि जैन
(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

अपीलों का निपटारा किया गया।

जी.

एच.